सत्यमेव जयते

भारतीय संसद

संसदीय अधिनियमों का सार–संग्रह

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

भारतीय संसद, राज्य सभा

PARLIAMENT OF INDIA, RAJYA SABHA

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2014

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
संसदीय अधिनियमों का सार–संग्रह

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2014

2

इस प्रकाशन का अंग्रेजी पाठ भी उपलब्ध है

भारतीय संसद

संसदीय अधिनियमों का सार-संग्रह

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली

2014

© राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली–110001
http://parliamentofindia.nic.in
http://rajyasabha.nic.in
E-mail:rsrlib@sansad.nic.in

मूल्य: ₹ 410/–

महासचिव, राज्य सभा द्वारा प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110 002 में मुद्रित।

विषय सूची

		पृष्ठ
1.	प्राक्कथन	(i)
2.	कार्यकारी सारांश	(iii)
	पृष्ठभूमि	(iv)
	संवैधानिक बाध्यता	(iv)
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का उद्‌भव	(v)
	विधायी घटनाक्रम	(vi)
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की प्रमुख विशेषताएं	(vii)
	निष्कर्ष	(x)
3.	उपाबंध	
I	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 (22 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में पुरः स्थापित रूप में)	1
II	'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011' संबंधी विभाग-संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन (2012-13) (लोक सभा में 26 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत)	63
III	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013	167
IV	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 (7 अगस्त, 2013 को लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)	197
V	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 पर लोक सभा में 13 और 26 अगस्त, 2013 को हुए वाद-विवाद का सारांश	251
VI	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 (26 अगस्त, 2013 को लोक सभा द्वारा पारित रूप में)	301
VII	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 के संबंध में 2 सितम्बर, 2013 को राज्य सभा में हुए वाद-विवाद का सारांश	337
VIII	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013	359
4.	पठन-सूची	391

प्राक्कथन

भारत के संविधान में विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनायी जाने वाली विधायी प्रक्रियाओं की अभिकल्पना की गई है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट होने पर कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि तुरंत कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है, अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव उतना ही होता है जितना संसद के किसी अधिनियम का। इसे संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाना होता है। कोई अध्यादेश संसद के पुन: समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर, अथवा उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व, इसे अस्वीकार करने वाले संकल्प दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने पर, इन संकल्पों में से दूसरे संकल्प के पारित हो जाने पर, निष्प्रभावी हो जाता है। राज्य सभा एवं लोक सभा दोनों में प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियम प्रत्येक सभा में विधेयक के पुर:स्थापन के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं; सभा की प्रवर समितियों/सभाओं की संयुक्त समिति अथवा इससे संबंधित विभाग-संबंधित स्थायी समिति को विधेयक सौंपे जाने और जांच किए जाने तथा प्रत्येक सभा द्वारा विधेयक पर विचार और उसका पारण किए जाने का ब्यौरा प्रदान करते हैं। विधायी प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में विधेयकों पर विस्तार से चर्चा होती है और आवश्यकता पड़ने पर इनके पारित होने से पूर्व उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं। विधायी अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य है दोनों सभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में एक स्थायी और प्रामाणिक स्रोत आधार बनाना, जिससे विधेयक से लेकर संसद के अधिनियम बनने की अवस्था तक विधायी प्रस्तावों के विकास को समझने के लिए आवश्यक अमूल्य सामग्री को आसानी से और शीघ्र सुलभ करने के लिए एक ही अंक में आवश्यक दस्तावेज प्रदान किये जा सकें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से संबंधित संसदीय अधिनियमनों के इस सार-संग्रह में सभी प्राथमिक दस्तावेज जैसे यथा पुर:स्थापित विधेयक, विभाग-संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जिसने विधेयक की जांच की और उस पर प्रतिवेदन सौंपा, का प्रतिवेदन, संसद की दानों सभाओं में हुए वाद-विवाद का सारांश तथा व्यापक कार्यकारी सारांश सहित संसद की दोनों सभाओं द्वारा यथा पारित विधेयक अंतर्विष्ट हैं। चुनिंदा पठन सामग्री की एक सूची भी संलग्न है।

मैं राज्य सभा सचिवालय के सभी संबंधित अनुभागों द्वारा किए गए योगदान और विशेषकर पुस्तकालय, संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) के अधिकारियों, जिन्हें इस सार-संग्रह के संकलन का कार्य सौंपा गया था, द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मुद्रण और प्रकाशन सेवा द्वारा किए गए कार्य की भी सराहना करता हूँ।

यह प्रकाशन संसद सदस्यों, शोधार्थियों, विधिक बिरादरी और जन-साधारण के लाभ के लिए भी दोनों सभाओं द्वारा पारित चुनिंदा विधेयकों के संबंध में प्रकाशित किए जाने वाले संसदीय अधिनियमनों के सार-संग्रहों की शृंखला की प्रथम कड़ी है।

शमशेर के॰ शरीफ

महासचिव।

नई दिल्ली;
अगस्त, 2014

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

(कार्यकारी सारांश)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) एक ऐसा विधान है जिस पर हाल के समय में काफी चर्चा हुई है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और सबसे अधिक सिविल सोसाइटी सभी ने इस विधान की विषयवस्तु को परिष्कृत करने में योगदान दिया है। लोक सभा में दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को एनएफएसबी, 2011 के रूप में पुर:स्थापित इस विधेयक की जांच करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसे 5 जनवरी, 2012 को विभाग-संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। समिति ने जनवरी, 2013 में विधेयक के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक को तद्नुसार संशोधित किया गया और 2 मई, 2013 को लोक सभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 के रूप में पुन: पुर:स्थापित किया गया। तथापि, संसद द्वारा विधेयक को पारित किए जाने में हो रहे विलंब के मद्देनजर 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 प्रख्यापित किया गया। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक 7 अगस्त, 2013 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया और इसने 26 अगस्त, 2013 को इसे पारित कर दिया गया। लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर 2 सितम्बर, 2013 को राज्य सभा में चर्चा हुई और उसे पारित किया गया। दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात् यह विधेयक अधिनियम बन गया।

गरीबों और खाद्य असुरक्षित जनता की दशा सुधारने में एक युगांतरकारी विधान समझे जाने वाला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) पात्र परिवारों के व्यक्तियों को चावल, गेहूँ और मोटे अनाजों के लिए क्रमश: 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के राजसहायता-प्राप्त मूल्य पर प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न का कानूनी अधिकार और पात्रता प्रदान करता है। एनएफएसए के दायरे में 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या आती है। एनएफएसए के अधीन इसके दायरे में लाए जाने वाले इतने प्रतिशत लोगों के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी की एक रूपरेखा विधान में निर्मित की गई है, जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार संख्या, मानदण्ड और योजना निर्धारित करेगी जबकि राज्य सरकारें परिवारों की पहचान करेंगी और विधेयक के उपबंधों का कार्यान्वयन करेगी। हर दृष्टि से, यह एक अहम विधेयक है जो हकदारियां प्रदान करने के मामले में परिवार-आधारित दृष्टिकोण से व्यक्ति-आधारित दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए लड़ते हुए महात्मा गांधी ने लिखा था कि जब तक लोगों को भोजन और वह भी संतुलित भोजन का पर्याप्त प्रावधान नहीं किया जाता, स्वराज स्थापित नहीं हो सकता। यह विज़न नैतिक सिद्धांतों से परिपूर्ण था। तथापि, इतिहास के बाद वाले चरण में भोजन के अधिकार को मानवाधिकारों का हिस्सा माना गया जिसका उपभोग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी हैसियत का आभास करने के लिए करना था। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधियों में खाद्य एवं पोषण अधिकारों की बात समुचित जीवन स्तर के लिए व्यापक मानवाधिकार के संदर्भ में उठती है। 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा दृढ़तापूर्वक कहती है कि ''प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य और सुख के लिए, भोजन सहित, पर्याप्त हो।''[1] अनेक मुख्य बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौतों में खाद्य एवं पोषण अधिकारों की अनन्तर पुष्टि की गई है। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में यह कहा गया है कि ''वर्तमान प्रसंविदा में भाग लेने वाले देश प्रत्येक व्यक्ति के अपने एवं अपने परिवार के लिए उचित जीवन स्तर के अधिकार को स्वीकार करते हैं। जिसमें उनके लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र एवं आवास शामिल हैं...'' एवं वे ''प्रत्येक व्यक्ति के भूख से मुक्त होने के उसके मौलिक अधिकार को भी स्वीकार करते हैं''।[2]

1990 के दशक के अन्तिम वर्षों के आरंभ में वैश्विक स्तर पर खाद्य अधिकारों का कार्य, वर्ष 1996 में रोम में आयोजित विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन के अधिदेश पर केन्द्रित था। 1999 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी समिति ने समुक्ति की कि ''आधारभूत रूप से, भूख एवं कुपोषण की समस्या का मूल कारण खाद्य का अभाव नहीं है अपितु उपलब्ध खाद्य तक पहुंच का अभाव है, जो विश्व की जनसंख्या के बड़े भाग की निर्धनता के कारण है।[3] संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत निर्धारित लक्ष्यों में से एक लक्ष्य अत्यंत निर्धनता एवं भूख का उन्मूलन भी है।

संवैधानिक बाध्यता

यद्यपि संविधान के पाठ में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से संयोजित नहीं है परंतु वह संविधान के भाग III एवं भाग IV के अनुच्छेदों में सम्मिलित समझा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ''किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।'' अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के साथ अनुच्छेद 39(क) एवं 47 (पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य नागरिकों का जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार) का पाठ खाद्य सुरक्षा

[1]1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा का अनुच्छेद 25(1)

[2]अनुच्छेद 11, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा

[3]संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी समिति की सामान्य टिप्पणी 12 का पैरा 5

के मुद्दे को उचित परिप्रेक्ष्य में स्थापित करता है। अब यह सुबोधित है कि खाद्य का अधिकार एक प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार के द्वारा प्रवर्तनीय है। संविधान के ये उपबंध आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, जिसका भारत एक सदस्य है, के अधीन बाध्यताओं के सुसंगत है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का उद्भव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 के उद्भव की पृष्ठभूमि में जाएं तो अप्रैल, 2001 का खाद्य का अधिकार अभियान दिखाई देता है, जब पीपल्स यूनियन ऑफ़ सिविल लिबर्टीज़ (पीयूसीएल) की राजस्थान स्थित इकाई ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दर्ज की थी जिसमें तीन प्रमुख प्रश्न पूछे गए थे:—

क. क्या प्राण के अधिकार का यह अर्थ है कि वे लोग जो भूख से मर रहे हैं एवं जो इतने अधिक गरीब हैं कि वे खाद्यान्न नहीं खरीद सकते, उन्हें राज्य के अतिरिक्त भण्डार से राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाए, विशेष रूप से जब यह सूचित हो कि इसका एक बड़ा भाग प्रयोगरहित पड़ा है एवं सड़ने लगा है?

ख. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण के अधिकार में खाद्य का अधिकार समाहित नहीं है?

ग. क्या खाद्य के अधिकार का तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह विशेष रूप से सूखे की स्थितियों में उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराए जो सूखे से प्रभावित हैं एवं खाद्य खरीदने की स्थिति में नहीं हैं?

23 जुलाई, 2001 को उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि:

हमारे मत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह देखना है कि खाद्य उन्हें प्रदान किया जाए जो वृद्ध, कमजोर, अशक्त, अनाश्रित, गर्भवती हैं एवं दूध पिलाने वाली स्त्रियां एवं वे लोग, जो भुखमरी के खतरे में हैं, एवं निराश्रित बच्चे हैं, विशेष रूप से उन मामलों में जहां उनके एवं उनके परिवार के पास इतना पर्याप्त धन नहीं है कि वे अपने लिए भोजन उपलब्ध कर सकें। अकाल की स्थिति में, खाद्य की कमी हो सकती है, परंतु यहां यह स्थिति है कि बहुतायत के बावजूद अभाव रहता है। खाद्य बहुतायत में है, परंतु अति निर्धनों और निराश्रितों में इसका वितरण बहुत कम है अथवा है ही नहीं जिसके कारण कुपोषण, भुखमरी और अन्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं।[4]

पीयूसीएल के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने राजनीतिक स्थापना को जनसंख्या के निर्धन एवं वंचित भाग की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने 2009 में नवीन जनादेश चाहते हुए अपने चुनावी घोषणापत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने का संकल्प किया। जनादेश हासिल करने पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए-II सरकार ने कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा के अधिनियमन को प्राथमिक कार्यक्रमों में एक के रूप में रखा एवं संसद के दोनों

---

[4]http://www.righttofoodindia.org/data/scordersprimeratoolforaction.pdf

सदनों को राष्ट्रपति के संबोधन में 4 जून, 2009 को इसका उल्लेख किया गया एवं सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के स्पष्ट आशय को प्रकट किया। 16 नवम्बर, 2010 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव के सूक्ष्म परीक्षण के लिए प्रधान मंत्री को परामर्श दिया गया, जिसके अनुसार निर्धनता रेखा से नीचे के वर्ग के विद्यमान सर्वेक्षण को प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के परिप्रेक्ष्य में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा संचालित सामाजिक-आर्थिक जनगणना वाले सर्वेक्षण/सर्वेक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त परामर्शों के आलोक में, प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्तावों के निहितार्थ के परीक्षण के लिए डॉ॰ सी॰ रंगराजन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया एवं उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रस्तुत कीं।[5] राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार किया[6] एवं 6 जुलाई, 2011 को इसे विचारण हेतु सरकार को अग्रेषित कर दिया।

विधायी घटनाक्रम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 (**उपाबंध-I**) प्रथम बार लोक सभा में 22 दिसम्बर, 2011 को प्रस्तुत किया गया था। तब इसे विभाग-संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति को 5 जनवरी, 2012 को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया गया था। समिति ने जनवरी, 2013 में विधेयक पर विस्तृत प्रतिवेदन (**उपाबंध-II**) प्रस्तुत किया। स्थायी समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप संशोधित विधेयक को तब 2 मई, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लोक सभा में पुन: पुर:स्थापित किया गया। हालांकि उस सत्र के दौरान यह विधेयक पारित नहीं हो पाया क्योंकि 8 मई, 2013 को संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई थी। सरकार का यह सुविचारित मत था कि खाद्य असुरक्षित जनसंख्या को लाभ देने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अधिनियम में और विलम्ब उचित न होगा। इसलिए 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (**उपाबंध-III**) प्रख्यापित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 जिसे लोक सभा में 22 दिसम्बर, 2011 को प्रस्तुत किया गया था उसे सरकार द्वारा सभा की अनुमति से 7 अगस्त, 2013 को वापस ले लिया गया। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक (**उपाबंध-IV**) 7 अगस्त, 2013 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया और उसके द्वारा इसे 26 अगस्त, 2013 को पारित किया गया। लोक सभा द्वारा पारित इस विधेयक (**उपाबंध-V**) को राज्य सभा द्वारा चर्चा कर 2 सितम्बर, 2013 को पारित कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक (**उपाबंध-VI**) 10 सितम्बर, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति के उपरान्त अधिनियम बन गया।[7] राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश एवं साथ ही अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक में वही उपाबंध थे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 में थे और जिसे लोक सभा में 2013 में पुर:स्थापित किया गया था।

---

[5]विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाएँ चार प्रमुख विषयों पर थीं यथा — खाद्यान्न पात्रता, सब्सिडी, पीडीएस सुधार एवं लाभार्थियों की पहचान के लिए अभिकरण। अधिक जानकारी के लिए देखें: http://eac.gov.in/reports/rep-NFSB.pdf

[6]श्री हर्ष मंदेर को संयोजक रखते हुए खाद्य सुरक्षा पर एक कार्यदल गठित किया गया जिसने व्यापक विचार-विमर्श के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया।

[7]राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 का अधिनियम 20 बना।

II

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की प्रमुख विशेषताएं

- ***उद्देश्य***: लोगों को निष्ठापूर्वक जीवन जीने के लिए वहन करने योग्य कीमतों पर उत्तम भोजन की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन चक्र उपागम में खाद्य एवं पोषण संरक्षण प्रदान करना।

- ***अर्हता, विस्तार क्षेत्र एवं परिवारों की पहचान करना***: यह अधिनियम योग्य परिवारों को दो वर्गों के अधीन परिभाषित करता है: (i) अन्त्योदय अन्न योजना[8] के अधीन आने वाले परिवार; एवं (ii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्राथमिक परिवार के रूप में आने वाले परिवार। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन योग्य परिवारों से जुड़े ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अधिकार-क्षेत्र का प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या आकलन के आधार पर करना होता है। योग्य परिवारों को मिलने वाले अधिकार ग्रामीण जनसंख्या के लिए 75% तथा शहरी जनसंख्या के लिए 50% छूट प्राप्ति तक कीमतें विस्तारित होंगी। अधिनियम के उपबंध के अनुसार राज्य सरकार को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए निश्चित लोगों में ही योग्य परिवारों की पहचान करनी है, यथा वे परिवार जो अन्त्योदय अन्न योजना में आते हैं एवं बचे हुए परिवार प्राथमिक परिवार के रूप में है जिन्हें लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सम्मिलित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को दिशा-निर्देश गठित करने हैं एवं सुनिश्चित लोगों की संख्या में विद्यमान योग्य परिवारों की सूची अद्यतन करनी है।[9]

- ***खाद्य अधिकार***: प्रत्येक प्राथमिकता प्राप्त परिवार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार से प्रत्येक माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न का अधिकारी होगा। अन्त्योदय अन्न योजना के अधीन आने वाले परिवारों अधिनियम के प्रारंभ होने से तीन वर्षों तक प्रत्येक मास प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न प्राप्ति के अधिकारी होंगे, जहां चावल, गेहूं, मोटे अनाज में छूट प्राप्त कीमत क्रमश: 3 रुपए, 2 रुपए, एवं 1 रुपए प्रति किलो से अधिक नहीं होगी एवं उसके बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित उन कीमतों पर जो गेहूं एवं मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं चावल के लिए व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं होंगे।[10]

- ***महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार***: अधिनियम में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण संबंधी समर्थन पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। स्थानीय आंगनवाड़ी द्वारा प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला गर्भधारण के दौरान एवं शिशु जन्म के बाद छह महीने तक नि:शुल्क भोजन प्राप्ति की अधिकारी होगी एवं उसे मातृत्व लाभ के रूप में

---

[8]इससे केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को आरंभ की गई और समय-समय पर संशोधित योजना अभिप्रेत है।

[9]अधिनियम के अध्याय IV, धारा 9, अध्याय II, धारा 3(2) एवं अध्याय X (1) एवं (2)

[10]अध्याय II, धारा 3(1) एवं अनुसूची I।

मिलने वाली राशि छह हजार रुपए से कम नहीं होगी, जिसे केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार किश्तों में बांटा जाएगा। अधिनियम यह भी उपबंध करता है कि चौदह वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बालक इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित किया जाएगा। अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए 6 महीने से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक स्थानीय आंगनवाड़ी द्वारा आयु के अनुरूप यथोचित भोजन प्राप्त करने के अधिकारी हैं जबकि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चे सरकारी/राजकीय सहायता-प्राप्त विद्यालयों से मध्याह्न भोजन के अधिकारी होंगे।[11]

- ***खाद्य संरक्षण भत्ता*: यह अधिनियम उपबंध करता है कि पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न अथवा भोजन की अधिकृत मात्रा की अनापूर्ति की स्थिति में ऐसे व्यक्ति संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा ऐसे खाद्य संरक्षण भत्ते को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय एवं प्रणाली से प्रदान होंगे, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया गया है।[12]

- ***महिला सशक्तीकरण*: प्रत्येक योग्य परिवार में अठारह वर्ष अथवा अधिक आयु वालों में ज्येष्ठतम महिला, जहां भी विद्यमान हो, राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन हेतु परिवार की मुखिया मानी जाएगी। जहां किसी परिवार में किसी भी समय कोई महिला विद्यमान नहीं है अथवा कोई अठारह या अधिक आयु की महिला नहीं है, परंतु वहां पर महिला सदस्य विद्यमान है एवं वह अठारह वर्ष से कम आयु की है, तब राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन हेतु परिवार का सबसे बड़ी आयु का सदस्य परिवार का मुखिया होगा एवं महिला सदस्य के अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह पुरुष सदस्य के स्थान पर राशन कार्ड के लिए परिवार की मुखिया बन जाएगी।[13]

- ***लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार*: अधिनियम में सुविचारित संभावनाओं से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कतिपय मापदण्डों को समाविष्ट किया गया है, यथा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र तक खाद्यान्न की द्वार तक आपूर्ति, सूचना एवं संचार तकनीकी उपकरणों का अनुप्रयोग जिनमें श्रृंखलाबद्ध संगणकीकरण हो, लाभार्थियों की अपूर्व पहचान के लिए 'आधार' का लाभ उठाना, दस्तावेजों की पूर्ण पारदर्शिता, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाले पदार्थों का विविधीकरण इत्यादि।[14]

- ***शिकायत निवारण तंत्र*: अधिनियम के अधीन, शिकायत निवारण तंत्र का उपबंध किया गया है। प्रत्येक राज्य सरकार अपने यहां एक आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी। जिसमें कॉल सेंटर, हेल्प लाइनें, नोडल अधिकारियों के पद होंगे अथवा निर्देशानुसार ऐसा ही कोई तंत्र होगा। आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र के अतिरिक्त राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक अधिकारी नियुक्त या पदनामित करेगी जो जिला शिकायत

[11]अध्याय II, धारा 4 एवं 5

[12]अध्याय III

[13]अध्याय VI

[14]अध्याय V

निवारण अधिकारी के रूप में होगा जो अधिनियम के अधीन अधिकारों के प्रवर्तन एवं अधिकृत खाद्यान्नों के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की व्यथा का शीघ्र एवं प्रभावी निवारण करने के लिए होगा।[15]

- *राज्य खाद्य आयोग*: इसके अतिरिक्त, निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं सर्वेक्षण के लिए एक राज्य खाद्य आयोग स्थापित करेगी। राष्ट्रीय खाद्य आयोग एवं राज्य खाद्य आयोग की विस्तृत संरचना एवं कार्यों तथा संबंधित आयोग के अध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तों और वेतन एवं भत्तों का वर्णन अधिनियम में किया गया है।[16]

- *केन्द्रीय सरकार का दायित्व*: केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय पूल[17] के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी, राज्यों द्वारा वांछित खाद्यान्न का आवंटन करेगी, एवं प्रत्येक राज्य में प्राधिकृत डिपो में आवंटन के अनुसार खाद्यान्नों के परिवहन को उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार योग्य परिवारों से संबंधित लोगों के लिए निर्दिष्ट मूल्यों पर राज्य सरकारों को अधिकारों के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय पूल से किसी राज्य को कम आपूर्ति होने की स्थिति में अनेक स्तरों पर आवश्यक आधुनिक एवं वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाएं देगी एवं उनका रखरखाव करेगी एवं केन्द्रीय सरकार वैधानिक दायित्व मंत्रणा के लिए अल्प आपूर्ति के समान निधि प्रदान करती है। अधिनियम के कार्यान्वयन के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार समय-समय पर नियम का निर्माण करने एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशन के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है।[18]

- *राज्य सरकार के दायित्व*: राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन आने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत डिपो से खाद्यान्नों की आपूर्ति ग्रहण करे एवं छूट प्राप्त मूल्यों पर पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न की आपूर्ति एवं वास्तविक प्राप्ति को सुनिश्चित करे। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल प्रचारण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार वैज्ञानिक भण्डारण सुविधाओं का सृजन एवं रखरखाव करेगी एवं राज्य अभिकरणों तथा उचित दर वाली दुकानों की क्षमताओं में संवर्धन करेगी। पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्नों अथवा भोजन की अधिकृत मात्रा की अनापूर्ति की स्थिति में राज्य सरकार उन्हें खाद्य संरक्षण भत्ते की अदायगी के लिए उत्तरदायी होगी।[19]

---

[15]अध्याय VII, धारा 14 एवं 15

[16]अध्याय VII, धारा 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21

[17]विधेयक में केन्द्रीय पूल को खाद्यान्नों के भण्डार के रूप में परिभाषित किया गया है—जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के द्वारा, केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है; एवं लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अधीन, आवंटन के लिए अनुरक्षित किया जाता है जिनमें आपदा राहत, एवं ऐसी अन्य योजनाएं हैं एवं अधिनियम के अधीन कुछ को योजनाओं के लिए आरक्षित रखा जाता है।

[18]अध्याय VIII

[19]अध्याय IX

- ***अन्य कल्याणकारी योजनाएं:*** यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को अन्य भोजन-आधारित कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने एवं निरूपित करने के लिए बाधित नहीं करेगा।[20]

- **दण्ड:** यह अधिनियम राज्य खाद्य आयोग के उन लोक सेवकों अथवा प्राधिकरण पर 5000 रुपए से अनधिक दण्ड अधिरोपित करता है, यदि वे जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत कार्य के अनुपालन में असफल होने के दोषी पाए जाते हैं।[21]

निष्कर्ष

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 जिसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को प्रतिस्थापित किया था, लोक सभा में 7 अगस्त, 2013 को प्रस्तुत किया गया। 13 एवं 26 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 को अनुमोदित करने हेतु प्रस्तुत परिनियत संकल्प के साथ इस विधेयक पर चर्चा की गई। लोक सभा में इस पर चर्चा के लिए कुल 6 घंटे का समय नियत किया गया था। हालांकि इस पर लगा वास्तविक समय 13 अगस्त, 2013 को 22 मिनट एवं 26 अगस्त, 2013 को 8 घंटे 45 मिनट लगा, जो कुल मिलाकर 9 घंटे 7 मिनट होते हैं। कुल 107 सदस्यों, जिनमें खाद्य, उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस भी सम्मिलित थे, ने दोनों दिन लोक सभा में विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया।

राज्य सभा में 2 सितम्बर, 2013 को परिनियत संकल्प के साथ विधेयक पर चर्चा की गई। विवेचन के लिए 6 घंटे का समय आबंटित किया गया था, परंतु चर्चा में लगा वास्तविक समय 8 घंटे 25 मिनट था। चर्चा में केन्द्रीय मंत्री प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस सहित कुल 38 सदस्यों ने भाग लिया।

---

[20]अध्याय XIII, धारा 32(1)

[21]अध्याय XIII, धारा 33

उपाबंध-I

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011

(22 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

लोक सभा में पुर:स्थापित रूप में

<u>2011 का विधेयक संख्यांक 132</u>

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011

खंडों का क्रम

अध्याय 1
प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2
खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

3. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों द्वारा सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।
4. गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली स्त्रियों को पोषणीय सहायता।
5. बालकों को पोषणीय सहायता।
6. बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध।
7. हकदारियों की वसूली के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

अध्याय 3
विशेष समूहों की हकदारियां

8. विशेष समूहों की हकदारियां।
9. आपात और आपदा से प्रभावित व्यक्ति।

अध्याय 2
भुखमरी में रह रहे व्यक्ति

10. भुखमरी में रह रहे व्यक्तियों की, यदि कोई हों, पहचान करना।
11. भुखमरी से तुरंत राहत।
12. भुखमरी के निवारण संबंधी नयाचार।

अध्याय 5
खाद्य सुरक्षा भत्ता

खंड

13. कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

अध्याय 6
पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की पहचान करना

14. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनसंख्या को लाना।

15. पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

16. पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन।

17. पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की संख्या का पुनर्विलोकन।

अध्याय 7
लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

18. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।

अध्याय 8
महिला सशक्तिकरण

19. राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं का गृहस्थ का मुखिया होना।

अध्याय 9
शिकायत निवारण तंत्र

20. आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।

21. जिला शिकायत निवारण अधिकारी।

22. राज्य खाद्य आयोग।

23. राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते।

24. संयुक्त राज्य खाद्य आयोग।

25. राष्ट्रीय खाद्य आयोग के कतिपय उपबंधों का राज्य खाद्य आयोग को लागू होना।

26. राष्ट्रीय खाद्य आयोग।

27. जांच से संबंधित शक्तियां।

28. राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते।

29. राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग की कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य न होना।

अध्याय 10

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

खंड

30. केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन किया जाना।

31. केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराना।

अध्याय 11

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

32. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग।

अध्याय 12

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

33. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।

34. स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं।

अध्याय 13

पारदर्शिता और जवाबदेही

35. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटन।

36. सामाजिक संपरीक्षा का संचालन।

37. सतर्कता समितियों का गठन।

अध्याय 14

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध

38. दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा।

39. खाद्य तथा पोषण संबंधी और सुरक्षा प्रदान करने के उपाय।

अध्याय 15

प्रकीर्ण

40. अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

41. शास्तियां।

42. न्यायनिर्णयन की शक्ति।

खंड

43. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन।

44. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

45. अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

46. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

47. केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

48. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

49. स्कीमों, दिशानिर्देशों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध।

50. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

51. अन्य प्रयोजनों के लिए संस्थानिक तंत्र का उपयोग करना।

52. अपरिहार्य घटना।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

अनुसूची 3

लोक सभा में पुर:स्थापित रूप में

2011 का विधेयक संख्यांक 132

[दि नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, 2011 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011

जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(1) ''आंगनवाड़ी'' से धारा 4, धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन गठित बाल देखरेख और विकास केन्द्र अभिप्रेत हैं;

(2) ''केन्द्रीय पूल'' से खाद्यान्न का ऐसा स्टॉक अभिप्रेत है, जो—

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत प्रचालनों द्वारा उपाप्त किया जाता है;

(ii) आपदा राहत सहित लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याण स्कीमों और ऐसी अन्य स्कीमों के अधीन, आबंटनों के लिए रखा जाता है;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्कीमों के लिए आरक्षिती के रूप में रखा जाता है;

(3) ''निराश्रित व्यक्तियों'' से ऐसे पुरुष, स्त्रियां या बालक अभिप्रेत हैं, जिनके पास उस सीमा तक, जो उनको भुखमरी में रहने और उससे मरने के लिए असुरक्षित बनाती है, उनके जीवित रहने में समर्थ बनाने वाले खाद्य और पोषाहार के लिए अपेक्षित संसाधन, साधन और सहायता नहीं हैं;

(4) ''आपदा'' का वही अर्थ होगा, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में है; 2005 का 53

(5) ''उचित दर दुकान'' से ऐसी दुकान अभिप्रेत है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के 1955 का 10 अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है;

(6) ''खाद्यान्न'' से चावल, गेहूं, मोटा अनाज या उनका कोई संयोजन अभिप्रेत है;

(7) ''खाद्य सुरक्षा'' से अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है;

(8) ''खाद्य सुरक्षा भत्ता'' से धारा 13 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;

(9) ''बेघर व्यक्तियों'' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके पास घर नहीं है और जो सड़क के किनारे, पटरियों या ऐसे अन्य स्थानों में या खुले स्थानों में रहते हैं, जिनके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो बेघर स्थलों या भिक्षुगृहों या ऐसे अन्य गृहों में निवास करते हैं;

(10) ''स्थानीय प्राधिकारी'' के अंतर्गत पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी अभिप्रेत है और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्य में, जहां पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, वहां ग्राम परिषद् या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन या किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नगर सेवाओं के नियंत्रण और प्रबंधन से निहित किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है, अभिप्रेत हैं;

(11) ''भोजन'' से गरम, पकाया गया भोजन या खाने के लिए तैयार भोजन या घर ले जाने वाला राशन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अभिप्रेत है;

(12) ''न्यूनतम समर्थन कीमत'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित आश्वासित कीमत अभिप्रेत है, जिस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है;

(13) ''राष्ट्रीय आयोग'' से धारा 26 के अधीन गठित राष्ट्रीय खाद्य आयोग अभिप्रेत है;

(14) ''अधिसूचना'' से इस अधिनियम के अधीन जारी और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(15) ''अन्य कल्याणकारी स्कीमों'' से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी स्कीमें अभिप्रेत हैं जिनके अधीन स्कीमों के भाग के रूप में खाद्यान्न या भोजन प्रदाय किए जाते हैं;

(16) ''नि:शक्त व्यक्ति'' से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

1996 का 1

(17) ''अभिभावी गृहस्थ'' और ''साधारण गृहस्थ'' से धारा 15 के अधीन उस रूप में पहचान किए गए गृहस्थ अभिप्रेत हैं;

(18) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(19) ''राशन कार्ड'' से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(20) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी शहरी स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय, किसी राज्य में कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(21) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(22) ''वरिष्ठ नागरिक'' से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन उस रूप में परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है; 2007 का 56

(23) ''सामाजिक संपरीक्षा'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मॉनीटर और मूल्यांकन करती है;

(24) ''भुखमरी'' से ऐसे लंबे समय तक खाद्य से वंचित रहना अभिप्रेत है, जो व्यक्ति के जीवित रहने के लिए संकट पैदा करता है;

(25) ''राज्य आयोग'' से धारा 22 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;

(26) ''राज्य सरकार'' से संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(27) ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है;

(28) ''सतर्कता समिति'' से इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का अधीक्षण करने के लिए धारा 37 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

1955 का 10

(29) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में हैं।

अध्याय 2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों द्वारा सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।

3. (1) **धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन पहचान किए गए पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मास राज्य सरकार से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायता-प्राप्त कीमतों पर पूर्विकता गृहस्थों के लिए प्रतिमास सात किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति और साधारण गृहस्थों के लिए प्रतिमास तीन से अधिक किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्राप्त करने का हकदार होगा।**

(2) **सहायता-प्राप्त कीमतों पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और शहरी जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित की जाएंगी।**

परंतु छियालीस प्रतिशत से अन्यून ग्रामीण और अट्ठाईस प्रतिशत शहरी जनसंख्या को पूर्विकता गृहस्थों के रूप में अभिहित किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट हकदारियां और संरक्षण कार्यान्वित किए जाएंगे:

परंतु साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों की हकदारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और ऐसी तारीखों से, ऐसे सुधारों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, जोड़ा जाएगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन, राज्य सरकार पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं खाद्यान्न की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली स्त्रियों को पोषणीय सहायता।

4. प्रत्येक गर्भवती स्त्री और दुग्धपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होगी,–

(क) गर्भावस्था के दौरान और शिशु जन्म के पश्चात् छह मास तक स्थायी आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन, जिससे कि अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण के मानकों को पूरा किया जा सके;

(ख) एक स्कीम के अनुसार छह मास की अवधि के लिए ऐसी किस्तों में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संदेय एक हजार रुपए प्रतिमास का प्रसूति फायदा, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है:

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियां और दुग्धपान कराने वाली माताएं या वे स्त्रियां, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समान फायदे प्राप्त कर रही हैं, खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट फायदों के लिए हकदार नहीं होंगी।

बालकों को पोषणीय सहायता।

5. (1) चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को उसकी पोषणीय आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित हकदारियां होंगी,–

(क) छह मास से छह वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क पर्याप्त भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके:

परंतु छह मास से कम आयु के बालकों के लिए, अनन्य स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा।

(ख) छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में कक्षा आठ तक, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर, प्रत्येक दिन नि:शुल्क एक बार दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय और आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी:

परंतु शहरी क्षेत्रों में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भोजन पकाने के लिए केंद्रीयकृत रसोइयों की सुविधाओं का उपयोग, जहां कहीं अपेक्षित हो, किया जा सकेगा।

बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध।

6. राज्य सरकार, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की पहचान करेगी और उनको नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

हकदारियों की वसूली के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

7. राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच खर्च में हिस्सा बंटाने सहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसी स्कीमों का, जिसके अंतर्गत धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियां भी हैं, ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

अध्याय 3

विशेष समूहों की हकदारियां

विशेष समूहों की हकदारियां।

8. सभी निराश्रित और बेघर व्यक्तियों से मिलकर बने विशेष समूहों की निम्नलिखित हकदारियां होंगी, अर्थात्:–

(क) सभी निराश्रित व्यक्ति, लागत में हिस्सा बंटाने सहित, ऐसी स्कीम के अनुसार जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रत्येक दिन में कम से कम एक बार नि:शुल्क भोजन पाने के लिए हकदार होंगे;

(ख) सभी बेघर व्यक्ति, लागत में हिस्सा बंटाने सहित, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सामुदायिक रसोइयों में सस्ती कीमतों पर भोजनों के लिए हकदार होंगे;

(ग) उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन हकदारियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनको अधिसूचित किए जाने के पश्चात् ही लागू होंगी:

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अधीन समान फायदे प्राप्त करने वाले व्यक्ति, उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन फायदों के लिए हकदार नहीं होंगे;

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन हकदारियों को, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचित करेगी;

(ङ) प्रवासी और उनके कुटुम्ब उस स्थान पर, जहां वे वर्तमान में निवास करते हैं, इस अधिनियम के अधीन अपनी हकदारियों का दावा करने के लिए समर्थ होंगे।

आपात और आपदा से प्रभावित व्यक्ति।

9. यदि, राज्य सरकार की यह राय है कि आपात या आपदा की स्थिति विद्यमान है तो वह प्रभावित गृहस्थों को, आपदा की तारीख से तीन मास की अवधि तक ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है, निःशुल्क, दो भोजन उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 4

भुखमरी में रह रहे व्यक्ति

भुखमरी में रह रहे व्यक्तियों की यदि कोई हों, पहचान करना।

10. राज्य सरकार, भुखमरी में या भुखमरी के सदृश परिस्थितियों में रह रहे सभी व्यक्तियों, गृहस्थों, समूहों या समुदायों की पहचान करेगी।

भुखमरी से तुरंत राहत।

11. धारा 10 के अधीन पहचान किए गए सभी व्यक्तियों, गृहस्थों, समूहों या समुदायों को, निम्नलिखित उपलब्ध कराया जाएगा, अर्थात्:–

(क) किसी स्कीम के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है, पहचान की तारीख से छह मास तक दिन में दो बार निःशुल्क भोजन;

(ख) कोई अन्य राहत, जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाए।

भुखमरी के निवारण संबंधी न्याचार।

12. प्रत्येक राज्य सरकार, भुखमरी के निवारण, उसकी पहचान तथा भुखमरी के मामलों में राहत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी।

अध्याय 5

खाद्य सुरक्षा भत्ता

कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

13. अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किए जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति, संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका प्रत्येक

व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और रीति से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, संदाय किया जाएगा।

अध्याय 6

पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की पहचान करना

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनसंख्या को लाना।

14. (1) अखिल भारतीय स्तर पर, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायताप्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए पूर्विकता और साधारण गृहस्थों के अधीन समग्र ग्रामीण और शहरी जनसंख्या लाए जाने की प्रतिशतता, धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विस्तार तक की होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए राज्य-वार वितरण का, केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारण किया जाएगा।

पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

15. (1) केंद्रीय सरकार पूर्विकता गृहस्थों, साधारण गृहस्थों की, इस अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी के प्रयोजनों के लिए, पहचान करने तथा अपवर्जन मापदंडों के लिए समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों को राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी।

(2) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अवधारित पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या के अंतर्गत आने वाले पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा या ऐसे अन्य अभिकरणों द्वारा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी:

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाने वाले अपवर्जन मापदंड के अधीन आने वाले किसी भी गृहस्थ को पूर्विकता गृहस्थ या साधारण गृहस्थ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन।

16. पहचान किए गए पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की सूची, राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में लगाई जाएगी और विशिष्ट रूप से संप्रदर्शित की जाएगी।

पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की संख्या का पुनर्विलोकन।

17. धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अवधारित पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या के अंतर्गत आने वाले पात्र पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की सूची को राज्य सरकारों द्वारा ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अद्यतन किया जाएगा।

अध्याय 7

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।

18. (1) केन्द्रीय और राज्य सरकारें, इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार प्रारंभ करने का प्रयास करेंगी।

(2) सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

(क) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार पर परिदान;

(ख) सभी स्तरों पर संव्यवहारों के पारदर्शक अभिलेखन को और उनका परावर्तन रोकने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी औजारों का, जिनके अंतर्गत विस्तृत कंप्यूटरीकरण भी है, उपयोजन;

(ग) इस अधिनियम के अधीन फायदों को समुचित लक्ष्यित करने के लिए हकदार फायदाग्राहियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ प्रामाणिक पहचान के लिए आधार का प्रयोग किया जाना;

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;

(ङ) उचित दर दुकानों के लाइसेंस दिए जाने और महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा उचित दर दुकानों के प्रबंधन में, लोक संस्थाओं या लोक निकायों, जैसे पंचायतें, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं को अधिमानता;

(च) लोक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं की समयकालिक विविधता;

(छ) स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन;

(ज) लक्ष्यित फायदाग्राहियों के लिए ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट उनकी खाद्यान्न हकदारियों के बदले नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमें या अन्य स्कीमें आरंभ करना।

अध्याय 8

महिला सशक्तिकरण

राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं का गृहस्थ का मुखिया होना।

19. (1) प्रत्येक पूर्विकता गृहस्थ और साधारण गृहस्थ में सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थ की मुखिया होगी।

(2) जहां किसी गृहस्थ से कोई महिला या अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है, किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो गृहस्थ का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थ का मुखिया होगा और महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे राशन कार्ड जारी किए जाने के लिए, पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थ की मुखिया बन जाएगी।

अध्याय 9

शिकायत निवारण तंत्र

आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।

20. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों का अभिहित किया जाना भी है, या ऐसा अन्य तंत्र, जो संबंधित सरकारों द्वारा विहित किया जाए, स्थापित करेंगी।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी।

21. (1) अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण से संबंधित मामलों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा इन हकदारियों को प्रवृत्त करने, शिकायतों का अन्वेषण और निवारण करने हेतु प्रत्येक जिले के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद सहित एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त जिला शिकायत निवारण अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का उपबंध करेगी, जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, हकदार खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण न किए जाने और उनसे संबंधित मामलों के संबंध में शिकायतों को सुनेगा तथा उनके निवारण के लिए ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(6) ऐसा कोई शिकायतकर्ता या अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर फाइल की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

राज्य खाद्य आयोग।

22. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष;

(ख) पांच अन्य सदस्य; और

(ग) एक सदस्य-सचिव:

परंतु उसमें कम से कम दो महिलाएं होंगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हों।

परंतु यह और कि उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

(3) अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जाएगी,—

(क) जो संघ या राज्य की अखिल भारतीय सेवाओं या किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के ऐसे सदस्य हैं या रह

चुके हैं या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं या धारण कर चुके हैं, जिनको कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है;

(ख) सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

(ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड है।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(5) नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिनके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(6) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों को करेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य के संबंध में, अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना;

(ख) अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर, जांच करना;

(ग) अधिनियम के क्रियान्वयन में, राष्ट्रीय आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप राज्य सरकार को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;

(घ) व्यष्टियों को, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुसंगत सेवाओं के परिदान में लगी राज्य सरकार, उनके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह देना;

(ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(च) राष्ट्रीय आयोग द्वारा उसे अंतरित की गई शिकायतों की सुनवाई करना; और

(छ) वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना, जिनको राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

(7) राज्य सरकार, राज्य आयोग को ऐसे प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जो वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(8) उपधारा (7) के अधीन कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(9) राज्य सरकार, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो सदस्य के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया है; या

(ग) जिसको किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता से अंतर्ग्रस्त है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बना रहना लोकहित में हानिकर है।

(10) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (9) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसको विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है।

राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते।

23. राज्य सरकार, अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव और सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्यय प्रदान करेगी।

संयुक्त राज्य खाद्य आयोग।

24. धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दो या अधिक राज्य, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य आयोग के कतिपय उपबंधों का राज्य खाद्य आयोग को लागू होना।

25. धारा 27 के उपबंध, राज्य खाद्य आयोग को लागू होंगे और इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे कि राष्ट्रीय आयोग के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह राज्य आयोग के प्रति निर्देश है।

राष्ट्रीय खाद्य आयोग।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का, इस अधिनियम के अधीन उसको समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी।

(2) राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित होगा।

(3) राष्ट्रीय आयोग,—

(क) अध्यक्ष;

(ख) पांच अन्य सदस्य; और

(ग) सदस्य-सचिव;

से मिलकर बनेगा:

परंतु उसमें कम-से-कम दो महिला होंगी चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हों:

परंतु यह और कि एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

(4) अध्यक्ष, अन्य सदस्य और सदस्य-सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जाएगी—

(क) जो अखिल भारतीय सेवा या भारतीय विधि सेवा या संघ की किसी अन्य सिविल सेवा का सदस्य हैं या रहे हैं या कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषाहार, स्वास्थ्य या किसी सहबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति निर्माण और प्रशासन से संबंधित विषयों में ज्ञान और अनुभव रखने वाला संघ के अधीन सिविल पद धारित किए हुए हैं;

(ख) कृषि, विधि, मानव अधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषाहार, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव सहित सार्वजनिक जीवन में प्रख्यात व्यक्ति है;

(ग) जिनके गरीबों के पास खाद्य और पोषाहार अधिकारों के सुधार से संबंधित कार्य का साबित अभिलेख है।

(5) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परंतु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(6) नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन तथा शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की जा सकेगी और राष्ट्रीय आयोग के अधिवेशनों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों की गणपूर्ति भी है) और इसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(7) राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई स्कीमों के क्रियान्वयन का मॉनीटर और मूल्यांकन करना;

(ख) स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन हकदारियों के अतिक्रमणों की जांच करना;

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हकदारियों के लिए विद्यमान स्कीमों को चलने देने और नई स्कीमें विरचित करने में सलाह देना;

(घ) खाद्य और पोषाहार से संबंधित स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने और व्यक्तियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच में समर्थ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सिफारिश करना;

(ङ) स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए कर्तव्य-प्रभारित सभी व्यक्तियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कार्य प्रबंधन के लिए अपेक्षित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना;

(च) अपनी वार्षिक रिपोर्ट में समावेश करने के लिए राज्य आयोग की रिपोर्टों और सिफारिशों पर विचार करना;

(छ) राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(ज) इस अधिनियम के क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।

(8) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग को ऐसे अन्य प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जो वह राष्ट्रीय आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(9) उपधारा (8) के अधीन कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(10) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, —

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो सदस्य के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो गया है; या

(ग) जिसको किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है,

जिससे सदस्य के रूप में उनके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे पद पर उसका बना रहना लोकहित में हानिकर है।

(11) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (10) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसको विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता।

जांच से संबंधित शक्तियां।

27. (1) राष्ट्रीय आयोग को धारा 26 की उपधारा (7) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटन और प्रस्तुत करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) राष्ट्रीय आयोग को, किसी मामले को उसके विचारण के लिए अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया गया है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला, उसको, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन अग्रेषित किया गया है। 1974 का 2

राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्ते।

28. केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष, अन्य सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्ते और राष्ट्रीय आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्यय का उपबंध करेगी।

29. यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी —— राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग की कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य न होना।

(क) राज्य आयोग या यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग में किसी रिक्ति या उनके गठन में कोई व्यतिक्रम; या

(ख) राज्य आयोग या यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई व्यतिक्रम; या

(ग) मामले के गुणावगुण को प्रभावित न करने वाली राज्य आयोग या यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग की प्रक्रिया में कोई अनियमितता।

अध्याय 10

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

30. (1) केन्द्रीय सरकार पूर्विकता गृहस्थों और सामान्य गृहस्थों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए धारा 3 के अधीन हकदारियों के अनुसार और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा केन्द्रीय पूल से आबंटित करेगी। केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन किया जाना।

(2) केन्द्रीय सरकार धारा 15 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान किए गए पूर्विकता गृहस्थों और सामान्य गृहस्थों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन का पुनरीक्षण, वार्षिक रूप से, यथास्थिति, वास्तविक और अनुमानित जनसंख्या के आधार पर विहित रीति से किया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, अनुसूची 1 में पूर्विकता गृहस्थों के व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट कीमत पर राज्य सरकारों को धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 8, धारा 9 और धारा 11 के हकदारियों के संबंध में खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।

(5) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार,——

(क) अपने निजी अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा

उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न उपाप्त करेगी;

(ख) राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करेगी;

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को आबंटन के अनुसार खाद्यान्नों को परिवहन के लिए उपलब्ध कराएगी; और

(घ) विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराना।

31. केन्द्रीय पूल से किसी राज्य को खाद्यान्नों के प्रदाय की कमी की दशा में केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कम किए गए प्रदाय की सीमा तक निधि उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 11

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग।

32. (1) राज्य सरकार, अपने राज्य में लक्ष्यित फायदाग्राहियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कीम और निजी स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्तव्य होगा —

(क) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कीमतों पर राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना; प्रत्येक उचित दर दुकान के दरवाजे पर अपने प्राधिकृत अधिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंत: राज्य आबंटन की व्यवस्था करना; और

(ख) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(3) धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 8, धारा 9 और धारा 11 के अधीन हकदारियों के संबंध में खाद्यान्न अपेक्षाओं के लिए

राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह पूर्विकता गृहस्थों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान ले और पूर्वोक्त धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट फायदों के हकदार व्यक्तियों को वास्तविक परिदान सुनिश्चित करे।

(4) राज्य सरकार, धारा 12 में यथा निर्दिष्ट भुखमरी के मामलों में निवारण, पहचान और राहत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी।

(5) अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा के गैर-प्रदाय की दशा में राज्य सरकार धारा 13 में विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय के लिए उत्तरदायी होगी।

(6) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्ष प्रचालन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार,—

(क) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य-आधारित कल्याण स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी;

(ख) अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिहित अभिकरणों की क्षमताओं को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करेगी;

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन व्यवस्था स्थापित करेगी।

1955 का 10

अध्याय 12

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।

33. (1) स्थानीय प्राधिकारी, अपने संबंधित क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंप सकेगी।

स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं।

34. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अधिसूचना द्वारा उनको समनुदेशित किए जाएं।

अध्याय 13

पारदर्शिता और जवाबदेही

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटन।

35. सभी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को, ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा और जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

सामाजिक संपरीक्षा का संचालन।

36. (1) प्रत्येक ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकरण, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्ष प्रकाशित करवाएगा तथा ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या करवा सकेगी।

सतर्कता समितियों का गठन।

37. (1) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को, तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर की दुकान के स्तरों पर, समय-समय पर यथासंशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यथाविनिर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित

व्यक्तियों या नि:शक्त व्यक्तियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व करते हुए, विहित किए जाएं।

(2) सतर्कता समितियां, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेंगी, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के क्रियान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

(ख) इस अधिनियम के किसी उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना; और

(ग) उसके द्वारा पाई गई किसी निधि का अनाचार या दुर्विनियोग के बारे में, लिखित में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को सूचित करना।

अध्याय 14

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध

दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा।

38. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कमजोर समूहों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देगी।

खाद्य तथा पोषण संबंधी और सुरक्षा प्रदान करने के उपाय।

39. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

अध्याय 15

प्रकीर्ण

अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

40. इस अधिनियम के उपबंध, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों को अन्य खाद्य-आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से निवारित नहीं करेंगे।

शास्तियां।

41. राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए

गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण से उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाता है तो वह पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा:

परंतु, यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

न्यायनिर्णयन की शक्ति।

42. (1) धारा 41 के अधीन शास्ति न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, अपने किसी सदस्य को, संबंधित किसी व्यक्ति को कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, ऐसी जांच करते समय किसी ऐसे व्यक्ति को, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अवगत है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकते हैं और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो धारा 41 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगी।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन।

43. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या राज्य सरकार जिसे अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा भी प्रयोक्तव्य न होंगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

44. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

45. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 का संशोधन कर सकेगी और उसके पश्चात् यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 को संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

46. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का पालन करेंगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

47. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और वह तारीख, जिससे धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जनसाधारण की हकदारी को ऐसे सुधारों से जोड़ा जाएगा;

(ख) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा के अभाव में गेहूं का आटा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ग) वे स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 4 के खंड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करवाने वाली माताओं को प्रसूति फायदे उपलब्ध करवाने के लिए हिस्सा बंटाना भी है;

(घ) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारी के

अंतर्गत आने वाली स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 7 के अधीन हिस्सा बंटाना भी है;

(ङ) वे स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 8 के अधीन निराश्रित और बेघर व्यक्तियों के लिए हिस्सा बंटाना भी है;

(च) वह स्कीम, जिसके अंतर्गत धारा 9 के अधीन आपात और आपदा प्रभावित व्यक्तियों के लिए हिस्सा बंटाना भी है;

(छ) वह स्कीम, जिसके अंतर्गत धारा 11 के खंड (क) के अधीन भुखमरी में रह रहे व्यक्तियों के लिए हिस्सा बंटाना भी है;

(ज) धारा 13 के अधीन हकदार व्यष्टियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते की रकम के संदाय का समय और रीति;

(झ) पूर्विकता और साधारण गृहस्थों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उनकी हकदारी के प्रयोजन के लिए अपवर्जन मापदंड भी हैं;

(ञ) वह रीति, जिसमें धारा 17 के अधीन पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की सूची को अद्यतन किया जाएगा;

(ट) धारा 20 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;

(ठ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति की अर्हताएं और उनकी शक्तियां;

(ड) धारा 21 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा परिवाद की सुनवाई की रीति और समय-सीमा तथा अपील फाइल करना;

(ढ) धारा 26 की उपधारा (6) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अन्य अधिकारियों तथा सदस्य की नियुक्ति का ढंग और नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, उसकी शक्तियां और आयोग की बैठकों की प्रक्रिया;

(ण) धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के कर्मचारिवृंद की नियुक्ति का ढंग और उनके वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें;

(त) धारा 31 के अधीन वह रीति, जिसमें खाद्यानों के कम प्रदाय की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी;

(थ) धारा 51 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों की स्कीमें या कार्यक्रम;

(द) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार की नियम बनाने के शक्ति।

48. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन और इस अधिनियम और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत शर्तों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 20 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;

(ख) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति का ढंग और निबंधन तथा शर्तें;

(ग) धारा 22 की उपधारा (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सदस्य-सचिव की नियुक्ति का ढंग और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, आयोग की बैठकों के लिए प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियां;

(घ) धारा 22 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारी की नियुक्ति का ढंग, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ङ) धारा 35 के अधीन वह रीति, जिसमें लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेख लोक परिक्षेत्र में रखे जाएंगे और जनता के लिए खुले रखे जाएंगे;

(च) वह रीति, जिसमें धारा 36 के अधीन उचित दर की दुकानों, लक्ष्यित लोक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कृत्यकरण के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी;

(छ) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन सतर्कता समितियों के गठन के ब्यौरे;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई अधिसूचना और मार्गनिर्देश, उनके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य-विधान मंडल के जहां दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

स्कीमों, दिशानिर्देशों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध।

49. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीमें, दिशानिर्देश, आदेश और खाद्य मानक प्रवर्तन में बने रहेंगे और तब तक प्रचालन में रहेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी स्कीमों, मार्गनिर्देशों, आदेशों और खाद्य मानकों को इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता है:

परंतु उक्त स्कीमों, दिशानिर्देशों, आदेशों और खाद्य मानक के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्नुसार तब तक प्रवर्तन में बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई से उसे अधिक्रांत न कर दिया जाए।

50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी; कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

51. धारा 21, धारा 22 और धारा 26 के अधीन नियुक्त या गठित प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, किया जा सकेगा। अन्य प्रयोजनों के लिए संस्थानिक तंत्र का उपयोग करना।

52. केंद्रीय सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार प्राथमिक गृहस्थों या सामान्य गृहस्थों या इस अधिनियम के अधीन पात्र अन्य समूहों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को खाद्यान्नों या भोजन की आपूर्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असफलता से उद्भूत किसी नुकसानी, नुकसान या प्रतिकर, चाहे कुछ भी हो, के संबंध में किसी अपरिहार्य स्थिति जैसे कि युद्ध, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या किसी दैव कृत्य के कारण किसी दावे के लिए दायी नहीं होंगी। अपरिहार्य घटना।

अनुसूची 1

[धारा 3 की उपधारा (1), धारा 30 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और धारा 32 की उपधारा (2) और उपधारा (3) देखिए]

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायक मूल्य

पूर्विकता गृहस्थों के लिए सहायता-प्राप्त मूल्य	साधारण गृहस्थों के लिए सहायता-प्राप्त मूल्य
चावल के लिए तीन रुपए प्रति किलो, गेहूं के लिए दो रुपए प्रति किलो और अपरिष्कृत अनाज के लिए एक रुपया प्रति किलो से अनधिक	गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के पचास प्रतिशत से अनधिक और चावल के लिए व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन मूल्य के पचास प्रतिशत से अनधिक

अनूसूची 2

[धारा 4 का खंड (क), धारा 5 की उपधारा (1) और धारा 6 देखिए]

पोषण मानक

***पोषण मानक*:** 6 मास से तीन वर्ष, और तीन से छह वर्ष की आयु वर्ग के बालकों, और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए पूरे किए जाने हेतु पोषण मानक 'घर ले जाया जाने वाला राशन'[1] उपलब्ध कराके या एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार पोषक, गर्म पका हुआ भोजन या खाने के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराके पूरे किए जाने की अपेक्षा की जाएगी और निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषण मानकों को अपराह्न भोजन स्कीम के अधीन निम्नानुसार पूरा किया जाएगा:

क्रम संख्या	प्रवर्ग	भोजन का प्रकार[2]	कैलोरी (कि॰ कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा॰)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाया जाने वाला राशन	500	12-15
(2)	बालक (3 से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12-15
(3)	बालक (6 मास से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	घर ले जाया जाने वाला राशन	800	20-25
(4)	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
(5)	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20
(6)	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाया जाने वाला राशन	600	18-20

टिप्पण 1: सिफारिश किए गए पोषण भत्ते के पचास प्रतिशत पर ऊर्जा-युक्त खाद्य जिसे सूक्ष्म पोषकों से समृद्ध किया गया है।

टिप्पण 2: भोजन लागू खाद्य विधियों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें: कैलोरी गणना, प्रोटीन मान और विनिर्दिष्ट सूक्ष्म पोषकों के अर्थ में संतुलित आहार और पोषक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पोषण मानक अधिसूचित किए जाते हैं।

अनुसूची 3

(धारा 39 देखिए)

खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध

(1) कृषि का पुन:सुदृढ़ीकरण—

(क) छोटे और सीमांत कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए उपायों के माध्यम से कृषि सुधार;

(ख) कृषि में विनिधान में वृद्धि, जिसमें अनुसंधान और विकास, विस्तार सेवाएं, सूक्ष्म और गौण सिंचाई और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति सम्मिलित है;

(ग) पारिश्रमिक मूल्य, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा आदि का सुनिश्चय;

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अननुमोदित परिवर्तन का प्रतिषेध।

(2) उपापन, भंडारण और परिवहन से संबंधित मध्यक्षेप—

(क) मोटे अनाजों की उपापन सहित उपापन के विकेंद्रीकरण के लिए प्रोत्साहन;

(ख) उपापन प्रचालनों की भौगोलिक विविधता;

(ग) पर्याप्त विकेंद्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण का संवर्द्धन;

(घ) खाद्यान्नों के परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना जिसमें अधिशेष से उपभोक्ता क्षेत्रों को खाद्यान्नों के परिवहन को सुकर बनाने के लिए रेल की लाइन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है।

(3) अन्य: निम्नलिखित तक पहुंच—

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता;

(ख) स्वास्थ्य देखभाल;

(ग) किशोर बालिकाओं का पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षिक सहायता;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, नि:शक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं को पर्याप्त पेंशन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान का अनुच्छेद 47, अन्य बातों के साथ यह उपबंध करता है कि राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, जिसका भारत हस्ताक्षरकर्त्ता है, भी सभी राज्य पक्षकारों पर प्रत्येक व्यक्ति के पर्याप्त खाद्य के अधिकार को मान्यता देने का उत्तरदायित्व डालता है। गरीबी और भूख का जड़ से उन्मूलन करना, संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दिक विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है।

2. सांविधानिक बाध्यताओं के अनुसरण में और अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों के अधीन खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, सरकार की योजना और नीति का केन्द्र रही है। खाद्य सुरक्षा से, वहन करने योग्य मूल्यों पर खाद्य की पर्याप्त मात्रा को व्यक्तिगत स्तर पर घरेलू मांग और पहुंच की पूर्ति के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता अभिप्रेत है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, देश की मुख्य उपलब्धियों में से एक रही है। गृहस्थ स्तर तक खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित कर रही है जिसके अधीन सहायता-प्राप्त खाद्यान्न, अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे के और गरीबी रेखा से ऊपर के गृहस्थों को प्रदान किया जाता है। जबकि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के गृहस्थ, प्रति कुटुम्ब, प्रतिमास पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं; गरीबी रेखा से ऊपर के गृहस्थों के लिए आबंटन, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न की उपलब्धता पर निर्भर करता है। स्त्रियों और बालकों के लिए अन्य खाद्य आधारित कल्याण स्कीमों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के लिए भी सहायता-प्राप्त दरों पर आबंटन किए जा रहे हैं।

3. तथापि, लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है। जनसंख्या के और विशेष रूप से स्त्रियों तथा बालकों के पौषणिक स्तर का, देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुधार किए जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित विधान, खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने में विद्यमान कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में उदाहरणात्मक परिवर्तन अंकित करता है। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र का विस्तार करने की अपेक्षा प्रस्तावित विधान, पात्र हिताधिकारियों को, अत्यंत सहायता-प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों की हकदार मात्राओं को प्राप्त करने के लिए विधिक अधिकार प्रदान करता है। यह, स्त्रियों और बालकों को तथा ऐसे अन्य विशेष समूहों जैसे निराश्रित, गृह विहीन, आपदा और आपात से प्रभावित व्यक्तियों तथा भुखमरी में रह रहे व्यक्तियों को, यथास्थिति, निःशुल्क या वहन करने योग्य मूल्य पर भोजन प्राप्त करने के विधिक अधिकारी को भी प्रदान करेगा।

4. पूर्ववर्ती पैराओं की दृष्टि से, निम्नलिखित के लिए एक नया विधान, अर्थात्, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है:—

(क) गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए लोगों की वहन करने योग्य मूल्यों पर क्वालिटी खाद्य की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन चक्र के दृष्टिकोण से खाद्य और पौषणिक सुरक्षा के लिए उपबंध करना;

(ख) पूर्विकता गृहस्थ और साधारण गृहस्थ के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मास राज्य सरकार से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रस्तावित विधान की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायता-प्राप्त मूल्यों पर पूर्विकता गृहस्थों के लिए प्रतिमास सात किलोग्राम खाद्यान्न, प्रतिव्यक्ति और साधारण गृहस्थों के लिए प्रतिमास तीन किलोग्राम से अन्यून खाद्यान्न, प्रतिव्यक्ति, प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना और सहायता-प्राप्त मूल्यों पर उक्त हकदारियां, ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और शहरी जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित की जाएंगी तथा छियालीस प्रतिशत से अन्यून ग्रामीण और अट्ठाईस प्रतिशत शहरी जनसंख्या को पूर्विकता गृहस्थों के रूप में अभिहित किया जाएगा;

(ग) प्रत्येक गर्भवती स्त्री और दुग्धपान कराने वाली माता को गर्भावस्था के दौरान और शिशु जन्म के पश्चात् छह मास तक स्थानीय आंगनवाडी के माध्यम से निःशुल्क योजना के लिए हकदार बनाना जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार मानकों को पूरा किया जा सके; और ऐसी स्त्रियों के लिए स्कीम के अनुसार छह मास की अवधि के लिए ऐसी किस्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, संदेय एक हजार रुपए प्रतिमास के प्रसूति फायदे का जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है, उपबंध करना;

(घ) चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को (i) स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु अनुसार निःशुल्क समुचित भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके; छह मास से छह वर्ष की आयु समहू के बालकों की दशा में और स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायत-प्राप्त विद्यालयों में, कक्षा 8 तक, विद्यालय अवकाशों को छोड़कर, प्रत्येक दिन निःशुल्क एक बार दोपहर को भोजन, जिससे छह से चौदह वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके, हकदार बनाना;

(ङ) राज्य सरकार से, ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त है, पहचान करने की और स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार मानकों की पूर्ति की जा सके; तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच, ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार खर्च में हिस्सा बंटाने सहित स्त्रियों और बालकों की हकदारियों को सम्मिलित करने वाली स्कीमों का क्रियान्वयन करने की अपेक्षा करना;

(च) निराश्रित व्यक्तियों की दशा में, खर्च में हिस्सा बंटाने सहित, ऐसी स्कीम के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रत्येक दिन कम से कम एक भोजन, निःशुल्क पाने के लिए और बेघर व्यक्तियों की दशा में, खर्च में हिस्सा बंटाने सहित, ऐसी स्कीम के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सामुदायिक रसोइयों में वहनीय भोजनों के लिए हकदार बनाना;

(छ) राज्य सरकार द्वारा, यदि उसकी यह राय है कि आपात या आपदा की स्थिति विद्यमान है तो प्रभावित गृहस्थों को ऐसी स्कीम के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, खर्च में हिस्सा बंटाने सहित आपदा की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए नि:शुल्क दो भोजन उपलब्ध कराने की अपेक्षा करना;

(ज) राज्य सरकार से, भुखमरी में या भुखमरी के सदृश्य परिस्थितियों में रह रहे व्यक्तियों, गृहस्थों, समूहों या समुदायों की, यदि कोई हों, पहचान करने की अपेक्षा करना और ऐसे सभी व्यक्तियों को दिन में दो बार, स्कीम के अनुसार नि:शुल्क, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, पहचान की तारीख से छह मास तक भोजन और ऐसी कोई अन्य राहत, जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाए, प्रदान करना;

(झ) प्रस्तावित विधान के अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 के अधीन पात्र व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित समय के भीतर और रीति में खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्राओं का प्रदाय न किए जाने की दशा में संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता, प्रत्येक व्यक्तियों को संदाय किया जाने वाला, प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना;

(ञ) अखिल भारतीय स्तर पर, पूर्विकता और साधारण गृहस्थों के अधीन ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता को विनिर्दिष्ट करने के लिए लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायता-प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना और केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर राज्य-वार वितरण अवधारण करने के लिए सशक्त करना;

(ट) केन्द्रीय सरकार को, प्रस्तावित विधान के अधीन पूर्विकता, साधारण गृहस्थों की पहचान और अपवर्जन मानदंड के लिए उनकी हकदारी के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करने के लिए समर्थ करना;

(ठ) पूर्विकता और सामान्य गृहस्थों की पहचान के लिए उपबंध, राज्य सरकारों द्वारा या ऐसे अन्य अभिकरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, बनाए जाएंगे, का उपबंध करना;

(ड) प्रस्तावित विधान में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उत्तरोत्तर रूप से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के साथ सामंजस्य में आवश्यक सुधार करना;

(ढ) प्रत्येक पूर्विकता गृहस्थ और साधारण गृहस्थ में सबसे बड़ी स्त्री को, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं है, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थ की मुखिया समझा जाना;

(ण) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर एक आंतरिक शिकायत तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेन्टर, हेल्प लाइनें, नोडल अधिकारियों का अभिहित किया जाना यह ऐसा अन्य तंत्र भी है जो संबंधित सरकारों द्वारा विहित किया जाए, की स्थापना करने के लिए और प्रस्तावित विधान के अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के

अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण से संबंधित मामलों में व्यथित व्यक्ति की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए प्रत्येक जिले में इन हकदारियों और अन्वेषण तथा शिकायत निवारणों को प्रभावी करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उसके अपेक्षित कर्मचारियों सहित, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के लिए बाध्यता अधिरोपित करना;

(त) प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन की मॉनीटरी और पुनर्विलोकन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले राज्य खाद्य आयोग और प्रस्तावित विधान के अधीन उसको समनुदेशित कृत्यों के निर्वहन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले राष्ट्रीय खाद्य आयोग के लिए उपबंध करना;

(थ) केन्द्रीय सरकार पर, पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों के लिए खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने और प्रस्तावित विधान की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हकदारियों के अनुसार और मूल्यों पर केन्द्रीय पूल से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार को खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा आबंटित करने की बाध्यता अधिरोपित करना;

(द) राज्य सरकार द्वारा उनके राज्य में लक्ष्यित हिताधिकारियों को खाद्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कीम और उनकी स्वयं की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों का कार्यान्वयन और मानीटरी करने के लिए और उनके संबंधित क्षेत्रों में प्रस्तावित विधान के उचित क्रियान्वयन के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को उत्तरदायी बनाने के लिए उपबंध करना;

(ध) प्रत्येक ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसको राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित मूल्य की दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और निष्कर्ष प्रकाशित करवाएगा और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा;

(न) राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय कोई सार्वजनिक सेवक या प्राधिकारी जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण से उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा का दोषी पाया जाता है तो वह, उचित विचार किए जाने और सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करना।

5. खंडों पर टिप्पण, विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करता है।

6. विधेयक, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली
19 दिसंबर, 2011

के० वी० थामस

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करता है।

खंड 2—यह खंड प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त कतिपय पदों की परिभाषा का उपबंध करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, 'आंगनवाड़ी', 'केन्द्रीय पूल', 'निराश्रित व्यक्तियों', 'आपदा', 'उचित दर दुकान', 'खाद्यान्न', 'खाद्य सुरक्षा', 'खाद्य सुरक्षा भत्ता', 'बेघर व्यक्तियों', 'स्थानीय प्राधिकारी', 'भोजन', 'न्यूनतम समर्थन कीमत', 'अन्य कल्याणकारी स्कीमों', 'नि:शक्त व्यक्ति', 'पूर्विकता गृहस्थ', 'साधारण गृहस्थ', 'राशन कार्ड', 'ग्रामीण क्षेत्र', 'वरिष्ठ नागरिक', 'सामाजिक संपरीक्षा', 'भुखमरी', 'लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली', 'सतर्कता समिति' आदि पद सम्मिलित हैं।

खंड 3—यह खंड सकल लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों द्वारा सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि पूर्विकता गृहस्थ और साधारण गृहस्थ का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मास राज्य सरकार से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायता-प्राप्त कीमतों पर पूर्विकता गृहस्थों के लिए प्रतिमास सात किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिव्यक्ति और साधारण गृहस्थों के लिए तीन से अन्यून किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिव्यक्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। यह खंड और उपबंध करता है कि सहायता-प्राप्त हकदारियां कुल ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और कुल शहरी जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित की जाएंगी परंतु छियालीस प्रतिशत से अन्यून ग्रामीण और अट्ठाईस प्रतिशत शहरी जनसंख्या को पूर्विकता गृहस्थों के रूप में अभिहित किया जाएगा। यह खंड और भी उपबंध करता है कि हकदारियां और संरक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ को ही लागू किए जाएंगे परंतु साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों की हकदारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऐसे सुधारों से और ऐसी तारीखों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, जोड़ा जाएगा। यह और भी उपबंध करता है कि राज्य सरकार पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, खाद्यान्न की पात्र मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

खंड 4—यह खंड गर्भवती और परिचर्या करने वाली स्त्रियों को पोषणीय सहायता के लिए उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री और परिचर्या करने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और शिशु जन्म के पश्चात् छह मास तक नि:शुल्क भोजन और छह मास की अवधि के लिए एक हजार रुपए प्रतिमास का प्रसूति फायदे की हकदार होंगी।

खंड 5—यह खंड बालकों को पोषणीय सहायता के लिए उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को उसकी पोषणीय आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित हकदारियां होंगी (i) छह मास से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क समुचित भोजन (ii) छह वर्ष से चौदह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 8 तक, विद्यालय अवकाशों को छोड़कर, प्रत्येक दिन नि:शुल्क एक बार दोपहर का भोजन। प्रदान किए जाने वाले भोजन के लिए पोषाहार के मानक अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

खंड 6—यह खंड बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध के लिए उपबंध करता है। यह खंड यह अधिकथित करता है कि राज्य सरकार, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों का पता लगाएगी, और उन्हें निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, जिससे कि अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

खंड 7—यह खंड हकदारियों की वसूली के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार गर्भवती स्त्रियों और परिचर्या करने वाली माताओं तथा बालकों की हकदारियों के लिए स्कीमों का ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, जिसमें लागत में हिस्सा बंटाना भी है, विहित की जाएगी।

खंड 8—यह खंड विशेष समूहों की हकदारियों का उपबंध करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि लागत में हिस्सा बंटाने सहित, ऐसी स्कीम के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सभी निराश्रित व्यक्ति प्रत्येक दिन कम से कम एक भोजन निःशुल्क पाने के लिए हकदार होंगे और सभी बेघर व्यक्ति, वहनीय भोजनों के लिए हकदार होंगे। यह खंड यह और उपबंध करता है कि प्रवासी और उनके परिवार उस स्थान पर जहां वे वर्तमान में निवास करते हैं, इस अधिनियम के अधीन अपनी हकदारियों का दावा करने के लिए समर्थ होंगे।

खंड 9—यह खंड आपात और आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि आपात या आपदा की स्थिति विद्यमान है तो वह प्रभावित गृहस्थों को, आपदा की तारीख से तीन मास की अवधि तक ऐसी स्कीम के अनुसार, दो बार भोजन निःशुल्क, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, भोजन उपलब्ध कराएगी।

खंड 10—यह खंड भुखमरी में रह रहे व्यक्तियों की, यदि कोई हों, पहचान के लिए उपबंध करता है। यह खंड राज्य सरकार पर भुखमरी में या भुखमरी की सदृश स्थितियों में रह रहे सभी व्यक्तियों, गृहस्थों, समूहों या समुदायों की, यदि कोई हों, पहचान करने के लिए उत्तरदायित्व अधिकथित करता है।

खंड 11—यह खंड भुखमरी से तुरंत राहत के लिए उपबंध करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि धारा 10 के अधीन पहचान किए सभी व्यक्तियों, गृहस्थों, समूहों या समुदायों को, निम्नलिखित उपलब्ध कराया जाएगा:—(क) दिन में दो बार, स्कीम के अनुसार, निःशुल्क, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है, जैसे केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, पहचान की तारीख से छह मास तक भोजन; और (ख) कोई अन्य राहत, जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाए।

खंड 12—यह खंड भुखमरी के निवारण संबंधी नयाचार के लिए उपबंध करता है। यह भुखमरी के निवारण, उसकी पहचान तथा भुखमरी के मामलों में राहत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने और अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार पर उत्तरदायित्व अधिकथित करता है।

खंड 13—यह खंड कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार का उपबंध करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार सीमा का प्रदाय न किए जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका संदाय प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और रीति से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, किया जाएगा।

खंड 14—यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसंख्या को सम्मिलित करने का उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि अखिल भारतीय स्तर पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पूर्विकता और साधारण गृहस्थों के अधीन सहायता-प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए देश की कुल ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के सम्मिलित किए जाने की प्रतिशतता खंड 3 के उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक होगी तथा राज्य-वार वितरण केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

खंड 15—यह खंड पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, पूर्विकता गृहस्थों की, साधारण गृहस्थों की, इस अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी की प्रयोजनों के लिए, पहचान करने तथा अपवर्जन मापदंडों के लिए समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी और इस खंड के अधीन पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों से संबद्ध व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या के अंतर्गत आने वाले पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की पहचान केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।

खंड 16—यह खंड पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की सूची का प्रकाशन और प्रदर्शन का उपबंध करता है। यह खंड यह अपेक्षा करता है कि पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की समान सूची राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में लगाई जाएगी और प्रमुखतया प्रदर्शित की जाएगी।

खंड 17—यह खंड पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की संख्या के पुनर्विलोकन का उपबंध करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों से संबद्ध व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या के अंतर्गत आने वाले पात्र पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की, धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अवधारित सूची को राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अद्यतन किया जाएगा।

खंड 18—यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार का उपबंध करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार प्रस्तावित विधान में उनके लिए प्रकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों के लिए प्रयत्न करेंगी।

खंड 19—यह खंड राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं का गृहस्थ का मुखिया होने से संबंधित है। यह खंड उपबंध करता है कि सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थ की मुखिया होगी।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि जहां किसी गृहस्थ में कोई महिला अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है, किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो गृहस्थ का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थ का मुखिया होगा और महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे पुरुष सदस्य के स्थान पर राशन कार्ड जारी किए जाने के लिए गृहस्थ की मुखिया बन जाएगी।

खंड 20—यह खंड आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों का अभिहित किया जाना भी है, या ऐसा अन्य तंत्र, जो उन सरकारों द्वारा विहित किया जाए, स्थापित करेंगी।

खंड 21—यह खंड जिला शिकायत निवारण अधिकारी के लिए उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अध्याय 2, 3 और 4 के अधीन हकदारियों के परिदान से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह खंड और उपबंध करता है कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि उपखंड (1) में निर्दिष्ट जिला शिकायत निवारण अधिकारी हकदार खाद्यान्न या भोजन का वितरण न किए जाने संबंधी शिकायतों और उससे संबंधित मामलों या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अन्य हकदारी से इंकार किए जाने संबंधी शिकायतों की सुनवाई करेगा और उनके निवारण के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा तथा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति या राज्य सरकार का अधिकारी ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

खंड 22—यह खंड राज्य खाद्य आयोग का उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार, प्रस्तावित विधान के क्रियान्वयन को मॉनीटर करने या उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि राज्य आयोग अध्यक्ष; पांच अन्य सदस्य; और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा परंतु उसमें कम से कम दो महिलाएं होंगी और उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

यह खंड यह और भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति—(क) ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जो संघ या राज्य की अखिल भारतीय सेवाओं या किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के ऐसे सदस्य हैं या रह चुके हैं या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं या धारण कर चुके हैं, जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य और किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; (ख) सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्तियों में से की जाएगी, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या (ग) ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड है।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा और कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की जा सकेगी, और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

यह खंड यह और विनिर्दिष्ट करता है कि राज्य आयोग द्वारा किए जाने वाले कृत्यों में अन्य बातों के साथ-साथ-राज्य के संबंध में अधिनियम के क्रियान्वयन को मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना; अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर, जांच करना; अधिनियम के क्रियान्वयन में, राष्ट्रीय आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप राज्य सरकार को मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना; इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट हकदारियों तक व्यष्टियों की पूर्ण पहुंच के लिए उन्हें समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुसंगत सेवाएं प्रदान करने में लगी राज्य सरकार, उनके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह देना; जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना; राष्ट्रीय आयोग द्वारा उसे अंतरित परिवादों की सुनवाई करना; और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी, सम्मिलित है।

यह और भी उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राज्य आयोग को ऐसे प्रशासनिक और कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जो वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे, कर्मचारिवृन्दों की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

यह राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने तथा वे आधार विनिर्दिष्ट करने, जिन पर उन्हें हटाया जा सकेगा, के लिए भी उपबंध करता है।

खंड 23— यह खंड राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्तों के लिए उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि राज्य सरकार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्ते और राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करेगी।

खंड 24— यह खंड संयुक्त राज्य खाद्य आयोग के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि दो या अधिक राज्य केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकेंगे।

खंड 25— यह खंड राष्ट्रीय खाद्य आयोग के कतिपय उपबंधों का राज्य खाद्य आयोग को लागू होने से संबंधित है। यह उपबंध करता है कि (जांच से संबंधित शक्तियों से संबंधित) खंड 27 के उपबंध राज्य खाद्य आयोग को लागू होंगे।

खंड 26—यह खंड राष्ट्रीय खाद्य आयोग के लिए उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय खाद्य आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का, इस प्रस्तावित विधान के अधीन उसको समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी, जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में अवस्थित होगा। यह खंड यह और उपबंध करता है कि यह अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा। परंतु कम-से-कम दो महिला सदस्य होंगी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक-एक व्यक्ति होगा चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष, अन्य सदस्य और सदस्य-सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से होगी—(क) जो अखिल भारतीय सेवा या भारतीय विधिक सेवा या संघ की किसी अन्य सिविल सेवा का सदस्य है या रहा है या कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषाहार, स्वास्थ्य या किसी सहबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति निर्माण और प्रशासन से संबंधित विषयों में जानकारी और अनुभव रखने वाला संघ के अधीन सिविल पद धारित किए हुए हैं; (ख) कृषि, विधि, मानव अधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषाहार, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव वाला सार्वजनिक जीवन का प्रमुख व्यक्ति; (ग) जिसके पास खाद्य और गरीबों के पोषाहार अधिकारों के सुधार से संबंधित कार्य का कीर्तिमान अनुभव है। अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उस तारीख जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेगा; और कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि नियुक्ति का तरीका और अन्य निबंधन और शर्तें जिसके अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की जा सकेगी और राष्ट्रीय आयोग के अधिवेशनों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों की गणपूर्ति है) और इसकी प्रक्रिया वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

यह खंड अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को भी विनिर्दिष्ट करता है जिसमें इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई स्कीमों के क्रियान्वयन का मॉनीटर करना और मूल्यांकन करना; स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होने पर अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अतिक्रमणों की जांच करना; केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हकदारों के लिए विद्यमान स्कीमों को साथ-साथ चलने देने और नई स्कीमें विरचित करने में सलाह देना; (घ) खाद्य और पोषाहार से संबंधित स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने और इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उनके हकों तक पहुंच पूर्णत: सुगम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सिफारिश करना; स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए कर्तव्य प्रभारित सभी व्यक्तियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कार्य प्रबंधन के लिए अपेक्षित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना; अपनी वार्षिक रिपोर्ट में समावेश करने के लिए राज्य आयोगों की रिपोर्टों और सिफारिशों पर विचार करना; राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना; इस अधिनियम के क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग को ऐसे प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जो वह राष्ट्रीय आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक

समझे, कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति का तरीका, उनके वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

यह राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों को हटाने के लिए भी उपबंध करता है तथा वे आधार विनिर्दिष्ट करता है जिनके आधार पर उन्हें हटाया जा सकेगा।

खंड 27—यह खंड राष्ट्रीय आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों का उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि राष्ट्रीय आयोग को किसी विषय की जांच करते समय और विशेषकर निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, और विशेषकर किसी व्यक्ति को समन करना और उपस्थित करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज का प्रकटन और प्रस्तुत करना; शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना; किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि राष्ट्रीय आयोग को किसी मामले के विचारण के लिए अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया गया है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला, उसको, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन अग्रेषित किया गया है।

खंड 28—यह खंड राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्ते का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्ते और राष्ट्रीय आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्यय की व्यवस्था करेगी।

खंड 29—यह खंड रिक्तियों आदि से राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग की कार्यवाहियों के अविधिमान्य न होने का उपबंध करता है। यह खंड उपबंध करता है कि, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इसलिए अविधिमान्य नहीं होगी कि राज्य आयोग या, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग में किसी रिक्ति या उनके गठन में कोई व्यतिक्रम है या राज्य आयोग या, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई व्यतिक्रम या मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाली राज्य आयोग या, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है।

खंड 30—यह खंड केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन किए जाने का दायित्व अधिकथित करता है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार पूर्विक कुटुंबों और सामान्य कुटुंबों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वर्ग 3 के अधीन हकों के अनुसार और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा केन्द्रीय पूल से आबंटित करेगी।

यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार धारा 15 के अधीन प्रत्येक राज्य में चिह्नित पूर्विक कुटुंबों और सामान्य कुटुंबों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करेगी और खाद्यान्नों के उक्त आबंटन का पुनरीक्षण वार्षिकत: वास्तविक और अनुमानित जनसंख्या के आधार पर विहित रीति में किया जाएगा।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, अपने निजी अभिकरणों और राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न उपाप्त करेगी; राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करेगी; प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिनामित डिपो को आबंटन के अनुसार खाद्यान्नों के परिवहन के लिए उपलब्ध कराएगी; और विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

खंड 31—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधि उपलब्ध कराए जाने का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय पूल से किसी राज्य को खाद्यान्नों की आपूर्ति की कमी की दशा में केन्द्रीय सरकार को कम आपूर्ति की सीमा तक निधि उपलब्ध कराएगी।

खंड 32—यह खंड खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार अपने राज्य के लक्ष्यित फायदाग्राहियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कीम और अपनी निजी स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों के क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी होगी।

यह खंड और उपबंध करता है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा—(क) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कीमतों पर राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिनामित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना; प्रत्येक उचित दर दुकान के दरवाजे पर अपने प्राधिकृत अधिकारों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंत: राज्य आबंटन की व्यवस्था करना; और (ख) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या आपूर्ति सुनिश्चित करना।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि खंड 4, खंड 5, खंड 6, खंड 8, खंड 9 और खंड 11 के अधीन हकदारियों की बाबत खाद्यान्न अपेक्षाओं के लिए राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह पूर्विक कुटुंबों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिनामित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान ले और पूर्वोक्त खंडों के अनुसार फायदा के हकदार व्यक्तियों को वास्तविक परिदान सुनिश्चित करे।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि राज्य सरकार खंड 12 में यथानिर्दिष्ट भुखमरी के मामलों में निवारण, पहचान और राहत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी और अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन हकदार व्यक्तियों के लिए अधिकृत मात्रा में खाद्यान्न या भोजन प्रदाय न करने की दशा में राज्य सरकार, खंड 13 में विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ता संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्ष प्रचालन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार—(क) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य-आधारित कल्याण स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और उसे बनाए रखेगी; (ख) अपनी खाद्य और सिविल

आपूर्ति निगम और अन्य पदाभिहित अभिकरणों को उपयुक्त रूप से समर्थ बनाएगी; (ग) समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञप्ति व्यवस्था स्थापित करेगी।

खंड 33—यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि स्थानीय प्राधिकारी, अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे और राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त दायित्व सौंप सकेगी।

खंड 34—यह खंड स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताओं का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा जो उसको राज्य सरकारों द्वारा, अधिसूचना द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

खंड 35—यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के प्रकटन के लिए उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबद्ध अभिलेख सार्वजनिक तौर पर रखे जाएंगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

खंड 36—यह खंड सामाजिक संपरीक्षा कराने के लिए उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि उचित मूल्य की दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा या किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, द्वारा की जाएगी। यह खंड यह और उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे तो स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से सामाजिक संपरीक्षा भी कर सकेगी या करवा सकेगी।

खंड 37—यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को, तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य द्वारा सतर्कता समितियों की स्थापना करने का उपबंध करता है। खंड सतर्कता समितियों के कृत्यों को भी विनिर्दिष्ट करता है।

खंड 38—यह खंड यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कमजोर समूहों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देगी।

खंड 39—यह खंड खाद्य और पोषण संबंधी और सुरक्षा प्रदान करने के उपायों का उपबंध करता है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अनुसूची 3 में उल्लिखित कतिपय उद्देश्यों को उत्तरोत्तर रूप से प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगी।

खंड 40—यह खंड अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध अन्य खाद्य-आधारित स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों को निवारित नहीं करेंगे।

खंड 41—यह खंड शास्ति से संबंधित है। खंड यह उपबंध करता है कि कोई लोक सेवक या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण से उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर उपेक्षा करने का दोषी पाया जाता है तो वह पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि, यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

खंड 42—यह खंड न्यायनिर्णय करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि धारा 40 के अधीन न्यायनिर्णय करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, अपने किसी सदस्य को, संबंधित किसी व्यक्ति को कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी को, ऐसी जांच करते समय, किसी ऐसे व्यक्ति को, समन करने और हाजिर करने की शक्ति होगी जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अवगत है जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो सकते हैं और यदि, ऐसी जांच करने पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो धारा 40 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे अधिरोपित कर सकेगा।

खंड 43—यह खंड केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित करने के लिए उपबंध करता है। यह खंड केंद्रीय सरकार को अपनी शक्ति (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) राज्य सरकारों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए सशक्त करता है। यह खंड राज्य सरकार को उसके अधीन किसी अधिकारी को अपनी शक्ति (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) प्रत्यायोजित करने के लिए भी सशक्त करता है।

खंड 44—यह खंड प्रस्तावित विधान और किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, तद्धीन बनाई गई स्कीमों के उपबंधों को अध्यारोही प्रभाव प्रदान करता है।

खंड 45—यह खंड केंद्रीय सरकार को अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 का संशोधन करने के लिए सशक्त करने के लिए है यदि उस सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।

खंड 46—यह खंड केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है जिससे कि वह प्रस्तावित विधानों के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निदेश दे सके।

खंड 47—यह खंड केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। खंड आगे उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। इस खंड के अधीन नियम बनाना पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन है। खंड यह भी उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

खंड 48—यह खंड प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त करता हैं। खंड यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की उस शर्त, जो इस अधिनियम और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत है, के अधीन रहते हुए प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। खंड ऐसे और विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। खंड यह भी उपबंध करता है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, उनके द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान-मंडल के समक्ष रखे जाएंगे।

खंड 49—यह खंड स्कीम, मार्गदर्शी सिद्धातों के लिए संक्रमणकालीन उपबंधों के लिए उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीम, मार्गदर्शी सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उन्हें प्रस्तावित विधान या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाए।

खंड 50—यह खंड कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। खंड यह और उपबंध करता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

खंड 51—यह खंड अन्य प्रयोजनों के लिए संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि खंड 21, खंड 22 और खंड 26 के अधीन नियुक्त किए जाने वाले प्राधिकारियों या गठित किए जाने वाले प्राधिकरणों की सेवाएं, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों की अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, के कार्यान्वयन में उपयोग की जा सकेंगी।

खंड 52—यह खंड अपरिहार्य घटना के लिए उपबंध करता है। खंड यह उपबंध करता है कि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राथमिक गृहस्थों या साधारण गृहस्थों या इस अधिनियम के अधीन पात्र अन्य समूहों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को खाद्यान्नों या भोजन की आपूर्ति में प्रत्यक्षतः

या अप्रत्यक्षत: असफलता से उद्‌भूत हानि, नुकसान या प्रतिकर, चाहे वह जो भी हो, के संबंध में जब ऐसी आपूर्ति की असफलता किसी अपरिहार्य स्थिति जैसे कि युद्ध, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या किसी ईश्वरीय कृत्य के कारण होती है, किसी दावे के लिए दायी नहीं होगी।

अनुसूची 1—यह अनुसूची उन सहायता-प्राप्त कीमतों को विनिर्दिष्ट करती है जिन पर खाद्यान्न लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पूर्विकता और साधारण गृहस्थों को उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुसूची 2—यह अनुसूची बालक, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को प्रस्तावित विधान के अधीन उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन के लिए पोषण मानकों को विनिर्दिष्ट करती है।

अनुसूची 3—इस अनुसूची के अग्रसर खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उत्तरोत्तर रूप से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य सूचीबद्ध हैं।

वित्तीय ज्ञापन

खंड 2 के उपखंड (क) की मद (iii) यह उपबंध करती है कि ''केंद्रीय पूल'' खाद्य सुरक्षा का उपबंध करने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखे गए खाद्यान्नों से मिलकर बनेगा। 2011-12 के लिए सुरक्षित भंडार वहन लागत की दर पर और विद्यमान भंडार सन्नियमों के अनुसार खाद्यान्नों के पचास लाख टन के स्टॉक की वार्षिक प्राक्कलित वहन लागत लगभग दो हजार इकसठ करोड़ रुपए होगा जो आवर्ती व्यय के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह आवंटन कोई अतिरिक्त वित्तीय बाध्यता कारित नहीं करती है क्योंकि सुरक्षित भंडारों को पहले से ही चल रही लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे हैं।

2. खंड 3 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों से संबंध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सस्ती कीमतों पर पूर्विकता गृहस्थों के प्रति-व्यक्ति प्रतिमास सात किलोग्राम खाद्यान्न और साधारण गृहस्थों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिमास कम से कम तीन किलोग्राम खाद्यान्न लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों से प्रत्येक मास प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। खंड का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि सस्ती कीमतों पर पात्रता ग्रामीण जनसंख्या का पचहत्तर प्रतिशत तक और शहरी जनसंख्या का पचास प्रतिशत तक विस्तारित होगी यदि कम से कम पैंतालीस प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और अठ्ठाईस प्रतिशत शहरी जनसंख्या को पूर्विकता गृहस्थों के रूप में पदाभिहित किया जाए। प्रस्तावित विषय-वस्तु के संबंध में अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों और कीमतों की आर्थिक लागत के बीच के अंतर को केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्न सहायता-प्राप्त के रूप में वहन किया जाएगा। वर्ष 2011-12 के लिए प्रस्तावित विषय-वस्तु और हकदारियों, आर्थिक लागत और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों की कीमत पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्य सहायता-प्राप्त पर कुल वार्षिक व्यय लगभग उनासी हजार आठ सौ करोड़ रुपए प्राक्कलित किया गया है तथापि खाद्यान्न सहायता-प्राप्त का प्राक्कलन, अन्य बातों के साथ खाद्यान्न की आर्थिक लागत, उसकी केन्द्रीय निर्गत कीमत, सम्मिलित हिताधिकारियों की संख्या और आबंटित और उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा पर निर्भर करता है, और अतः, सभी या किन्हीं खाद्य सहायता-प्राप्त को प्रभावित करने वाले परिवर्तनशील कारकों के अधीन है।

3. खंड 4 का उपखंड (क), खंड 5 और खंड 6 गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली स्त्रियों तथा चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को पोषण सहायता के लिए उपबंध करता है। इस समय ये फायदे एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील स्कीम के माध्यम से परिदत्त किए जा रहे हैं और ये फायदे विहित सन्नियम, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत का हिस्सा बटाने के लिए सन्नियम भी हैं, के अनुसार कार्यान्वित किए जाते रहेंगे।

4. खंड 4 का उपखंड (ख) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली स्त्री स्कीम के अनुसार छह मास की अवधि के लिए प्रत्येक मास एक हजार रुपए प्रसूति फायदे के लिए जिसके अंतर्गत लागत में हिस्सा बटाना भी है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, हकदार होगी। यह मानते हुए कि इसमें गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली लगभग 5.25 करोड़ स्त्रियां सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सरकार और राज्यों का एक साथ लगभग तेरह हजार पांच सौ करोड़ रुपए होगा। वास्तविक वार्षिक व्यय, पहचान किए गए हिताधिकारियों और फायदा प्राप्त करने वाले वास्तविक व्यक्तियों की

संख्या पर निर्भर करेगा। व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाने वाली स्कीम के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाएगा।

5. खंड 8, खंड 9 और खंड 11 निराश्रित और बेघर व्यक्तियों, आपातकालीन और आपदा प्रभावित व्यक्तियों, भूखग्रस्त व्यक्तियों को नि:शुल्क या सस्ती कीमतों पर भोजन की आपूर्ति के लिए उपबंध करते हैं। इन समूहों को भोजन के प्रदाय पर उपगत होने वाला व्यय आवर्ती प्रकृति का होगा और पहचान किए गए व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर होगा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाने वाली स्कीमों के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाएगा।

6. खंड 10 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों, गृहस्थों, समूहों या समुदायों, भूखग्रस्त या भूख जैसी दशाओं में रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करेगी जिनके लिए व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

7. खंड 13 यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अध्याय 2, 3 और 4 के अधीन पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्नों या भोजन की पात्र मात्राओं की अनापूर्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति संबद्ध राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे जो ऐसे समय और रीति के भीतर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ते संबंधी उन सभी खर्चों को वहन करेंगे जो आवर्ती प्रकृति के होंगे।

8. खंड 15 यह उपबंध करता है कि पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा या ऐसे अन्य अभिकरण द्वारा पहचान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों, जो विहित किए जाएं, के अनुसार की जाएगी। गृहस्थों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का खर्च ऊपर विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

9. खंड 16 यह उपबंध करता है कि अभिज्ञात पूर्विकता गृहस्थों और साधारण गृहस्थों की सूची सार्वजनिक तौर पर राज्य सरकारों द्वारा रखी जाएगी और सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी जिसके संबंध में व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

10. खंड 18 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर रूप से सुधार करने के लिए प्रयास करेंगी।

11. खंड 20 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसमें कॉल सेंटर, हैल्प लाइन, नोडल ऑफिसरों का पदाभिधान, भी है या ऐसा अन्य तंत्र, जो संबंधित सरकारों द्वारा विहित किया जाए, स्थापित करेगी। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का खर्च, संबंधित सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

12. खंड 21 यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन पात्र खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए इन पात्रताओं को प्रवृत्त कराने के लिए तथा शिकायतों का अन्वेषण और निवारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद सहित एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। जिला शिकायत निवारण अधिकारी अन्य कर्मचारिवृंद

के वेतन तथा भत्तों के मद्दे व्यय और ऐसा अन्य व्यय जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझा जाए, राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे, जो आवर्ती प्रकृति के होंगे।

13. खंड 22 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने तथा उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगा। खंड 23 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव, सहायक कर्मचारिवृंद के वेतन तथा भत्तों और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए उपबंध करेगी। राज्य खाद्य आयोग पर व्यय राज्य से राज्य पर भिन्न-भिन्न होगा और वह आवर्ती प्रकृति का होगा।

14. खंड 26 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार प्रस्तावित विधान के अधीन राष्ट्रीय खाद्य आयोग मानक निकाय का उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगा। खंड 28 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव, सहायक कर्मचारिवृंद के वेतन तथा भत्तों और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए उपबंध करेगी। इस संबंध में वार्षिक व्यय आयोग के गठन के पश्चात् ज्ञात होगा और वह आवर्ती प्रकृति का होगा।

15. खंड 30 का उपखंड (4) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार अनुसूची 1 में पूर्विकता गृहस्थों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट कीमतों पर राज्य सरकारों के खंड 4, खंड 5, खंड 6, खंड 8, खंड 9 और खंड 11 के अधीन पात्रताओं की बाबत खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। उपरोक्त स्कीम की बाबत अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों की मितव्ययी लागत और कीमतों के बीच के अंतर को खाद्य सहायता-प्राप्त के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और वह आवर्ती प्रकृति का होगा। तथापि, प्राक्कलित व्यय, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, उनकी केन्द्रीय निर्यात कीमत, सम्मिलित हिताधिकारियों की संख्या और आबंटित और उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा पर निर्भर करता है, और अंत: यह सभी या किन्हीं परिवर्तनशील कारकों के अधीन है।

16. खंड 30 के उपखंड (5) की मद (घ) यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी जिस पर होने वाला व्यय केंद्रीय सरकार वहन कर सकती है जो अनावर्ती प्रकृति का होगा।

17. खंड 31 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय पूल से किसी राज्य को खाद्यान्नों की आपूर्ति की कमी की दशा में केंद्रीय सरकार ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कम आपूर्ति की सीमा तक निधि उपलब्ध कराएगी।

18. खंड 32 का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कीमतों पर राज्य में केंद्रीय सरकार के अभिनामित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना प्रत्येक उचित दर दुकान के दरवाजे पर अपने प्राधिकृत अधिकारों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंत:राज्य आबंटन की व्यवस्था करना; और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या

आपूर्ति सुनिश्चित करना। खाद्यान्न के भांडागारण, परिवहन और उठाई-धराई की फायदाग्राहियों को अंतिम परिदान तक की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन होगी।

19. खंड 32 के उपखंड (6) की मद (क) यह उपबंध करती है कि राज्य सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य-आधारित कल्याण स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और उसे बनाए रखेगी। अपनी खाद्य और सिविल आपूर्ति निगम और अन्य पदाभिहित अभिकरणों को उपयुक्त रूप से समर्थ बनाएगी। भंडारण सुविधा के सृजन और उनके रखरखाव पर व्यय अनावर्ती प्रकृति के होंगे और राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

20. खंड 33 का उपखंड (2) और खंड 34 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए या प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त दायित्व सौंप सकेगी। स्थानीय प्राधिकारियों को सुदृढ़ करने के लिए यदि कोई व्यय अपेक्षित है तो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

21. खंड 36 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर की दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्ष प्रकाशित करवाएगा और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा। ऐसे सामाजिक संपरीक्षा पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी, ऐसी संपरीक्षा करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से सामाजिक संपरीक्षा करवा सकेगी जिस पर होने वाला व्यय केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

22. खंड 37 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण का तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने ऐसी प्रणाली पर विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा। सतर्कता समितियों पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और वह आवर्ती प्रकृति का होगा।

23. खंड 39 यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेगी। इन उद्देश्यों को वास्तव में प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रयास केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों द्वारा क्रमश: अपने क्षेत्रों में करने होंगे और तत्स्थानी अपेक्षित व्यय को वे ही वहन करेंगे।

24. खंड 40 यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों को अन्य खाद्य-आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से निवारित

नहीं करेंगे। ऐसी स्कीमों पर होने वाला व्यय स्कीमों के उपबंधों के अनुसरण में संबंधित सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

25. जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

26. उपरोक्त दिए गए प्राक्कलनों के अतिरिक्त, व्यय जो प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन में अंतर्वलित होगा, उचित कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त प्रस्तावित विधान के उपबंधों को लागू करने के संबंध में अन्य मंत्रालयों या विभागों के बजटों में से पूरे किए जाने वाले व्यय में भी सम्मिलित होगा।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 47 केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में, जिस पर ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे विषय जिनके अंतर्गत निम्नलिखित विषय भी हैं: (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और वह तारीख जिनसे धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे सुधारों में साधारण जनसंख्या के सम्मिलित किए जाने को जोड़ा जाएगा; (ख) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन खाद्यान्नों की अधिकृत मात्रा के अभाव में गेहूं का आटा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत; (ग) स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 4 के खंड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करवाने वाली माताओं को प्रसूति फायदे उपलब्ध करवाने के लिए हिस्सा बटाना भी है; (घ) धारा 4, धारा 5, धारा 6 के अधीन हकदारी के अंतर्गत आने वाली स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 7 के अधीन हिस्सा बटाना भी है; (ङ) स्कीम जिसके अंतर्गत धारा 8 के अधीन निराश्रित और बेघर व्यक्तियों के लिए हिस्सा बटाना भी है; (च) स्कीम, जिसके अंतर्गत धारा 9 के अधीन आपात और आपदा-प्रभावित व्यक्तियों के लिए हिस्सा बटाना भी है; (छ) स्कीम, जिसके अंतर्गत धारा 11 के खंड (क) के अधीन भुखमरी में रह रहे व्यक्तियों के लिए हिस्सा बटाना भी है; (ज) धारा 13 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते की रकम संदाय का समय और रीति; (झ) पूर्विकता और साधारण गृहस्थों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जिसके अंतर्गत धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उनकी हकदारी के प्रयोजन के लिए अपवर्जन मापदंड भी हैं; (ञ) वह रीति जिसमें धारा 17 के अधीन पूर्विकता और साधारण गृहस्थों की सूची को अद्यतन किया जाएगा; (ट) धारा 20 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र; (ठ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति की अर्हताएं और उनकी शक्तियां; (ड) धारा 21 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा परिवाद की सुनवाई की रीति और समय-सीमा तथा अपील फाइल करना; (ढ) धारा 26 की उपधारा (6) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अन्य अधिकारियों तथा सदस्य की नियुक्ति का ढंग और नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, उसकी शक्तियां और आयोग की बैठकों की प्रक्रिया; (ण) धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति का ढंग और उनके वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें; (त) धारा 31 के अधीन वे कीमतें और रीति, जिसमें खाद्यान्नों के कम प्रदाय की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी; (थ) धारा 50 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों की स्कीमें या कार्यक्रम; (द) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

2. केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा है।

3. विधेयक का खंड 48 राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए और अधिनियम और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम से सुसंगत, ऐसे नियम बनाने हेतु सशक्त करती है। उपखंड (2) में

विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में, जिस पर ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे विषय जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं: (क) धारा 20 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र; (ख) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति का ढंग और निबंधन तथा शर्तें; (ग) धारा 22 की उपधारा (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सदस्य-सचिव की नियुक्ति का ढंग और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, आयोग की बैठकों के लिए प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियां; (घ) धारा 22 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की विधि और उनके वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें; (ङ) धारा 35 के अधीन लक्ष्यित लोक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को पब्लिक डोमेन में रखने और उन्हें लोक निरीक्षण के लिए रखे जाने की रीति; (च) धारा 36 के अधीन उचित मूल्य की दुकानों, लक्ष्यित लोक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों की सामाजिक संपरीक्षा और कृत्यकरण के संचालन की रीति; (छ) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन सतर्कता समितियों के गठन के ब्यौरे; (ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया गया है या विहित किया जाए जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

4. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा है।

5. ऐसे विषय, जिनके संबंध में इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध–II

'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011' संबंधी खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन (2012–13)

(लोक सभा में 26 फरवरी, 2013 को प्रस्तुत)

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13)

(पंद्रहवीं लोक सभा)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011

17.1.2013 *को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया।*
26.2.2013 *को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।*
26.2.2013 *को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।*

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जनवरी, 2013/*पौष,* 1934 *(शक)*

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी
स्थायी समिति (2012–13) की संरचना

श्री विलास मुत्तेमवार–**सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
3. श्री शिवराज भैया
4. श्री कांति लाल भूरिया
5. श्री अरविन्द कुमार चौधरी
6. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण
7. श्री संजय धोत्रे
8. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड
9. श्री अब्दुल मन्नान हुसैन
10. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
11. श्री सोहन पोटाई
12. श्री पोन्नम प्रभाकर
13. श्री सी॰ राजेन्द्रन
14. श्री पूर्णमासी राम
15. श्री चंदूलाल साहू
16. श्री आधि शंकर
17. श्री एन॰ चेलुवरया स्वामी
18. श्री जगदीश ठाकोर
19. श्री लक्ष्मण टुडु
20. रिक्त
21. रिक्त

राज्य सभा

22. डा॰ भूषण लाल जांगडे
23. श्री लालमिंग लिआना
24. डा॰ भारतकुमार राऊत
25. सुश्री रेखा
26. डा॰ एन॰ जनार्दन रेड्डी
27. डा॰ टी॰ एन॰ सीमा
28. श्री बीरेन्द्र सिंह
29. श्री वीर सिंह
30. श्री कप्तान सिंह सोलंकी
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री पी॰ के॰ मिश्रा	–	**संयुक्त सचिव**
2. श्रीमती वीणा शर्मा	–	**निदेशक**
3. श्री खाखई जो	–	**अवर सचिव**

प्राक्कथन

मैं, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011'' संबंधी यह सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011, 22 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया और माननीया अध्यक्ष ने 5 जनवरी, 2012 को उसे जांच करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ङ(1)(ख) के अंतर्गत स्थायी समिति को सौंपा था।

3. विधेयक के व्यापक प्रभावों को देखते हुए समिति ने अपनी 23 जनवरी, 2012 को आयोजित बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर आम जनता तथा विभिन्न हितधारकों के विचार/सुझाव आमंत्रित करने और चुनिंदा केन्द्रीय मत्रालयों/संगठनों/व्यक्तियों आदि और नोडल मंत्रालय अर्थात उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से साक्ष्य लेने का भी निर्णय लिया था।

4. समिति के निर्णय के अनुपालन में, प्रश्नों की एक सूची के उत्तर के रूप में चुनिंदा केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से टिप्पणियां मंगवाने के अतिरिक्त 31 जनवरी, 2012 को प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता/संगठनों/संस्थानों/विशेषज्ञों आदि के विचार/सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त उत्तर के अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तियों से 1.5 लाख पत्र और कई ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिनमें संगठनों/संस्थानों आदि के विचार/सुझाव थे। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर समिति ने नोडल विभाग अर्थात् खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग सहित चुनिंदा केन्द्रीय मत्रालयों/संगठनों/व्यक्तियों का साक्ष्य लेने के अतिरिक्त, परिशिष्ट-2 में इंगित के अनुसार कई राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया था।

5. समिति ने 11 जनवरी, 2013 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

6. समिति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करना चाहती है जिन्होंने समिति के समक्ष अपना साक्ष्य दिया और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होने के समय समिति की विभिन्न बैठकों में भाग लिया तथा अपने विचारित मत दिए। समिति विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों/व्यक्तियों के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करना चाहती है जिन्होंने समिति को अपनी लिखित जानकारी/विचार प्रस्तुत किए तथा साथ ही साथ समिति के समक्ष उपस्थित भी हुए और समिति के विचारार्थ आवश्यक जानकारी मुहैया करवाई, जो समिति को निष्कर्षों पर पहुंचने में काफी सहायक सिद्ध हुई।

7. समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों/योगदान से बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ जिसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

8. समिति उससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के पदाधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी भी सराहना करना चाहती है।

9. संदर्भ और सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
11 जनवरी, 2013
21 पौष, 1934 (शक)

विलास मुत्तेमवार
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक
वितरण संबंधी स्थायी समिति।

अध्याय एक

प्रस्तावना

क. पृष्ठभूमि

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के सभी नागरिकों के खाद्य के अधिकार सहित जीवन के अधिकार का उपबंध करता है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 47 अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविक्ष, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, भी सभी शामिल राष्ट्रों पर यह जिम्मेवारी डालते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त खाद्य के अधिकार को मान्यता प्रदान करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्त्राब्दी लक्ष्यों में निर्धनता और भुखमरी को समाप्त करने का लक्ष्य भी शामिल है।

1.2 सांविधानिक दायित्वों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के अनुसरण में खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार के नियोजन और नीति का केन्द्र बिन्दु रहा है। खाद्यान्न सुरक्षा का तात्पर्य घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ-साथ उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों तक व्यक्तियों की पहुंच है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना देश की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रही है। परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले परिवारों को राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है । लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए आवंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न उपलब्धता पर निर्भर करता है। महिलाओं और बच्चों, प्राकृतिक आपदा इत्यादि के लिए अन्य खाद्यान्न-आधारित कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन कम कीमत पर किया जा रहा है।

1.3 तथापि, लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है। जनसंख्या विशेषकर महिलाओं और बच्चों की पोषक स्थिति में भी सुधार आवश्यक है ताकि देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके।

1.4 उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की थी कि एक नया कानून-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एक ऐसे ढांचे के साथ सांविधिक आधार उपलब्ध कराने के लिए अधिनियमित किया जाएगा जो सभी के लिए खाद्यान्न की सुरक्षा उपलब्ध कराएगा और जिसमें प्रत्येक बीपीएल परिवार को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह 25 किलो चावल या गेहूं प्राप्त करने का कानूनन अधिकार होगा। इसके अनुरण में 22 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक पुर:स्थापित किया गया था और माननीया लोक सभा अध्यक्षा ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331(ङ) के तहत इस विधेयक को 5 जनवरी, 2012 को

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति को इसकी जांच और तत्पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया।

1.5 प्रस्तावित विधान खाद्यान्न सुरक्षा की समस्या के समाधान में एक आमूल-चूल बदलाव को इंगित करता है जिसमें वर्तमान कल्याणकारी दृष्टिकोण के स्थान पर अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लगभग दो-तिहाई जनसंख्या राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार होगी। यह महिलाओं और बच्चों और अन्य विशेष समूहों जैसे अनाथ, निराश्रित, आपदा और आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित व्यक्तियों और भुखमरी में जीवन-यापन कर रहे लोगों को नि:शुल्क या उचित मूल्य पर, जो भी मामला हो, भोजन प्राप्त करने के कानूनन हकदार होंगे।

ख. विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

1.6 राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक, 2011 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(क) **उद्देश्य:** लोगों के लिए उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कर मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्यान्न और पोषक सुरक्षा उपलब्ध कराना ताकि लोग गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें।

(ख) **लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत कवरेज:** इस प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत तक (जिसमें कम से कम 46 प्रतिशत वाले परिवार होंगे) और शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक (लगभग 28 प्रतिशत प्राथमिकता वाले परिवार शामिल होंगे) को शामिल करने का प्रस्ताव उपर्युक्त अखिल भारतीय कवरेज के संबंध में राज्य-वार वितरण का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) **परिवारों की पहचान:** प्राथमिकता और आम परिवारों की पहचान राज्य सरकारों या ऐसी ही किसी एजेंसी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पहचान के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार की जायेगी बशर्ते अपवर्जन मानदंडों के अधीन आने वाले किसी भी परिवार को न ही प्राथमिकता और न ही सामान्य परिवारों में शामिल किया जाएगा।

(घ) **टीपीडीएस के अंतर्गत पात्रता और कीमत:** प्राथमिकता वाले परिवार प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 7 किलोग्राम खाद्यान्न अधिकतम 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपए की दर से क्रमश: चावल, गेहूं और मोटे अनाज प्राप्त करने के हकदार होंगे और सामान्य वर्ग के परिवार प्रतिव्यक्ति कम से कम 3 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूं और मोटे अनाजों के लिए अधिकतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अधिकतम 50 प्रतिशत और चावल के लिए एमएसपी के अधिकतम 50 प्रतिशत की कीमत पर प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ङ) **महिलाओं और बच्चों के लिए पात्रता:** विधेयक में महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप पोषक आहार प्राप्त करने के पात्र होने के अलावा छह माह तक प्रतिमाह 1000 रुपए की दर से मातृत्व भी प्राप्त करेंगी। 6 माह से 6 वर्ष तक के

आयु वर्ग के बच्चे निर्धारित पोषक मानदंडों के अनुसार घर के लिए राशन या पका हुआ गर्म खाना प्राप्त करने के हकदार होंगे। कुपोषण के शिकार 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए उच्चतर पोषक मानक निर्धारित किए गए हैं। निम्नतर और उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे निर्धारित पोषक मानक के अनुसार मध्याह्न भोजन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(च) **अन्य हकदारियां:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में विशेष समूहों जैसे अनाथ और निराश्रितों के साथ-साथ आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं से प्रभावित लोगों और भुखमरी में जीवन-यापन कर रहे लोगों को निःशुल्क या उचित मूल्य पर, जो भी मामला हो भोजन उपलब्ध कराने का उपबंध है। विधेयक यह भी उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार भुखमरी के मामलों के निवारण, पहचान और राहत प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार और अधिसूचित करेंगे। इन स्कीमों के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों की स्कीमों के लिए खाद्यान्न विधेयक की अनुसूची-1 में प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए विनिर्दिष्ट कीमत पर केन्द्र सरकार उपलब्ध कराएगी। स्कीम के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाली लागत भागीदारी सहित भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

(छ) **खाद्य सुरक्षा भत्ता:** केन्द्रीय पूल से अनाज की अल्पापूर्ति होने पर केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि मुहैया कराएगी। यदि हकदार व्यक्तियों को अनाज अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं की जाती है तो उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया करेंगी।

(ज) **लक्ष्यित जन-वितरण व्यवस्था (टीपीडीएस) में सुधार:** केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को टीपीडीएस में उत्तरोत्तर सुधार करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उदाहरणतः अनाज को घर-घर पहुंचाना, संपूर्ण प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का प्रयोग, लाभग्राहियों की पहचान की पुष्टि हेतु ''आधार'' कार्ड का प्रयोग, टीपीडीएस के तहत मुहैया कराई जा रही वस्तुओं में विविधता रखना आदि।

(झ) **महिला सशक्तीकरण:** राशन कार्ड कुटुम्ब की अठारह अथवा उससे अधिक उम्र की सर्वाधिक उम्र की महिला के नाम जारी किया जाएगा। ऐसी कोई महिला मौजूद न होने की स्थिति में सबसे बड़ी उम्र के पुरुष सदस्य को कुटुम्ब का मुखिया माना जाएगा।

(ञ) **शिकायत निवारण प्रणाली:** हकों के परिदान एवं संबंधित मुद्दों के बारे में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु एक स्वतंत्र त्रिस्तरीय क्रियाविधि स्थापित करने का प्रस्ताव है, यथा, जिला शिकायत निवारण अधिकारी, राज्य खाद्य आयोग एवं राष्ट्रीय खाद्य आयोग इसके अलावा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को पृथक रूप से आंतरिक शिकायत निवारण क्रियाविधि की स्थापना करना भी आवश्यक होगा।

(ट) **स्थानीय प्राधिकरणों की भूमिका:** इस विधेयक में पंचायतों, नगरपालिकाओं इत्यादि को उनसे संबंधित क्षेत्रों में अधिनियम को उचित तरीके से कार्यान्वित करने के लिए भूमिका

प्रदान की गई है। राज्य सरकारें टीपीडीएस अथवा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय प्राधिकरणों को अतिरिक्त दायित्व भी सौंप सकती हैं।

(ठ) **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व:** पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए जन-वितरण प्रणाली, सामाजिक लेखा परीक्षा तथा सतर्कता समितियों की स्थापना संबंधी रिकॉर्ड के प्रकटन के लिए भी उपबंध बनाए गए है।

(ड) **दूरस्थ, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में असुरक्षित समूहों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना:** इस विधेयक में यह उपबंध है कि अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत योजनाओं को क्रियान्वित करते समय असुरक्षित समूहों पर, विशेषकर के दूरस्थ क्षेत्रों, दुर्गम, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि में विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(ढ) **समर्थकारी उपबंध:** खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु कृषि को पुनर्जीवित करने, खरीद का दायरा बढ़ाने, विकेन्द्रीकृत खरीद को बढ़ावा देने एवं भंडारण क्षमता को बढ़ाने संबंधी उपबंध किए गए हैं। इस विधेयक में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सीय देखरेख, किशोरियों हेतु पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सहायता, वृद्धों, नि:शक्त व्यक्तियों एवं एकल स्त्रियों के लिए पर्याप्त पेंशन संबंधी उपबंध भी किए गए हैं। अन्य स्कीमों के साथ कैश ट्रांसफर, खाद्य कूपन आदि योजनाएं भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में एवं विहित रीति से शुरू करने हेतु शामिल की गई हैं।

(ण) **शास्ति:** इस विधेयक में उन लोक सेवकों अथवा प्राधिकारियों पर राज्य और राष्ट्रीय खाद्य आयोग द्वारा शास्ति लगाए जाने संबंधी उपबंध किया गया है जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा यथानिर्देशित राहत प्रदान न करने के दोषी पाए जायेंगे।

ग. अनाज की आवश्यकता, उत्पादन और खरीद

1.7 बफर स्टॉक एवं खुला बाजार बिक्री योजना हेतु आवश्यक अनाज को छोड़ते हुए अनाज की कुल आवश्यकता, विधेयक के अनुसार वर्ष 2012-13 में 61.55 मिलियन टन होगी। वर्ष 2009-10 तक गेहूं और चावल की अधिकतम खरीद वर्ष 2008-09 में 59.5 मिलियन टन रही है। तथापि, वर्ष 2010-11 के दौरान यह खरीद 62.53 मिलियन टन पहुंचकर रिकॉर्ड बना गई और यह कुल उत्पादन का 34.2 प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि खरीद का दीर्घावधिक रुझान कम रहा है, पिछले चार वर्षों में औसत वार्षिक खरीद उत्पादन के 30 प्रतिशत से अधिक रही है। वर्ष 2000-2001 से 2010-11 की ग्यारह वर्षीय अवधि के दौरान गेहूं और चावल की औसत वार्षिक खरीद 45.05 मिलियन टन अर्थात् औसत वार्षिक उत्पादन का 27.4 प्रतिशत रही है। हालांकि औसत वार्षिक खरीद वर्ष 2000-01 से 2006-07 के दौरान 38.22 मिलियन टन थी अर्थात् औसत उत्पादन का 24.3 प्रतिशत, वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान बढ़कर 56.99 मिलियन टन अर्थात् उत्पादन का 32.2 प्रतिशत हो गई थी।

घ. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव

(I) केन्द्र सरकार

1.8 खाद्य सब्सिडी पर प्रभाव

(i) खाद्य और जन-वितरण विभाग ने समिति को सूचित किया है कि वितरण में अनाज का आवंटन वर्ष 2000 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है जिसमें कुटुम्ब का आकार 5.5 माना जा रहा है तथा 1993-94 के गरीबी अनुमान का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान टीपीडीएस के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को, 1993-94 के गरीबी अनुपात जो वर्ष 2000 के जनसंख्या अनुमान तथा 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों पर प्रयुक्त किया गया था, के आधार पर 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवारों) की अनुमत संख्या के लिए आवंटन किया जा रहा है। तदनुसार, 2010-11 की खाद्य सब्सिडी की लागत 65,045 करोड़ रुपए थी, जिसकी 2011-12 के दौरान बढ़कर 77,637 करोड़ रुपए और 2012-13 के दौरान और बढ़कर 88,977 करोड़ रुपए होने की संभावना है (इसमें केन्द्रीय पूल में रखे गए परन्तु जारी न किए गए भंडार की वहन लागत शामिल नहीं की गई है)।

(ii) जनगणना 2011 के जनसंख्या आंकड़े अब उपलब्ध हैं। परिवार का आकार 2011 की जनगणना के आधार पर 5.3 माना गया है (2011 की जनगणना के अनुसार) और 1993-94 के गरीबी के अनुमान के आधार पर वर्ष 2011-12 की सब्सिडी 95,787 करोड़ रुपए बनती है जिसकी वर्ष 2012-13 में बढ़कर 1,09,796 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) के उपबंधों के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्य सब्सिडी 98,842 करोड़ रुपए रहेगी तथा वर्ष 2012-13 के दौरान बढ़कर 1,12,205 करोड़ रुपए हो जाएगी। खाद्य सब्सिडी की इस गणना में परिवार के आकार का महत्व नहीं है क्योंकि इस विधेयक में अधिकार वैयक्तिक न कि परिवार के आकार पर आधारित है। जनसंख्या के जितने प्रतिशत को दायरे में लाना है वह भी विधेयक में दर्शाया गया है और योजना आयोग द्वारा दर्शाई गई किसी भी गरीबी अनुमान से इतर है।

(iv) जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वयन के कारण समग्र खाद्य सब्सिडी लागत में अल्पवृद्धि ही होगी। वर्ष 2012-13 में की गई वृद्धि 2,409 करोड़ रुपए, अर्थात् (1,12,205-1,09,796-2,409 करोड़ रुपए) बनती है।

1.9 अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भी कदम उठा रहा है। जिसमें कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है। विभाग ने राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों

के साथ लागत साझेदारी के आधार पर टीपीडीएस के लिए कम्प्यूटरीकरण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना को शुरू किया है और इसमें 2012 से 2017 में वार्षिक अनुमानित व्यय 490 करोड़ रुपये है। तथापि, यह व्यय प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल पर आरोपणीय नहीं है।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य आयोग पर वार्षिक 6 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(II) राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय

1.10 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा विधेयक में प्रस्तावित जिला तथा राज्य स्तरीय शिकायत निवारण निकायों यथा जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) और राज्य खाद्य आयोग पर होने वाला व्यय उठाना पड़ेगा। एक राज्य खाद्य आयोग पर वार्षिक 4 करोड़ रुपये का तथा एक डीजीआरओ पर वार्षिक 50 लाख रुपये का व्यय होने का अनुमान है। राज्य सरकारों को खाद्यान्न के अंतर्राज्यीय परिवहन रखरखाव और उचित दर की दुकानों के मुनाफे पर व्यय का वहन भी करना होगा चूंकि इन लागतों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत लाभार्थियों पर नहीं डाला जा सकता इस मद में, राज्य सरकारों को अनुमानित 8,300 करोड़ रुपए का व्यय वहन करना पड़ेगा। यह अनुमान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इन मदों पर वर्तमान में किए जा रहे व्यय के बारे में प्राप्त सूचना पर आधारित है।

(III) केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच व्यय की हिस्सेदारी

1.11 विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिए जाने वाले मातृत्व लाभ के भुगतान के व्यय को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच बनाई जाने वाली योजनाओं के अनुरूप बांटा जाएगा। 6 माह के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर पर, 2.25 करोड़ गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं पर योजना के अंतर्गत वार्षिक 14,512 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है (जिसमें प्रशासकीय व्यय शामिल है)। यद्यपि महिला और बाल विकास मंत्रालय वर्तमान में 52 जिलों में मातृत्व लाभ की एक प्रायोगिक योजना यथा इंदिरा गांधी मातृत्व योजना कार्यान्वित कर रहा है, इस विधेयक में विनिर्दिष्ट लाभ देने के लिए एक नई योजना को कार्यान्वित करना होगा। अत: यह व्यय वर्ष 2011-12 की प्रायोगिक योजना के लिए 600 करोड़ रुपये के वर्तमान आबंटन के अलावा, अतिरिक्त होगा।

1.12 इसी प्रकार, विशेष वर्गों (निराश्रित, बेघर, आपातकालीन और आपदा से प्रभावित व्यक्ति और भुखमरी से पीड़ित व्यक्तियों) को भोजन उपलब्ध कराने हेतु नई योजनाओं पर व्यय भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच बांटा जाएगा यदि मान लिया जाए कि इस वर्ग का आकार प्राथमिकता जनसंख्या का 5% है और प्रत्येक व्यक्ति भोजन 10 रुपये का व्यय होगा तो औसतन, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में एक समय का भोजन उपलब्ध कराने पर वार्षिक कुल 8,920 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह व्यय की नई मद होगी।

1.13 निष्कर्षतः, अतिरिक्त वार्षिक व्यय की मुख्य मदें, जिन्हें एनएफएसबी से सीधे जोड़ा जा सकता है, निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है:

(करोड़ रुपए में)

व्यय की मद	केन्द्र	राज्य	केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाने वाला व्यय*
अतिरिक्त खाद्य राजसहायता (2012-13)	2,409	-	-
राष्ट्रीय खाद्य आयोग	6	-	-
जिला शिकायत निवारण अधिकारी (640 जिलों के लिए)	-	320	-
राज्य खाद्य आयोग (35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए)	-	140	-
खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन, हैंडलिंग, वितरक के मुनाफे आदि पर व्यय	-	8,300	-
विशेष वर्ग के लिए भोजन	-	-	8,920
मातृत्व लाभ	-	-	13,912
कुल	2,415	8,760	22,832
	+ प्रचार, सामाजिक लेखा-परीक्षा एवं मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण, खाद्य एवं सार्वजनिक आपूर्ति विभाग के सुदृढ़ीकरण आदि पर व्यय		

*साझे व्यय का स्वरूप तैयार होने वाली योजनाओं में निश्चित किया जाएगा।

ङ विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले भारत सरकार द्वारा आयोजित परामर्श बैठक संबंधी प्रक्रिया

1.14 भारत सरकार में जिम्मदारियों के सीमांकन के अनुसार यह विषय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के अधीन आता है। तद्नुसार, विभाग ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून पर एक अवधारणा नोट दिनांक 5.6.2009 एवं 10.6.2009 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को भेजा तथा प्राप्त जवाबों की जांच की,

विभाग ने राज्यों के खाद्य सचिवों, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों एवं अन्य संबद्ध लोगों के साथ बैठकें की। राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ पहली परामर्श बैठक 10.6.2009 को आयोजित की गई थी। अवधारणा नोट पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 11.6.2009 को एक बैठक आयोजित की गई थी। दिनांक 12.6.2009 को विशेषज्ञों के साथ बैठक की गई थी। कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय,पेयजल आपूर्ति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए अगली बैठक दिनांक 1.7.2009 को आयोजित की गई थी।

1.15 सितंबर 2009 से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक खाद्यान्न खरीद, खाद्यान्न भंडार के प्रबंध, खाद्यान्न के केन्द्रीय विक्रय मूल्य के संशोधन तथा खाद्य सुरक्षा पर प्रस्तावित कानून से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए गठित अधिकार-प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) के विचाराधीन है। यह मामला दिनांक 1.9.2009, 16.9.2009, 12.2.2010, 18.3.2010, 5.4.2010, 25.6.2010, 18.3.2011, 2.5.2011 तथा 11.7.2011 को हुई नौ बैठकों में ईजीओएम के विचारार्थ रखा गया था।

1.16 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने भी खाद्य सुरक्षा विषय पर प्रस्तावित इस कानून पर विचार-विमर्श किया है तथा उनसे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है:

(1) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को दिनांक 23.10.2010 को आयोजित इसकी बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

(2) प्रस्तावित विधेयक के ढांचे को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) के प्रारूप के संबंध में दिनांक 21.1.2011 का नोट।

(3) प्रारूप एनएफएसबी के संबंध में दिनांक 21.2.2011 का व्याख्यात्मक नोट।

(4) दिनांक 3.6.2011 का प्रारूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक।

(5) राष्ट्रीय सलाहकार समिति की दिनांक 22.6.2011 को हुई बैठक में स्वीकृत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक।

1.17 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों की जांच करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय ने प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) के अध्यक्ष डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2010 को एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का गठन किया। विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 7.1.2011 को प्रधान मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

1.18 एनएसी से प्राप्त सूचनाओं, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों, खाद्यान्नों के उत्पादन और उनकी खरीद के रुझान योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और अन्य हितधारकों से प्राप्त विचारों/टिप्पणियों को ध्यान में रखकर इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) का मसौदा तैयार किया गया था। मसौदा विधेयक पर मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने दिनांक 11.7.2011 को हुई अपनी बैठक में विचार किया। ईजीओएम ने

निदेश दिया कि पूरक नोट में प्रस्तावित संशोधनों के साथ मसौदा एनएफएसबी का राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से परामर्श करने से पहले विधायी विभाग द्वारा पुनरीक्षण कराया जाए और तत्पश्चात् इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। तद्नुसार, पुनरीक्षित मसौदा 12.8.2011 को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया गया था और इसे 18.8.2011 को केन्द्रीय मंत्रालयों के पास उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। इसे 9.9.2011 को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला गया था और 31.10.2011 तक टिप्पणियां/सुझाव मांगे गए थे।

1.19 प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर मौजूदा विधेयक को संशोधित किया गया था और मंत्रिमंडल हेतु मसौदा नोट को 17.11.2011 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श हेतु योजना आयोग और व्यय विभाग, कृषि और सहकारिता, विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता, महिला और बाल विकास, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह, आर्थिक कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी, पेयजल और स्वच्छता, पंचायती राज, रेल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य, जल संसाधन, उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास, विधिक कार्य और विधायी विभाग इत्यादि मंत्रालयों/विभागों तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) को भेजकर उनसे दिनांक 1.12.2011 तक उनकी टिप्पणियां मांगी गयी थीं। मसौदा विधेयक की प्रतियां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गयी थीं। उनसे प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप दिया गया था जिस पर मंत्रिमंडल ने दिनांक 18.12.2011 को हुई अपनी बैठक में विचार करके संसद में पेश करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

च. इस विधेयक की जांच करते समय समिति द्वारा आयोजित परामर्श बैठक संबंधी प्रक्रिया

1.20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 (**परिशिष्ट-एक**) लोक सभा में 22 दिसम्बर, 2011 को पेश किया गया था और माननीय अध्यक्ष द्वारा लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331(ङ)(1)(ख) के अनुरूप जांच करने तथा संसद में रिपोर्ट पेश करने हेतु खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। तदनुसार समिति ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) जैसे प्रमुख मंत्रालय से इस विधेयक में प्रदत्त विभिन्न मुद्दों पर लिखित सूचना प्राप्त की। विधेयक की जांच के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए समिति की प्रारंभिक बैठक दिनांक 23.1.2012 को हुई। उक्त बैठक में समिति ने लोक सभा टेलीविजन सहित समाचार-पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विशेषज्ञों, संगठनों, व्यक्तियों और अन्य हितधारकों से विचार प्राप्त करने का निर्णय लिया। इसके प्रत्युत्तर में सार्वभौमिक पीडीएस का सुझाव देते हुए एक जैसे पत्रों सहित लगभग 1.5 लाख ज्ञापन प्राप्त हुए जिनकी समिति सचिवालय ने जांच की। समिति को संसद के दोनों सदनों के वर्तमान और पूर्व सदस्यों, सामाजिक कार्यकलापों, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, महिला संगठनों के प्रतिनिधियों, बाल कल्याण संगठनों, विधिज्ञों और शोधार्थियों से भी प्रत्युत्तर/सुझाव प्राप्त हुए। तदनुसार, चुने हुए विशेषज्ञों/संघों के प्रतिनिधियों/व्यक्तियों, संसद सदस्य भी समिति के समक्ष पेश हुए। जिसके ब्यौरे परिशिष्ट-दो में दिए गए हैं। उक्त विशेषज्ञों और हितधारकों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियां उठाई और कुछ परिवर्तन/संशोधन के सुझाव दिए।

1.21 चूंकि, राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाने वाली लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत पात्रता का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है अत: समिति उक्त विधेयक संबंधी प्रश्नों की सूची के एक उत्तर के रूप में राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों से विचार प्राप्त करने का निर्णय लेती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली आदि सरकारों से लिखित विचार/सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। समिति ने अपने अध्ययन दौरों के दौरान मेघालय, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य सरकारों से विचार-विमर्श भी किया था।

1.22 भारत सरकार के विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय यथा ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास विभाग), सामाजिक न्याय और अधिकारिता, पंचायती राज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों जैसे महिलाएं, बच्चे और आदिवासी के हितों की रक्षा करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। कृषि मंत्रालय की देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने जैसे मामलों में मुख्य भूमिका है। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग और राजस्व विभाग) की इस विधेयक के वित्तीय पहलुओं की जांच करने के मामले में मुख्य भूमिका है। रेल मंत्रालय की खाद्यान्नों की ढुलाई और खाद्यान्नों की ढुलाई को सुकर बनाने हेतु अपेक्षित संख्या में रैक उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका है। अत: समिति ने उक्त मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।

1.23 समिति ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), नई दिल्ली, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ), नई दिल्ली, यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड (यूनीसेफ) नई दिल्ली, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्ज एसोसिएशन, नई दिल्ली, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), नई दिल्ली और राइट टू फूड कम्पेन (आरएफसी) के प्रतिनिधियों के विचार सुने। समिति ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) के प्रतिनिधियों के विचार भी सुने क्योंकि इनकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुप्रयोग जिसमें एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण, लाभार्थियों की पहचान हेतु आधार प्रदान करना शामिल है, के मामले में अहम भूमिका है। समिति ने इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य, लोक सभा, श्री एन॰ के॰ सिंह, संसद संदस्य, राज्य सभा, प्रो॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन, संसद सदस्य, राज्य सभा और श्रीमती वृन्दा करात, राज्य सभा की पूर्व सांसद के विचार भी सुने। उक्त विचार-विमर्श हेतु समिति द्वारा आयोजित बैठकों का ब्यौरा परिशिष्ट-तीन में दिया गया है। इन बैठकों के दौरान दिए गए विस्तृत सुझावों से समिति को बहुत लाभ हुआ है।

1.24 समिति को प्रस्तावित विधेयक के मद्देनज़र 22 फरवरी, 2012 एवं 2 मार्च, 2012 को हुई उसकी बैठकों में नोडल मंत्रालय अर्थात् उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केन्द्रीय भांडागार निगम (सीडब्ल्यूसी) जिनकी खरीद एवं भंडारण क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका है, के प्रतिनिधियों के द्वारा जानकारी दी गयी थी। समिति का 2011-12 का कार्यकाल 30 अगस्त, 2012 को समाप्त हो गया तथा 31 अगस्त, 2012 से प्रभावी समिति (2012-13) का गठन किया गया था। समिति (2012-13) ने पूर्ववर्ती समिति द्वारा छोड़े गए चरण से इस विधेयक की परीक्षा जारी रखी। चूंकि समिति (2012-13)

में 14 नए सदस्य थे इसलिए नोडल विभाग अर्थात् खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ संक्षिप्त बैठक 9 अक्तूबर, 2012 को आयोजित हुई थी। समिति ने 13 दिसम्बर, 2012 को आयोजित बैठक में नोडल मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। नोडल मंत्रालय के प्रतिनिधि भी समिति की विभिन्न बैठकों में उपस्थित थे जहां समिति ने विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों/विभागों का साक्ष्य लिया तथा कुछेक मुद्दों पर स्पष्टीकरण देकर समिति का सहयोग किया।

1.25 तद्नुवर्ती रूप से 11 जनवरी, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में समिति ने इस विधेयक पर खंड-वार विचार किया।

1.26 समिति पाती है कि सांविधिक बाध्यताओं और अंतर्राष्ट्रीय करारों के अनुसरण में, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना सरकार की योजना और नीति के केन्द्र में रहा है। घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा का मुद्दा हल करने के लिए सरकार अब लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) कार्यान्वित कर रही है जिसके अधीन अन्त्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) जीवन-यापन करने वाले गृहस्थों सहित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले लोगों को राजसहायता-प्राप्त मूल्य वाले खाद्यान्न दिए जाते हैं। सरकार का विचार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 लाने का है जिसका उद्देश्य सम्मानजनक जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ते मूल्यों पर खाद्य की पर्याप्त मात्रा में पहुंच सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र में भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्तावित विधान खाद्य सुरक्षा समस्या को हल करने में मौजूदा कल्याणकारी उपगमन से अधिकार-आधारित उपगमन की ओर प्रतिमान परिवर्तन कर सकते हैं। इस विधेयक के कार्यान्वयन के पश्चात् लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई हिस्सा राजसहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्र होगा। यह महिलाओं, बच्चों और अन्य विशेष समूहों जैसे बेसहारा, बेघर, आपदा और आपात स्थितियों से प्रभावित और भुखमरी से पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त या सस्ता भोजन, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करेगा।

1.27 समिति ने पाया है कि सरकार भारत सरकार के विभिन्न सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य, खाद्य सचिवों, योजना आयोग, विशेषज्ञों और अन्य भागीदारों से विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद उक्त मुद्दों को सुलझाने के लिए यह महत्वपूर्ण विधान लाई है। 22 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में यथा पुरःस्थापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 को जांच और प्रतिवेदन के लिए खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। इस विधेयक के विस्तृत निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए स्थायी समिति ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों सरकारों के प्रतिनिधियों सहित समाज/संगठनों के यथासंभव विस्तृत वर्गों से विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया। बड़े पैमाने पर आम जनता की राय जानने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए प्रेस विज्ञापनों पर प्रतिक्रिया के रूप में समिति को आम जनता/संस्थानों/संघों/गैर-सरकारी संगठनों आदि के विचार/सुझाव व्यक्त करने वाले लगभग 1.5 लाख ज्ञापन/पत्र प्राप्त हुए। समिति ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संघों, महिला संगठनों, बाल कल्याण संघों/विशेषज्ञों/व्यक्तियों और संसद सदस्यों आदि के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेने के लिए कई बैठकें भी कीं। समिति ने अपने अध्ययन दौरों के दौरान मेघालय, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल में राज्य सरकारों के कुछ अधिकारियों के साथ चर्चा की।

1.28 उक्त सभी विचार-विमर्शों/साक्ष्यों और लिखित ज्ञापनों में समिति द्वारा एकत्रित सूचना/राय के आधार पर समिति ने पाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कोई भी व्यक्तिगत आपत्ति प्रकट नहीं की गई। तथापि, कुछ मुद्दों जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को शामिल करना, पहचान प्रक्रिया, मानदंडों को शामिल करना और निकालना, पूर्विकता और साधारण गृहस्थों के लिए खाद्यान्न मात्रा की पात्रता, महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा, खाद्यान्न पात्रता के स्थान पर नगद अंतरण का प्रस्ताव तथा विधेयक में यथा परिकल्पित विभिन्न उपबंधों के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा व्यय की हिस्सेदारी आदि जिन पर भागीदारों के विभिन्न वर्गों ने विभिन्न विचार व्यक्त किए, जिन पर समिति प्रतिवेदन के अगले अध्यायों में चर्चा करेगी।

1.29 समिति नोट करती है कि मौजूदा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र को 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई परिवारों सहित) और 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों की स्वीकृत संख्या के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन कर रही है। ये आवंटन योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों का उपयोग करते हुए भारत के महापंजीयक के वर्ष 2000 के जनसंख्या अनुमानों के आंकड़ों के आधार पर 1.3.2000 तक की स्थिति पर आधारित हैं। तद्नुसार वर्ष 2010-11 के लिए खाद्य राजसहायता की मात्रा 65,945 करोड़ रुपए थी जिसके वर्ष 2012-13 में बढ़कर 88,977 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है (केन्द्रीय पूल में रखे गए लेकिन जारी न किए गए स्टॉक की वहन लागत को शामिल किए बिना)। इसके अलावा, विभाग ने बताया है कि 2011 की जनगणना में आबादी के आंकड़ों और 1993-94 के गरीबी के अनुमानों का प्रयोग करते हुए तथा 2001 की जनगणना (2011 की जनगणना के परिवार के आकार के अंतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं) के अनुसार परिवार आकार को यथा 5.3 के रूप में लेते हुए, 2011-12 में राजसहायता की मात्रा 95,787 करोड़ रुपए आकलित की गई है जिसके वर्ष 2012-13 में बढ़कर 1,09,796 करोड़ रुपए होने की संभावना है। खाद्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के उपबंधों के अंतर्गत, 2012-13 के दौरान खाद्य राजसहायता और बढ़कर 1,12,205 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसलिए वर्ष 2012-13 के दौरान सकल खाद्य राजसहायता बिल में 1,09,796 करोड़ रुपए से 1,12,205 करोड़ रुपए की आंशिक वृद्धि होगी जो 2409 करोड़ रुपए बनती है।

1.30 यह नोट करते हुए कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 भारत में भूख और अल्पपोषण को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, समिति महसूस करती है कि अतिमहत्वपूर्ण है कि यह विधेयक एक सरल विधेयक है लेकिन भारत के लोगों को एक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी ढांचा है। लेकिन, इस विधेयक के क्रियान्वयन में निहित राजसहायता राशि, जिसमें आगामी वर्षों में काफी वृद्धि होने की संभावना है, को ध्यान में रखते हुए, समिति महसूस करती है कि सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि उसके द्वारा वित्तपोषित राजसहायता को अर्थव्यवस्था बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के वहन कर सके। अतः, समिति इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्यायों में अंतर्विष्ट अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों के अध्यधीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 को पारित करने की सिफारिश करती है।

अध्याय दो

क. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जनसंख्या तथा पात्रता की कवरेज

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत तक (प्राथमिक परिवारों के कम से कम 46%) तथा शहरी जनसंख्या का 50 प्रतिशत तक (प्राथमिक परिवारों के कम से कम 28%) को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अन्तर्गत राजसहायता-प्राप्त खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक परिवार चावल, गेहूं, मोटे अनाजों को क्रमश: तीन रुपए, दो रुपए, एक रुपए प्रति कि॰ग्रा॰ के मूल्यों पर प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 7 कि॰ग्रा॰ खाद्यान्न प्राप्त करने तथा सामान्य परिवार गेहूं तथा मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के 50 प्रतिशत तक के मूल्य पर तथा चावल के लिए व्युत्पन्न एमएसपी के 50 प्रतिशत तक अधिकतम 3 कि॰ग्रा॰ खाद्यान्न प्राप्त करने का पात्र होगा।

2.2 एनएफएसबी के अंतर्गत प्राथमिक परिवार वर्तमान बीपीएल (एएवाई सहित) वर्ग के विस्तृत रूप होंगे। जैसा कि देखा जा सकता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत पात्रता प्रतिव्यक्ति आधार पर प्रस्तावित होगी, परिवार आधार पर नहीं। जनगणना 2001 के अनुसार देश में औसत परिवार आकार 5.3 था तथा इसलिए बीपीएल तथा एएवाई परिवारों के लिए औसतन प्रतिपरिवार वर्तमान खाद्यान्न पात्रता को एनएफएसबी के अंतर्गत संरक्षित किया जाएगा। यद्यपि, यह सत्य है कि परिवार-आधारित से व्यक्ति-आधारित पात्रता में अंतरण के कारण, छोटे परिवार आकार (पांच से कम) वाले बीपीएल तथा एएवाई परिवार को अभी प्राप्त हो रही मात्रा से कम खाद्यान्न प्राप्त होगा। दूसरी ओर, जबकि वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक बीपीएल तथा एएवाई परिवार को, भले ही परिवार का आकार कुछ भी हो, प्रतिमाह 35 कि॰ग्रा॰ खाद्यान्न प्राप्त होता है; एनएफएसबी के प्रावधानों के अनुसार अधिक संख्या वाले परिवारों को और अधिक प्राप्त करने की पात्रता होगी। ऐसा महसूस किया गया कि इस विधेयक में प्रस्तावित प्रतिव्यक्ति पात्रता अधिक समान है क्योंकि इसमें प्रत्येक परिवार के आकार को ध्यान में रखा जाता है।

2.3 समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सारांश

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: अखित भारतीय स्तर पर ''प्राथमिक'' तथा ''सामान्य'' परिवारों के वर्ग के अंतर्गत जनसंख्या को शामिल करने के लिए अंकीय सीमा के लिए आधार स्पष्ट नहीं है। अध्याय-दो के खंड 4 से 6 तक में उल्लिखित लक्ष्यित समूह अर्थात् गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं तथा बच्चों का ख्याल महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा रखा जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय: सभी जनजातियों तथा वनवासियों को प्राथमिक मानदंड से जुड़े लोग माना जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि सभी जनजातियों एवं वनवासियों को पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जमीनी हकीकत दर्शाती है कि जबकि कुछ जनजातियों को पीडीएस के अंतर्गत शामिल किया गया है फिर भी कई इससे वंचित हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: मंत्रालय विधेयक में प्रस्ताव किए अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों तथा सामान्य परिवारों की पहचान की पद्धति से सहमत है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार: टीपीडीएस के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कवर किए गए परिवारों/व्यक्तियों की वर्तमान संख्या को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों को एनएफएसबी के अंतर्गत राज्य को आवंटित चावल का इस्तेमाल करके स्वयं की राजसहायता योजना को लागू करने का लचीलापन उपलब्ध कराने की जरूरत है।

ओडिशा राज्य सरकार: टीपीडीएस के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत जैसी कवरेज सीमा, जो इस विधेयक में प्रस्तावित की गयी थी, नहीं होनी चाहिए। यह सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत लाभभोगी आंकड़ों को वार्षिक तौर पर अद्यतन करके गतिशील की जानी चाहिए। कवरेज की सीमा तय करके, जैसा इस विधेयक में प्रस्तावित है, ओडिशा राज्य को भारी असुविधा हो जाएगी क्योंकि भारी संख्या में सही लोग इससे बाहर हो जायेंगे।

तमिलनाडु राज्य सरकार: हमारे जैसे संघीय ढांचे में जहां राज्य लोगों से प्रत्यक्ष एवं निकट संपर्क में है, कल्याणकारी योजनाओं को बनाने एवं लागू करने का विकल्प राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए तथा तमिलनाडु राज्य को इस विधेयक के दायरे से छूट दी जाए।

यूनिसेफ: 7 कि॰ग्रा॰ राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्न प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह में दालों, तेल एवं दुग्ध/डेयरी उत्पादों जैसे अन्य पोषक खाद्य पदार्थ को शामिल करने की जरूरत है।

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ: योजना आयोग का ग्यारहवीं योजना दस्तावेज दर्शाता है कि पीडीएस में सेंधमारी लक्ष्यित के साथ दोगुनी हो गयी है। चावल के मामले में सेंधमारी 1993 में सार्वभौमिक पीडीएस के अंतर्गत 19 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में लक्ष्यित पीडीएस के अंतर्गत 40 प्रतिशत हो गई (एनएसएस आंकड़े)। गेहूं के मामले में यह 1993-94 में 41 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 73 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां टीपीडीएस की तुलना में लगभग सार्वभौमिक या व्यापक कवरेज है, बहुत कम चोरी दर्शाते हैं। इस प्रकार, लक्ष्यित करने से पीडीएस का मूल उद्देश्य ही धरा रह जाता है तथा वर्ष 1997 से ही इसके उजागर करने वाले अनुभव के आधार पर इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

आज बीपीएल एवं एपीएल के सम्मिलित वर्गों के अंतर्गत शामिल 82 प्रतिशत परिवारों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत की कम कवरेज करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, सरकार का विधेयक महत्वपूर्ण रूप से कतर-ब्योतयुक्त पीडीएस के लिए प्रस्ताव है।

श्री नवीन जिन्दल, संसद सदस्य (लोक सभा): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 7 कि॰ग्रा॰, जो अब निर्धारित किया जा रहा है, के बजाय न्यूनतम 11 कि॰ग्रा॰ निर्धारित करता है। तद्नुसार समिति सुझाव दे सकती है।

प्रो॰ एम॰एस॰ स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा): मेरे मतानुसार, हमें सुपरिभाषित तथा पारदर्शी अपवर्जन मानदंड के साथ एक सार्वभौमिक वितरण प्रणाली अपनानी चाहिए जैसाकि पहले से ही तमिलनाडु तथा केरल में प्रचालनशील है। स्व:अपवर्जन सहित, अपवर्जन प्रक्रिया ईमानदारी की एक संस्कृति की नींव पर निर्मित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, उपाय की शुरुआत करेगी।

श्री एन॰ के॰ सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा): हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि संविधान के अनुसार खाद्य अधिकार प्रत्येक नागरिक का सार्वभौमिक अधिकार है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तथा भुखमरी के कगार पर हैं, उन्हें हमारी अधिभावी प्राथमिकता को प्राप्त करना चाहिए।

श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा): धारा 3(2) में कृत्रिम सीमा लगाकर, ग्रामीण जनसंख्या का मात्र 46 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का मात्र 28 प्रतिशत बी॰पी॰एल॰ के लाभों के लिए हकदार है तथा ग्रामीण जनसंख्या का मात्र 29 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का मात्र 22 प्रतिशत ए॰पी॰एल॰ के लाभों के लिए हकदार है। ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत लोग इन लाभों के बाहर हैं। समग्रता में लेने पर एफ॰एस॰बी॰ वास्तव में वर्तमान प्रणाली की तुलना में जनसंख्या के कवरेज को कम करता है।

ए॰पी॰एल॰ वर्ग के लिए प्रतिमाह 3 कि॰ग्रा॰ देना खाद्य सुरक्षा का मजाक बनाना है। पांच लोगों के एक परिवार को अधिकतम मात्र 15 कि॰ग्रा॰ मिल सकता है।

श्री जीन ड्रेज, मानद् प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स और सुश्री रीतिका खेड़ा, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी, दिल्ली: हम लोग सार्वभौमिकता के विरुद्ध नहीं हैं, हम इसके समर्थन में हैं। मुझे यह भी उल्लेख करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत बाह्य औसत के संबंध में हम यह महसूस करते हैं कि वे लोग बहुत ही ज्यादा हैं तथा वास्तव में खतरनाक रूप से ज्यादा हैं क्योंकि हम लोग वैसे शक्तिशाली लोगों का एक निर्वाचन-क्षेत्र बनाने जा रहे हैं जिनकी पीडीएस में कोई भागीदारी नहीं है तथा जो इसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। वस्तुत: हमें निम्नतर बाह्य औसत चुनना चाहिए। हम लोग जो कुछ कह रहे हैं, वह यह है कि यदि हम लोग अमीरों को इससे अलग रखेंगे, तब हम इसमें आगे नहीं जा सकते हैं। यहां रुकें और सभी को समान हकदारी दें।

विधेयक में प्राथमिकता समूह को 7 कि॰ग्रा॰ और सामान्य समूह को 3 कि॰ग्रा॰ देने की बात है। हमारे विचार से खरीद स्तर बहुत ही अधिक है तथा यह बढ़ता ही जा रहा है। हम महसूस करते हैं कि आप इसे 7 कि॰ग्रा॰ भी कर सकते हैं।

2.4 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर

उपर्युक्त सिफारिशों के बारे में पूछे जाने पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्नवत् कहा:–

> ''खाद्यान्न उत्पादन और क्रम जो वर्तमान स्तरों को ध्यान में रखकर विधेयक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीपीडीएस के तहत अखिल भारतीय स्तर पर क्रमश: 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत कवरेज करने का प्रस्ताव है। इसके समरूप प्राथमिकता और सामान्य घरों के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कवरेज का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें हकदार लोगों को विनिर्दिष्ट मूल्यों पर खाद्यान्नों के वास्तविक वितरण करने के लिए जिम्मेवार हैं। यद्यपि राज्य सरकारें यदि वे ऐसा चाहते हैं, अभिज्ञात प्राथमिकता और सामान्य घरों के लिए विधेयक के तहत निर्धारित न्यूनतम हकदारी तक अपने संसाधनों से कवरेज सीमा को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।''

सार्वभौमिक पीडीएस का कार्यान्वयन और अपने सभी नागरिकों को पहले से ही खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराने वाले राज्यों में नियोजक के प्रावधानों के कार्यान्वयन के बारे में सरकार के प्रस्ताव पर पूछे जाने पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्नवत् बताया:-

> ''एक बार प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक के अधिनियम होने के बाद, प्राथमिकता और सामान्य घरों का कवरेज और उनकी हकदारी को प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में नियत किया जाएगा और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए और अधिक घरों को कवर करने के लिए पहचाने गए और सामान्य घरों के हकदारी में कमी लाना संभव नहीं होगा। तथापि राज्य सरकारें फिर भी प्रस्तावित विधेयक के तहत निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में वहां तक घरों का कवरेज करने के लिए स्वतंत्र हैं जहां तक अभिज्ञात प्राथमिकता और सामान्य घरों से खाद्यान्नों की गुणवत्ता का ऐसे घरों से प्रभारित शुल्क के संदर्भ में विधेयक में निर्धारित हकदारों से समझौता न करना पड़े। अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए तैयारी करने हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों हेतु एक निश्चित समय-सीमा की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इस समय-सीमा के अधीन तमिलनाडु सरकार की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा, जिसके दौरान राज्य सरकार अपना पीडीएस का कार्यान्वयन शुरू कर सके। विधेयक की परिधि से किसी विशेष राज्य का छूटना संभव नहीं है।''

समिति ने यह इंगित किया कि सिफारिशें प्राप्त हुई हैं कि प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह कम से कम 11 कि॰ग्रा॰ की पात्रता होनी चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 7 कि॰ग्रा॰ की हकदारी दोनों वर्गों अर्थात् प्राथमिकता व सामान्य घरों के लिए होनी चाहिए। इस संदर्भ में समिति यह जानना चाहती है कि कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होगी और कितनी राजसहायता होगी, यदि प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 कि॰ग्रा॰ या 7 कि॰ग्रा॰ की दर से दोनों प्राथमिकता और सामान्य घरों के सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न दिया जाए। समिति ने यह भी जानना चाहा कि कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होगी यदि टीपीडीएस के तहत प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 कि॰ग्रा॰/7 कि॰ग्रा॰ या 11 कि॰ग्रा॰ की दर पर सार्वभौमिक रूप से हकदारी दी जाए। मंत्रालय ने निम्नवत् जवाब दिया:–

वर्ष 2006-07 से गेहूं और चावल का उत्पादन और खरीद के स्तरों को तालिका में दिया गया है:-

गेहूं और चावल का उत्पादन तथा क्रय

(लाख टन में)

फसल	चावल		गेहूं		कुल (चावल+गेहूं)	
वर्ष	उत्पादन	क्रय	उत्पादन	क्रय	उत्पादन	क्रय
2006-07	933.55	251.07	758.10	111.28	1691.65	362.35
2007-08	966.93	287.36	785.70	226.89	1752.63	514.25
2008-09	991.80	341.04	806.80	253.82	1798.60	594.86
2009-10	890.90	320.34	808.00	225.14	1698.90	545.48
2010-11	959.80	342.00	868.70	283.35	1828.50	625.35
2011-12	1043.22	350.36	939.03	381.48	1982.25	731.84

प्रतिव्यक्ति 5, 7 और 11 किलोग्राम की हकदारी के साथ एक एकल वर्ग में टीपीडीएस के तहत ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 50 प्रतिशत को कवर करने के लिए खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता निम्नवत् है:–

खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता

(लाख टन में)

हकदारी (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह)	कवरेज	टीपीडीएस के तहत अनुमानित आवश्यकता	ओडब्ल्यूएस के तहत अनुमानित आवश्यकता	कुल आवश्यकता
5 किलोग्राम	ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%	488.02	80	568.02
7 किलोग्राम		683.23	–	763.23
11 किलोग्राम		1073.65	–	1153.65

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 को छोड़कर जैसा कि देखा जा सकता है कि हाल के वर्षों में चावल और गेहूं की खरीद 600 लाख टन से कम है। विगत 5 वर्षों (2007-08 से 2011-12) के दौरान गेहूं और चावल की औसत खरीद 602.4 लाख टन है, जो कि वर्ष 2000-01 से 2006-07 के दौरान 382.2 लाख टन के औसत में महत्वपूर्ण सुधार है। प्रतिशतता के संदर्भ में विगत 5 वर्षों के दौरान औसत खरीद, औसत वार्षिक उत्पादन का लगभग एक-तिहाई है। इस स्तर के बाह्य खरीद की प्रतिशतता में वृद्धि कठिन होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर एन॰ए॰सी॰ के सुझावों पर विचार करने के लिए डा॰ सी॰ रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत खरीद करना संभव होगा और यह व्यक्त किया है कि बड़ी मात्रा में खरीद करने से खुले बाजार में खाद्य मूल्यों में विकृति आएगी।

इस पृष्ठभूमि में देखने पर ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या का 50 प्रतिशत हेतु प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 7 किलोग्राम और 11 किलोग्राम की दर पर अनुमानित खाद्यान्न आवश्यकता व्यवहार्यता से बाह्य होगा। प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह लगभग 5 किलोग्राम की दर पर खाद्यानों की आवश्यकता यद्यपि प्रबंधनीय होगी तथा समिति द्वारा इसे एक विकल्प के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि यह नोट किया जा सकता है कि वर्तमान में एएवाई तथा बीपीएल लाभार्थी प्रतिघर प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने के हकदार हैं, जो प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह लगभग 7 किलोग्राम हो जाएगा।

एनएफएसबी के तहत टीपीडीएस के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 5 किलोग्राम या 7 किलोग्राम अर्थात् ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या का 50 प्रतिशत को उपलब्ध कराने के

लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता तथा तद्नुरूप खाद्य राजसहायता निम्नवत् है:-

टीपीडीएस के तहत खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता

हकदारी (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह)	अनुमानित आवश्यकता (लाख टन में)	खाद्य राजसहायता (करोड़ रुपये में)
5 किलोग्राम	488.02	92499.48
7 किलोग्राम	683.23	129499.28

* चावल और गेहूं हेतु खाद्य राजसहायता की गणना कुल खाद्यान्न आवश्यकता के लिए चावल, गेहूं औसत 55:45 के रूप में मानकर की जाती है। गेहूं के लिए 2 रुपये/किलो और चावल के लिए 3 रुपये/किलो का केन्द्रीय निर्गम मूल्य तथा वर्ष 2012-13 हेतु आर्थिक लागत का उपयोग किया जाता है।

समिति की सिफारिश

2.5 समिति नोट करती है कि इस विधेयक का आशय हकदारी को अधिकतम 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या तक सीमित रखना है बशर्ते कि 46% ग्रामीण और 28% शहरी से अधिक जनसंख्या को प्राथमिकता वाले परिवार घोषित न किया जाए। समिति को सूचित किया गया है कि खाद्यान्नों के उत्पादन और खरीद के वर्तमान स्तरों को ध्यान में रखते हुए इस कवरेज का प्रस्ताव किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि गत पांच वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की औसत खरीद 602.4 लाख टन रही है जो औसत वार्षिक उत्पादन का लगभग एक-तिहाई है। डा० सी० रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया था कि बड़ी खरीद से खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होने का खतरा था। इसलिए समिति ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आबादी और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत आबादी के प्रस्तावित कवरेज से सहमत है।

समिति को यह सुनिश्चित किया गया है कि प्राथमिकता परिवार विद्यमान बीपीएल (एएवाई श्रेणी सहित) का विस्तारित रूप होगा। तथापि, समिति महसूस करती है कि 46 प्रतिशत की ग्रामीण और 28 प्रतिशत की शहरी आबादी की अधिकतम सीमा अधिरोपित करने से, 29 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 22 प्रतिशत शहरी आबादी ऐसी होगी जो सामान्य परिवार के रूप में मानी जाएगी जिनके लिए प्रति-व्यक्ति प्रतिमास 3 कि०ग्रा० की पात्रता का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, कुछ विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुसार, किसी व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए 3 कि०ग्रा० प्रतिव्यक्ति प्रतिमास की मात्रा बहुत कम है। समिति यह समझती है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 5 कि०ग्रा० और 7 कि०ग्रा० प्रतिव्यक्ति की पात्रता के साथ एकल श्रेणी के रूप में 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर करने के लिए खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता क्रमश: 568.02 लाख टन और 763.23 लाख टन होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गत 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक खरीद 602.4 लाख टन रही है, 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिमास 7 कि०ग्रा० की दर से अनुमानित खाद्यान्न आवश्यकता व्यावहारिकता के दायरे से बाहर होगी। तथापि, समस्त कवर्ड आबादी के लिए 5 कि०ग्रा० प्रतिव्यक्ति प्रतिमास की दर से खाद्यान्न

आवश्यकता का प्रबंध किया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार करते हुए कि एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए 3 कि॰ग्रा॰ प्रतिव्यक्ति प्रतिमास पर्याप्त नहीं है और औसत वार्षिक खरीद स्तर को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि विधेयक में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल की जाने वाली आबादी 5 कि॰ग्रा॰ प्रतिव्यक्ति प्रति मास की दर से एकरूप पात्रता के साथ एक एकल श्रेणी के रूप में मानी जाए।

2.6 समिति यह भी पाती है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में समूची अथवा लगभग समूची जनसंख्या को शामिल किया गया है। इस प्रकार, विधेयक के अंतर्गत प्रस्तावित 'कवरेज' इन राज्यों की जनसंख्या के वर्तमान 'कवरेज' से कम है। समिति कुछ राज्य सरकारों के इस मत का समर्थन करती है कि भारत जैसे संघीय राज्य में जहां राज्यों का लोगों के साथ निकट और सीधे सम्पर्क होता है, वहां राज्यों के भीतर कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और उनके कार्यान्वयन का विकल्प राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अतः समिति के सामने प्रस्तुत मतों/सुझावों पर विचार करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि राज्य सरकारों को प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अपने संसाधनों में से निर्धारित संख्या से ज्यादा कवरेज देने की छूट दी जाए ताकि ज्यादा आबादी कवर की जा सके, परन्तु ये संख्या प्रस्तावित विधेयक में यथा विचारित आबादी से कम न हो। इसके अलावा, समिति का मत है कि इन निष्कासन अनुपातों को राज्यों में उचित ढंग से वितरित किया जाए। यदि प्रत्येक राज्य में एकरूप निष्कासन अनुपात लागू किए जाते हैं, तो सबसे निर्धन राज्यों के साथ अनुचित होगा और इससे विधेयक का प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा। अत:, समिति सिफारिश करती है कि पारदर्शी ढंग से राज्य-वार निष्कासन अनुपात निर्धारित करने का सरल और उचित माध्यम निर्धारित किया जाए जिससे कि आबादी के विद्यमान कवरेज को बनाए रखा जा सके और सरकार ग्रामीण आबादी में 25 प्रतिशत और शहरी आबादी में 50 प्रतिशत का इस प्रकार कट-ऑफ निर्धारित करे कि यह राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित कट-ऑफ से ऊपर हो और लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत अंतर-राज्य खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, खाद्यान्नों के आबंटन में इससे गिरावट आती है, तो केन्द्रीय सरकार उस राज्य को कार्यकारी आदेश के माध्यम से विद्यमान आबंटन की रक्षा करे और इस प्रकार उस राज्य के हितों की रक्षा करे।

ख. लाभार्थियों की पहचान हेतु दिशानिर्देश

2.7 विधेयक में प्राथमिकता वाले तथा सामान्य परिवारों को खंड 15 के अंतर्गत चिह्नित किए गए परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। विधेयक की धारा 15 यह प्रावधान करती है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले परिवारों तथा सामान्य परिवारों से संबद्ध व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या के भीतर राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए। इस प्रावधान को लाभग्राहियों की पहचान हेतु जारी सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी) के मद्देनज़र रखा गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया है कि ग्रामीण विकास (आरडी) मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन (एचयूपीए) मंत्रालय तथा योजना आयोग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्नों को प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु लाभग्राहियों की पहचान में भूमिका है। ग्रामीण विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय क्रमशः ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 कर रहे हैं। इस संबंध में दिनांक 3.10.2011 को जारी योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं हेतु देश में ग्रामीण परिवारों की पात्रता तथा हकदारी का निर्धारण एसईसीसी, 2011 सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने तथा उनके विश्लेषण के पश्चात् किया जाएगा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग एसईसीसी, 2011 सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् लाभग्राहियों की पहचान हेतु पद्धति पर सहमति बनाने के लिए राज्यों, विशेषज्ञों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के साथ परामर्श करेंगे। खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतिम रूप के प्रावधानों के साथ इस पद्धति की संगतता को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाएगी।

2.8 विभाग ने आगे बताया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सामाजिक-आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण (एसईसीसी), 2011 की प्रगति पर सचिव स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के साथ चर्चा की है। ग्रामीण विकास विभाग ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को सूचित किया है कि लगभग 68% सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। गणना पूरी होने के पश्चात् विश्लेषण और प्रकाशन की प्रक्रिया और आपत्तियां और अपील आदि आमंत्रित किए जाएंगे। इन सभी में समय लगेगा, इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय समय-सीमा में पूरा करने की स्थिति में नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया था कि राज्यों से उन मामलों की स्थितियों की वास्तविक जांच के लिए कहा गया है जिन्हें स्वतंत्र शामिल प्रक्रिया में कवर किया जाएगा।

2.9 समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार

ग्रामीण विकास मंत्रालय: मुख्य मुद्दा लोगों को चिह्नित करना है जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के द्वारा लाभान्वित होने की संभावना है। हम अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग हैं क्योंकि जो प्रक्रिया हम आरंभ कर रहे हैं वह न केवल इस अधिनियम के अंतर्गत बल्कि विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों के अंतर्गत व्यक्तियों की पात्रता का निर्धारण करेंगे। मंत्रालय ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हम परम्परागत रूप से अनेक लाभान्वितमुखी योजनाएं चला रहे हैं हमने मानदंड तैयार किए हैं जिसके आधार पर हम प्रत्येक योजना के अंतर्गत शामिल किए गए अथवा शामिल नहीं किए गए कतिपय श्रेणी के लोग और यह हमारे आवधिक बीपीएल सर्वेक्षण में परिलक्षित होते हैं। यह प्रत्येक योजना अवधि के आरंभ में किया जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तैयार करते समय सीमित आवाजाही अगम्य सूचना और संचार सहित विभिन्न कारणों से गम्य सुविधाओं सहित नि:शक्त व्यक्तियों से जुड़े मुद्दों पर उचित विचार किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नि:शक्त, एकल महिला और आश्रित, विधवा, बुजुर्ग, निराश्रित और बेघर, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं और विद्यालय जाने वाले शिशु (6 वर्ष से कम आयु के) को राज्य/क्षेत्र/जिला अथवा प्रशासनिक इकाइयों के निचले स्तर पर जनसंख्या में उनके अनुपात अनुसार अनिवार्य रूप से प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह समाज के अत्यधिक कमजोर वर्ग का लगभग तीन-चौथाई है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय: लाभार्थियों की पहचान के लिए एक पृथक आयोग अथवा समिति की आवश्यकता नहीं है। पहचान स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनजातीय ग्रामों/बसावटों के द्वारा किया जाना चाहिए। विधेयक दो श्रेणियों के लिए प्रदान किया गया है। परन्तु मंत्रालय यह महसूस करता है कि दूरदराज/अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।

असम राज्य सरकार: गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाना चाहिए।

केरल राज्य सरकार: गरीबी का आकलन संयुक्त रूप से भारत सरकार और राज्य सरकारों को शामिल कर परामर्शी तंत्र के आधार पर किया जाना चाहिए और राज्यों में गरीबी का वास्तविक निर्धारण स्थानीय स्व-सरकारों को शामिल कर किया जाना चाहिए।

ओडिशा राज्य सरकार: गरीबी अनुपात के निर्धारण में राज्य की भूमिका को नहीं देखा गया। यदि केन्द्रीय सरकार गरीबी अनुपात का निर्धारण करती है और राज्य को सम्मिलित किए बिना वरीयता और सामान्य परिवारों की संख्या को अंतिम रूप दिया गया है, राज्य सरकार लाभार्थियों की पहचान के संबंध में इस क्षेत्र में एनएफएस बिल के उपबंधों के कार्यान्वयन में समस्याओं का सामना करेगी।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण: वरीयता परिवारों के सदस्यों की एक बार पहचान किए जाने के बाद 'आधार' संख्या आवंटित की जाए और तदनुसार 'आधार' संख्याओं के साथ पीडीएस डाटाबेस अद्यतन किया जाए।

विश्व खाद्य कार्यक्रम: लाभार्थियों की पहचान पारदर्शी होनी चाहिए और तर्कपूर्ण होनी चाहिए और अंतरों को हिसाब से लेने के लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। इसमें अपवर्जन हेतु स्पष्ट निर्धारित मापदंड होने चाहिए और शेष को देश में समान रूप से अधिकृतता मिलनी चाहिए।

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ: प्रस्तावित विधेयक इन लक्ष्यों हेतु और श्रेणियां निर्मित करता है जैसे-'वरीयता परिवार', 'सामान्य परिवार', 'भुखमरी में रह रहे लोग', 'विशेष समूह', 'निराश्रित व्यक्ति', 'आवास-रहित व्यक्ति' इत्यादि। यह स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी श्रेणी स्पष्ट रूप में किसी वर्ग में नहीं डाली जा सकती और इसके कारण अनंत त्रुटियां हो सकती हैं।

श्री एन॰ के॰ सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा): विधेयक प्रत्येक बच्चे, महिला और व्यक्ति को समर्थ बनाए कि अपने मूल अस्तित्व हेतु कैलोरिफिक आवश्यकता के लिए पहुंच मात्र से परे स्वास्थ्य और उत्पादक जीवन हेतु अवसर प्राप्त कर सके।

श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा): एपीएल /बीपीएल बटवारा और योजना आयोग द्वारा इनकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाविधि की उच्चतम न्यायालय सहित व्यापक आलोचना हुई। वर्तमान विधेयक एपीएल और बीपीएल का नया नामकरण सामान्य और वरीयता वर्गों के रूप में करता है परंतु बीपीएल और एपीएल जनसंख्याओं पर रोक लगाने की अत्यधिक संहेदास्पद विधि को कायम रखा गया है।

उच्चतम न्यायालय का मत है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नि:शक्त व्यक्तियों, विधवाओं, महिला मुखिया परिवारों को अंत्योदय श्रेणी में सम्मिलित करना चाहिए। जैसाकि ज्ञात है कि अंत्योदय श्रेणी में सम्मिलित किए जाने से भिन्न, इनमें से अधिकतर वर्ग वास्तव में बीपीएल श्रेणी में भी सम्मिलित नहीं किए गए हैं जैसाकि एनएसएस आंकड़ों में दर्शाया गया है।

श्री जीन ड्रेज, मानद् प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स और सुश्री रीतिका खेड़ा, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी, दिल्ली: बीपीएल परिवारों की पहचान करने हेतु कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। यह हिट एंड मिस तरीका है, कई बार गरीब लोग इसमें सम्मिलित नहीं होते, जोकि इस प्रकार के विधेयक में स्वीकार्य नहीं है। यह अविश्वसनीय, विभाज्य और अव्यावहारिक है और यहां तक कि इससे भी बुरा है। इसकी तीन श्रेणियां है और इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि इन श्रेणियों की पहचान कैसे की जाएगी।

अपवर्जन मानदंड को राज्य सरकारों के लिए छोड़िए। कई राज्यों में वे अपने संसाधनों का प्रयोग पीडीएस विस्तार के लिए करेंगे, जोकि काफी अच्छी बात होगी। यह निर्णय राज्यों पर छोड़ दीजिए कि क्या वे इसे और विस्तार देना चाहते हैं और इसे उन पर छोड़ना चाहते हैं कि वे अपवर्जन मापदंड को परिभाषित और लागू करें क्योंकि राष्ट्रीय मापदंड बनाना काफी कठिन है।

2.10 दिनांक 2 मार्च, 2012 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित संक्षिप्त जानकारी बैठक के दौरान समिति ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 की प्रगति जानने की इच्छा व्यक्त की। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने समिति को निम्नानुसार सूचित किया:–

> ''एसईसीसी को जून, 2011 में प्रारंभ किया गया था। हमने कई राज्यों में प्रगति की हैं कुछ राज्यों में प्रगति काफी अच्छी रही है। कई मामलों में प्रगति में अभी तेजी आनी है। कुछ राज्यों में यह लगभग शून्य है। बिहार में यह काफी कम है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण वे इसे प्रारंभ करने में ही समर्थ नहीं हुए हैं। वे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् ही प्रारंभ करेंगे। यह वास्तव में जनगणना की प्रगति है।
>
> हमारी जनगणना में हम ऐसी प्रणाली अपनाते हैं जिसमें पहले हम सारा डाटा लेते हैं और फिर हमारे पास अपवर्जन संकेतकों का एक सेट होता है। ऐसे लोग जिनके पास एक निश्चित प्रकार की परिसंपत्तियां और एक निश्चित प्रकार की आय हो उन्हें लाभों को दिए जाने में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हम एक समावेशन श्रेणी भी चाहते हैं जो अन्य किसी वंचन पर ध्यान न देते हुए सरकार के समग्र सामाजिक-आर्थिक नीति की दिशा के कारण शामिल होनी चाहिए। समावेशन श्रेणी आश्रय सहित, मलिन बस्तियों में रह रहे निराश्रित, हाथ से मैला ढोने वाले, प्राचीन जनजातीय समूह और कानूनी रूप से छोड़े गए बंधुआ मजदूरों की होनी चाहिए; चाहे उनका अन्य दर्जा कुछ भी हो। जब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा, हम उन्हें शामिल मानेंगे। चूंकि इन दो श्रेणियों को बना दिया गया है, शेष व्यक्तियों का वर्गीकरण हमारे द्वारा वंचन संकेतक कहे जाने वालों के रूप में किया जाएगा।''

2.11 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए, सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्नवत् बताया:–

मेरे मस्तिष्क में जो बात सबसे पहले आती है वह है लाभार्थियों का सर्वेक्षण और पहचान। हम ग्रामीण विकास विभाग और आवास एवं गरीबी उपशमन विभाग के निरंतर संपर्क में हैं। हम उन्हें निरंतर लिखते रहते हैं और उनसे मिलते रहते हैं । हमें बताया गया है कि जनवरी, 2012 अंतिम सीमा है परंतु बाद में बताया गया कि यह संभवत: जुलाई की समाप्ति तक पूरा होगा। यदि आप मुझे आज पूछें तो मैं सौ प्रतिशत आश्वस्त नहीं हूं कि क्या यह कार्यवाही जुलाई की समाप्ति तक भी पूरी होगी।

सचिव ने मुद्दे का और विस्तार करते हुए निम्नवत् बताया:-

मैं बताना चाहूंगा कि सरकार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना भी सम्मिलित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस चालू एसईसीसी के साथ संयोजन कर रहा है और देश में ग्रामीण परिवारों के सामाजिक आर्थिक संसूचकों की संख्या पर सूचना एकत्रित कर रहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु ग्रामीण परिवारों की पात्रता और अधिकृतता के निर्धारण हेतु प्रक्रिया-विधि का निर्धारण इस सर्वेक्षण के परिणामों के उपलब्ध होने पर और विश्लेषित किए जाने के बाद किया जाएगा। यह प्रक्रिया विधि खाद्य सुरक्षा विधेयक के उपबंधों के साथ संगत है यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाएगी। लाभार्थियों की पहचान के मुद्दे की अंतिम तस्वीर प्रक्रिया के पूरा होने पर सामने आएगी।

समिति की सिफारिश

2.12 समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्न लेने वाले लाभार्थियों की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी क्षेत्रों में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के सहयोग से सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 कराकर की जा रही है। केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अर्हता और हकदारी का निर्धारण सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 सर्वेक्षण के परिणाम आने और उनके विश्लेषण के पश्चात् किया जाएगा। एसईसीसी, 2011 के पूरा होने के पश्चात् यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थियों की पहचान की विधि खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतिम रूप के अनुसार है, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। समिति को यह नोट करके दुख हुआ है कि अब तक मुश्किल से 69 प्रतिशत सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ है और ऐसी कोई भी समय-सीमा निर्धारित नहीं है कि सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा। अत:, समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि लाभार्थियों की पहचान से संबंधित कार्य में अविलंब तेजी लाई जाए। पहचान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को लगातार ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के संपर्क में रहना चाहिए ताकि लाभार्थियों की पहचान की धीमी प्रगति के कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन में विलंब न हो। समिति कुछ राज्य सरकारों के इस मत से सहमत है कि गरीबी अनुपात निर्धारित करने में

राज्य की भूमिका पर ध्यान नहीं दिया गया है और महसूस करती है कि अपवर्जन और समावेशन हकदारी संबंधी मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने चाहिए। अतः, समिति की इच्छा है कि लाभार्थियों की पहचान के प्रयोजनार्थ गरीबी अनुमान राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किए जाने चाहिए। तद्नुसार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित खंडों/उपबंधों को संशोधित करना चाहिए।

समिति यह भी नोट करती है कि लाभार्थियों की पहचान के लिए विधेयक में अपवर्जन मानदंड, समावेशन मानदंड, स्वचालित वंचन संकेतकों को विहित किया गया है जो अत्यंत अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, समावेशन तथा अपवर्जन मानदंडों को विधेयक में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है तथा उक्त के लिए अभी सरकार द्वारा दिशानिर्देश विहित किए जाने हैं। समिति यह भी नोट करती है कि लाभार्थियों की पहचान के लिए कोई वैज्ञानिक अथवा सुस्थापित तंत्र नहीं है और श्रेणियों की बहुलता तथा, प्राथमिकता वाले परिवार, सामान्य परिवार, भुखमरी की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति, विशेष समूह, निराश्रित व्यक्ति, बेघर व्यक्ति आदि से ज्यादा भ्रम होता है। इसके अलावा समिति को व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों यथा अ॰ज॰/अ॰ज॰जा॰, नि:शक्त व्यक्ति, विधवा/महिला मुखिया वाले परिवार आदि को लाभार्थियों के रूप में शामिल करने के लिए मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विशेषज्ञों से सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। अतः, समिति महसूस करती है कि उपरोक्त उल्लेखानुसार, विधेयक में श्रेणियों की बहुलता का होना वांछनीय नहीं है, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल होगी। अतः, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि पहचान प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, तर्कसंगत एवं एक ठोस तर्क पर आधारित होनी चाहिए। समिति तदनुसार यह सिफारिश करती है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 25% जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्र में 50% जनसंख्या के अपवर्जन हेतु राज्य सरकारों के साथ परामर्श से एक स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंड बनाने पर विचार करे और शेष जनसंख्या अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में 75% तथा शहरी क्षेत्रों में 50% जनसंख्या को बिना किसी विभेद के समान रूप से अपनी पात्रता मिलनी चाहिए।

ग. खाद्यान्नों का उत्पादन और खरीद

2.13 प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत खाद्यान्नों की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए, खाद्यान्नों का उत्पादन और खरीद बढ़ाना आवश्यक है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने का अर्थ यह होगा कि वार्षिक खरीद स्तर को 65 मिलियन टन तक बढ़ाया जाए। खाद्यान्नों का उत्पादन और खरीद में यह अधिकतर वृद्धि गैर-पारंपरिक खरीद राज्यों से आएगी, विशेषकर पूर्वी राज्यों में, चूंकि मुख्य खरीद राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन और खरीद पहले ही संस्तृप्ति स्तर पर पहुंच चुकी है, चूंकि खाद्यान्न का अधिकतर बाजार-योग्य अतिरेक इन्हीं राज्यों में पहले ही खरीदा जा रहा है। अतः, खाद्यान्नों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए उभर रहे खरीद राज्यों से खरीद को बढ़ाना होगा। नए उभर रहे खरीद राज्यों में से छत्तीसगढ़ चावल के मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उभरा है जबकि मध्य प्रदेश और ओडिशा भी अपने अत्यधिक अधिशेष खाद्यान्न केन्द्रीय पूल में दे रहे हैं। कम उत्पादन वाले राज्यों, विशेषकर पूर्वी राज्यों में चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के साथ-साथ बाजार-योग्य अधिशेष में सुधार के लिए उर्वरक/सिंचाई के प्रयोग में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

2.14 जब यह पूछा गया कि सरकार द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, कृषि मंत्रालय ने बताया कि कृषि मंत्रालय द्वारा देश के पूर्वी भागों में चावल उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 'हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना' नामक एक विशेष योजना प्रारंभ की गयी। खरीद को बढ़ाने के लिए, गैर-पारंपरिक खरीद राज्यों को अपनी खरीद मशीनरी को उपयुक्त संस्थागत तंत्र को निर्मित कर विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली (डीसीपी) को अंगीकृत और भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के संघ द्वारा प्रदान खाद्य क्रेटिड सुविधाओं की लेवरेजिंग करके अपनी मशीनरी को मजबूत करने का है। इन राज्यों को खरीद बढ़ाने के लिए चावल निकालने वाली मशीनो में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है।

2.15 समिति को सूचित किया गया है कि कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) ने खाद्यान्नों की आवश्यक मात्राओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए परामर्श प्रक्रिया के दौरान खााद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को सुझाव दिया था कि यह केन्द्रीय और राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वह अन्य के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ सुनिश्चित निधियन और नीतिगत सहायता के समन्वय से समग्र ढंग में कृषि के उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त किया जाए। इसमें अन्यों के अतिरिक्त निम्नांकित सम्मिलित है:-

(क) छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उपायों के माध्यम से कृषि सुधार;

(ख) अनुसंधान और विकास, विस्तार सेवाओं, अति लघु एवं लघु सिंचाई और विद्युत सहित कृषि में निवेश में वृद्धि;

(ग) लाभकारी मूल्यों, ऋण, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा आदि को सुनिश्चित करना; और

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अनुचित अन्यत्र उपयोग पर प्रतिबंध।

2.16 आगे यह भी बताया गया कि कृषि उत्पादन खाद्य सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक है और आज इस पर जितना ध्यान दिया जा रहा है उससे अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र में योजना आवंटन भावी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यह आवंटन कुल खाद्य सब्सिडी का मात्र 30% है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् इसे कुल खाद्य सब्सिडी के 25% से कम किया जाएगा। यद्यपि प्रस्तावित मसौदे में कृषि के पुनरुत्थान का उल्लेख किया गया है, किंतु सभी नागरिकों को खाद्य का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.17 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खरीद के वर्तमान स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा, विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में खाद्यान्नों की आवश्यकता लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण स्कीमों के तहत अनुमानित आवश्यकता से थोड़ी-सी ही अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए बाद के वर्षों में खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता भी हाल के वर्षों में की गई गेहूं और चावल की खरीद के स्तर के भीतर है।

2.18 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह भी बताया कि वर्ष 2009-10 तक किसी वर्ष के दौरान गेहूं और चावल की खरीद का स्तर वर्ष 2008-09 में सबसे अधिक 59.5 मिलियन टन था। तथापि गत दो वर्षों में खरीद का रिकॉर्ड स्तर रहा। वर्ष 2010-11 में यह खरीद 62.5 मिलियन टन तक

पहुंच गयी, जो उत्पादन का 34.2 प्रतिशत थी। वर्ष 2011-12 के दौरान गेहूं और चावल की खरीद 73.2 मिलियन टन रही है जो उत्पादन का लगभग 37% है। यद्यपि खरीद में दीर्घावधि रुझान कम रहा है, किंतु हाल के वर्षों में प्रतिशत उत्पादन की तुलना में औसत वार्षिक खरीद 30 प्रतिशत से अधिक रही है। वर्ष 2000-01 से 2006-07 के दौरान औसत वार्षिक खरीद 38.22 मिलियन टन अर्थात् जो कि औसत उत्पादन का 24.3% थी से बढ़कर वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान 56.99 मिलियन टन अर्थात उत्पादन का 32.2% हो गयी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान खरीद गेहूं और चावल के उत्पादन के 37.2% तक पहुंच गयी। इसलिए, वर्तमान खरीद स्तर पर एनएफएसबी के तहत खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करना संभव होगा। फिर भी खरीद के इस स्तर को बनाए रखना होगा। जैसा कि खरीद हेतु पंजाब और हरियाणा जैसे परंपरागत राज्यों में खरीद का स्तर संतृप्त होने से अब विशेषकर असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे पूर्वी भारत के अन्य राज्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार खरीद को बढ़ाने के लिए एमएसपी में वृद्धि, विकेन्द्रीकृत खरीद स्कीम आदि को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने जैसे अन्य कदम भी उठा रही है।

2.19 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन के लिए खाद्यान्नों की खरीद में वृद्धि करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि केन्द्र सरकार एफसीआई और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि करती है। विनिर्दिष्ट केन्द्रों पर बिक्री के लिए दिए गए निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप सभी खाद्यान्नों की खरीद सरकारी प्रापण एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। किसानों के पास न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एफसीआई/राज्य एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभदायक हो, अपने उत्पाद को बेचने का विकल्प होता है।

2.20 प्रत्येक विपणन सत्र के शुरू होने के पूर्व खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग आगामी विपणन सत्र में खरीद की व्यवस्था करने के लिए विस्तृत कार्य-योजना तैयार करने के लिए राज्य खाद्य सचिवों, भारतीय खाद्य निगम और अन्य पणधारकों की बैठक आयोजित करता है। खोले जाने वाले खरीद केन्द्रों की संख्या तथा पैकेजिंग सामग्री और भंडारण स्थान की खरीद जैसी व्यवस्था के बारे में इस बैठक में चर्चा की जाती है।

2.21 संबंधित राज्य की खरीद क्षमता और भौगोलिक फैलाव को ध्यान में रखते हुए, प्रापण सत्र शुरू होने से पहले एफसीआई/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श से पर्याप्त संख्या में प्रापण केन्द्र खोले जाते हैं। प्रापण सत्र के दौरान अतिरिक्त प्रापण केन्द्र, यदि कोई हो, की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अपेक्षित अतिरिक्त प्रापण केन्द्रों को भी खोला जाता है। एफसीआई और राज्यों को किसानों की सुविधा वाली जगहों पर प्रापण केन्द्रों को खोलने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं, जहां वे सरकारी प्रापण हेतु अपने उत्पाद को ला सके।

2.22 सहकारी समितियों और स्व-सहायता समूहों द्वारा खरीद के लिए कमीशन शुल्क को वर्ष 2009-10 से बढ़ाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का 2.5% कर दिया गया है ताकि विशेषकर उन राज्यों, जहां विपणन अवसंरचना पूर्णत: विकसित नहीं है, में छोटे और सीमांत किसानों से खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उपाय से विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य तक पहुंच में मदद मिलेगी।

2.23 राज्य सरकारों को खरीद हेतु विकेन्द्रीकृत प्रापण प्रणाली (डीसीपी) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि प्रापण को अधिकतम किया जाए और एमएसपी परिचालन की पहुंच में बढ़ोतरी की जा सके। इस प्रणाली के तहत राज्य सरकार स्वयं ही खाद्यान्नों का प्रापण और वितरण करती है। राज्य की आवश्यकता से अधिक खरीद की मात्रा को अन्यत्र वितरण करने के लिए केन्द्रीय पूल में लिया जाता है, जबकि कमी को केन्द्रीय पूल से पूरा किया जाता है। डीसीपी प्रणाली को 1997 में लागू किया गया था। धान/चावल के लिए प्रापण की डीसीपी प्रणाली को जिन राज्यों ने अपनाया है वे हैं—छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुजरात, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल गेहूं के लिए डीसीपी राज्य हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2012-13 से केएमएस के डीसीपी प्रापण मोड को अपनाने पर सहमति दी है।

2.24 समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार

असम राज्य सरकार: वर्तमान में एफसीआई राज्य से धान की खरीद कर रहा है। राज्य सरकार नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना पर विचार कर रही है, जो राज्य में खाद्यान्नों की खरीद करेगा।

श्री जीन ड्रेज, मानद् प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स और सुश्री रीतिका खेड़ा, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी, दिल्ली: इस विधेयक के लिए कई कारणों से परिस्थितियां वास्तव में ही बहुत अच्छी हैं। एक तो यह है कि खाद्यान्नों के खरीद स्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वस्तुत: पिछले 20 वर्षों में खाद्यान्न खरीद में प्रतिवर्ष लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हुआ यह है कि खरीद के अनुरूप वितरण नहीं हुआ है और यही खाद्यान्न भंडार में इतनी ज्यादा वृद्धि का प्रमुख कारण है। मुझे विश्वास है कि आप सभी यह जानते हैं कि खाद्यान्न का भंडार अब 80 मिलियन टन से ऊपर जा चुका है जो कि पूरी तरह अभूतपूर्व है। अत:, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना बहुत जरूरी है।

समिति की सिफारिश

2.25 समिति नोट करती है कि वर्ष 2010-11 में गेहूं तथा चावल की अधिप्राप्ति 62.5 एमटी थी अर्थात् उत्पादन का 34.2% जोकि वर्ष 2011-12 में 73.2 एमटी हो गया था अर्थात् उत्पादन का लगभग 37%। औसत वार्षिक अधिप्राप्ति वर्ष 2000-01 से 2006-07 के दौरान 38.22 एमटी से बढ़कर वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान 56.99 एमटी हो गई थी अर्थात् उत्पादन का 32.88 प्रतिशत। इस प्रकार, यद्यपि गेहूं तथा चावल के उत्पादन के 37% की अधिप्राप्ति के वर्तमान स्तर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करना संभव हो सकेगा, इसका अभिप्राय यही है कि औसत वार्षिक अधिप्राप्ति स्तर को बनाए रखना होगा ताकि आने वाले वर्षों में खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। समिति यह भी नोट करती है कि प्रमुख उत्पादक राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादन तथा अधिप्राप्ति अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी है और खाद्यान्नों की अतिरिक्त आवश्यकता को उभरते हुए उत्पादक राज्यों से प्राप्त करना होगा, जैसे कि छत्तीसगढ़, जो चावल के सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में उभर कर आया है और मध्य प्रदेश तथा ओडिशा, जो केन्द्रीय पूल में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न दे रहे हैं। समिति आगे यह भी नोट करती है कि देश के पूर्वी हिस्सों में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि मंत्रालय को ''पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना'' नामक एक विशेष योजना प्रारंभ करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, छोटे तथा सीमांत किसानों से अधिप्राप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2009-10 से न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5 प्रतिशत की राशि की सहकारी समितियों तथा स्व-सहायता

समूहों द्वारा अधिप्राप्ति हेतु कमीशन प्रभारों में वृद्धि और राज्यों द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना को अपनाने आदि के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने जैसे अन्य कदम उठा रही है। कृषि मंत्रालय के इस मत से सहमत होते हुए कि कृषि उत्पादन भोजन सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, समिति यह महसूस करती है कि कृषि के पुनरुद्धार के लिए कृषि हेतु योजनागत आवंटन भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। अत:, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के साथ परामर्श से कृषि क्षेत्र में निधियों के अधिक आवंटन हेतु मामले को योजना आयोग के साथ उठाए।

तथापि, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि वर्ष 1997 में प्रारंभ की गई डीसीपी योजना को अभी तक बहुत कम राज्यों द्वारा अपनाया गया है और अधिकांश राज्यों द्वारा अभी भी इस योजना को अपनाया जाना शेष है। समिति यह महसूस करती है कि अधिप्राप्ति में वृद्धि करने के लिए गैर-परम्परागत अधिप्राप्ति राज्यों द्वारा उचित संस्थागत तंत्र बनाकर और विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (डीसीपी) अपनाकर तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं बैंकों के संघ द्वारा पेशकश की गई खाद्य ऋण सुविधाओं का भी लाभ उठाकर अपने अधिप्राप्ति तंत्र को सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। समिति इस बात पर भी बल देना चाहेगी कि खाद्यान्नों के उत्पादन एवं अधिप्राप्ति के न केवल वर्तमान स्तर को बनाए रखे बल्कि आने वाले वर्षों में उसमें वृद्धि करने के लिए सतत तथा पुरजोर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का क्रियान्वयन खाद्यान्नों की कमी से प्रभावित नहीं हो। अत:, समिति सिफारिश करती है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग आने वाले वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन तथा अधिप्राप्ति में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कृषि मंत्रालय, आरबीआई आदि के साथ परामर्श से सक्रिय कदम उठाए।

घ. खाद्यान्नों का भंडारण

2.26 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए देश के सभी भागों में खाद्यान्नों के पर्याप्त और समुचित भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता आवश्यक है। अत:, समिति ने देश में वर्तमान में उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता और उस अतिरिक्त भंडारण क्षमता के बारे में जानना चाहा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। इसके प्रत्युत्तर में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह बताया है कि 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता 373.43 लाख मीट्रिक टन है जिसमें कवर्ड सीएपी स्वामित्व वाली और किराए की भंडारण क्षमता शामिल है। इसका विभाजन इस प्रकार है:-

कवर्ड			सीएसी			सकल योग
स्वामित्व वाली	किराए वाली	कुल	स्वामित्व वाली	किराए वाली	कुल	
130.12	205.66	335.78	26.37	11.28	37.65	373.43

2.27 इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पूल स्टॉक के भंडारण हेतु राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के पास 341.35 लाख एमटी (कवर की गई क्षमता—194.17 एलएमटी और सीएपी—147.18 एलएमटी) की है। इस प्रकार एफसीआई तथा राज्य एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल स्टॉक हेतु उपलब्ध कुल भंडारण

क्षमता 714.78 लाख एमटी की है। 1.12.2012 के अनुसार केंद्रीय पूल के अंतर्गत स्टॉक धारण (गेहूं +चावल) 682.59 लाख एमटी है। इसमें लगभग 150.04 लाख एमटी चावल शामिल है जो धान के रूप में है (67 प्रतिशत उत्पादन की दर से 223.94 लाख एमटी धान में से निकाला जाना है) यह धान (150.04 लाख एमटी) मुख्यत: चावल मिल मालिकों के पास रखा गया है।

2.28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम का मुख्य कार्य खरीद करना, बफर स्टॉक का रखरखाव और खाद्यान्नों का वितरण करना है। पिछले पांच वर्षों से बफर स्टॉक के अंतर्गत एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं हेतु खाद्यान्नों के वितरण के लिए खरीद आवश्यकता से काफी अधिक है। अत:, इस समय मुख्य चिंता खरीदे गए खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता की पर्याप्तता है जो उक्त पैरे में दिए गए विवरण के अनुसार पर्याप्त/ प्रबंधनीय है।

20.4.2005 से बफर स्टॉक के मानक इस प्रकार हैं:—

की स्थिति	बफर मानक			रणनीतिक भंडार		सकल योग
के अनुसार	चावल	गेहूं	कुल	चावल	गेहूं	
पहली अप्रैल	122	40	162	20	30	212
पहली जुलाई	98	171	269	20	30	319
पहली अक्तूबर	52	110	162	20	30	212
पहली जनवरी	118	82	200	20	30	250

2.29 तथापि, भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता मुख्यत: उत्तरी क्षेत्र में स्थित खरीद केंद्रों के आसपास है। कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता में से उत्तरी क्षेत्र में लगभग 58 प्रतिशत, दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 13 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र में लगभग 7 प्रतिशत और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 1 प्रतिशत से कम कुल भंडारण क्षमता उपलब्ध है। जैसा कि ऊपर बताया गया है लगभग 65 प्रतिशत भंडारण क्षमता मुख्यत: पांच खरीद करने वाले राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है जबकि लगभग 9 प्रतिशत भंडारण क्षमता खरीदारी में नए उभरते पांच राज्यों बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। चूंकि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में हरित क्रांति विस्तार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है, इसलिए यह ध्यान देने योग्य क्षेत्र बन गया है। भारतीय खाद्य निगम ने पूर्वी राज्यों और खरीदारी में नए उभरते राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि में भंडाारण के संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित किया है। कुल भंडारण क्षमता का 26 प्रतिशत खाद्यान्नों की खपत करने वाले राज्यों में उपलब्ध है।

2.30 वर्तमान में कुछ राज्य जैसे झारखंड और हिमाचल प्रदेश के पास अपनी एक महीने की आवश्यकता से भी कम की भंडारण क्षमता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों विशेष रूप से पूर्वोत्तर के क्षेत्र के पास दो महीने की आवश्यकता से कम की भंडारण क्षमता है। तथापि, पीईजी और प्लान स्कीम के माध्यम से इन राज्यों की संवर्धन क्षमता की ओर उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम द्वारा ज्यादा ध्यान दिया गया है।

2.31 अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता के बारे में विभाग का कहना था कि समग्र भंडारण क्षमता खरीद और भंडारण स्तर के आधार पर है जो कि पहले से ही बहुत उच्च स्तर पर है। यदि खाद्यान्न की खरीद का विद्यमान स्तर बनाए रखा जाए तो एनएफएसबी के अंतर्गत खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। तदनुसार यह संभावना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक के क्रियान्वयन से भंडारण आवश्यकता में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी भंडारण क्षमता के संवर्धन हेतु पहले ही आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सीएपी भंडारण पर निर्भरता को कम किया जा सके।

2.32 आगे यह भी सूचित किया गया कि विभाग उपभोग क्षेत्र में पीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं की 4 महीने की आवश्यकता के आधार पर देश में खाद्यान्न की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। खरीद के मामले में, आवश्यक भंडारण क्षमता का निर्णय लेने के लिए पिछले तीन वर्षों के अधिकतम भंडारण स्तर को ध्यान में रखा गया है। इन सिद्धांतों के आधार पर सरकार ने वर्ष 2008 में देश में कवर्ड भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना बनाई है।

2.33 अधिक भंडारण क्षमता उपलब्ध कराने के क्रम में, 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान एफसीआई द्वारा 5,88,350 मीट्रिक टन क्षमता का खाद्यान्न गोदाम सृजित करने का प्रस्ताव है। इसमें 5,37,140 मीट्रिक टन क्षमता सिक्किम सहित अकेले उत्तर-पूर्व क्षेत्र में और 51,220 मीट्रिक टन क्षमता उत्तर-पूर्व से इतर अन्य क्षेत्रों में है। दिनांक 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार इसमें से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 4570 मीट्रिक टन क्षमता सृजन का कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। राज्य-वार भंडारण क्षमता सृजित किए जाने का विवरण निम्नानुसार है—

राज्य का नाम	एमटी में प्रस्तावित क्षमता
असम	347000
अरुणाचल प्रदेश	19370
मणिपुर	40410
मेघालय	35000
मिजोरम	20000
नागालैंड	15000
त्रिपुरा	45000
सिक्किम	15000
ओडिशा	10000
महाराष्ट्र (गोवा)	20000
केरल	10000
हिमाचल प्रदेश	11220
कुल	588360

2.34 अधिकार-प्राप्त मंत्री समूह ने दिनांक 7.2.2012 की अपनी बैठक में पूरे देश में भण्डारगृहों के रूप में 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के सृजन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। पीईजी योजना (181.08 लाख मीट्रिक टन क्षमता) के अंतर्गत पहले ही आकलित की गई स्वीकृत क्षमता/भण्डारण अंतर को पूरा करने हेतु यह 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता के भण्डारगृह सृजित किए जाएंगे। एफसीआई के निदेशक बोर्ड ने दिनांक 20.3.2012 को हुई अपनी 344वीं बैठक में 20 लाख मीट्रिक टन भण्डार-गृहों की क्षमता के राज्य-वार वितरण को अंतिम रूप दिया। भण्डारगृहों के स्थान के बारे में राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर एफसीआई के निदेशक बोर्ड की दिनांक 19.7.2012 को हुई बैठक में भण्डारगृह स्थल को मंजूरी दी गई है।

2.35 विभाग ने आगे यह भी बताया कि पीईजी योजना के अंतर्गत निजी उद्यमियों और केंद्र तथा 19 राज्यों में भांडागार निगमों के माध्यम से 181.08 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता सृजित की जा रही है। एफसीआई ने लगभग 130 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता की मंजूरी पहले ही प्रदान कर दी है जिसमें से लगभग 96 लाख मीट्रिक टन क्षमता सृजन की मंजूरी उद्यमियों को दी गयी है। सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी को क्रमश: 6.5 लाख मीट्रिक टन और 27.5 लाख मीट्रिक टन की मंजूरी दी गयी है। लगभग 60 लाख मीट्रिक टन भण्डारण की क्षमता सृजित की जा रही है। वर्तमान में 38 लाख मीट्रिक टन क्षमता का कार्य पूरा हो चुका है जिसमें से 26 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता हस्तगत की जा चुकी है और शेष भंडारण क्षमता का भी जल्द ही उपयोग किए जाने की संभावना है। यह संभावना है कि इस योजना के तहत मार्च, 2013 तक 73 लाख मीट्रिक टन की संचित क्षमता का निर्माण पूरा करके हस्तगत कर लिया जाएगा। पीईजी योजना के तहत समग्र स्वीकृत क्षमता के अंतर्गत 10 राज्यों में भण्डारगृहों में 20 लाख मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता सृजित की जाएगी।

2.36 विभाग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 551.50 करोड़ रुपए की लागत से 5.74 लाख मीट्रिक टन (5.34 लाख मीट्रिक टन उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु और 40,000 मीट्रिक टन अन्यत्र) की भंडारण क्षमता के सृजन की योजना को भी अंतिम रूप दिया है। एफसीआई से भंडार लेने के पश्चात् तथा उचित मूल्य दुकानों से उसे टीपीडीएस लाभार्थियों को वितरित किए जाने के पूर्व खाद्यान्न के भंडारण हेतु राज्यों के उपयोगार्थ मध्यवर्ती भंडारण-स्थल के सृजन हेतु उनसे अनुरोध किया गया है।

2.37 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार: विद्यमान गोदाम स्थान के अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए गोदामों के निर्माण की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार से विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिक भंडारण सुविधा के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

असम राज्य सरकार: राज्य सरकार के पास भंडारण सुविधा की कमी, नागरिक आपूर्ति निगम का अभाव, कुशल जनशक्ति की कमी, ढुलाई की समस्या, धन की अड़चनें आदि जैसी अपेक्षित अवसंरचना नहीं है। राज्य सरकार ने 4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का अंतर चिह्नित किया है। भारतीय खाद्य निगम ने 3.40 लाख मीट्रिक टन के खाद्यान्न की सुविधा के सृजन के लिए योजना तैयार की है।

ओडिशा राज्य सरकार: हालांकि चावल के लिए उपलब्ध भंडारण स्थान अपर्याप्त है इसलिए डिपुओं का निर्माण किया जा रहा है तथा राज्य को आगामी दो वर्षों में पर्याप्त भंडारण सुविधा के सृजन की आशा है।

समिति की सिफारिश

2.38 **समिति यह नोट करती है कि 30.11.2012 को एफसीआई के पास उपलब्ध कवर की गई तथा सीएपी (स्वामित्व वाली तथा किराए पर ली गई) दोनों भंडारण क्षमता 373.43 लाख एमटी थी। केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) और अन्य एजेंसियों के स्वामित्व वाली क्षमता को मिलाकर देश में उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 716.60 लाख एमटी है। समिति को यह सूचित किया गया है कि यदि पहले से ही काफी उच्च स्तर पर होने वाले खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के विद्यमान स्तर को बनाए रखा जाए, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत खाद्यान्नों के भंडारण की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। तथापि, विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं की 4 माह की आवश्यकता के आधार पर देश में खाद्यान्नों हेतु भंडारण क्षमता के विस्तार की प्रक्रिया में है। अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमी गारंटी योजना (पीईजी) 2008 तैयार की है जिसके अंतर्गत 19 राज्यों में 181.08 लाख एमटी की क्षमता का निर्माण किया जा रहा है और जिसके लिए एफसीआई ने पहले ही लगभग 128.05 लाख एमटी की कुल भंडारण क्षमता को स्वीकृत भी कर दिया है। सीडब्ल्यूसी तथा एसडब्ल्यूसी को क्रमश: 6.6 लाख एमटी तथा 27.9 लाख एमटी की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, पीईजी योजना की समग्र स्वीकृत क्षमता के भीतर 10 राज्यों में साइलोस में 20 लाख एमटी की क्षमता का निर्माण किया जाएगा। विभाग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 551.50 करोड़ रुपए की लागत पर 5.76 लाख एमटी की भंडारण क्षमता को बनाने के लिए एक योजनागत स्कीम को भी अंतिम रूप दिया है और यह उम्मीद है कि मार्च, 2013 तक 73 लाख एमटी की एक संचित क्षमता पूर्ण हो जाएगी और उसे पीईजी योजना के अंतर्गत ले जाएगा। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 की प्रत्याशा में देश में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए पहले ही कदम उठा रही है। तथापि, समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि देश में उचित एवं वैज्ञानिक भंडारण क्षमता की उपलब्धता के अभाव में प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नों की एक बड़ी मात्रा क्षतिग्रस्त हो जाती है। तथापि, समिति सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के सुचारु क्रियान्वयन हेतु पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, राज्य सरकारों आदि पर एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय करने और न केवल अधिप्राप्ति करने वाले बल्कि उपभोग करने वाले राज्यों और देश के अन्य भागों में भी वैज्ञानिक भंडारण क्षमता को बनाने के लिए सभी प्रयास करने पर बल दें।**

ङ खाद्यान्नों की ढुलाई और वितरण

2.39 खाद्यान्नों का कुशल आवागमन और वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के सफल कार्यान्वयन के लिए बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्यान्न के आवागमन और वितरण की विद्यमान व्यवस्था के बारे में समिति को निम्नवत् सूचित किया:—

खाद्यान्नों की ढुलाई

2.40 विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार अतिरिक्त खाद्यान्न वाले क्षेत्रों से कम खाद्यान्न वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के आवागमन के अलावा उपलब्ध भंडारण क्षमता, खरीद, भंडार, आबंटन तथा खाद्यान्नों की उठाई से संबंधित समन्वय और निगरानी करती है। भारतीय खाद्य निगम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित खाद्यान्नों के आवागमन के क्रियाकलाप करता है। खरीद क्षेत्रों से खाद्यान्न की इष्टतम निकासी और उपभोग क्षेत्रों विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा समय-समय पर चिह्नित अन्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों के प्रवेश एवं भंडारण की निगरानी की जाती है।

2.41 प्राप्तकर्ता/प्रेषण क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों/जोनल कार्यालयों तथा मुख्यालय स्तर पर आवागमन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा रैकों के दैनिक आवागमन की निगरानी की जाती है। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्नों के भंडार की ढुलाई के लिए रैकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रेलवे के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से बैठक की जाती है।

2.42 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जो खाद्यान्न की अंतर-राज्यीय ढुलाई (आवागमन) में शामिल है। 90 प्रतिशत अंतर-राज्यीय आवागमन रेलवे द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न का आवागमन रेल, सड़क और नदी मार्गों से किया जाता है। हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ खाद्यान्न सड़क द्वारा पहुंचाया जाता है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुछ खाद्यान्न पोतों से पहुंचाया जाता है।

2.43 अंतर-राज्य आवाजाही का उद्देश्य सभी राज्यों में खाद्यान्न भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही टीपीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों को जारी करने हेतु संपूर्ण देश में पहाड़ी राज्यों में प्रत्येक जिले और मुख्य वितरण केंद्रों (पीडीसी) हेतु राज्यों में सभी लिंक्ड डिपो पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसके बाद अर्थात् लिंक्ड डिपो/पीडीसी से उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) के लिए खाद्यान्नों के परिवहन या आवाजाही का उत्तरदायित्व राज्य सरकार एजेंसियों का होता है, चूंकि एफपीएस के माध्यम से अंतिम उपभोक्ता के लिए डिपो से आगे परिवहन और वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है।

2.44 विभाग ने आगे बताया कि खाद्यान्न की आवाजाही हेतु अपनायी जा रही प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

> ''खाद्यान्नों की आवाजाही की योजना एफसीआई द्वारा विभिन्न राज्यों की आवश्यकता, उपभोग करने वाले राज्यों में उपलब्ध भंडारण क्षमता, खरीद करने वाले राज्यों में उपलब्ध स्टॉक और संभावित खरीद इत्यादि को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर बनायी जाती है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग विभिन्न राज्यों में टीपीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों की मासिक आवश्यकता की तुलना में खाद्यान्न स्टॉक की उपलब्धता की निगरानी करता है। किसी राज्य में खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी के मामलों में एफसीआई को राज्य के लिए खाद्यान्नों को बढ़ाने की सलाह दी जाती है।''

2.45 एफसीआई द्वारा अतिरेक और कमी वाले क्षेत्रों हेतु निम्नांकित कारकों पर विचार करने के बाद प्रत्येक माह में खाद्यान्नों की आवाजाही की योजना बनाई जाती है:

(i) अतिरेक वाले क्षेत्रों में उपलब्ध स्टॉक;

(ii) कमी वाले क्षेत्रों द्वारा मांग;

(iii) संभावित खरीद;

(iv) उपलब्ध भंडारण क्षमता;

(v) मासिक आबंटन/उठान।

2.46 एफसीआई द्वारा किसी विशिष्ट माह हेतु आवाजाही की योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे रेलवे को भेजा जाता है। इसके बाद डिस्पैच करने वाले स्टेशनों और प्राप्त करने वाले स्टेशनों (अर्थात् निर्धारित गंतव्य स्थल हेतु) के विभिन्न युग्मों के मध्य रैकों की आपूर्ति के संबंध में रेलवे के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा जाता है, ऐसा लोडिंग स्टेशनों से लेकर रेलवे बोर्ड तक सभी स्तरों पर रेलवे में सभी स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय करके किया जाता है। सतत निगरानी के माध्यम से बनायी गयी योजना के अनुसार यथा खाद्यान्नों की मात्रा के परिवहन हेतु प्रयास किए जाते हैं।

2.47 अंतर-राज्य परिवहन के अलावा, राज्यों में स्थानीय आवश्यकताओं, व्यवहार्यता और लागत प्रभाविता के अनुसार रेल और सड़क के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय आवाजाही भी की जाती है। विगत में 90 प्रतिशत से अधिक स्टॉक उत्तर से भेजा गया क्योंकि खरीद मुख्यत: उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा में केन्द्रित रही है। तथापि, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में खरीद के विस्तार के साथ इन राज्यों में चावल और गेहूं का अतिरिक्त भंडार भी उपलब्ध है। इसलिए वर्तमान में कुल आवाजाही का 63 प्रतिशत उत्तर से और 37 प्रतिशत उत्तर के अतिरिक्त है। वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक अखिल भारतीय आवाजाही का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(आंकड़े एलएमटी में)

वर्ष	अंतर-राज्यीय आवाजाही			अंतर-राज्य आवाजाही	कुल योग
	रेल	सड़क	कुल		
2006-07	203.25	18.45	221.7	19.6	241.3
2007-08	203.98	17.81	221.79	20.76	242.55
2008-09	204.6	20.57	225.17	25.25	250.42
2009-10	249.18	26.65	275.83	27.86	303.69
2010-11	279.65	25.64	305.29	29.65	334.94
2011-12	303.23	24.54	327.77	40.17	367.94
2012-13	113.82	9.19	123.01	23.73	146.74

*(अगस्त, 2012 तक)

2.48 समिति ने यह जानना चाहा है कि बिल के कार्यान्वयन के अनुसरण में रैकों की अनुमानित आवश्यकता क्या है, विगत तीन वर्षों में एफसीआई द्वारा मांगे गए कुल रैक और रेलवे द्वारा एफसीआई को दिए गए कुल रैक कितने हैं और रेलवे द्वारा एफसीआई को अपेक्षित संख्या में रैक प्रदान न करने के क्या कारण हैं। इसके उत्तर में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि एफसीआई ने अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर वर्ष 2011-12 के दौरान गेहूं और चावल की लगभग 630 लाख मीट्रिक टन खरीद की है। वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग 563 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन के बाद सरकार द्वारा बढ़ाए गए आबंटनों के कारण यह प्रतिवर्ष 610 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। तद्नुसार, रैकों की आवश्यकता में लगभग 20 प्रतिशत तक वृद्धि होगी, अर्थात् भारतीय खाद्य निगम को लगभग 15500 रैकों की आवश्यकता पड़ेगी। विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा मांगे गए कुल रैकों की संख्या के साथ-साथ रेलवे द्वारा भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराए गए रैकों का ब्यौरा निम्नवत् है:—

वर्ष	भारतीय खाद्य निगम द्वारा रैकों की संख्या की योजना	रेलवे द्वारा वास्तविक संख्या में आपूर्ति किए गए रैकों की संख्या
2010-11	13003	10607
2011-12	13215	10969
2012-13 (अक्तूबर, 2012 तक)	6696	5912

2.49 रेल मंत्रालय द्वारा विभाग या भारतीय खाद्य निगम को अपेक्षित संख्या में रैकों को उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में दिए गए कारण निम्नवत् हैं:—

1. सीमित लाइन क्षमता और वैगनों की उपलब्धता।
2. व्यस्त मौसम के दौरान उर्वरक, सीमेंट जैसी अन्य वस्तुओं के लिए मांग हेतु प्रतिस्पर्धा करना।
3. लदान और उतराई स्टेशनों पर अवसंरचना का अभाव।
4. कभी-कभी कुहासामय मौसम, बंद आदि के कारण रैकों की उपलब्धता प्रभावित होती है।

2.50 रेलवे के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम जिन विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है जिससे खाद्यान्नों के परिवहन पर निम्नवत् प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वे निम्नवत् हैं:—

1. भारतीय खाद्य निगम की मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में रैकों की आपूर्ति न होना— रेलवे, भारतीय खाद्य निगम की आवाजाही योजना के अनुसार पर्याप्त संख्या में रैकों को उपलब्ध नहीं करा रहा है। रेलवे द्वारा रैकों की आपूर्ति में कमी सदा व्यस्त मौसम अर्थात् प्रतिवर्ष नवम्बर से मार्च में होती है।

2. दो प्वाइंट कम्बिनेशनों के अंतर्गत रैकों की अपर्याप्त आपूर्ति—केरल, झारखंड और बिहार में बड़ी संख्या में रेलहेड्स हैं जो केवल आधे रैक उपलब्ध करा सकते हैं और दो प्वाइंट कम्बिनेशनों के अंतर्गत लदान हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। लेकिन

प्रतिवर्ष नवम्बर से मार्च की अवधि के दौरान सभी रेलवे जोन दो प्वाइंट कम्बिनेशनों के अंतर्गत रैकों के आवाजाही हेतु कार्यक्रमों का वित्त-पोषण करना बंद कर देते हैं जिसके कारण केरल, झारखंड और बिहार में विभिन्न केन्द्रों पर स्टॉक खाली हो जाता है।

3. मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की अनुपलब्धता—बड़ी संख्या में वैसे रेलहेड्स हैं जहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, आच्छादित शेड, पहुंच सड़क, उचित प्लेटफॉर्म, पेयजल आदि जैसी मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है। अधिकांश माल गोदामों के पास प्लेटफॉर्म और आच्छादित शेड नहीं होते हैं जिसके कारण विशेषकर वर्षा के मौसम में स्टॉक की उतराई में काफी परेशानी होती है।

4. दांडिक विलम्ब शुल्क—रेलवे रैकों के त्वरित निर्गम को सुनिश्चित करने के लिए दांडिक, विलम्ब शुल्क लगाती है। एक तरफ, उत्तर रेलवे रैकों के उतराई में साप्ताहिक प्राथमिकताओं का उल्लंघन करती है और दूसरी तरफ प्राप्ति छोर पर जोनल रेलवे विभिन्न गंतव्यों पर रैकों को रोकने के लिए विलम्ब शुल्क और दांडिक विलम्ब शुल्क भी लगाती है जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम का बिल्कुल दोष नहीं होता है।

समिति की सिफारिश

2.51 समिति यह नोट करती है कि केन्द्र सरकार अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के संचलन का समन्वय एवं निगरानी करती है और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खाद्यान्नों के संचलन में लगी केन्द्र सरकार की एजेंसी है। खाद्यान्नों के संचलन की आयोजना भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा विभिन्न राज्यों की आवश्यकता, उपयोगकर्ता राज्य में उपलब्ध भंडारण क्षमता, अधिप्राप्ति वाले राज्यों में उपलब्ध स्टॉक, संभावित अधिप्राप्ति, कमी वाले क्षेत्र द्वारा मांग और मासिक आवंटन/उठान आदि को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। समिति को सूचित किया गया है कि एफसीआई द्वारा खाद्यान्नों के संचलन का 90 प्रतिशत रेलवे द्वारा किया जाता है। कुछ मात्रा को सड़क द्वारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर के कुछ हिस्सों, दिल्ली, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में ले जाया जाता है और थोड़ी मात्रा को पानी के जहाज से लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में भेजा जाता है। अंतर-राज्य संचलन का प्रयोजन समूचे देश में सभी राज्यों में प्रत्येक जिले हेतु संयोजित डिपो तथा पर्वतीय राज्यों में प्रधान वितरण केन्द्रों में खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। खाद्यान्नों का अंतर-राज्य संचलन राज्यों में स्थानीय आवश्यकता, व्यवहार्यता तथा लागत प्रभावोत्पादकता के अनुसार रेल तथा सड़क से किया जाता है। समिति यह भी नोट करती है कि रैक की अपर्याप्त आपूर्ति और रेलवे द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के कारण खाद्यान्नों का संचलन प्रभावित होने के मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग मामले को रेल मंत्रालय के साथ उठाता है और खाद्यान्नों के संचलन में दक्षता में सुधार के उद्देश्य से खाद्यान्नों के संचलन की नियमित समीक्षा हेतु व्यवस्था की जा रही है। समिति का यह मत है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के लागू होने के पश्चात् अधिप्राप्ति वाले राज्यों से उपभोग वाले राज्यों में संचलन की जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा में काफी वृद्धि होगी। अत:, समिति सिफारिश करती है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और रेल मंत्रालय को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिसमें एफसीआई द्वारा खाद्यान्नों के संचलन की मासिक योजना को एक सुचारु तथा दक्ष तरीके से निष्पादित किया जा सके।

समिति आगे यह नोट करती है कि रेल मंत्रालय सीमित लाइन क्षमता और वैगनों की उपलब्धता, व्यस्त मौसम के दौरान उर्वरक, सीमेंट आदि जैसी अन्य वस्तुओं हेतु प्रतिस्पर्धी मांग, लोडिंग तथा अनलोडिंग स्टेशनों पर आधारभूत ढांचे की कमी और कभी-कभी कोहरे वाले मौसम, बंद आदि के चलते रैक उपलब्धता प्रभावित होने के कारण एफसीआई को अपेक्षित संख्या में रैक उपलब्ध करवा पाने में समर्थ नहीं हो पाता है जिससे खाद्यान्नों के संचलन में एफसीआई का कार्यकरण प्रभावित होता है। समिति यह नोट करती है कि एफसीआई का कोई दोष न होने के बावजूद रेलवे आधारभूत ढांचे के अभाव के चलते विभिन्न स्थानों पर रैक को रोके जाने हेतु एफसीआई पर दंडात्मक विलंब शुल्क लगाता है। समिति यह भी नोट करती है कि रेल मंत्रालय खाद्यान्नों के संचलन को ''ख'' श्रेणी की प्राथमिकता देता है जोकि सैन्य संचलन के बाद दूसरी प्राथमिकता है। इसकी प्रशंसा करते हुए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि रेल मंत्रालय के उचित प्रकाश व्यवस्था, कवर किए गए शेड, पहुंच सड़कों तथा उचित प्लेटफॉर्म आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने वाले रेलहेड पर आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि स्टॉक की अनलोडिंग को सुकर बनाया जा सके। वे खद्यानों के सुचारु संचालन हेतु केरल, झारखंड तथा बिहार जैसे राज्यों में दो बिंदु संयोजनों के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में रैकों की आपूर्ति पर भी विचार कर सकते है। समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय खाद्य निगम और रेल मंत्रालय एक ऐसा तंत्र विकसित करे जिससे रैकों की आपूर्ति, विलंब शुल्क लगाए जाने की समस्याओं की समीक्षा तथा निपटान एक नियमित आधार पर किया जा सके।

च. खाद्यान्नों का वितरण

2.52 समाज के विशेष लक्ष्यित गरीब वर्गों को ध्यान में रखकर 1997 में लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) शुरू की गई। टीपीडीएस के तहत, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के 6.52 करोड़ स्वीकृत परिवारों हेतु 35 किलोग्राम प्रतिपरिवार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है। इसके साथ ही 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है। 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों को खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल और पूर्व उठान में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्तमान में, एपीएल परिवारों को खाद्यान्नों का आबंटन प्रति परिवार प्रतिमाह 15 और 35 किलोग्राम के बीच है।

2.53 केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) की सरकारों की संयुक्त जिम्मेवारी के तहत टीपीडीएस का प्रचालन किया जाता है। यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह खाद्यान्नों की खरीद करे, आबंटन करे और भारतीय खाद्य निगम के निर्धारित डिपो तक खाद्यान्नों को पहुचवाएं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन और वितरण, पात्र गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के परिवार की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का पर्यवेक्षण और उनकी निगरानी करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में निहित है।

2.54 पीडीएस के तहत आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति बनाए रखने तथा उनकी उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 31.8.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2011

को अधिसूचित किया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों ने अर्ह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने, एपीएल, बीपीएल और एएवाई परिवारों को विशेष राशन कार्ड को जारी करने, एफपीएस डीलरों को लाइसेंस जारी करने एफपीएस के कार्यकरण की मॉनीटरिंग आदि हेतु अपने-अपने पीडीएस (नियंत्रण) आदेशों को भी अधिसूचित किया है।

समिति की सिफारिश

2.55 समिति नोट करती है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का संयुक्त दायित्व है और केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों की खरीद,आवंटन और भारतीय खाद्य निगम के अभिहित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए उत्तरदायी हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण सहित पात्र गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों की पहचान,उनको राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस्ज) के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और निगरानी संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। समिति यह भी नोट करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आपूर्ति को बनाए रखने तथा अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया था। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने भी अपने संबंधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित किया है। समिति महसूस करती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के वितरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ और कारगर बनाना अनिवार्य है। अत:, समिति सिफारिश करती है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में वितरण तंत्र को कारगर और सुदृढ़ बनाने और खाद्य सुरक्षा विधेयक का सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेशों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने हेतु राज्य/संघ राज्य सरकारों को राजी करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिये।

छ. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का अधिुनिकीकरण/सुधार

2.56 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने समिति को प्रस्तुत लिखित नोट में बताया कि पीडीएस का आधुनिकीकरण केंद्र सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता है। टीपीडीएस विविध प्रकार के प्रचालनात्मक माहौल में उचित मूल्य की 5 लाख से अधिक दुकानों के माध्यम से 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रचालन में है। टीपीडीएस को खाद्यान्नों की चोरी/उनके अन्यत्र उपयोग, समावेशन/अपवर्जन संबंधी गलतियां, नकली और जाली राशन कार्ड आबंटन, ऑफ-टेक, एफपीएस, इत्यादि पर खाद्यान्नों की उपलब्धता में पारदर्शिता का अभाव, उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता कमजोर शिकायत निवारण और सोशल ऑडिट तंत्र, उचित मूल्य की दुकानों की व्यवहार्यता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

2.57 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक भोजन हेतु एक कानूनी हक प्रदान करेगा। एनएफएसबी के प्रावधानों के अनुसार हकदार मात्रा की आपूर्ति न किए जाने की दशा में व्यक्ति खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। इसलिए पीडीएस के अधिुनिकीकरण, जिसका उद्देश्य अन्तर्वेशन/अपवर्जन संबंधी गलतियों और खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग जैसी समस्याओं को दूर करना है, की अत्यंत आवश्यकता है।

2.58 टीपीडीएस को आधुनिक बनाने के लिए लाभार्थियों की सही पहचान और लेन-देन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। इस प्रयोजनार्थ डाटाबेस का डिजिटीकरण, एफपीएस का ऑटोमेशन, सप्लाई-चेन का कम्प्यूटरीकरण तथा पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है।

2.59 सरकार द्वारा इस बारे में किए गए प्रयासों के बारे में बताया गया कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रमुख सचिवों और खाद्य सचिवों को पीडीएस के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके निम्नलिखित घटक होंगे:—

(1) लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटीकरण,

(2) सप्लाई-चेन प्रबंधन का भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से लेकर उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) तक कम्प्यूटरीकरण,

(3) उचित मूल्य की दुकानों पर टीपीडीएस जिंसों की बिक्री तथा लाभार्थियों का पता लगाना और उनका प्रमाणीकरण और लेन-देन का रिकॉर्ड रखना, और

(4) पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र।

2.60 इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, सप्लाई-चेन का कम्प्यूटरीकरण, राशन कार्ड डाटाबेस का डिजिटीकरण और पारदर्शिता पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना घटक-1 में शामिल होगा, जबकि एफपीएस का ऑटोमेशन घटक-2 के तहत किया जाएगा। राशन कार्ड डाटाबेस की डिजिटीकरण प्रक्रिया में नकली तथा जाली राशन कार्डों की समाप्ति और डाटाबेस के डुप्लीकेशन को समाप्त करने हेतु विशेष अभियान शामिल है। डिजिटीकृत डाटाबेस सार्वजनिक किया जाएगा। सप्लाई-चेन के कम्प्यूटरीकरण में उचित मूल्य की दुकान स्तर तक खाद्यान्नों पर नजर रखी जाएगी। पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र में जनसूचना पोर्टल, खाद्यान्नों की उपलब्धता के बारे में एसएमएस से संदेश भेजना और शिकायत दर्ज करने तथा उसके निवारण हेतु टॉल फ्री नम्बर शुरू किया जाना शामिल है। सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे शीर्ष प्राथमिकता पर एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण हेतु निम्नलिखित कार्रवाई करें:-

(1) कम्प्यूटरीकृत सप्लाई-चेन प्रबंधन का छत्तीसगढ़ मॉडल लागू करना।

(2) राशन कार्डों की डिजिटीकृत जानकारी सार्वजनिक की जाए और इसे वेबसाइट पर डाला जाए।

(3) जाली और झूठे राशन कार्ड समाप्त करने हेतु अभियान चलाया जाए।

(4) पीडीएस सार्वजनिक सूचना पोर्टल में टीपीडीएस के बारे में पूरी जानकारी दी जाए।

(5) शिकायत दर्ज कराने और उनके निवारण हेतु सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में चार अंकों वाले टॉल फ्री नम्बर की सुविधा प्रदान करना।

(6) खाद्यान्नों का आबंटन महीने की पहली तारीख से पहले उचित मूल्य की दुकानों में पहुंच जाना चाहिए और इस बारे में जानकारी पारदर्शिता पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए।

(7) राशन की सभी दुकानों पर खाद्यान्नों की डिलीवरी समयबद्ध रूप से की जाए।

(8) एफपीएस को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उपाय किए जाएं।

2.61 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिया गया है। शुरू में पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण हेतु उपकरण-1 के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यों को शामिल करके राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) की राज्य इकाइयों के परामर्श से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए कहा गया था।

2.62 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

वित्त मंत्रालय: पी॰डी॰एस॰ सुधारों का महत्व सर्वोपरि है क्योंकि सुधार ही मुख्य माध्यम हैं जिनके द्वारा आपूर्ति संबंधी कमियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए अतिरिक्त, अधिनियम में एक उपयुक्त उपबन्ध बनाया जाए जिसमें राज्य एक निर्धारित समय-सीमा (लगभग 3 वर्ष) के अन्दर पीडीएस सुधारों संबंधी कार्रवाई कर लें। तत्पश्चात्, सामान्य वर्ग के हक को टीपीडीएस में सुधारों संबंधी प्रगति से जोड़ा जाए।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण: टीपीडीएस डाटाबेस को आधार संख्या से जोड़ दिया जाए। राशन वितरण के लिए 'आधार' आधारित प्रमाणों का उपयोग किया जाए जैसे कि यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में हो रहा है।

सम्पूर्ण पीडीएस में आधार लिंक्ड सूचना प्रबंधन पद्धति तैयार करना वास्तविक लक्ष्य नहीं है— पूरे राज्यों में कुछ सफलताओं सहित खासकर छत्तीसगढ़ में ऐसे सुधारों के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर कोशिश की गई है। पीडीएस खरीद चेन में राज्य के अंतिम छोर तक कम्प्यूटरीकरण का क्रियान्वनन किया जा चुका है। इसमें पीडीएस चावलों के मिल मालिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम सम्मिलित है साथ ही साथ खरीद और संचलन आदेश भी इलैक्ट्रॉनिकली जारी किए जाते हैं, सरकार ने राशन कार्ड डाटाबेस का उपयोग करते हुए सभी आबंटन उचित दर की दुकानों को कर दिए हैं और आबंटन हेतु कार्रवाई का समय तीन सप्ताह से घटाकर दो घंटे कर दिया गया है। दुकानों का समय पर भंडारण भी सुनिश्चित करने के लिए उचित दर की खुदरा दुकानों पर बिक्री और भंडारण पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि खुदरा दुकानें हर समय लाभार्थियों की मांगों को पूरा कर सकें। हाल ही के 2009 के सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के 92% प्रत्यर्थियों द्वारा पूरा राशन बिना किसी समस्या के प्राप्त करने की सूचना मिली है।

अखिल भारतीय प्रजातांत्रिक महिला संघ: पीडीएस के सुधार हेतु इसमें कोई स्पष्ट और समयबद्ध बाध्यता नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा धारा-(ग) और (ज) में 'आधार' और रोकड़ हस्तांतरण, खाद्य कूपन और कोई अन्य योजना से पात्रता जोड़ने के लिए दो विवादास्पद सुधार सुझाए गए हैं।

श्री जीन ड्रेज, मानद् प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स और सुश्री रीतिका खेड़ा, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली: इस विधेयक के क्रियान्वयन के अन्य कारण जिनके तहत परिस्थितियां, इसके पक्ष में बनी वह हैं—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार, मेरे विचार से कई राज्यों ने हाल ही के वर्षों में पीडीएस में कैसे इसे सुधारा जाए और कैसे इसे प्रभावी बनाया जाए, इस बारे में बहुत कुछ सीखा है। वस्तुत: बहुत-से राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत ही

प्रभावी है जो कि कई वर्ष पहले तमिलनाडु से आरंभ हुआ था, लेकिन इससे भी अधिक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और ऐसे और राज्यों में भी यह प्रभावी हुआ है। वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समेकीकरण और सुधार का रुझान है। इस खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से इस रुझान का निर्णायक रूप से पूरे देश में समेकीकरण किया जा सकता है और गरीबी दूर करने के लिए यह एक वास्तविक अवसर है।

समिति की सिफारिश

2.63 समिति नोट करती है कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), जो वर्तमान में पूरे देश में पांच लाख से अधिक उचित दर की दुकानों (एफपीएस्ज) के माध्यम से 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रही है, के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समिति नोट करती है कि खाद्य विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों और खाद्य सचिवों को पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिसके आधार पर आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण, राशन कार्ड डाटा बेस का डिजिटाइजेशन, पारदर्शिता पोर्टल तथा शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना घटक-1 होगा और इसके बाद एफपीएस ऑटोमेशन घटक-2 के रूप में होगा। राशन कार्ड डाटाबेस के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में नकली और जाली राशन कार्डों को हटाने तथा डाटाबेस के डुप्लीकेशन को समाप्त करने हेतु विशेष अभियान शामिल होगा। चूंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का आशय चिह्नित लाभार्थियों को विधिक हकदारी के रूप में भोजन का अधिकार देना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्यमान लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में खाद्यानों का बड़े पैमाने पर क्षरण और विपथन, पहचान को शामिल करने/छोड़ने संबंधी त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में नकली और जाली राशन कार्ड जारी करने, पारदर्शिता की कमी, आदि को देखते हुए, समिति महसूस करती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण बहुत अनिवार्य है ताकि इन चुनौतियों का सामना किया जा सके। इस संबंध में कुछ जिलों/राज्यों की सफलता गाथाएं वास्तव में प्रेरणादायक हैं। अतः, समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार समयबद्ध ढंग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्पूर्ण आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के साथ निकट समन्वय करने का भरसक प्रयास करे। तत्पश्चात्, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित दर की दुकानों के स्तर तक खाद्यान्नों को पहुंचाने हेतु आपूर्ति श्रृंखला के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को भी जोर-शोर से उठाया जाए।

2.64 समिति पाती है कि टीपीडीएस के सामने आने वाली चुनौतियों में से एक है उचित दर दुकानों (एफपीएस) की व्यवहार्यता। टीपीडीएस के आधुनिकीकरण के साथ ही अधिकांश चुनौतियां यथा खाद्यान्नों का लीकेज और विपथन, समावेशन/अपवर्जन त्रुटियां और खाद्यान्नों का आवंटन तथा उठान और उपलब्धता संबंधी पारदर्शिता का अभाव आदि, समाप्त हो जाएंगी। तथापि, समिति महसूस करती है कि एफपीएस डीलरों को जो खाद्यान्नों के वितरण में अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी सततता और व्यवहार्यता के लिए उचित लाभ दिया जाना चाहिए। एफपीएस के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और निगरानी सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण की कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर है और देश भर में एफपीएस अलग-अलग ढंग से कार्य कर रही है। अतः, समिति महसूस करती है कि एफपीएस डीलरों के कार्यकरण में शामिल विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को उनका कमीशन निर्धारित करने की छूट दी जानी चाहिए। समिति को सूचित किया गया

है कि एफपीएस के कार्यों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, राज्य सरकारों को एफपीएस लाइसेंसधारकों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार गैर-पीडीएस वस्तुएं रखने/बेचने की अनुमति देनी चाहिए। 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने पुष्टि की है कि इन राज्यों में एफपीएस खाद्य तेल, दालें, दूध पाउडर, साबुन, आदि गैर-पीडीएस वस्तुओं की बिक्री कर रही है। समिति इसे एक सकारात्मक कदम मानती है और सिफारिश करती है कि सरकार शेष राज्यों को कमीशन में उचित वृद्धि करने के अलावा एफपीएस लाइसेंसधारकों की व्यवहार्यता में वृद्धि करने के लिए उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि करने का परामर्श दे।

ज. खाद्य राजसहायता के बदले सीधे रोकड़ हस्तान्तरण

2.65 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ खंड 18(2)(ज) लाभार्थियों को खाद्य छूट के बदले सीधे रोकड़ स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है। इस संबंध में, समिति को बहुत विचार/सुझाव प्राप्त हुए थे कुछ इसके पक्ष में और बहुत-से सीधे रोकड़ अन्तरण के विरोध में थे, इनसे समस्या का समाधान नहीं होगा।

2.66 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

वित्त मंत्रालय: आपूर्ति संबंधी कार्यों में सुधारों सहित खाद्य सुरक्षा विधेयक को जोड़ा जा सकता है विशेष रूप से सीधे रोकड़ अन्तरण के रूप में लाभार्थियों को छूट देना। यह एक खास विस्तार होगा जिससे राज्य सरकार पर पड़ने वाले भारी बोझ से बचाया जा सकेगा।

जनजातीय मामले मंत्रालय: यह सलाह दी जाती है कि रोकड़ नहीं बल्कि खाद्य प्रबंधन करें क्योंकि इससे खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य और धन का दुरुपयोग हो सकता है और यह खाद्य सुरक्षा से समझौता होगा।

खाद्य अभियान का अधिकार: रोकड़ अन्तरण को शुरू न किया जाए क्योंकि इससे पहचान, खाद्यान्नों की चोरी की समस्या का समाधान नहीं होगा तथा बैंकिंग अवसंरचना सीमित है और रोकड़ से खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं है, खाद्यान्नों की बाजार कीमतों में बढ़त और उतार-चढ़ाव से सुरक्षा नहीं है इसका कृषि आदि पर गलत प्रभाव पड़ेगा।

अखिल भारतीय प्रजातांत्रिक महिला संघ: इसकी कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए रोकड़ अन्तरण लीकेज और चोरी से मुक्त है। योजनाओं का क्रियान्वयन बैंक खाते में रोकड़ अन्तरण के आधार पर है जैसे कि नरेगा (एन.आर.ई.जी.ए.), वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि से पता चलता है कि भ्रष्टाचार की समस्या और अनुचित देरी लगातार जारी है। नकदी अन्तरण में किसी भी बदलाव से लोग बाजार में मूल्यों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होंगे।

श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा): देश में खाद्यान्नों के बदले रोकड़ अन्तरण के मुद्दे पर सर्वसहमति नहीं है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि धन का अन्य गैर-खाद्य व्ययों के लिए उपयोग होगा। रोकड़ अन्तरण 5 लाख से अधिक उचित दर की दुकानों को गर्व नहीं होगा। खाद्यान्नों के प्रावधान के स्थान पर रोकड़ अन्तरण से कुपोषण और भूख को बढ़ावा मिलेगा।

श्री जीन ड्रेज, मानद् प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स और सुश्री रीतिका खेड़ा, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली: वास्तव में विधेयक का एक प्रावधान है जिसके तहत रोकड़ अन्तरण की अनुमति है। इसीलिए, इस पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। हम इससे काफी हद तक परिचित हैं। हमने इसके बारे में समिति को भी अवगत करा दिया है।

2.67 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

लाभार्थियों को खाद्य राजसहायता का प्रत्यक्ष मदद अंतरण के लाभ और हानि के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि छह केन्द्र शासित प्रदेशों (यूटी) में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य राजसहायता का प्रत्यक्ष नकद अंतरण के लिए प्रायोगिक योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव हैं। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) आर्थिक लागत पर खाद्यान्न जारी करेगा और आर्थिक लागत और वर्तमान जारी मूल्य में अंतर के बराबर नकद राजसहायता लाभार्थियों की इस मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद सुकर बनाने के लिए पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

टीपीडीएस के अंतर्गत योजना में खाद्यानों की चोरी/अन्यत्र उपयोग पर रोक लगाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में टीपीडीएस के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण जारी रहेगा। योजना को लागू करने में इस स्थिति में कोई खामी प्रतीत नहीं होती। योजनाओं के ब्यौरे को संघ राज्य क्षेत्र आदि के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

समिति की सिफारिश

2.68 **समिति नोट करती है कि विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ लक्ष्यित लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न हकदारी के बदले सीधे नकद धनराशि के अंतरण, खाद्य कूपनों अथवा अन्य स्कीमों का प्रावधान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यमान बैंकिंग अवसंरचना और उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही कई पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए इन विचारों/सुझावों कि खाद्य राजसहायता के बदले में नकद धनराशि के अंतरण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समिति का विचार है कि इस समय नकद धनराशि का आचरण शुरू करना वांछनीय नहीं होगा। अत:, समिति सिफारिश करती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्य राजसहायता के बदले में नकद धनराशि का अंतरण शुरू करने से पहले दूरस्थ, ग्रामीण और पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के सभी हिस्सों में बैंकिंग अवसंरचना और बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध करवाई जाए।**

झ. व्यय की हिस्सेदारी

2.69 विधेयक विभिन्न खंडों के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच प्राथमिकता और सामान्य परिवारों की पहचान करने, भुखमरी में जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों की पहचान, खाद्य सुरक्षा भुगतान भत्ता, कर्मचारियों को वेतन और भुगतान सहित जिला शिकायत निवारण अधिकारी और राज्य खाद्य आयोग की स्थापना, राज्य, जिला और खंड स्तर पर वैज्ञानिक भंडारण सुविधा के सृजन और रख-रखाव और राज्यों आदि में विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समिति की स्थापना के लिए व्यय लागत के बंटवारे का उपबंध है।

2.70 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आदि राज्य सरकारें: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन की पूरी लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए क्योंकि यह केन्द्र सरकार की नीति है।

केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि राज्य सरकारें: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन की लागत केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा वहन की जानी चाहिए। राज्यों का अंशदान लागत का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.71 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की जवाबदेही केन्द्र और राज्यों की है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित डिपों में अत्यधिक राजसहायता पर केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाएगी और इस पर होने वाली पूरी सहायता केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। राज्यों के भीतर खाद्यान्नों के वितरण का व्यय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा। कुछ राज्य पहले से ही परिवहन लागत और डीलरों के मार्जिन का व्यय वहन कर रहे हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी मूल्यों पर और राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। विधेयक में केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जबाबदेही होगी इसलिए यह अत्यावश्यक होगा कि राज्य सक्रिय रूप से प्रक्रिया में भाग लें और कुछ लागत वहन करें।

विभाग ने आगे बताया कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किए जाने वाले संभावित अतिरिक्त व्यय का कुछ अनंतिम अनुमान तैयार कर लिया गया है, पूर्ण विधेयक के केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत वहन की पद्धति सहित, कमजोर वर्गों जैसे निराश्रित और बेघर व्यक्तियों, आपातकाल/आपदा प्रभावित व्यक्तियों और भुखमरी में रहने वाले व्यक्तियों को भोजन प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किए गए विधेयक और नई योजनाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही देखा जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा भत्ते के संबंध में विधेयक की धारा 13 में प्रावधान किया गया है कि अध्याय दो, तीन और चार के अंतर्गत खाद्यान्नों और भोजन के पात्र व्यक्तियों को पात्र मात्रा की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से इस प्रकार का खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे। तथापि, धारा 31 में प्रावधान किया गया है कि राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की कम आपूर्ति की स्थिति में केन्द्र सरकार अध्याय दो, तीन और चार के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कम आपूर्ति के लिए निधियां प्रदान करेगी। ये धाराएं राज्यों की राज्यों द्वारा कमियों के कारण पात्र व्यक्तियों को आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों की कम आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति में राज्य सरकारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा।

समिति की सिफारिश

2.72 **विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अधिकांशत: विचारों/सुझावों पर विचार करने और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आर्थिक और वित्तीय स्थिति भिन्न-भिन्न होती है, समिति का यह दृढ़ मत है कि राज्य सरकारों को श्रेणी-क, श्रेणी-ख और श्रेणी-ग में विभाजित किया जाए। जो राज्य वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हैं, उन्हें श्रेणी-क राज्य माना जाए और वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा**

विधेयक के कार्यान्वयन के लिए, एक-मुश्त और आवर्ती स्वरूप दोनों में, विधेयक के उपर्युक्त उपबंधों के अंतर्गत यथा विचारित व्यय की समग्र लागत वहन कर सकते हैं। बाकी राज्यों को श्रेणी-ख और ग में विभाजित किया जाए जिसके लिए केन्द्रीय सरकार अवसंरचना सृजन, राज्य खाद्य आयोग के गठन, ब्लॉक स्तर तक वैज्ञानिक भंडारण व्यवस्था के सृजन और अनुरक्षण तथा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों की स्थापना पर होने वाले एकमुश्त पूंजी व्यय के लिए श्रेणी-ख राज्यों को 50 प्रतिशत तक और श्रेणी-ग राज्यों को 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। तथापि, राज्य खाद्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों तथा जिला शिकायत निवारण कार्यालयों आदि के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर होने वाले आवर्ती व्यय का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये सभी राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे।

समिति यह भी नोट करती है कि मौजूदा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के पास खाद्यान्नों के आंतरिक परिवहन और उचित दर की दुकान (एफपीएस) डीलरों के मार्जिन पर आने वाली लागत गरीबी की रेखा के ऊपर और गरीबी की रेखा के नीचे के लाभार्थियों पर डालने की स्वतंत्रता है। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के मामले में, ऐसी लागतें लाभार्थियों पर नहीं डाली जा सकती।

वर्तमान में, जबकि कुछ राज्य ऐसी लागतें लाभार्थियों पर डाल रहे हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य न केवल इन लागतों को स्वयं वहन कर रहे हैं, बल्कि मूल्यों में और अधिक छूट भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पास परिवहन और खाद्यान्नों के संचालन तथा एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर आई लागत दूसरों पर थोपने की सुविधा नहीं होगी क्योंकि सीआईपी और लाभार्थियों से वसूला जाने वाला अंतिम मूल्य एकसमान ही होगा। चूंकि कुछ राज्य सरकारों ने प्रस्तावित विधेयक के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ पर आपत्ति उठाई है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ऐसी इच्छा है तो उन्हें इन लागतों को लाभार्थियों पर डालने की अनुमति दी जाए।

अध्याय तीन

खण्ड–वार विश्लेषण

(क) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की तैयारी

धारा 1(3)–यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

3.2 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत धारा 1(3) प्रावधान करती है कि यह ऐसी तारीख को प्रभावी होगा जैसाकि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र द्वारा तय हो तथा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए अलग–अलग तारीख तय हो। यह अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को अलग–अलग तारीखों पर प्रवृत्त होने को लचीलापन प्रदान करता है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में अलग–अलग तारीखों पर अधिनियम के प्रवृत्त होने जिसकी एक अंतिम समय–सीमा है तथा जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/राज्यक्षेत्रों को इसे लागू करना है, संबंधी लचीलापन उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकारों को इसे सही ढंग से लागू करने के लिए तैयारी संबंधी विभिन्न कदम उठाने होंगे, जिसमें लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना तथा उचित मूल्य की दुकानों, भण्डारण सुविधा के लिए अपेक्षित अवसंरचना को सुदृढ़ करना शामिल है।

समिति की सिफारिश

3.3 **चूंकि अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तैयारी की स्थिति में भिन्नता है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि अधिनियम में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को यथोचित समय, संभवत: एक वर्ष की अवधि देने की व्यवस्था की जाए, जिसके अंतर्गत उनसे तैयारी संबंधी कार्य पूरा करना अपेक्षित होगा। इस अवधि की समाप्ति पर सभी राज्यों में अधिनियम लागू होगा। यदि कोई राज्य/संघ राज्यक्षेत्र इससे पहले अधिनियम को लागू करने की स्थिति में है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की तैयारी का निर्धारण करने के लिए शर्तें/मार्गनिर्देश केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।**

(ख) खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

3.4 **खण्ड 3 (1)**–धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन चिह्नित प्राथमिकता वाले घरों और सामान्य घरों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार से प्रतिमाह अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट राजसहायता प्राप्त कीमतों की दर से प्राथमिकता वाले घरों को प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह सात किलोग्राम खाद्यान्न और सामान्य घरों के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह तीन किलोग्राम खाद्यान्न पाने को हकदार होगा। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनुसूची–एक में

राजसहायता प्राप्त कीमतों का ब्यौरा निम्नवत् है—

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता-प्राप्त मूल्य

प्राथमिकता वाले घरों के लिए राजसहायता-प्राप्त मूल्य	सामान्य घरों के लिए राजसहायता-प्राप्त मूल्य
चावल के लिए 3 रुपए प्रति कि०ग्रा०, गेहूँ के लिए 2 रुपए प्रति कि०ग्रा० और मोटे अनाज के लिए एक रुपए प्रति किलोग्राम।	गेहूं और मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं और चावल के व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं।

3.5 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

वित्त मंत्रालय: अधिनियम को लाभार्थियों के लिए खाद्यान्नों की कीमत का निर्धारण नहीं करना चाहिए। बल्कि खरीद प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष निर्धारित एमएसपी से जोड़ी जाए। मूल्य के निर्धारण से भारत सरकार पर खाद्य सब्सिडी का बोझ लगातार बढ़ेगा और इसे लंबे समय तक नहीं बनाए रखा जा सकता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय: पोषण आवश्यकताओं की सिफारिश के आधार पर खाद्य पात्रता को विनिर्दिष्ट किया जाए ताकि विकल्प के आधार पर आवश्यक मात्रा की खरीदारी सुनिश्चित हो या वार्षिक सकल पात्रता को इसके बदले विनिर्दिष्ट किया जाए क्योंकि मूल्यों या वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत के आधार पर औसत उठान में वर्ष में कई बार उतार-चढ़ाव हो सकता है और यह आयोजन सब्सिडी/संभार आवश्यकताओं के ज्यादा अनुकूल हो सकता है।

केरल राज्य सरकार: चार सदस्यों वाले बीपीएल परिवारों के लिए 35 कि०ग्रा० के वर्तमान कोटे को कम करने के बदले यह सुझाव दिया जाता है कि एक परिवार को न्यूनतम आवंटन 35 कि०ग्रा० किया जाए। इसके बाद परिवार में पांच व्यक्ति से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए कुछ निर्धारित मात्रा (5 से 7 कि०ग्रा०) का अतिरिक्त प्रावधान किया जाए।

ओडिशा राज्य सरकार: सामान्य घरों के खाद्यान्नों की पात्रता के संबंध में प्रतिव्यक्ति 7 किलो चावल प्रदान करने के विधेयक के प्रस्ताव को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। ओडिशा को लगता है कि प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 3 किलो चावल का आवंटन अर्थात् प्रतिदिन 100 ग्राम किसी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए बहुत कम है।

भोजन का अधिकार अभियान: प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमाह 14 कि०ग्रा० अनाज, 1.5 कि०ग्रा० दाल और 800 ग्राम तेल पाने का पात्र होगा।

यूनिसेफ: 7 कि०ग्रा० राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्न प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह में दालों, तेल एवं दुग्ध/डेयरी उत्पादों जैसे अन्य पोषक खाद्य पदार्थ को शामिल करने की जरूरत है।

श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य (लोक सभा): विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 7 कि०ग्रा० जो अब निर्धारित किया जा रहा है, के बजाय न्यूनतम 11 कि०ग्रा० निर्धारित है। तद्नुसार समिति सुझाव दे सकती है।

प्रो॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा): हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि विधेयक बेहतर बने तथा इसमें अंत्योदय अन्न योजना में दिए गए प्रावधान कम न हों क्योंकि हमें उसका जरूर संरक्षण करना चाहिए जो हम पहले से कर रहे है। इसलिए, हमें अपने शब्दों में सावधानी बरतनी होगी ताकि अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी जो आज प्रतिपरिवार 35 कि॰ग्रा॰ प्राप्त कर रहे हैं वे संरक्षित रहें।

श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा): वर्तमान में अंत्योदय वर्ग के लगभग 2.5 करोड़ परिवार दो रुपये प्रति किलो की दर पर 35 किलो चावल का मूल्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह विधेयक, इस वर्ग तथा मूल्य लाभ को भी समाप्त करता है। इस प्रकार 2.5 करोड़ परिवारों के लिए इस एफएसबी के फलस्वरूप 35 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त व्यय होगा। यह अनुचित है। दूसरी बात चावल का मूल्य तीन रुपये पर रखा गया है जबकि कई राज्यों में यह वर्तमान में दो रुपये मूल्य का है। तमिलनाडु में 20 कि॰ग्रा॰ चावल नि:शुल्क है और एपीएल वर्ग के लिए 3 कि॰ग्रा॰ प्रतिमाह पात्रता खाद्य सुरक्षा का मजाक उड़ा रहा है।

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेन्स एसोसिएशन: यह विधेयक पश्चगामिता का प्रतिनिधित्व करता है अग्रिम का नहीं क्योंकि खाद्य सुरक्षा को अधिकार के रूप में गारंटी देने के बजाय यह वास्तव में वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अलबत्ता कमजोर उपबंध को कम करता है और वर्तमान में हमारे देश में 2.5 करोड़ परिवारों की पहचान एएवाई वर्ग के रूप में की गयी है और उन्हें दो रुपये प्रति कि॰ग्रा॰ की कीमत पर प्रतिमाह 35 कि॰ग्रा॰ चावल दिया जाता है। इन परिवारों को अब चावल के लिए एक रुपये प्रति कि॰ग्रा॰ का अतिरिक्त भुगतान करना होगा जो कि 3 रुपये प्रति कि॰ग्रा॰ किया जाना प्रस्तावित है। कई राज्य सरकारें पहले से ही चावल दो रुपये प्रति कि॰ग्रा॰ की दर या इससे कम कर पर अपने राज्यों में बीपीएल वर्गों की निर्धारित संख्या से बहुत ज्यादा को उपलब्ध करा रही हैं। (तमिलनाडु सार्वभौमिक कवरेज के साथ चावल की नि:शुल्क आपूर्ति करता है)।

श्री जीन ड्रेज, मानद् प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स तथा सुश्री रीतिका खेड़ा, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली: अभी इस विधेयक में प्राथमिक समूह के लिए 7 कि॰ग्रा॰ तथा सामान्य वर्ग के लिए 3 कि॰ग्रा॰ का प्रावधान रखा गया है। हमारे विचार से खरीद स्तर बहुत अधिक है तथा यह बढ़ना जारी रहेगा। हम महसूस करते हैं कि आप इसे 7 कि॰ग्रा॰ भी कर सकते हैं।

3.6 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर

इस विधेयक में खाद्यान्न पात्रता व्यक्तिगत आधार पर है, परिवार आधार पर नहीं। प्राथमिक परिवारों के लिए 7 कि॰ग्रा॰ प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह की प्रस्तावित पात्रता के अनुसार यह पांच लोगों वाले परिवार के लिए 35 कि॰ग्रा॰ प्रतिमाह होता है जो बीपीएल परिवार के लिए प्रतिमाह 35 कि॰ग्रा॰ की वर्तमान पात्रता के समान ही है। खाद्यान्न के उत्पादन एवं खरीद के वर्तमान स्तर को पात्रता एवं कवरेज निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जा रहा है।

जब यह पूछा गया कि खाद्यान्न के उत्पादन एवं खरीद के वर्तमान स्तर पर सभी लाभार्थियों को प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 7 कि॰ग्रा॰ या 11 कि॰ग्रा॰ उपलब्ध कराना संभव है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

विभाग ने निम्नवत् बताया:–

''ग्रामीण जनसंख्या के 75% एवं शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत के लिए प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 7 कि०ग्रा० एवं 11 कि०ग्रा० की दर पर अनुमानित खाद्यान्न जरूरत व्यवहार्यता के दायरे से बाहर की बात होगी। प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 कि०ग्रा० की दर पर खाद्यान्न जरूरत हालांकि प्रबंधनीय है तथा इसे एक विकल्प के रूप में समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। हालांकि यह नोट किया जाए कि अभी एएवाई एवं बीपीएल लाभार्थी प्रतिमाह प्रतिपरिवार 35 कि०ग्रा० करने के पात्र हैं जो प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति लगभग 7 कि०ग्रा० होता है।''

इस विधेयक की धारा 17 में निम्नवत् प्रावधान है—

प्राथमिक परिवार तथा आम परिवार से संबद्ध व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या में जो धारा 14 की उपधाराओं (1) एवं (2) के अंतर्गत निर्धारित की गयी है, अर्ह प्राथमिक परिवारों एवं सामान्य परिवारों की सूची इस प्रकार से राज्य सरकारों द्वारा अद्यतित की जाएगी जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

इस संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि इसका अर्थ है कि खाद्यान्न जरूरत जनसंख्या में वृद्धि के साथ बढ़ेगी तथा खाद्यान्न का उत्पादन एवं खरीद को खाद्यान्न जरूरत में ऐसी वृद्धि के साथ उसी अनुरूप में बढ़ना होगा। नीचे की तालिका में इस विधेयक के प्रावधानों पर आधारित खाद्यान्नों की अनुमानित जरूरत, उस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या तथा कृषि मंत्रालय द्वारा गेहूं एवं चावल के उत्पादन एवं खरीद के अनुमानों के साथ इस्तेमाल करके की गयी है:—

खाद्यान्न के उत्पादन, खरीद एवं आवश्यकता का अनुमान

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन (गेहूँ एवं चावल)	खरीद (गेहूँ एवं चावल)		खाद्यान्न की जरूरत (टीपीडीएस एवं ओडब्ल्यूएस के अंतर्गत)
		कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमानित	समायोजित	
2011-12*	198.22	73.18$		60.74
2015-16	196.32	64.18	67.18	64.46
2020-21	207.48	67.83	70.83	69.67
2025-26	219.29	71.78	74.68	75.39

* चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्पादन और 10.10.2012 की स्थिति के अनुसार वास्तवित खरीद
$10.12.2012 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय।

नोट: टीपीडीएस के अंतर्गत कवरेज संबंधी एनएफएसबी प्रावधानों के अनुसार खाद्यान्नों की आवश्यकता का अनुमान और 2001-2011 के दौरान देखी गई विकास दर का उपयोग करते हुए जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। ओडब्ल्यूएस की आवश्यकता जनसंख्या दर के समान ही बढ़ने का अनुमान है।

जैसा कि देखा जा सकता है खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता 2015-16 की अनुमानित खरीद से अधिक रहने की संभावना है। यद्यपि यह नोट किया जा सकता है कि वर्ष 2011-12 के लिए गेहूँ उत्पादन का अनुमान वास्तविक अनुमान से लगभग 10 मिलियन टन कम था और इसलिए भावी अनुमान भी कम हो सकते हैं। इस कारण और यह अनुमान लगाते हुए कि उत्पादन के 1/3 की खरीद की जाएगी कृषि मंत्रालय के खरीद संबंधी अनुमान को 3 मिलियन टन से अधिक तक समायोजित किया जा सकता है। इसके बावजूद भी वर्ष 2025-26 में केन्द्रीय मूल में खाद्यान्न उपलब्धता में कमी आने का अनुमान है। यद्यपि यह नोट किया जा सकता है कि कृषि मंत्रालय द्वारा खरीद इस धारणा पर आधारित है कि गेहूँ और चावल के कुल उत्पादन के एक-तिहाई की खरीद की जाएगी वर्ष-प्रतिवर्ष इस स्तर पर खरीद बनाए रखना कठिन होगा।

समिति की सिफारिश

3.7 समिति नोट करती है कि अधिकतर राज्य सरकारों अथवा विशेषज्ञों, जिन्होंने समिति के समक्ष अपने विचार/सुझाव रखे हैं, ने सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों की हकदारी 7 कि॰ग्रा॰ प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह से कम नहीं होनी चाहिए। समिति यह भी नोट करती है कि 2015-16 में खाद्यान्नों की अनुमानित आवश्यकता अनुमानित खरीद से अधिक होने की संभावना है और यद्यपि 2011-12 के लिए गेहूं का अनुमानित उत्पादन वास्तविक उत्पादन से लगभग 10 मिलियन टन कम था, तथापि, 2025-26 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता में कमी होने का अनुमान है। समिति इस पर सहमत होते हुए कि खाद्यान्नों की पात्रता पर्याप्त होनी चाहिए, यह भी महसूस करती है कि वर्तमान विधान, जोकि विश्व के सबसे महत्वाकांक्षी विधानों में से एक है, भविष्य में टिकाऊ होना चाहिए। अतः, सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक, जो अभी शैशवस्था में ही है, के कार्यान्वयन में कोई समस्या न आए और उसमें की गई प्रतिबद्धताएं व्यवहार्य हों। अतः, समिति सिफारिश करती है कि आरंभ में, खाद्यान्नों की हकदारी विधेयक में कवर किए गए सभी व्यक्तियों हेतु 5 कि॰ग्रा॰ प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह पर निर्धारित की जाए। तथापि, उत्पादन के स्तर तथा जनसंख्या अनुमानों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए, सरकार स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करे और तद्नुसार प्रतिव्यक्ति प्रातिमाह 5 कि॰ग्रा॰ की हकदारी पर वृद्धि करने पर विचार कर सकती है। समिति यह भी पाती है कि विधेयक भिन्न मूल्यों पर पात्रता के विभिन्न अनुपात के साथ कई सारी श्रेणियां विहित करता है। समिति का यह विचारित मत है कि ऐसा वर्गीकरण काफी जटिल और क्रियान्वयन हेतु अव्यवहार्य है और समिति महसूस करती है कि इससे क्रियान्वयन में कई सारी गंभीर समस्याएं आ सकती हैं, जिससे चोरी/लीकेज तथा अन्य कमियों की गुंजाइश बढ़ जाती है जो टीपीडीएस के क्रियान्वयन में पहले ही सामने आ रही हैं। अतः, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि पहले की गई सिफारिशों के अनुसार ही एक-समान राजसहायता-प्राप्त मूल्य पर 5 कि॰ग्रा॰ प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह की समान पात्रता के साथ एक एकल श्रेणी को शामिल किया जाना चाहिए ताकि विधेयक के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

समिति आगे नोट करती है कि विधेयक में प्रस्तावित पात्रताएं प्रतिव्यक्ति आधार पर है न कि परिवार आधार पर, जबकि वर्तमान टीपीडीएस में प्रत्येक बीपीएल और एएवाई परिवार को परिवार के

आकार पर ध्यान न देते हुए 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। यद्यपि कुछ विशेषज्ञों/संगठनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि परिवार-आधारित पात्रता से बदलाव छोटे परिवार के मामले में पात्रता में कमी में परिणत होगा, समिति यह महसूस करती है कि अधिक सदस्य वाले परिवार तथा बड़े परिवार अधिक पात्रता के हकदार होंगे। समिति का यह मत है कि प्रतिव्यक्ति पात्रता अधिक तर्कसंगत तथा साम्य प्रतीत होती है, विशेष रूप से जब एक विधिक अधिकार सृजित किया जाना हो।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का आवंटन प्रारंभ में वर्ष 2011 के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर होना चाहिए, जिसकी प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात् समीक्षा की जा सकती है। समिति आगे यह भी सिफारिश करती है कि विधेयक के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप किसी तबके अथवा राज्य/संघ शासित प्रदेश को आवंटन में कमी होने के मामले में, सरकार उक्त को एक कार्यपालिका के आदेश से बचाने पर विचार कर सकती है। सरकार तद्नुसार, विधेयक के संगत उपबंध में संशोधन कर सकती है।

समिति आगे नोट करती है कि विधेयक की अनुसूची-1 के प्रावधान के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों हेतु राजसहायता-प्राप्त मूल्य चावल हेतु 3 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं हेतु 2 रुपए प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज हेतु 1 रुपए प्रति किलोग्राम किया जाना प्रस्तावित है।

तथापि, समिति यह महसूस करती है कि उक्त वर्णित मूल्य सरकार की भोजन राजसहायता में लगातार वृद्धि में परिणत हो सकते हैं जोकि दीर्घावधि में धारणीय नहीं होगा। अतः, राजसहायता-प्राप्त मूल्यों को आने वाले समूचे समय हेतु निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इसमें भविष्य में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्नों के मूल्यों की समीक्षा करे और खाद्यान्नों के उत्पादन, खरीद, स्टॉक की स्थिति आदि पर निर्भर करते हुए आवश्यकता होने पर मूल्यों को संशोधित करे ताकि खाद्यान्न राजसहायता की राशि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ न डाले।

जनसंख्या कवरेज

3.8 **खंड 3(2)**—रियायती मूल्यों पर उपधारा (एक) में उल्लिखित पात्रताओं को ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है।

बशर्ते कि ग्रामीण जनसंख्या के 46 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 28 प्रतिशत को प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

3.9 **समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारों/सुझावों का सार**

जम्मू-कश्मीर, केरल, मेघालय राज्य सरकारें: ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कवरेज ग्रामीण जनसंख्या का 90 प्रतिशत ही रखा जाए जैसा कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने अपनी मूल प्रारूप रिपोर्ट में परिकल्पित किया है।

तमिलनाडु राज्य सरकार: राज्य सरकार सभी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन कर रही है, जो ठीक प्रकार से कार्य कर रही है।

त्रिपुरा राज्य सरकार: प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधयेक, 2011 के अंतर्गत राज्य सरकार का यह दृढ़ मत है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शत-प्रतिशत लोगों को कवर किया जाना चाहिए।

प्रो॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा): 22 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 67 प्रतिशत कवरेज और 250 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि क्षेत्र में 75 प्रतिशत कवरेज होनी चाहिए। वे जिले महत्वपूर्ण हैं। वहां 75 प्रतिशत कवरेज होनी चाहिए इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी वाले राज्यों अर्थात् उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर में 90 प्रतिशत कवरेज है।

श्री जीन ड्रेज, मानद् प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स तथा सुश्री रीतिका खेड़ा, सहायक प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली: मौजूदा स्थिति में विधेयक में मुख्य चिंता यह है कि यह बहुत जटिल है और बहुत ही अव्यावहारिक लक्ष्यित रूप-रेखा है, जिनमें तीन श्रेणियां हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 46 प्रतिशत परिवार प्राथमिकता समूह में होंगे और 29 प्रतिशत सामान्य श्रेणी में होंगे। शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग अनुपात, अलग-अलग पात्रता है और विभिन्न समूहों आदि के लिए मूल्य अलग-अलग हैं। यह अत्यंत जटिल है। यह व्यावहारिक नहीं है हमने यह बी॰पी॰एल॰ को लक्ष्यित करने के अत्यंत खराब अनुभव के आलोक में देखा है।

जनसाधारण: देश के विभिन्न भागों से 1.5 लाख से अधिक नागरिकों ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 व्यापक होना चाहिए, जो बिना किसी वर्ग अथवा श्रेणी के भेदभाव के इस देश के सभी नागरिकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा। हम सभी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ, जो हम स्वतंत्रता-प्राप्ति से प्राप्त करते आ रहे हैं, अवश्य मिलनी चाहिए। लाभार्थियों और विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग मूल्य ढांचे का वर्गीकरण किया जा सकता है, परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से किसी को भी बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

3.10 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर

अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्नों के उत्पादन और खरीद के वर्तमान स्तरों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 75% और 50% कवरेज का प्रस्ताव किया गया है। इसके अनुरूप प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में प्राथमिकता वाले और सामान्य परिवारों के कवरेज का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। इस विधेयक में प्राथमिकता वाले और सामान्य परिवारों से संबंधित व्यक्तियों की न्यूनतम पात्रता निर्धारित की गई है जिनके लिए केन्द्र और राज्य स्तर की सरकारों को संयुक्त रूप से अपने विधिक दायित्वों को पूरा करना होगा। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार का दायित्व प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित प्राथमिकता और सामान्य परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को खाद्यान्नों का आवंटन करना होगा। पात्र व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट मूल्यों पर खाद्यान्नों की वास्तविक आपूर्ति के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी होंगी। तथापि, राज्य सरकारें यदि चाहें तो इस विधेयक के अंतर्गत विहित चिह्नित प्राथमिकता वाले और सामान्य परिवारों की न्यूनतम पात्रताएं पूरी होने तक अपने संसाधनों से उन्हें कवरेज प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। विधेयक की धारा 40 में यह उपबंध है कि इस अधिनियम के उपबंध खाद्य-आधारित अन्य कल्याण योजनाओं को जारी रखने अथवा बनाने से केन्द्र अथवा राज्य सरकारों को बाधित नहीं करेंगे।

समिति की सिफारिश

3.11 समिति नोट करती है कि विधेयक में 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को शामिल करने का प्रस्ताव है बशर्ते 46 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 28 प्रतिशत से अन्यून शहरी जनसंख्या की प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में पहचान की गई हो। समिति विधेयक में यथा प्रस्तावित, जनसंख्या के कवरेज से पहले ही सहमत हो चुकी है और विभिन्न तथ्यों यथा खाद्यान्नों के उत्पादन और खरीद के वर्तमान स्तर, गत पांच वर्ष के दौरान गेहूं और चावल का औसत वार्षिक उत्पादन, गत 5 वर्ष के दौरान औसत खरीदे गये उत्पादन का 30 प्रतिशत और प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, डा॰ सी॰ रंगराजन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश, जिसमें कहा गया है कि 30 प्रतिशत से अधिक खरीद होने पर खुले बाजार में खाद्य मूल्यों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, को ध्यान में रखते हुए समिति ने प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 कि॰ग्रा॰ की समान हकदारी के साथ एकल श्रेणी की सिफारिश भी की थी। इस संबंध में समिति ने विस्तृत सिफारिश इस प्रतिवेदन के पैरा 2.5 में दी है।

गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद छह महीने तक महिलाओं को मुफ्त पोषाहार

3.12 खण्ड 4(क): स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के प्रसव के छह महीने बाद तक मुफ्त पोषाहार ताकि अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पोषक मानकों को पूरा किया जा सके।

(ख) लागत हिस्सेदारी, जिसका भुगतान इतनी किस्तों में किया जाए जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किए गए, के सहित योजना के अनुरूप छह महीने तक प्रतिमाह एक हजार रुपये मातृत्व लाभ।

बशर्ते, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रोजगार में लगी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ मिल रहा है, खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट लाभ पाने की हकदार नहीं होंगी।

अनुसूची दो

पोषण मानक

पोषण मानक: मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना और पोषण मानकों के अनुरूप छह महीने से तीन वर्ष की आयु समूह के बच्चों, 3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, 'घर ले जाने वाले राशन' या पोषण गर्म तैयार भोजन या खाने के लिए तैयार भोजन निम्नवत् है:

क्रम सं॰	श्रेणी	भोजन का प्रकार	कैलारी (किलो कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम)
1	2	3	4	5
1.	बच्चे (छह माह से तीन वर्ष)	घर ले जाने का राशन	500	12-15
2.	बच्चे (तीन से छह वर्ष)	सुबह का नाश्ता और गर्म पकाया भोजन	500	12-15

1	2	3	4	5
3.	बच्चे (छह माह से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	घर ले जाने का राशन	800	20–25
4.	पूर्व प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पकाया भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पकाया भोजन	700	20
6.	गर्भवती और दुग्ध पान कराने वाली माताएं	घर ले जाने का राशन	600	18–20

नोट: 1. अनुशंसित पोषण भत्ते का 50 प्रतिशत सूक्ष्म पोषकों से युक्त ऊर्जा बहुल भोजन।
2. भोजन मौजूदा खाद्य कानूनों के अनुरूप तैयार किया गया।

ध्यातव्य: कैलोरी गणना, प्रोटीन वैल्यू और विशेष रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों के संबंध में संतुलित और पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए पोषक मानकों को अधिसूचित किया जाता है।

3.13 समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार

महिला और बाल विकास मंत्रालय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) में छह महीने तक 1000 रुपए प्रतिमाह प्रसूति लाभ का नया उपबंध किया गया है। यह कहा जा सकता है कि हर महीने धनराशि के संवितरण में प्रशासनिक कठिनाई हो। छह माह की अवधि के दौरान 6000 रुपए के उपबंध पर बल दिया जाए और खण्ड 4ख का पहला भाग आशोधित रूप में निम्नवत् पढ़ा जाए:—

> ''लागत हिस्सेदारी, संवितरण का तरीका और अवधि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित हो, सहित योजना के अनुरूप छह माह की अवधि के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से 6000 रुपए का मातृत्व लाभ।''

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के क्रियान्वयन से मंत्रालय के कार्य पर स्वभावत: कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन यह पोषण घटकों-युक्त योजनाओं अर्थात् समेकित बाल विकास योजनाओं (आईसीडीएस) पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। आईसीडीएस योजना छह वर्ष से कम के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लाभ के लिए है जबकि किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) जिसका क्रियान्वयन प्रायोगिक रूप से किया जा रहा है, किशोरियों के लिए है। इन दोनों योजनाओं की सेवा आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी हेल्परों के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) द्वारा किया जाता है। अनुपूरक पोषण इन योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं में से एक है।

वर्तमान में आईसीडीएस योजना संक्रमण काल में है तथा संशोधित स्तनपान और पोषक मानकों के क्रियान्वयन के माध्यम से सुपुर्दगी में सुधार के लिए प्रयासरत रहे हैं ताकि सभी 14 लाख बसावटों में आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से गुणवत्ता और पहुंच जनसंख्या की ओर हो सके। योजना के कार्यक्रम संबंधी और प्रचालन अंतराल की समस्याएं हैं जिसका समाधान पहले किया जाना है। उसके बाद सेवा और परिणाम देने के संबंध में आईसीडीएस योजना निष्पादन के स्वीकार्य स्तर तक पहुंचेगी। अत:, अभी समय नहीं आया है कि पात्रता को संसद के अधिनियम द्वारा कानूनी बनाया जाए। अत:, सबसे अच्छा है कि जैसा कि स्वास्थ्य सेवाओं, जल और स्वच्छता के मामले में है, सक्षमकारी उपबंध में शामिल करने

पर विचार किया गया। खा़द्य सुरक्षा विधेयक को संपूर्ण पोषक परिणाम के लिए घरेलू स्तर पर पूरी सामग्री जैसा अनाज, बाजरा, तेल, फल आदि की समुचित उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए।

अनुसूची-दो के साथ पठित मसौदा विधेयक के अध्याय-नौ के खण्ड 20 से 29 तथा अध्याय-पंद्रह के खण्ड 40 से 52 के उपबंधों को, जहां तक इनका आईसीडीएस से संबंध है, को एनएफएसबी के अंतर्गत आईसीडीएस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना के बाद प्रचालित किया जाए। इसके अलावा, इन संस्थाओं की स्वायत्तता भी सुनिश्चित की जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: 1000 रुपए प्रतिमाह की दर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के साथ जोड़कर आवधिक आधार पर संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार एक उपबंध बनाने की आवश्यकता है। नियमित सरकारी रोजगार (केन्द्रीय/राज्य/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) में केवल गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल न किए जाने से महिलाओं का बहुत छोटा भाग इस लाभ से वंचित रह जाएगा और इसलिए इन्हें शामिल न किए जाने के मुद्दे की समीक्षा की जानी चाहिए।

केरल राज्य सरकार: राष्ट्रीय सलाहकार समिति के मूल प्रारूप में प्रदान की गई प्रसूति हकदारी को बनाए रखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर): प्रसूति प्रसुविधाओं के साथ कोई शर्तें संबद्ध नहीं की जानी चाहिए। विशेषकर जन्म स्थान (अस्पताल अथवा घर में बच्चे को जन्म देने), माता की आयु या बच्चों की संख्या पर विचार किए बगैर लाभ मिलने चाहिए।

भोजन का अधिकार अभियान: प्रत्येक गर्भवती और दूध पिलाने वाली माता को नौ माह की अवधि हेतु प्रसूति प्रसुविधा का हकदार होना चाहिए। यह प्रसव की तिथि के तीन माह पूर्व से शुरू होकर और उस तिथि से छह माह बाद तक जारी रहनी चाहिए। ऐसी प्रसूति प्रसुविधाएं न्यूनतम मजदूरियों पर होनी चाहिए और मुद्रास्फीति से संबद्ध होनी चाहिए।

श्री नवीन जिन्दल, संसद सदस्य (लोक सभा): छह माह हेतु 1000 रुपए प्रतिमाह की प्रसूति प्रसुविधा गर्भधारण करने के तीन माह बाद प्रारंभ होनी चाहिए, चूंकि इससे पूर्व भ्रूण अस्थिर होता है और महिला को मुफ्त भोजन के लिए गर्भधारण करने के लिए बाधित किया जा सकता है और बाद में गर्भपात कराया जा सकता है। यह प्रसुविधा केवल दूसरे बच्चे के जन्म तक दी जानी चाहिए-यह जनसंख्या स्थिरीकरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा, अन्यथा अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का जोखिम रहेगा।

श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा): यह आवश्यक है कि विधेयक में आंगनवाड़ियों को सशक्त और सर्वव्यापी बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया जाए अन्यथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के विधिक अधिकारों को पूरा नहीं किया जा सकता है।

3.14 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

देश के सभी भागों में गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को नि:शुल्क भोजन प्रदान करने हेतु स्थानीय आंगनवाड़ियों को सशक्त बनाने हेतु, हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजना में

1,23,580 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) को सुदृढ़ और पुनर्गठित किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) हेतु लागत मानकों का पुनरीक्षण, अवसंरचना में सुधार, आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण, अन्य संघटकों हेतु लागत मानकों का पुनरीक्षण, आंगनवाड़ी केंद्र के परिसरों हेतु किराए का पुनरीक्षण आदि शामिल है।

विभाग ने आगे यह बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि उनका मंत्रालय केवल बच्चे के जन्म के पश्चात् छह माह तक प्रसूति प्रसुविधा का समर्थन करता है। यह छह माह तक अनन्य रूप से स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए है। जहां तक प्रसूति प्रसुविधा की धनराशि का संबंध है, यह बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषण सहायता हेतु विधेयक में अन्य उपबंधों के दृष्टिगत 1000 रुपए प्रतिमाह की धनराशि पर्याप्त प्रतीत होती है। यह भी उल्लेख किया गया है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 22.11.2012 को खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की बैठक में समिति के साथ चर्चा के दौरान सुझाव दिया था कि गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए प्रसूति प्रसुविधाओं से संबंधित विधेयक की धारा 4, खंड (ख) के उपबंध में मासिक प्रसूति प्रसुविधा की धनराशि का अधिनियम में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि इस धनराशि को बाद में बढ़ाने हेतु अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार भविष्य में धनराशि बढ़ाने को सरल बनाने हेतु प्रसूति प्रसुविधा की धनराशि को अनुसूची में शामिल किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

समिति की सिफारिश

3.15 समिति पाती है विधेयक के खंड 4(ख) के अंतर्गत छह माह की अवधि के लिए 1,000/- रुपए प्रतिमाह का मातृत्व लाभ ऐसी किस्तों में भुगतान योग्य होगा जो केन्द्र सरकार द्वारा विहित की जाए। अतः, समिति सिफारिश करती है कि 1,000 रुपए प्रतिमाह के मातृत्व लाभ के लिए गर्भवती महिलाएं गर्भाधान के तीन माह पश्चात् पात्र होनी चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मातृत्व लाभ केवल दूसरे बच्चे के जन्म तक ही देय होना चाहिए। समिति की यह भी इच्छा है कि 1,000 रुपए की राशि विधेयक के पाठ में अंकित न करके इसकी अनुसूची में अंकित की जाए ताकि इस राशि में परवर्ती संशोधन करने के लिए विधेयक में संशोधन की आवश्यकता न पड़े।

समिति यह भी पाती है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक यह उपबंध भी करता है कि गर्भ के दौरान और शिशु के जन्म के छह माह पश्चात् तक महिला को स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जाने वाला मुफ्त भोजन विधेयक में उल्लेखित पोषण मानकों के अनुसार हो। लेकिन, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त आंगनवाड़ी केन्द्र मौजूद नहीं हैं और अनेक स्थानों पर मौजूद हैं भी तो वहां ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। समिति यह भी महसूस करती है कि गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त भोजन लेने हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों तक जाना व्यावहारिक नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, समिति को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विधेयक के क्रियान्वयन से समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस), जिसे मंत्रालय द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, और किशोरियों हेतु पायलट आधार पर चलाई जा रही राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला), का क्रियान्वयन प्रभावित होगा। दोनों योजनाओं को आंगनवाड़ी

केन्द्रों/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आईसीडीएस के अंतर्गत चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि आईसीडीएस योजना में कार्यक्रम संबंधी एवं प्रचालनात्मक अंतर का सामना करना पड़ रहा है जिस पर पहले ध्यान दिया जाना होगा, और केवल उसके बाद ही यह सेवाओं की डिलीवरी तथा परिणामों के रूप में कार्य-निष्पादन के एक स्वीकार्य स्तर को विकसित कर पाएगी। अत:, समिति सिफारिश करती है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के दो वर्ष बाद तक 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न दिए जाने चाहिए ताकि उसकी प्रसवोपरान्त तथा दुग्धपान दोनों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

3.16 **बच्चों को पोषाहार समर्थन**

खंड 5(1)–चौदह वर्ष तक की आयु का प्रत्येक बालक अपनी पोषक आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित का पात्र होगा:–

(क) छह माह से छह वर्ष की आयु समूह के बच्चों के मामलों में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन, जिससे अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट पोषण मानदंडों को पूरा किया जा सके। परन्तु छह माह की आयु से कम बच्चों के मामले में अनन्य रूप से स्तनपान को ही प्रोत्साहन दिया जाए।

परंतु छह मास से कम आयु के बालकों के लिए, अनन्य स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा।

(ख) छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में कक्षा आठ तक, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर, प्रत्येक दिन नि:शुल्क एक बार दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

3.17 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

भोजन का अधिकार अभियान: खंड 5(1)(ग) अन्त:स्थापित करें। सभी किशोरियों के मामले में अनुसूची-एक में उल्लिखित पोषक मानदंडों के अनुसार गर्म, पका हुआ भोजन अथवा घर ले जाने योग्य राशन के रूप में आयु के उपयुक्त भोजन।

यूनीसेफ: आहार जैसे भोजन के गुणवत्तापरक पहलू, वसा की मात्रा, आकार आदि शामिल हैं, उल्लेख नहीं किया गया है। 6 से 24 महीने के बीच के शिशुओं को पोषक गहन भोजन की आवश्यकता होती है। उनके तीव्र विकास और उदर के छोटे आकार के कारण उपयुक्त बच्चों को उचित भोजन के अधिकार पर बल दिए जाने की आवश्यकता है।

आरम्भ से लेकर दो वर्षों की आयु तक के शुरुआती 1000 दिन, बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए अवसर प्रदान करते हैं। यदि यह अवसर चूक जाता है, तो अवसर हमेशा के लिए बंद हो जाता है और उसके बंद होने से अल्पपोषण और अभाव का पीढ़ी-दर-पीढ़ी चक्र चलता रहता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी): विधेयक में आईसीडीएस के माध्यम से जीवन के पहले 1000 दिनों (आरंभ से लेकर 2 वर्ष की आयु तक) की आवश्यकताओं को पूरा करने पर पर्याप्त बल दिया गया है। आयु के उपयुक्त पोषण की आवश्यकताओं को पीडीएस के साथ समेकित करना साथ ही

एच॰आई॰वी॰/टी॰बी॰ सहित विशिष्ट मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का संज्ञान लिया जाना, रक्षात्मक उपायों की आवश्यकता भी वस्तुत: अनिवार्य है।

श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य (लोक सभा): छह माह से कम आयु के शिशुओं, यदि उन्हें दुग्धपान में कठिनाई है अथवा वे बिना मां के हैं, को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। इससे भी शिशु मृत्यु दर में कमी होगी।

समिति की सिफारिश

3.18 **समिति नोट करती है कि विधेयक की अनुसूची-दो में निर्दिष्ट पोषण मानकों के अनुसार 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से उनकी आयु के अनुसार आयु उपयुक्तता के आधार पर मुफ्त भोजन दिया जाएगा। जैसाकि पूर्ववर्ती पैराओं में कहा गया है, समिति महसूस करती है कि आईसीडीएस योजना अभी इस विधेयक के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा, समिति मुफ्त भोजन के लिए छह माह से 2 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का आंगनवाड़ी केंद्रों में जाना व्यावहारिक नहीं पाती है। अत:, समिति सिफारिश करती है कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों, जो विधेयक के उपबंधों के अंतर्गत 5 कि॰ग्रा॰ खाद्यान्नों के हकदार होंगे, को मुफ्त भोजन प्रदान किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें भोजन उनकी माताओं द्वारा दिया जाएगा जिनको पैरा सं॰ 3.15 की सिफारिश के द्वारा बच्चे के जन्म से दो वर्ष तक 5 कि॰ग्रा॰ अतिरिक्त खाद्यान्न देने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि दो वर्ष से सोलह वर्ष आयु वर्ग (अथवा उनके विद्यालय जाना आरंभ करने की आयु से) के बच्चों को स्थानीय निकायों, सरकारी और सरकारी सहायता द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में एक मुफ्त मध्याह्न भोजन दिया जाए ताकि अनुसूची-दो में निर्दिष्ट पोषण मानकों की पूर्ति हो सके।**

3.19 **लेकिन, समिति पाती है कि आयु संबंधित भौतिक और हार्मोन परिवर्तनों के कारण किशोरियों की पोषण आवश्यकताएं अधिक होती हैं। समिति विशेषज्ञों के इस मत से भी सहमत है कि केवल स्वस्थ लड़कियां ही स्वस्थ माताएं बनेंगी। अत:, उनकी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने और लौह तत्व की कमी को पूरा करने के लिए, फोर्टीफाइड आटा और लौह तत्व की प्रचुरता वाले भोजन की आवश्यकता है। अत:, समिति सुझाव देती है कि सरकार एक अन्य उपखंड 5(1)(ग) जोड़ने पर भी विचार करे जिसका पाठ निम्नवत् हो:**

खंड 5(1)(ग): किशोरियों के मामले में, आयु अनुसार भोजन, गर्म पकाए हुए भोजन के रूप में अथवा अनुसूची-दो में वर्णित पोषक मानकों के अनुसार घर ले जाने योग्य राशन।

(ग) विशिष्ट समूहों की पात्रता

3.20 **खंड 8:** विशिष्ट समूहों, जिनमें सभी निराश्रित व्यक्ति अथवा बेघर व्यक्ति शमिल हैं, निम्नलिखित के पात्र होंगे:

(क) सभी निराश्रित व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित लागत हिस्सेदारी सहित ऐसी योजना के अनुसार प्रतिदिन कम-से-कम एक नि:शुल्क भोजन के हकादर होंगे;

(ख) सभी बेघर व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित लागत हिस्सेदारी सहित ऐसी योजना के अनुसार सामुदायिक रसोईघरों से वहनीय भोजन के हकदार होंगे।

3.21 **समिति के समक्ष प्रस्तुत विचारों/सुझावों का सार**

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)—एफएओ ने यह पाया कि 'निराश्रित' शब्द रूप से परिभाषित नहीं है। यह सामाजिक और कामकाजी समूहों, विशेष रूप से कमजोर हैं, यानि कि बेघर हैं, का पता लगाने की अवधारणा का समर्थन करता है। पता लगाए जाने वाले अन्य समूहों में अनुसूचित जाति, जनजातीय जनसंख्या, सिर पर मैला ढोने वाले, भिखारी, यौनकर्मी, भूमिहीन, मजदूर, शिल्पकार, नि:शक्त व्यक्ति, कुष्ठ रोग अथवा एच॰आई॰वी॰/एड्स जैसे रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, बुजुर्ग अथवा युवा जिन्हें परिवार की सहायता उपलब्ध नहीं है और एकल महिलाएं शामिल हैं।

भोजन का अधिकार अभियान: खंड 8 के पश्चात् एक खंड अन्त:स्थापित करें:

पेशन पात्रता: निम्नलिखित व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अन्य लाभों अथवा पात्रता के पूर्वाग्रह के बिना प्रतिमाह न्यूनतम 1300 रुपये (2009-10 के मूल्य दर) के पात्र होंगे, बशर्ते वे कतिपय अपवर्जन मानदंडों को पूरा करते हों:–

(क) विधवा, अलग रह रही, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिलाएं,

(ख) वृद्ध व्यक्ति,

(ग) नि:शक्त व्यक्ति।

(2) ग्राम पंचायत प्रमाणपत्र: इन मानदंडों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और सिफारिश किए जाने के पश्चात् पेन्शन के लिए पात्रता ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

(3) समय पर वितरण: पेंशन पात्रकर्ताओं के डाकघरों अथवा बैंक खातों के माध्यम से प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नियमित आधार पर प्रतिमाह वितरित की जाएगी।

खंड 8(ख): पात्रता को भोजन की लागत, लागत हिस्सेदारी तथा साथ ही भोजन के पोषक तत्वों के अर्थ में और अधिक स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

यूनीसेफ: अत्यंत बुरी तरह से कुपोषित (एस॰ए॰एम॰) बच्चे और एच॰आई॰वी॰/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों को इस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इन समूहों को विशेष पोषण की आवश्यकता होती है और साक्ष्यों से यह पता चलता है कि पर्याप्त पोषण थिरेपी और उपचार से जीवन को बचाया जा सकता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी): डब्ल्यूएफपी का यह मानना है कि विधेयक में लक्ष्यित समूहों के विवरण को और स्पष्ट किया जा सकता है।

श्री नवीन जिन्दल, संसद सदस्य (लोक सभा): प्रशासन के लिए बेघर अथवा निराश्रित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों का सत्यापन करना कठिन है। इससे सामाजिक ढांचे को तोड़ने का जोखिम हो सकता है, क्योंकि परिवार के आय अर्जित न करने वाले सदस्यों (बुजुर्ग और नि:शक्त) को अपने लिए भोजन की स्वयं व्यवस्था करने के लिए घरों से निकाला जा सकता है।

समिति की सिफारिश

3.22 **समिति नोट करती है कि विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि ऐसी योजनाओं के अनुसार लागत हिस्सेदारी सहित, जो केन्द्र सरकार विहित करे, सभी निराश्रित व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक समय मुफ्त भोजन के हकदार होंगे और सभी बेघर व्यक्ति, सामुदायिक रसोईघरों में सस्ते भोजन के हकदार होंगे। समिति महसूस करती है कि प्रशासन के लिए ऐसे निराश्रित और बेघर लोगों की पहचान करना भी कठिन होगा जिन्हें विधेयक के प्रावधानों के अनुसार ऐसे लाभ दिए जा सकें। इसके अलावा, सामाजिक तानाबाना बिखरने का भी खतरा है क्योंकि उनके भोजन के लिए घर के गैर-कमाऊ सदस्यों को घर से बाहर निकाला जा सकता है। चूंकि समिति ने पैरा सं. 2.12 की सिफारिश में समावेशन श्रेणी में व्यक्तियों की इस श्रेणी को शामिल करने की पहले ही सिफारिश की है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इस खंड का विधेयक से लोप किया जाये।**

(घ) खाद्य सुरक्षा भत्ता

3.23 **खंड 13**–अध्याय-दो, तीन एवं चार के अंतर्गत हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की अधिकृत मात्रा की आपूर्ति न होने के मामले में, ऐसे व्यक्ति संबद्ध राज्य सरकार से प्रत्येक व्यक्ति को भुगतेय ऐसे खाद्य सुरक्षा भत्ते केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित ऐसे समय एवं तरीके के भीतर प्राप्त करने के हकदार होंगे।

खंड 31–राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न की कम आपूर्ति के मामले में केन्द्रीय सरकार अध्याय-दो, तीन तथा चार के अंतर्गत देयता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से कम आपूर्ति की प्रतिपूर्ति के बराबर की राशि देगी।

3.24 **समिति के समक्ष रखे गए सुझावों/विचारों का सार**

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार: राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न या खाद्य पदार्थ की आपूर्ति में विफलता के लिए किए जाने वाले भुगतान के संबंध में इस प्रावधान को लागू करने के पूर्व राज्य सरकार से संपर्क किया जाना चाहिए।

असम राज्य सरकार: खाद्य सुरक्षा भत्ते का भार केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए तथा राशि को प्राथमिकता रूप से बैंक खातों के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाना चाहिए।

ओडिशा राज्य सरकार: खाद्य सुरक्षा भत्ता के संबंध में राज्य सरकार के वित्त इसे वहन करने में सक्षम नहीं होते। केन्द्र सरकार को पूरी लागत वहन करनी चाहिए।

खाद्य का अधिकार अभियान: शामिल करें 'बशर्ते कि ऐसे खाद्य सुरक्षा भत्ते को केवल अंतिम तौर पर ही दिया जाएगा तथा खाद्यान्न की अनापूर्ति के लिए यह दंडात्मक उपाय है'।

बशर्ते यह भी कि ऐसे खाद्य सुरक्षा भत्ते लाभार्थी की हकदार मूल खाद्यान्न मात्रा का पांच गुना होंगे तथा उसे वस्तु रूप में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री नवीन जिन्दल, संसद सदस्य (लोक सभा): इस विधेयक में खाद्य की अनुपलब्धता के होने पर ही खाद्य सुरक्षा भत्ते को प्राप्त करने की हकदारिता का प्रावधान है। हम घर की महिला के हाथों में

सभी लाभार्थियों के लिए एक विकल्प के रूप में सीधे नकदी अंतरण/खाद्य कूपन के इस्तेमाल की सिफारिश करना चाहेंगे।

3.25 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

यद्यपि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किए जाने वाले संभावित अतिरिक्त व्यय के कुछ अनंतिम अनुमान तैयार किए गए हैं, तथापि, इसकी पूरी मात्रा इस विधेयक के अंतिम रूप ग्रहण करने के बाद ही जानी जा सकती है तथा वंचितों एवं बेघर व्यक्तियों, आपात/आपदा प्रभावित व्यक्तियों एवं भुखमरी में जीवन गुजार रहे व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए नयी योजनाओं एवं केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने के पैटर्न सहित जानी जा सकती है। इस विधेयक की धारा 13 एवं 31 में प्रावधान है कि राज्यों को राज्य की ओर से कमी के कारण हकदारिताओं की अप्रदायगी के मामले में ही खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा। केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न की कम आपूर्ति के कारण हुई विफलता की स्थिति में राज्य सरकारों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

समिति की सिफारिश

3.26 **समिति नोट करती है कि केन्द्रीय पूल से किसी राज्य को खाद्यान्नों की कम आपूर्ति के मामले में केन्द्र सरकार खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता सहित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कम आपूर्ति की सीमा तक निधियां मुहैया करवाएगी। अत:, खाद्यान्न सुरक्षा भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु राज्यों द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाएगा और इसलिए इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों की आशंकाएं निराधार हैं। समिति का यह मत है कि विधेयक के खंड उपबंध 13 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व का ध्यान उपबंध 31 के प्रावधानों द्वारा रखा गया है।**

(ङ) प्राथमिक परिवारों एवं सामान्य परिवारों की पहचान

3.27 **खंड 14(1)**—अखिल भारतीय स्तर पर, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए प्राथमिक एवं सामान्य परिवारों के अंतर्गत समग्र ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कवरेज धारा (3) की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट हद तक किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य-वार वितरण समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

खंड 15 (1)—केन्द्र सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राथमिक परिवारों, सामान्य परिवारों की हकदारियों के उद्देश्यों के लिए उनकी तथा अपवर्जन मानदंड की पहचान के लिए दिशा-निर्देश समय-समय पर निर्धारित कर सकती है तथा सरकारी गजट में ऐसे दिशा-निर्देशनों को अधिसूचित कर सकती है।

(2) धारा 14 की उपधाराएं (1) एवं (2) के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिक परिवारों एवं सामान्य परिवारों से संबद्ध व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या के भीतर उपधारा (1) में संदर्भित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार द्वारा यथाविनिर्णीत ऐसी अन्य एजेंसी द्वारा प्राथमिक परिवारों एवं सामान्य परिवारों की पहचान की जाएगी।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अपवर्जन मानदंड के अंतर्गत आने वाले किसी भी परिवार को प्राथमिक परिवार या सामान्य परिवार में नहीं शामिल किया जाएगा।

3.28 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

वित्त मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय इस समय जारी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 जो कई सामाजिक-आर्थिक संकेतों की संख्या संबंधी जानकारी का संग्रह करने के लिए देश में सभी ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण कर रहा है; का समन्वय कर रहा है। देश में केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए ग्रामीण परिवारों की अर्हताएं एवं पात्रताएं एसईसीसी, 2011 के परिणामों की तर्ज पर निर्धारित की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं योजना आयोग इस प्रविधि के बारे में सहमति बनाने के लिए राज्यों, विशेषज्ञों एवं नागरिक समाज संगठनों से संपर्क करेगा जो यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी गरीब या वंचित परिवार विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए जाने से बाहर नहीं किया जाएगा। नियुक्त की जाने वाली विशेषज्ञ समिति यह सुनिश्चित करेगी कि यह प्रविधि खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतिम रूप से तैयार उपबंधों के साथ संगत हो चूंकि, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अर्हता निर्धारण के लिए प्रविधि का निश्चय राज्य सरकारों एवं विशेषज्ञों के साथ संपर्क करके किया जाएगा, राज्य सरकारों की चिंताओं को दूर किया जाएगा। लाभार्थियों के कवरेज के अंतिम निर्धारण में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार वाले परामर्शी तंत्र का बनना विभाग को पसंद होगा।

पंचायती राज मंत्रालय: खंड 15 में उपखंड (2) के बाद उपखंड (3) जोड़ा जाएगा जिसमें पंचायतों की सिफारिशी भूमिकाओं का सुझाव दिया गया क्योंकि इस विधेयक के अध्याय 10 एवं अध्याय 11 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए आखिरकार केन्द्र एवं राज्य सरकारें जवाबदेह हैं। पंचायतों/ग्राम सभाओं को प्राथमिक एवं सामान्य परिवारों के मामलों की सिफारिश करने के लिए भूमिका भी दी जाएगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्राथमिक परिवारों की पात्रता के उद्देश्य के लिए उन परिवारों के रूप में स्वत: स्फूर्त समावेश के लिए परिवार में नि:शक्तता सहित किसी भी संख्या में सदस्यों के संबंध में अधिक उदार मानदंड अपनाने की जरूरत है। प्राथमिक परिवारों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश बनाते समय नि:शक्त व्यक्तियों की कम गतिशीलता, अप्राप्य जानकारी तथा संचार सहित कई कारणों के कारण सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने से जुड़ी उनकी समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर कृपया उचित ध्यान दिया जाए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय: लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग आयोग या समिति की जरूरत नहीं भी हो सकती है। पहचान स्थानीय प्राधिकरणों या जनजातीय हेमलेटों/बसावटों द्वारा की जानी चाहिए। मंत्रालय महसूस करता है कि सुदूर/अगम्य क्षेत्रों की जनजातियों को प्राथमिकता में शामिल किया जाए।

राजस्थान राज्य सरकार: खंड 15(1) में, प्राथमिक परिवारों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने के पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए।

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप्स डीलर्स एसोसिएशन: भारत के लोगों के सभी वर्गों की खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्राप्तकर्ताओं के विभिन्न वर्गों को विभिन्न मूल्यों पर अनिवार्यत: व्याप्त खुले बाजार दरों से कम मूल्यों पर सार्वभौमिक रूप से जरूरत पूरी करनी चाहिए।

इस विचार को आम जनता से प्राप्त हजारों पत्रों द्वारा भी समर्थन मिला है।

द कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सिकंदराबाद: संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) ऑफ इंडिया में उपचार हेतु कुल 15,15,872 तपेदिक मरीजों को पंजीकृत किया गया है और पिछले पांच वर्षों से वार्षिक तौर पर भारत द्वारा अधिसूचित कुल 15,15,872 तपेदिक मरीजों में लगभग 7,50,000 प्रतिमाह 2000 रुपए से कम आय पर गुजारा करते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 मिलियन नए तपेदिक मरीजों की पहचान की जाती है। इनमें से लगभग 7,50,000 बीपीएल तपेदिक मरीजों को अद्वितीय कमजोर समूह के रूप में खाद्य सुरक्षा विधेयक में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। विशिष्ट तौर पर खाद्य सुरक्षा विधेयक के उपबंधों के अंतर्गत पोषक तत्व तक उनकी पहुंच बनायी जानी चाहिए।

खाद्य और कृषि संगठन: आदर्श रूप से व्यक्तियों एवं परिवारों की आय एवं परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े वस्तुनिष्ठ मानदंड पर निर्मित स्थिति से लाभार्थियों की पहचान की जानी चाहिए। निष्पक्षता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने में मदद के लिए पेशेवर अनुमानों एवं सामाजिक प्रमाणों के संयोग के साथ इसे विकेन्द्रित स्तर पर किया जाना चाहिए। यद्यपि एफएओ की इच्छा इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव बनाने की नहीं है।

खाद्य अधिकार अभियान (सचिवालय), नई दिल्ली: पीडीएस पात्रताएं सार्वभौमिक अवश्य होनी चाहिए (अर्थात हर व्यक्ति विभिन्न वर्गों में विभाजित किए बगैर राजसहायता अनाज प्राप्त करने के लिए जरूर अर्ह होना चाहिए। यह भी निवेदित है कि इस विधेयक में बीपीएल सूची का उल्लेख नहीं है, इसमें यह भी विनिर्दिष्ट नहीं है कि प्राथमिक एवं सामान्य वर्गों की पहचान कैसे की जानी है। अध्याय छह में केवल यही उल्लिखित है कि ऐसी पहचान केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेशों पर आधारित होगी। यह भी गारंटी नहीं है कि अपवर्जन की वर्तमान गलतियों को किसी नए एप्रोच में ध्यान में रखा जाएगा। यह माना जा सकता है कि प्राथमिक एवं सामान्य वर्गों की पहचान जारी एसईसीसी, 2011 के आधार पर की जाएगी। एसईसीसी के डिजाइन में कई समस्याएं हैं तथा इसमें अपवर्जन गलती होनी तय है। यह बात पूर्ववर्ती इस तर्क से जुड़ी है कि ऐसे वर्गीकरण से पीछा छुड़ाने की जरूरत है। कौन क्या लाभ प्राप्त करने का हकदार है इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करने वाला अधिनियम बनाना अनुचित है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम, नई दिल्ली: प्राथमिक परिवारों एवं सामान्य परिवारों की पहचान के लिए प्रविधि के संबंध में संगठन ने कहा है कि कई अध्ययनों एवं समितियों ने गरीबों की पहचान के संबंध में प्रतिवेदन दिए हैं। जबकि इस पर डब्ल्यूएफपी का कोई विशिष्ट सुझाव नहीं है पर वे महसूस करते हैं कि ऐसी पहचान विभेदों को ध्यान में रखने के ठोस तर्क एवं सजग प्रयास पर आधारित एवं पारदर्शी होनी चाहिए। अपवर्जन के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंड होने चाहिएं तथा शेष की सार्वभौमिक पहुंच पात्रता तक होनी चाहिए।

श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा): इस विधेयक के उद्देश्य के लिए केवल एक ही अपवर्जन मानदंड होना चाहिए वह है–सभी आय कर दाता। शेष को इस हकदारिता के पूर्ण लाभ का हकदार बनाया जाना चाहिए। उपर्युक्त खंडों में तद्नुसार संशोधन किया जाना चाहिए। यह भी नोट किया जाए कि वर्तमान में भी जहां राज्य सरकारों द्वारा सार्वभौमिक प्रणाली स्थापित है वहां भी उनके द्वारा स्व:अपवर्जन है जो बाजार से बेहतर गुणवत्ता का अनाज खरीदने को वरीयता देते हैं एवं ऐसा वहन कर सकते हैं।

3.29 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

उपर्युक्त सुझावों पर प्रतिक्रिया देते समय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने समिति को सूचित किया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय चल रही सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 का समन्वय कर रहा है। इसी तरह का सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रों में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जा रहा है। सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 के लिए प्रविधि के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को तीन कदमों में निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है—

(i) पहला, एक परिवार सेट को अपवर्जित किया जाता है।

(ii) दूसरा, एक परिवार सेट को अनिवार्यत: शामिल किया गया है।

(iii) तीसरा, शेष परिवारों को वंचन संकेतों की संख्या के अनुसार रैंक दिया गया है।

इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्वत: अपवर्जन समावेशन मानदंड और वंचन संकेतकों के ब्यौरे के बारे में निम्नवत् सूचित किया—

स्वत: स्फूर्त अपवर्जन मानदंड—

(1) दो/तीन/चार चक्कों वाली मोटर गाड़ियां/मत्स्यन नौकाएं (जिनके लिए पंजीकरण की जरूरत होती है।)

(2) ट्रेक्टर, हार्वेस्टर आदि जैसे तीन/चार चक्के वाले मोटरीकृत कृषि उपकरण।

(3) 50,000 रुपए एवं अधिक राशि की उधार सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।

(4) परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है-राजपत्रित/अराजपत्रित/केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू, सरकारी-सहायता-प्राप्त स्वायत्त निकाय एवं स्थानीय निकाय।

(5) सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषीय उद्यम वाले परिवार।

(6) परिवार में 10,000 रुपए प्रतिमास अर्जित कर रहा कोई सदस्य।

(7) आय कर दाता, व्यवसाय कर दाता।

(8) पक्की दीवारों एवं पक्की छतों वाले सभी तीन या चार कमरों में रह रहे परिवार।

(9) रेफ्रिजरेटर रखने वाले परिवार।

(10) लैंडलाइन फोन रखने वाले परिवार।

(11) डीजल/बिजली से चलने वाले नलकूप/ट्यूबवैल जैसे कम से कम एक सिंचाई उपकरण सहित 2.5 एकड़ या अधिक सिंचाईं वाली भूमि के स्वामी परिवार।

(12) दो या दो से अधिक फसल मौसम के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचाई वाली भूमि।

(13) डीजल/बिजली से चलने वाले नलकूप/ट्यूबवैल जैसे कम से कम एक सिंचाई उपकरण वाली 7.5 एकड़ या अधिक भूमि के स्वामी परिवार।

स्वत: स्फूर्त समावेशन मानदंड—

(1) आश्रयविहीन परिवार

(2) दान पर आश्रित/वंचित परिवार

(3) सिर पर मैला ढोने वाला परिवार

(4) प्राथमिक जनजातीय समूह

(5) कानूनी रूप से विमुक्त बंधुआ मजदूर

वचन संकेतक

(1) कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले एक कमरे में रहते परिवार

(2) 16 और 59 वर्ष की आयु के बीच वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार

(3) 16 एवं 59 वर्ष के बीच के वयस्क पुरुष सदस्य रहित स्त्री नेतृत्व वाले परिवार

(4) किसी नि:शक्त व्यक्ति तथा एक भी शारीरिक रूप से समर्थ वयस्क सदस्य रहित परिवार

(5) एससी//एसटी परिवार

(6) 25 वर्ष से ऊपर के एक भी साक्षर वयस्क रहित परिवार

(7) वैसे भूमिहीन घरों, जो अनियत श्रम के माध्यम से अपने आप का अधिकांश भाग प्राप्त करते हैं।

एसईसीसी, 2011 की वर्तमान स्थिति और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है, के बारे में पूछे जाने पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने निम्नवत् जवाब दिया:

आवास और शहरी गरीबी उपशमन (एचयूपीए) मंत्रालय ने बताया कि एसईसीसी, 2011 सर्वेक्षण प्रगति में है। राज्य/शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों और अन्य स्थानीय कारकों के कारण कुछ राज्यों में क्षेत्र संबंधी कार्य का देर से शुरू होना इसके विलंब का कारण है। 28 जून, 2011 को भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से एसईसीसी शुरू किया गया। शहरी नगरों/शहरों के लिए मांगे जाने हेतु गणना खंडों (ईबी) की कुल संख्या 6.3 लाख है। अब तक 5.5 लाख ईबी में गणना प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जो कुल संख्या का 88% है। 4.2 लाख ईबी का निरीक्षण किया जा चुका है जो कुल ईबी गणना का 75% है। वर्तमान में, 28 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, नामत: हरियाणा, नागालैंड, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, असम, मिजोरम, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश ने गणना का कार्य पूरा कर लिया है और छह राज्यों नामत: मणिपुर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है।

एसईसीसी के संबंध में ग्रामीण विकास (आरडी) मंत्रालय से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अक्तूबर, 2012 में पहले ही सचिव, खाद्य और जन वितरण विभाग ने सचिव, ग्रामीण विकास के

साथ सामाजिक-आर्थिक और जनगणना (एसईसीसी) 2011 की प्रगति संबंधी चर्चा की है। यह सूचित किया गया था कि अनुमानत: 68% सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया। विशेषकर उत्तर प्रदेश में, आधी जनसंख्या को पहले चरण में कवर कर लिया गया है। जैसे ही पहला चरण पूरा होगा, शेष बची जनसंख्या की गणना की जाएगी, क्योंकि इस प्रयोजन हेतु वही पीसी टेब्लेट्स का उपयोग किया जाना है। एक बार गणना कार्य पूरा हो जाने के बाद, विश्लेषण और प्राक्कथन की प्रक्रिया तथा आपत्तियां और अपील आदि मांगने का कार्य किया जाएगा। इन सभी कार्यों में समय लगेगा। इसलिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके पूरा होने की समय-सीमा बताने में असमर्थ है। यह भी उल्लेख किया गया था कि राज्यों को मामलों की स्थिति की वास्तविक जांच करने के लिए कहा गया है, जिसे स्वत: समेकन मानक के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

समिति की सिफारिश

3.30 **समिति यह पाती है विधेयक से संबंधित अधिकांश विवाद ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिकता दिए जाने वाले परिवारों की पहचान के इर्द-गिर्द केन्द्रित हैं। सरकार को अभी जनसंख्या को प्राथमिकता वाले तथा सामान्य परिवारों के श्रेणीकरण हेतु मानदंड निर्दिष्ट करना है। विधेयक में बीपीएल सूचियों का उल्लेख नहीं किया गया है और यह भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि प्राथमिकता वाले तथा सामान्य परिवारों की पहचान किस प्रकार की जाएगी। विधेयक में केवल यह उल्लेख है कि कवरेज के राज्य-वार वितरण का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना है। राज्य-वार कवरेज के भीतर प्राथमिकता वाले तथा सामान्य परिवारों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जानी है। प्राप्त मतों/सुझावों पर विचार करते हुए, समिति का यह भी मत है कि सरकार प्राथमिकता वाले परिवारों, सामान्य परिवारों की पहचान तथा पृथकीकरण मानदंड हेतु दिशा-निर्देश विहित करने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श हेतु एक उचित तंत्र बनाए क्योंकि राज्य सरकारों को ही अपने संबंधित राज्यों में प्राथमिकता वाले तथा सामान्य परिवारों की पहचान का उत्तरदायित्व दिया जा रहा है। समिति को यह सूचित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय इस समय किए जा रहे सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण (एसईसीसी, 2011) का समन्वय कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में इसी प्रकार के सर्वेक्षण का समन्वय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। जब सरकार ने स्वयं बताया है कि जारी एसईसीसी सभी सरकारी योजनाओं हेतु पात्रता का आधार होगी, खाद्य सुरक्षा विधेयक ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% की कृत्रिम सीमा लगाकर एसईसीसी के निष्कर्ष को पहले से निर्धारित करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 25% और शहरी क्षेत्रों में 50% के पृथकीकरण में परिणत होता है। यह देखते हुए कि अधिकांश भारतीयों को अभी भी राजसहायता-प्राप्त खाद्यान्नों की आवश्यकता है, समिति केन्द्र सरकार से पुरजोर आग्रह करती है कि वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अधीन पात्रता हेतु परिवारों की पहचान में राज्य सरकार के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दे और यह सुनिश्चित करे कि पात्र व्यक्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य समाज कल्याण योजनाओं की कवरेज से छूट न जाए। समिति यह महसूस करती है कि ऊपरी मध्यम वर्ग तथा धनी तबके के सबसे ऊपरी स्तर के सिवाय, अन्य सभी परिवारों को खाद्यान्न तथा दालें एवं खाना पकाने के तेल आदि जैसी अन्य सभी आवश्यक वस्तुएं राजसहायता-प्राप्त दरों पर मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्धनतम परिवारों और विशेष रूप से**

संवेदनशील स्थिति अर्थात् टीबी रोगी, कुष्ठ रोगी आदि को अतिरिक्त सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार को विधेयक के अंतर्गत संबंधित उपबंध में संशोधन करना चाहिए।

(च) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

3.31 **खंड 18** (1) केन्द्र और राज्य सरकारें इस अधिनियम में उनके लिए संकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली में आगामी रूप से आवश्यक सुधार करने हेतु प्रयास करेंगी।

(2) सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल होंगे—

(क) लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली के केन्द्रों पर ही खाद्यान्नों का परिदान।

(ख) सभी स्तरों पर कार्य-संव्यवहार के पारदर्शी रिकॉर्डिंग अन्यत्र उपयोग को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।

(ग) इस अधिनियम के तहत अधिकतम लाभों के लक्ष्य के लिए अधिकृत लाभ भोगियों के बायोमीट्रिक सूचना के साथ-साथ विशिष्ट पहचान हेतु ''आधार'' को शक्ति प्रदान करना।

(घ) रिकॉर्ड करने में पूर्ण पारदर्शी होना।

(ङ) उचित मूल्य की दुकानों को लाइसेंस प्रदान करने तथा महिलाओं या उनके समूहों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों का प्रबंधन करने में पंचायतों, स्व-सहायता समूहों, सहकारी संस्थानों जैसी लोक संस्थाओं या लोक निकायों को वरीयता देना।

(च) समयांतराल पर जन वितरण प्रणाली के तहत वितरित सामग्रियों में विविधता लाना।

(छ) स्थानीय जन वितरण मॉडलों और अनाज बैंकों को सहायता।

(ज) अध्याय-दो में उल्लिखित लाभ भोगियों के खाद्यान्न हकदारी के बदले उन्हें नकद हस्तांतरण, खाद्य कूपनों जैसी योजनाएं या अन्य योजनाएं उन क्षेत्रों और उन तरीकों से शुरू करना, जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

3.32 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सिफारिशों का सार**

वित्त मंत्रालय: अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान किये जाएं ताकि राज्य निर्धारित समयावधि (अर्थात् 3 या 5 वर्ष) में पीडीएस में सुधार करें।

पंचायती राज मंत्रालय: खंड 18(2) के संबंध में लाइसेंस जारी और संवितरण संबंधी कार्य में अन्त:समायोजन है। लाइसेंस देने संबंधी कार्य एक सरकारी कार्य है और पंचायतें, नगर निगम तथा निर्वाचित ग्राम परिषदें जैसे प्राधिकरणों को ही यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। संवितरण का कार्य अधिमानी रूप से महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), सहकारी समूहों द्वारा ही किया जाना चाहिए। संवितरण क्षेत्रों में पंचायतों को भी संवितरण कार्य में वरीयता होनी चाहिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय: अधिकतम कुपोषण और भुखमरी एक गंभीर बीमारी है जो जनजातीय लोगों को प्रभावित कर रही है। उन्हें पोषणकारी खाद्य सामग्री के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में खाद्यों की आपूर्ति करनी जरूरी है। ज्वार-बाजरा (रागी, मक्का आदि) जनजाति लोगों का एक पौष्टिक भोजन है। पीडीएस के तहत जनजाति लोगों/वनवासियों को अनन्य रूप से पर्याप्त मात्रा में ज्वार-बाजरा मिलना चाहिए और विधेयक में इससे संबंधित प्रावधान करने की आवश्यकता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम, नई दिल्ली: जनसंख्या के लघु पोषाहारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विधेयक में उचित ध्यान देना महत्वपूर्ण है। विश्व में लगभग 76 देशों ने गेहूं के आटे को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर दिया है। ज्वार-बाजरा और मोटे अनाजों को शामिल करना तथा इसके माध्यम से पीडीएस की खाद्य सामग्री में विविधता लाना एक अन्य पूरक रणनीति हो सकती है। इसलिए, खंड 18(2) में संशोधन अनिवार्य है।

3.33 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

विभिन्न राज्यों में टीपीडीएस में सुधार लाने संबंधी स्थिति के बारे में बताते हुए खाद्य और जन वितरण विभाग ने निम्नवत् बताया:

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेवारी के तहत संचालित है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आकलन और भारतीय खाद्य निगम के तहत डिपो तक खाद्यान्नों को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में खाद्यान्नों का आबंटन करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी पात्र गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का पर्यवेक्षण और इनके कार्यकरण की निगरानी का कार्य संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों में निहित है।

विभाग समय-समय पर टीपीडीएस के कार्यकरण का मूल्यांकन अध्ययन करता है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) और टीपीडीएस पर मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर योजना आयोग और ओआरजी एमएआरजी ने 2005 में टीपीडीएस के तहत खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग/लीकेज, बीपीएल एवं एएवाई परिवारों आदि की पहचान करने में उन्हें छोड़ देने और शामिल करने संबंधी चूकों के बारे में बताया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा टीपीडीएस की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए जुलाई 2006 में एक नौ-सूत्री कार्य-योजना बनायी गयी। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विचारों और कार्रवाई के संबंध में 30.9.2012 तक की रिपोर्ट निम्नवत् है:—

(1) राज्यों को बीपीएल/एएवाई सूची की समीक्षा करने और जाली राशन कार्डों को निरस्त करने के लिए अभियान चलाना चाहिए - कार्य योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जुलाई, 2006 तक 27 राज्यों में कुल 318.50 लाख जाली/अनुचित राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया।

(2) खाद्यान्नों के लीकेज-मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना- 33 राज्यों ने सूचित किया है कि खाद्यान्नों के लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

(3) पारदर्शिता के लिए खाद्यान्नों के संवितरण में निर्वाचित पीआरआई सदस्यों को शामिल करना सुनिश्चित करना, एफपीएस लाइसेंस स्व-सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी समूहों आदि को देना-29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एफपीएस की मॉनीटरी करने के लिए सतर्कता समितियों में पीआरआई को शामिल किया गया है। 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने यह सूचित किया है कि ग्राम पंचायत, स्व-सहायता समूह, सहकारी समूह आदि एफपीएस को चला रहे हैं। लगभग 5.14 लाख कार्यरत एफपीएस में से करीब 1.26 लाख एफपीएस अर्थात् लगभग 25% एफपीएस को ऐसे संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है।

(4) उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बीपीएल और एएवाई सूची को प्रदर्शित करना-31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एफपीएस पर बीपीएल सूची प्रदर्शित की गई है।

(5) जनता की जानकारी के लिए वेबसाइटों पर पीडीएस सामग्रियों का उचित मूल्य दुकान-वार और जिले-वार आबंटन का प्रदर्शन-21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में वेबसाइटों तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर खाद्यान्नों का जिला-वार और एफपीएस-वार आबंटन का प्रदर्शन करने के संबंध में कार्रवाई शुरू की गयी है।

(6) उचित मूल्य की दुकानों पर ही पीडीएस सामग्रियों को उपलब्ध कराना–खाद्यान्नों के परिवहन के लिए निजी परिवहन मालिकों के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा ही उचित मूल्य की दुकानों पर ही खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने का कार्य 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। इससे खाद्यान्नों के परिवहन के दौरान होने वाली बर्बादी में कमी आई है तथा एफपीएस मालिकों को होने वाली हानि में कमी आई है। शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से यथासंभव दुकानों पर ही खाद्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने का कार्य शुरू करने का भी अनुरोध किया गया है।

(7) एफपीएस पर खाद्यान्नों की समयबद्ध उपलब्धता और एफपीएस द्वारा खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करना—इस संबंध में 32 राज्यों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(8) सतर्कता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण—27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों ने एफपीएस स्तर के सतर्कता समिति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भारत सरकार टीपीडीएस के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्लान योजना के अंतर्गत धनराशि भी उपलब्ध करा रही हैं।

(9) टीपीडीएस प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि का उपयोग — पीडीएस का कम्प्यूटरीकरण विभाग का अति प्राथमिकता वाला कार्य है। प्रत्येक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ राशन कार्डों और अन्य आंकड़ों का डिजिटीकरण, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, पारदर्शी पोर्टल का निर्माण, शिकायत निवारण तंत्र और स्वतंत्र एफपीएस के कार्य को लिया गया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य-योजना को तैयार कर लिया है। विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और समय-सीमा संबंधित निदेश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजे गए हैं। अवसंरचना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्लान योजना को अनुमोदित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, टीपीडीएस को मजबूत बनाने के लिए अनेक अन्य उपाय किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं—

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उपयोग करके जनता द्वारा टीपीडीएस की कार्य-प्रणाली जांच करने के लिए और इसे पारदर्शी और संशोधनीय बनाने के उद्देश्य से विभाग ने जुलाई, 2007 में एक संशोधित मॉडल सिटीजन्स चार्टर जारी किया ताकि सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारें उसे अपनाएं तथा इसका कार्यान्वयन कर सकें। 8.2.2008 की बैठक में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सचिवों ने इसके त्वरित कार्यान्वयन पर सहमति जताई। अब तक, 34 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों ने संशोधित मॉडल सिटीजन्स चार्टर को अपनाने और कार्यान्वयन करने संबंधी रिपोर्ट दी है।

(ii) उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मार्च, 2008 में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को यह निदेश जारी किया गया है कि ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों/सतर्कता समितियों/महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा आबंटन माह के दौरान उचित मूल्य की दुकानों को समय पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने एवं राशन कार्ड धारकों को इसका संवितरण मासिक प्रमाणपत्र देने का कार्य शुरू किया जाए। अब तक 23 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों ने यह मासिक प्रमाणपत्र देने संबंधी कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट दी है।

(iii) टीपीडीएस के कार्यकरण की वृहतर लोक जांच को सुगम बनाने के उद्देश्य से टीपीडीएस को सुदृढ़ करने संबंधी योजना के तहत टीपीडीएस पर प्रचार-सह-जागरूकता अभियान को शुरू किया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ 8 राज्यों को 59.832 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान आंध्र प्रदेश (8.4 लाख रुपये), केरल (19.30 लाख रुपये) और त्रिपुरा (3.05 लाख रुपये) के लिए 30.756 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए थे।

(iv) राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को इस शर्त के साथ एक विषय के अधीन टीपीडीएस के तहत एक साथ छह मास का राशन उठाने और उसका संवितरण करने की अनुमति दी गई कि लाभार्थियों पर अपनी हकदारी के अनुरूप खाद्यान्नों को लेने का दबाव न हो तथा वैसे लाभार्थी जो संपूर्ण हकदारी खाद्यान्न को उठाना नहीं चाहते हैं या इसके लिए खर्च नहीं कर सकते हैं उन्हें किस्तों में खाद्यान्न लेने की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव राज्य सरकार के कर्मचारियों, पीआरआई के प्रतिनिधियों, ग्राम सभा, संबंधित एनजीओ में सतर्कता समितियों के सदस्यों आदि की उपस्थिति में खाद्यान्नों का बल्क में संवितरण किया जा सकता है।

(v) टीपीडीएस हेतु खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग और लीकेज को समाप्त करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 'टीपीडीएस हेतु खाद्यान्नों के

लीकेज/अन्यत्र उपयोग को रोकने हेतु नवोन्मेषी योजना' नामक एक योजना को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया। इस योजना के तहत टीपीडीएस के खाद्य सामग्रियों को ले जाने वाले वाहनों पर वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) उपकरणों को लगाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना की सफलता के संबंध में प्राप्त फीडबैक को देखते हुए इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत धनराशि संस्वीकृत करने के लिए भी वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(vi) लक्ष्यित लाभार्थियों के पोषाहार संबंधी सुधार हेतु अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ मिलाकर साबुत गेहूं के स्थान पर गेहूं का आटा/सुरक्षित गेहूं के आटे के संवितरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभाग ने 5 जनवरी, 2008 में इस विषय पर संशोधित नीति दिशानिर्देश जारी किया था। 30.9.2012 के अनुसार 17 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र टीपीडीएस के अंतर्गत गेहूं का आटा/पौष्टिक गेहूं का आटा का वितरण कर रहे हैं।

(vii) एफपीएस के प्रचालनों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप दैनिक उपयोग हेतु गैर-पीडीएस सामग्रियों की बिक्री करने की अनुमति देकर सामग्रियों की सूची को बढ़ाने के लिए एफपीएस लाइसेंसधारियों को इसके लिए अनुमति देने की सलाह दी गयी है। 13 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों ने यह पुष्टि की है कि इन राज्यों में एफपीएस खाद्य तेल, दालों, दुग्ध पाउडर, साबुन आदि गैर-पीडीएस सामग्रियों की बिक्री कर रही हैं।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वर्ष 2001 में कमीशन के निर्धारण का अधिकार दिया गया था ताकि वे उचित दर दुकान अनुज्ञप्तिधारियों के कमीशन में वृद्धि करने में समर्थ हो सकें। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से उचित दर दुकान के डीलरों को संदत्त किए जा रहे कमीशन का पुनर्मूल्यांकन और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है ताकि उचित दर दुकान की परिचालन व्यवहार्यता बढ़ सके।

विभाग ने आगे बताया है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार नियमित रूप से सलाह जारी कर रही है तथा सम्मेलन आयोजित कर रही है जिसमें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से बीपीएल और एएवाई परिवारों की सूची की लगातार समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है ताकि उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण तथा निगरानी में सुधार किया जा सके। राज्य सरकार को आवंटित खाद्यान्नों का उपयोग प्रमाणपत्र भी राज्य सरकारों से नियमित रूप से प्राप्त किया जाता है।

समिति की सिफारिश

3.34 समिति पाती है कि कई बार उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थियों को आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न निम्न गुणवत्ता के होते हैं और राज्य के अंदर विभिन्न सरकारी गोदामों में रखे हुए खाद्यान्नों की गुणवत्ता में भी काफी भिन्नता होती है। समिति यह भी पाती है कि योजना आयोग द्वारा लक्ष्यित

सावर्जनिक वितरण प्रणाली के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन में यह देखा गया है कि पीडीएम खाद्यान्नों के तीन सर्वाधिक बड़े स्रोत राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से खरीदे गए पीडीएस खाद्यान्नों में बाहरी कण तुलनात्मक रूप से कम पाए गए। यह भी देखा गया है कि प्रमुख निर्भर राज्यों नामत: पूर्वोत्तर राज्यों, केरल, तमिलनाडु और बिहार में पीडीएस खाद्यान्नों में बाहरी कणों की सर्वाधिक मिलावट की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। अत:, समिति चाहती है कि केंद्रीय सरकार खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक मानदंड निर्धारित करे और इसे विधेयक के खंड 18(2) में शामिल किया जाए। इसके अलावा, समिति की इच्छा है कि राज्य खाद्य आयोगों को केंद्रीय सरकार से सुपुर्दगी लेने से पहले खाद्यान्नों की जांच करने के प्राधिकार दिए जाएं और अंतिम उपभोक्ताओं को भी उन खाद्यान्नों की सुपुर्दगी को लेने से मना करने का भी अधिकार दिया जाए जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गुणवत्ता मानक मानदंड से निम्न होते हैं।

समिति, खाद्यान्नों की ढुलाई करने वाले वाहनों में जीपीएस उपकरण लगाने की आवश्यकता पर भी जोर देती है ताकि इन खाद्यान्नों के परिवहन में लीकेज/अन्यत्र उपयोग से बचा जा सके। संबंधित खंड में उपर्युक्त सीमा तक संशोधन किया जाए।

3.35 समिति पाती है कि विधेयक में पोषक खाद्यान्नों/पोषक आटा/दलहन/तेल/चीनी/ज्वार/बाजरा और अन्य पोषक तत्वों (मोटे अनाज) आदि के लिए कोई उपबंध नहीं है और इसलिए यह लाभार्थियों की पोषक तत्व संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है। यह अवश्य महसूस होता है कि देश के पोषण के साथ-साथ कृषि प्रणाली में पुन: संतुलन लाया जाए जो प्रमुख अनाज अर्थात् चावल और गेहूं पर अत्यधिक जोर देने के कारण बिगड़ गया है। समिति की यह इच्छा भी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों के साथ-साथ दलहन, तेल और ज्वार-बाजरा भी उपलब्ध कराया जाए जिससे कुपोषण की समस्या के समाधान में सहायता मिले। अत:, समिति सिफारिश करती है कि खंड 18(2) (क) को निम्नवत् रूप में परिवर्तित किया जाए:—

> ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केन्द्रों पर पोषक खाद्यान्नों/पोषक आटा/दलहन/चीनी/ज्वार-बाजरा और अन्य पोषक तत्वों (मोटे अनाजों) की सुपुर्दगी।''

3.36 समिति पाती है कि खंड 18(2)(ख) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में सुधार में निम्नवत् कथन यथा ''सभी स्तरों पर लेन-देन का पारदर्शक अभिलेखन सुनिश्चित करने और विपथन को रोकने के लिए संपूर्ण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का अनुप्रयोग'' शामिल किया जाए।

समिति की इच्छा है कि गेहूं, चावल, चीनी आदि के भंडारण गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि इन सामग्रियों की आवाजाही के सभी कार्यकलापों को सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड किया जा सके। सभी भंडारण केंद्रों को जिला मुख्यालय में स्थापित इंटरनेट प्रणाली से जोड़ा जाए ताकि इन सामग्रियों की प्राप्ति और निर्गम के समस्त कार्यकलापों को ऑनलाइन देखा जा सके। पीडीएस वस्तुओं नामत: गेहूं, चावल, चीनी आदि का वितरण कम्प्यूटर सृजित बिलों के माध्यम से किया जाए जिन्हें संबंधित राज्यों के मुख्यालयों के साथ जोड़ा जाए। इससे उपर्युक्त वस्तुओं के वितरण में भ्रष्टाचार में कमी होगी।

3.37 **समिति की यह भी इच्छा है कि सरकार खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस यंत्र संस्थापित करने पर विचार करे ताकि इन अनाजों के परिवहन में लीकेज/विपथन को रोका जा सके। प्रासंगिक खंड को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाना चाहिए।**

3.38 **समिति नोट करती है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों के अंतर्गत खंड 18(2)(ज) के तहत विधेयक में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए गए के अनुसार ऐसे क्षेत्र और विधि से खाद्यान्न पात्रता के बदले नकद हस्तांतरण, खाद्य कूपनों अथवा अन्य स्कीमों जैसी योजनाएं शुरू करने के लिए व्यवस्था की गई है। जहां तक लाभार्थियों को नकद हस्तांतरण शुरू करने के विचार का संबंध है, पैरा संख्या 2.68 के द्वारा, समिति की इच्छा है कि सरकार खाद्य पात्रताओं के बदले में लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण शुरू करने के पहले देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त बैंकिंग प्रणाली की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे।**

(छ) शिकायत निवारण तंत्र

3.39 खंड 21(1) अध्याय दो, तीन और चार के अंतर्गत पात्र खाद्यान्नों अथवा भोजन के वितरण से संबंधित मामलों में असंतुष्ट व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए इन पात्रताओं और जांच को लागू करने और शिकायतों के निवारण के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में अपेक्षित कर्मचारियों सहित एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार जिला शिकायत निवारण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और अन्य व्यय जो उनके सुचारु कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं, प्रदान करेगी।

(5) उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारी पात्र खाद्यान्न अथवा भोजन के गैर-वितरण और इससे संबंधित मामलों संबंधी शिकायतों की सुनवाई करेगा और उनकी शिकायत के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रकार और समय में आवश्यक कार्रवाई करेगा।

3.40 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग): प्रत्येक आयोग में कम से कम एक सदस्य पंचायत से होना चाहिए।

पंचायती राज मंत्रालय: खंड 21(1) में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाए:

जिला पंचायत की एक निर्वाचित महिला सदस्य और शहरी जिले, जहां पंचायतें नहीं हैं, नगरपालिका की एक निर्वाचित महिला सदस्य पदेन अवर जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगी।

खंड 21 में अन्य उपखंड (8) निम्नवत् जोड़ा जाए:

21(8) शिकायत निवारण अधिकारी उपर्युक्त मामलों पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और नगरपालिकओं के प्रत्येक निर्णय पर विचार करेंगे।

पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपने साक्ष्य में आगे बताया:

''ऐसा इसलिए क्योंकि गांव स्तर पर, लोगों की उच्च अधिकारियों तक पहुंच नहीं है परंतु उनकी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों तक सीधी पहुंच होगी। यदि प्रारूप विधेयक में यह प्रावधान किया जाता है, तो यह लाभप्रद होगा।''

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार: राज्य प्रस्तावित शिकायत निवारण तंत्र आदि पर सहमत है तथापि एनएफएसबी के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के रखरखाव का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाए क्योंकि राज्य सरकार इस व्यय को वहन नहीं कर सकती।

बिहार राज्य सरकार: केन्द्रीय अधिनियम होने के कारण संपूर्ण प्रतिष्ठान और जिला शिकायत निवारण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों पर होने वाले आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय की आकस्मिक लागत केन्द्र सरकार वहन करेगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार: छोटे क्षेत्र के कार्यकलाप के लिए जिला शिकायत अधिकारी की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। डीएफएससी का मौजूदा तंत्र इससे निपट सकता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार: अतिरिक्त वित्तीय बोझ भारत सरकार द्वारा वहन किया जाए।

राजस्थान राज्य सरकार: इस संबंध में वित्तीय व्यय पूर्णत: भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये।

उत्तराखंड राज्य सरकार: खाद्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण और शिकायत निवारण कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं जो वे पिछले अनेक वर्षों से कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी): यह प्रस्ताव किया गया है कि केवल आईसीटी टूल के व्यापक उपयोग से ही प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र संभव है जिससे भूमिका-आधारित सूचना प्रदान की जा सकती है।

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर): राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक/मंडल और जिला स्तर पर शिकायत प्राधिकरण के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकरण के रूप में चिन्हित और अधिसूचित करेंगी। प्रत्येक अधिसूचित स्थानीय प्राधिकरण दर्ज की गई शिकायतों और उन पर लिए गए निर्णयों के अभिलेखों का रख-रखाव करेगा और राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

भोजन का अधिकार अभियान: शिकायत निवारण तंत्र के लिए पात्रताओं को प्रदान करने के उत्तरदायित्वों को प्रभावी रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रत्येक लोक प्राधिकरण/कार्यालय कर्त्तव्यों के दायित्वों का विवरण और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों के प्रति दायित्वों और प्रतिबद्धताओं का विवरण तैयार किया जाना चाहिए जो प्रदान किए जाने वाले सेवाओं, लाभार्थियों की पात्रता, सेवाओं को प्रदान करने में उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षण आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 में प्रत्येक प्राधिकरण को अपने दायित्वों को सार्वजनिक

किया जाना अपेक्षित है। दायित्वों का विवरण/नागरिक संहिता का उल्लंघन और कोई सेवा अथवा दायित्वों को इस प्रकार प्रदान करने में असफलता जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित होगा को शिकायत के रूप में परिभाषित किया जाए।

एनएफएसबी के अंतर्गत प्रस्तावित शिकायत निवारण तंत्र जिला स्तर पर आरंभ होता है। परंतु यह लोगों के प्रभावी पहुंच से बहुत दूर है। पंचायत स्तर से लेकर प्रत्येक कार्यालय में अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किसी कोताही के बारे में शिकायतें प्राप्त करने और निपटारा करने के लिए एक नामनिर्दिष्ट शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) होना चाहिए। एनएफएसबी को खंड स्तर पर सुविधा केन्द्र अवश्य स्थापित करने चाहिए जो नागरिकों की शिकायतें दर्ज करेंगे और इन शिकायतों को उचित जीआरओ को प्रेषित करेंगे।

श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य (लोक सभा): खंड 21 के उप-खंड 5 में संदर्भित अधिकारी को जिले में सार्वजनिक सूचना/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। साक्ष्य के दौरान श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य (लोक सभा) ने निम्नवत् बताया:

> ''...मैं बताना चाहूंगा कि निर्दिष्ट अधिकारियों को ब्लॉक और जिला स्तरों पर सूचना प्रसार और कार्यक्रमों के माध्यम से जन-जागरूकता निर्मित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए। कई बार योजनाएं होती हैं परंतु लोगों को उनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती और वे उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते।''

श्री मणि शंकर अय्यर, संसद सदस्य (राज्य सभा): शिकायत निवारण उपबंधों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पंचायतों में किसी भी स्तर पर निर्वाचित महिलाएं (या पुरुष) प्रतिनिधि हों। संपूर्ण शिकायत निवारण तंत्र को नौकरशाही के माध्यम से ढांचाबद्ध किया गया है, जिसमें राजनीतिक नामित प्रतिनिधि होते हैं। संपूर्ण प्रणाली को जिला पंचायत के अंतर्गत जिला स्तर पर लाया जाना चाहिए और नौकरशाही को निर्वाचित स्थानीय निकाय के अंतर्गत सेवा करनी चाहिए। उच्चतर स्तरों पर संविधान के अनुच्छेद-243भघ के अंतर्गत स्थापित जिला आयोजना समितियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और पंचायतें विशेषकर जिला पंचायतें लोगों द्वारा चालित और लोग अभिमुखी शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए अहम होंगी।

3.41 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

जब विधेयक के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन पर व्यय की लागत भागीदारी के बारे में और राज्य खाद्य आयोग इत्यादि के संभावित कार्यकरण के बारे में पूछा गया तो विभाग ने निम्नानुसार बताया:

> ''विधेयक के कार्यान्वयन को मुख्यत: राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाना है। चूंकि विधेयक केन्द्रीय और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। यह आवश्यक है कि राज्य इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करें और कुछ लागतों में भागीदारी करें। जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना आवश्यक है ताकि विधेयक के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी और शिकायत निवारण तत्काल की जा सके। राज्य सरकारों को यह भार उठाना होगा, चूंकि ये प्राधिकरण राज्य के भीतर अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा डीजीआरओ और राज्य आयोग नियुक्त/गठित किए जायेंगे।''

विभाग ने सुझाव दिया कि समिति द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली में अतिरिक्त परिवर्तन पर विचार किया जाए जोकि निम्नानुसार है:

> ''विधेयक के उपबंधों के अनुसार राज्य खाद्य आयोग और डीजीआरओ की लागत का वहन संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किया जाएगा, जिसका राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने विरोध किया। इसलिए, समिति राज्यों को विद्यमान मशीनरी को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में प्रयोग करने की स्वीकृति पर विचार कर सकती है। तथापि, मजबूत और स्वतंत्र राज्य खाद्य आयोग आवश्यक है ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके और इसकी अधिकृतता को लागू किया जा सके।''

समिति की सिफारिश

3.42 समिति नोट करती है कि विधेयक के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत अधिकार प्राप्त खाद्यान्न वितरण से संबंधित मामलों में पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए विधेयक के खंड 21(1) में जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है। अनुच्छेद 21(4) प्रस्ताव करता है कि उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त जिला शिकायत निवारण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, तथा इनके द्वारा समुचित कार्यनिष्पादन के लिए यथा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य व्यय की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। विधेयक में इन उपबंधों के संबंध में राज्य सरकारों के अलग-अलग विचार हैं। कुछ राज्य सरकारें नामत: राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकारों ने इस संबंध में व्यय का वहन करने के लिए अनिच्छा जताई है और इनकी इच्छा है कि भारत सरकार इस पूरे व्यय का वहन करे। उत्तराखंड सरकार ने यह सुझाव दिया है कि खाद्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण और शिकायत निपटान का कार्य करें। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि इस छोटे कार्यकलाप के लिए जिला शिकायत अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं है और जिला खाद्य सुरक्षा आयोगों का मौजूदा तंत्र इस कार्य को कर सकता है। अत:, समिति की इच्छा है कि विभाग सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ इस विषय पर चर्चा करे और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना से संबंधित व्यय की भागीदारी के संबंध में एक मैत्रीपूर्ण समाधान ढूंढे। जहां तक उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का संबंध है जिन्होंने राज्य खाद्य आयोग और डीजीआरओज के प्रति आने वाली लागत के वहन का विरोध किया है, तो विभाग उन राज्यों के मौजूदा तंत्र को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है। तथापि, निपटान तंत्र अवसंरचना को बनाए रखने और आवर्ती व्यय जैसे कि स्टाफ/कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का वहन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाए क्योंकि वे संबंधित राज्य सरकारों के कर्मचारी होंगे।

समिति यह भी नोट करती है कि विधेयक में केवल जिला स्तर तक शिकायत निवारण प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित उपबंध है और इसमें ब्लॉक स्तर पर शिकायत निवारण प्राधिकरण की स्थापना के लिए कोई उपबंध नहीं है। समिति को यह बताया गया है कि गांव में रहने वाले लोगों की जिला स्तर पर उच्चतर प्राधिकरण तक पहुंच नहीं है। ब्लॉक/पंचायत स्तर पर कोई शिकायत निवारण प्राधिकरण नहीं होने की स्थिति में, बड़ी संख्या में गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत अपनी पात्रता से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए किसी प्राधिकरण में

जाने की पहुंच नहीं होगी। अत:, समिति सिफारिश करती है कि विधेयक में ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर भी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ शिकायत निपटान के लिए उपबंध होने चाहिए जिससे कि गांव और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसान पहुंच प्राप्त हो सके। इसके अलावा, जन-संचालित जनोन्मुखी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ जिला आयोजन समितियों में पंचायत के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी वांछनीय है।

(ज) राज्य खाद्य आयोग

3.43 **खण्ड 22(2):** राज्य आयोग में:—

(क) एक सभापति;

(ख) पांच अन्य सदस्य; और

(ग) एक सदस्य-सचिव होगा।

बशर्ते कि इसमें न्यूनतम दो महिलाएं हों, चाहे सभापति सदस्य या सदस्य-सचिव।

बशर्ते कि इसमें अनुसूचित जाति से संबंधित एक व्यक्ति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक व्यक्ति हो चाहे सभापति, सदस्य या सदस्य-सचिव।

3.44 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

पंचायती राज्य मंत्रालय: दूसरे परन्तुक के बाद खण्ड 22(2) में निम्नांकित जोड़ा जाए:

बशर्ते कि जिला पंचायत से न्यूनतम एक निर्वाचित महिला हो, जहां जिला पंचायत विद्यमान न हो, किसी अन्य पंचायत या निर्वाचित ग्राम परिषद से निर्वाचित महिला सदस्य और ऐसा सदस्य प्रथम परन्तुक के बाद, वर्णित महिला सदस्यों के अतिरिक्त है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार: राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग अनावश्यक है और इस संदर्भ में भारत सरकार ऐसे क्षेत्र में संदर्शी है जोकि स्पष्टत: राज्य अधिकार में है।

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार: भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय भार।

राजस्थान राज्य सरकार: इस संदर्भ में वित्तीय भार पूर्णत: भारत सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए।

उत्तराखण्ड राज्य सरकार: राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का कार्य राज्य के लोक आयुक्त को सौंपा जाना चाहिए ताकि राज्य के अनावश्यक व्यय को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रत्येक स्तर पर पुनरीक्षण, नियंत्रण और शिकायत निवारण का कार्य किया जाए, जोकि वे सामान्यत: विगत अनेक वर्षों से कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी): राष्ट्रीय खाद्य आयोग इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित कार्यों को करेगा और केन्द्र और राज्य स्तर दोनों पर योजनाओं की निष्पादनता की निगरानी करेगा। निम्नांकित पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए:

(iii) केंद्र और राज्य स्तर पर कई भागीदारों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के लिए आईसीटी-आधारित प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत तंत्र।

(iv) अधिनियम के निहितार्थ और उपबंधों के संबंध में आईसीटी समाधान का कार्यान्वयन करने में संलग्न व्यावसायिकों का प्रशिक्षण।

राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग को कार्यालय स्वचालन उपकरणों के माध्यम से सहयोग दिया जा सकता है।

खाद्यान्न अभियान का अधिकार:-खंड 22(2) में, निम्नलिखित प्रस्तावित है—

''बशर्ते कि वहां कम से कम दो महिलाएं और एक व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो नि:शक्त हों, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हों।''

खंड 22(2) में, उप-खंड (11) अंतर्विष्ट किया जाना प्रस्तावित है:

''राज्य आयोग दो सप्ताह के भीतर मामलों का निपटान करेगा और उसे यथा अपेक्षित शास्ति अधिरोपित करने और क्षतिपूर्ति का आदेश देने का प्राधिकार होगा।''

खंडों 22(9)(ख) और 26(10)(ख) जो केंद्र सरकार को अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य जो शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अक्षम हो जाता है'' को पद से हटाने की अनुमति देते हैं, का विलोप किया जाए चूंकि ये खंड नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बाधाकारी होंगे क्योंकि इससे इनके विरुद्ध भेदभाव को बढ़ावा मिलता है ।

खंड 22(9)(2) अंतर्विष्ट किया जाना प्रस्तावित है:

''राज्य आयोग के सदस्य अपने पद पर बने रहने की पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन के अधीन होंगे।''

श्री मणि शंकर अय्यडर, संसद सदस्य (राज्य सभा): अध्याय 11 में स्व-शासन के स्थानीय संस्थानों का कोई उल्लेख नहीं है। इस संबंध में जिला एवं उप-जिला स्तर पर कार्य कर रही सभी ''एजेंसियों'' को पंचायती प्रणाली (शहरी क्षेत्रों में उसके समतुल्य) के उचित स्तर के अनुशासनात्मक एवं नियामक प्राधिकारी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

प्रो॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा): इस विधेयक की सफलता गेहूं, चावल या पोषक मोटे अनाज की आवश्यक मात्राओं के उत्पादन पर निर्भर करेगी। हमारे किसानों को वैध तरीके से हमारे देश की खाद्य सुरक्षा का संरक्षक माना जा सकता है। दुर्भाग्यवश इस विधेयक में किसानों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। कम से कम राज्य खाद्य आयोग में तो एक महिला तथा एक पुरुष किसान होना चाहिए।

समिति की सिफारिश

3.45 **समिति नोट करती है कि विधेयक का खंड 22 राज्य आयोग की संरचना से संबंधित है जिसमें अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य और सदस्य-सचिव शामिल हैं जिनको खाद्य सुरक्षा, नीति निर्धारण और कृषि क्षेत्र में प्रशासन, नागरिक आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य अथवा अन्य किसी संबद्ध क्षेत्र में सेवारत लोगों और संबंधित मामलों का ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले लोगों में से नियुक्त किया जाएगा। प्राप्त किए गए विचारों/सुझावों और इस बात पर भी विचार करते हुए कि हमारी आबादी का बड़ा प्रतिशत कृषक हैं जो उत्पादक के साथ-साथ उपभोक्ता दोनों हैं, इसलिए समिति की इच्छा है कि राज्य खाद्य आयोग में कृषक**

समुदाय से कम से कम एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तदनुसार, सरकार विधेयक के संबंधित उपबंधों में संशोधन करने का विचार करे।

(झ) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र/राज्य सरकारों का दायित्व

3.46 **खण्ड 30(5)** उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार—

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को आबंटन के अनुसार खाद्यान्नों को परिवहन के लिए उपलब्ध कराएगी; और

(घ) विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

विधेयक से संबंधित खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की संबद्ध बाध्यताएं निम्नलिखित हैं:—

खण्ड 32.(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा-

(क) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कीमतों पर राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना; प्रत्येक उचित दर दुकान के दरवाजे पर अपने प्राधिकृत अधिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंत: राज्य आबंटन की व्यवस्था करना; और

(6) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्ष प्रचालन के प्रत्येक राज्य सरकार,—

(क) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य-आधारित कल्याण स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी;

3.47 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

रेल मंत्रालय: अध्याय-दस के उपबंध खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के दायित्व और अध्याय-पंद्रह विविध रेलवे के कार्यों और उत्तरदायित्वों पर निहित है। रेलवे की भूमिका केवल उन स्थानों के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई तक सीमित होगी जिन्हें रेलवे द्वारा सेवा दी जाती है/सेवा दी जा सकती है और वह भी केवल प्रचालनात्मक व्यवहार्यता की सीमा तक ही है इसके अलावा खाद्यान्न यातायात का प्रभार रेल लागू मालभाड़ा दर जैसाकि अधिसूचित किया जाए के आधार पर प्रभारित करता है और जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है जहां तक खाद्यान्नों की ढुलाई के प्रचालनात्मक और वाणिज्यिक पहलुओं का प्रश्न है उसे 1989 के भारतीय रेल अधिनियम द्वारा शासित किया जाता रहेगा और जहां तक रेल परिवहन तत्व पर उनके वित्तीय प्रभावों का संबंध है प्रस्तावित अधिनियम का उपबंध निष्प्रभावी रहेगा।

अंडमान और निकोबार राज्य सरकार: प्रत्येक उचित दर की दुकान तक खाद्यान्नों की सुपुर्दगी के संबंध में 32(2)(क) के सिवाय केंद्र और राज्य सरकार के दायित्वों के संबंध में हम सहमत हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार: विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिक रूप से भंडारण संबंधी सुविधा हेतु भारत सरकार 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाए।

बिहार राज्य सरकार: चूंकि फिलहाल भारत सरकार टीपीडीएस संबंधी व्यय वहन करती है उसे इस कानून के विशिष्ट लक्ष्य के अनुसार वृधित हकदारिया और इसके कार्यान्वयन का संपूर्ण वित्तीय भार वहन करना चाहिए। अत:, भारत सरकार को लाभार्थियों तक अतंत: खाद्यान्नों की डिलीवरी तक सभी योजनाओं में खाद्यान्नों के भंडारण की संपूर्ण लागत, डीलरों के कमीशन, सामान लाने ले-जाने और हैंडलिंग पर आने वाली संपूर्ण लागत वहन करनी चाहिए।

इस विधेयक की अभिभूत नकारात्मक विशेषता यह है कि इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार संख्या, मानदंडों और योजनाओं के बारे में निर्णय लेने की शक्ति अनधिकृत रूप से अपने पास रख रही है जबकि राज्य सरकारों पर एकतरफा काफी वित्तीय भार डाल रही है। भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय भार का अनुमान लगाए बिना और इस हेतु प्रावधान किए बगैर इसे राज्यों पर थोपने से राज्य सरकार निश्चित रूप से वित्तीय तौर पर पंगु हो जाएगी और इससे अपेक्षित परिणाम पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

3.48 **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उत्तर**

जब समिति ने इस बारे में पूछना चाहा कि क्या मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू होने के कारण राज्यों द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का 14वें वित्त आयोग के परामर्श से विश्लेषण कर लिया गया है तो विभाग ने बताया कि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा संभावित रूप से वहन किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय का अनन्तिम अनुमान लगाया जा चुका है लेकिन विधेयक लागू होने के बाद ही इसका सही-सही पता चल पाएगा और असहाय और बेघर लोगों जैसे कमजोर समूहों, आपात स्थिति/आपदा से प्रभावित व्यक्तियों और भूख-पीड़ितों को भोजन प्रदान करने हेतु नई योजनाओं को, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच लागत की भागीदारी की पद्धति शामिल है, अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस बारे में वित्त आयोग से कोई बातचीत नहीं हो पायी है।

विभाग ने आगे बताया कि राज्य सरकारों को इसके उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रारंभिक कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें लाभार्थियों का पता लगाना, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों, गोदाम सुविधा इत्यादि के रूप में अपेक्षित अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण। चूंकि इस विधेयक को लागू करने संबंधी तैयारी अलग-अलग राज्यों में भिन्न होगी। अत:, समिति इस बारे में विचार करे कि इस अधिनियम के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को तैयारी संबंधी कार्य पूरा करने के लिए उचित समय दिया जाए जिसकी समाप्ति पर यह अधिनियम सभी राज्यों में लागू होगा। यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसे जल्दी लागू कर सकता है तो ऐसा कर सकता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की तैयारी का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शर्तें/मार्गनिदेश विहित किए जा सकते हैं अथवा यह कार्य प्रस्तावित अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले राज्य आयोग को भी दिया जा सकता है।

खाद्यान्नों की ढुलाई/परिवहन

इस विधेयक के लागू होने पर खाद्यान्नों की ढुलाई हेतु रैकों की अनुमानित आवश्यकता के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया कि रैकों की आवश्यकता में लगभग 20%

की बढ़ोतरी होगी अर्थात एफसीआई को 15500 रैकों की जरूरत होगी और विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान एफसीआई द्वारा मांगे गए रैकों की कुल संख्या और रेल द्वारा एफसीआई को प्रदान किए गए रैकों के बारे में निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध करवाया:

वर्ष	एफसीआई द्वारा मांगे गए रैकों की संख्या	रेलवे द्वारा प्रदान किए गए रैकों की वास्तविक संख्या
2010–11	13,003	10,607
2011–12	13,215	10,969
2012–13 (अक्तूबर, 12 तक)	6,696	5,912

विभाग ने आगे बताया कि रेल एफसीआई द्वारा मांगे गए पूरे रैक निम्नलिखित कारणों से उपलब्ध नहीं करा सका:—

(क) सीमित लाइन क्षमता और वैगनों की सीमित उपलब्धता।

(ख) व्यस्त मौसम में उर्वरक, सीमेंट जैसी अन्य जिंसों की ढुलाई हेतु भारी मांग।

(ग) लदान/उतराई स्टेशनों पर अवसंरचना की कमी।

(घ) कई बार कोहरे, बंद इत्यादि के कारण रैकों की उपलब्धता प्रभावित होती है।

भंडारण सुविधाओं का सृजन और उनका रख-रखाव

विभाग ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर भंडारण सुविधाओं का सृजन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है जबकि राज्य सरकारें राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के सृजन और उनके रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। इस बारे में पूछे जाने पर कि क्या केन्द्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी परस्पर व्यापी है तो विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसलिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और उनके वितरण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। अपनी संबंधित बाध्यताओं को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार के लिए प्रथम स्थलीय (प्वाइंट) भंडारण क्षमता का सृजन किए जाने की आवश्यकता है, जहां से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र लाभार्थियों को वितरित करने के लिए खाद्यान्न उठा सकें इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए वितरण की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तत्काल एवं जमीनी स्तर पर भंडारण सुविधाओं का सृजन किए जाने की आवश्यकता होगी। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों की भंडारण सुविधाएं सृजित करने की बाध्यता अतिव्याप्ति न होकर प्रतिपूरक होगी।

उपयोग करने वाले राज्यों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की भूमिका में अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि दोनों की भूमिका नियत है। तथापि, डीसीपी राज्यों की स्थिति में अतिव्यापक हो सकता है चूंकि राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार की ओर से भंडार की खरीद, भंडारण तथा भंडारण वितरित करती हैं। अत:, डीसीपी राज्यों में राज्य, जिला और खंड स्तरों पर भंडारण सुविधाएं सरकारों द्वारा दी जाती हैं जबकि कम खाद्यान्न वाले डीसीपी राज्यों की स्थिति में अधिशेष/फीड लेने के लिए भंडारण सुविधाओं का रख-रखाव भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है।

समिति की सिफारिश

3.49 समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन के कारण राज्यों द्वारा अतिरिक्त व्यय के वहन के संबंध में विभाग ने वित्तीय आयोग से परामर्श नहीं किया। तथापि, विभाग ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा वहन किए जाने वाले संभावित अतिरिक्त व्यय के अनंतिम अनुमानों का आकलन किया है, परंतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अतिरिक्त व्यय की पूर्व सीमा की जानकारी विधेयक का अंतिम स्वरूप निर्धारित होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगा। समिति महसूस करती है कि अतिरिक्त व्यय का वहन राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाना अपेक्षित है ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अपने संबंधित बजटों में पर्याप्त निधियों का आबंटन कर सकें।

3.50 समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन के अनुसरण में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के संचलन के लिए अतिरिक्त रैकों की आवश्यकता में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। गत तीन वर्षों के दौरान सीमित लाइन क्षमता और वैगनों की उपलब्धता, अन्य वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धी मांग, लदान और उतरान स्थानों पर अवसंरचना का अभाव आदि के कारण रेल मंत्रालय भारतीय खाद्य निगम को आवश्यक संख्या के अनुसार रैक्स उपलब्ध नहीं करवा पाया है। समिति नोट करती है कि रेल मंत्रालय ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के लिए खाद्यान्नों के संचलन को 'ख' प्राथमिकता प्रदान की है। इस बात पर विचार करते हुए कि भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों का 90 प्रतिशत संचलन रेलवे द्वारा पूरा किया जाता है, विभाग रैक्स के आबंटन के मुद्दे पर नियमित आधार पर रेल मंत्रालय के साथ चर्चा करे। भारतीय खाद्य निगम रेलवे के अतिरिक्त सड़क परिवहन के माध्यम से भी खाद्यान्नों का संचलन करे जिससे कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी लाभार्थी खाद्यान्नों की कमी के कारण अपने अधिकार से वंचित न रहे।

3.51 समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कुशल प्रचालन के लिए समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करनी होंगी और उनको बनाए रखना होगा जो आवश्यक खाद्यान्नों को रखने के लिए पर्याप्त हों। समिति महसूस करती है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान का सृजन करना एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है। समिति यह भी नोट करती है कि विकेन्द्रित खरीद राज्यों (डीसीपी) में कई बाद केंद्रीय और राज्य सरकारों के दायित्व की अतिव्याप्ति हो जाती है। अत:, समिति सिफारिश करती है कि विभाग सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों पर जोर डाले कि वे निजी उद्यमशीलता गांरटी (पीईजी) स्कीम का लाभ उठाते हुए ब्लॉक स्तर तक वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करने के लिए हर संभव प्रयास करें। समिति विभाग से यह अनुरोध भी करती है कि वह केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के दायित्वों की अतिव्याप्ति से बचने के लिए प्रयास करें। केन्द्रीय सरकार आधुनिक वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के सृजन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करे।

(ञ) स्थानीय प्राधिकारियों का दायित्व

3.52 **खंड 33.** (1) स्थानीय प्राधिकारी, अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) उपखंड (1) के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, अधिसूचना के द्वारा, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त दायित्व सौंप सकेगी।

खंड 34 इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्त्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगा जो उसको राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

3.53 **समिति को प्रस्तुत किए गए विचारों/सुझावों का सार**

पंचायती राज्य मंत्रालय: ग्राम सभाओं की बैठक एक वर्ष में चार बार बुलाई जानी चाहिए। क्षेत्र की एफपीएस के कार्यकरण पर ग्राम पंचायत समिति, जिसमें एफपीएस स्वामियों की उपस्थिति पर जोर दिया जाना चाहिए, की रिपोर्ट ग्राम सभा की कार्यसूची में एक आवश्यक मद होनी चाहिए। यदि ग्राम सभा एफपीएस के कार्यकरण को संतोषजनक नहीं पाती तो इस बात की रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सरकारी अधिकारी को दी जाएगी। यह ग्राम सभा की बैठक होने के एक सप्ताह के अंदर होना चाहिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) क्षेत्रों में रिकॉर्ड जनजातीय बस्तियों/ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के पास होना चाहिए।

महिला और बाल विकास मंत्रालय: ये एनएफएसबी, 2011 के अंतर्गत आईसीडीएस योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित किए जाने की तारीख से लागू किए जाएं।

बिहार राज्य सरकार: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में, इस केन्द्रीय विधान के अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए संकल्पित भूमिकाएं और उत्तरदायित्व के लिए केन्द्रीय वित्त पोषण के लिए समान उपबंध होने चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारें इस खंड के उपबंधों से सहमत हैं।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर): इस कार्यक्रम के नियोजन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन/निगरानी, तीनों कार्य स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित कर दिए जाने चाहिए जिससे कार्यक्रम का स्वामित्व और जिम्मेदारी समुदाय की होगी। योजनाएं ग्राम पंचायतों से ब्लॉक स्तर और ऊपर की ओर जानी चाहिए।

दुर्गम क्षेत्रों में, जहां भूस्खलन, बाढ़ का जोखिम है, सड़कों का अभाव है और छोटे बच्चों के लिए उनके घर से आंगनवाड़ी केन्द्र तक जाने में सामान्य जोखिम है, वहां संबंधित सरकार आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करेगी अथवा पर्याप्त प्रबंध करेगी यथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यात्रा करने, बस्ती में ठहरने के लिए भत्ता देगी, भेले ही ऐसी बस्तियों में बच्चों की संख्या/जनसंख्या कम हो।

अर्थ-आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट: जिस जनसंख्या की भोजन तक पहुंच नहीं है, उस तक आंगनवाड़ी के जरिए पहुंचने में राज्य तंत्र की भूमिका स्पष्ट की जाए। आधिकारिक आंकड़े इंगित करते हैं कि गृह-आधारित शिक्षा रणनीति से अब तक गंभीर नि:शक्तताओं वाले लगभग 61,290 बच्चे लाभन्वित हुए हैं। लेकिन उनको निकटतम विद्यालयों से कोई मध्याह्न भोजन प्रदान नहीं किया जाता है।

भोजन का अधिकार अभियान: स्थानीय निकायों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियोजन, कार्यान्वयन और उसके कार्यान्वयन यथा राशन दुकानों का कार्यकरण, गर्भवती ओर स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों की सभी हकदारियों का कार्यान्वयन, लाभार्थियों के चयन की निगरानी और उनके क्षेत्र में व्यय की निगरानी करने की भी शक्ति प्रदान की जाए।

स्थानीय निकायों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में भुखमरी की स्थिति में रहने वाले लोगों की पहचान और आवश्यकता होने पर जिला प्राधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायतों के अंतर्गत एक प्रापण समिति गठित की जानी चाहिए।

सरकार द्वारा अनाजों, दालों और तेल और अन्य उत्पादों के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार गर्म पकाए हुए भोजन की स्थानीय खरीद मध्याह्न भोजन योजना समिति और समेकित बाल विकास योजना द्वारा की जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल एजूकेशन नेटवर्क: विधेयक में यह स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि हकदारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निजी कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों से संविदाएं नहीं की जाएंगी। ये सभी कार्यक्रम ग्राम पंचायतों, महिला मंडलों, महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने चाहिए।

श्री मणिशंकर अय्यर, संसद सदस्य, राज्य सभा: ''स्थानीय प्राधिकारी'' शब्दों के स्थान पर संविधान के अनुच्छेद 243छ और ब के अंतर्गत गठित ''स्वशासन की स्थानीय संस्थाएं'' शब्द रखे जाएं।

''कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां'' विधायन का कार्य आवश्यक रूप से पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौंपा जाए जो विशेष रूप से ग्यारहवीं अनुसूची की प्रविष्टि 28 ''सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' जो निर्वाचित स्थानीय निकायों को प्रत्यायोजित किये जाने वाले कार्यों को विस्तार से सूचीबद्ध करती है।

मसौदा विधेयक की एक अन्य अनुसूची में, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के प्रत्येक स्तर को हस्तांतरित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के विवरण के साथ अंतिम स्तर तक कार्य करने के लिए वित्त और कार्यों का भी हस्तांतरण होना चाहिए।

पंचायत राज को सरपंच राज बनने से बचाने के लिए, महिला स्व-सहायता समूहों की निगरानी के लिए, सभी महिला प्रतिनिधियों सहित, प्रत्येक निर्वाचित स्थानीय निकाय के लिए सांविधिक उपबंध होना चाहिए।

अनुच्छेद 243यघ (और महानगरीय क्षेत्रों के लिए यङ) के अंतर्गत जिले की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताएं निर्धारित करने और उनका अनुमान लगाने के लिए गठित जिला नियोजन समितियों की भूमिका का स्पष्ट वर्णन किया जाए।

ग्राम सभा (अथवा नगर निगमों और महानगरों में समकक्ष निकाय) की नियमित बैठक और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आवश्यक रूप से एक सांविधिक उपबंध होना चाहिए जिसमें यह स्पष्ट

आदेश हो कि इस संबंध में ग्राम सभा की सहमति या बहुमत से लिए गये निर्णयों का सम्मान किया जाये।

समिति की सिफारिश

3.54 समिति नोट करती है कि विधेयक में व्यवस्था है कि स्थानीय प्राधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों में इस अधिनियम के यथोचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकारें लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्राधिकरण को अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे। समिति पाती है कि 'स्थानीय प्राधिकारी' शब्द अस्पष्ट है और इसे ''स्व-शासन के स्थानीय संस्थानों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। इसके अलावा, विधेयक में स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। अतः, समिति की इच्छा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत निर्वाचित स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले कार्यों का वर्णन करने वाली विस्तृत सूची विधेयक के साथ जोड़ी जाए। समिति आगे सिफारिश करती है कि विधेयक में यह उपबंध किया जाए जो दर्शाए कि उपर्युक्त उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का निष्पादन करने में समर्थ बनाने के लिए, राज्य सरकारें अथवा खाद्य वितरण, लाभार्थियों की पहचान तथा उचित दर दुकानों को खोलने की अनुमति देने वाले प्राधिकारी स्वैच्छिक रूप से कम से कम वर्ष में दो बार ग्राम सभा में, अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों की उपलब्धता, लाभार्थियों को शामिल करने और निष्कासन, उचित दर दुकानों को खोलने की अनुमति और इनको बंद करना, प्राप्त किए गए और वितरित खाद्यान्नों की मात्रा के संबंध में तथा अन्य संबंधित जानकारी, संबंधित ग्राम पंचायत में देंगे। इसके अलावा, जिला योजना समिति और संविधान के भाग 9क के अंतर्गत गठित महानगरीय योजना समिति अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना में खाद्य आवश्यकता और विभिन्न स्थानों पर इनके भंडारण की आवश्यकता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। इसके अलावा, समिति सिफारिश करती है कि खंड 34 में विद्यमान वाक्य के बाद निम्नवत् वाक्य जोड़ा जाए:

राज्य सरकार स्थानीय स्व-शासन के संस्थानों को अपेक्षित निधियां और पदाधिकारी उपलब्ध कराए ताकि वे अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए दायित्वों का निष्पादन करने में समर्थ हो सकें।

(ट) खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध

क. दूरस्थ, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में सुभेद्य समूहों पर विशेष ध्यान

3.55 **खंड 38** केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कमजोर समूहों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगी।

3.56 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

जनजातीय कार्य मंत्रालय: जनजातियों को बाजरा समेत पोषण तथा पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए विधेयक के खंड 38 के अनुसार नियमों में इस प्रकार के स्पष्ट उपबंध किए जाने चाहिए।

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार: विधेयक के वर्तमान उपबंधों से सहमत होते हुए राज्य सरकार, पहाड़ी, दूरस्थ, दुर्गम तथा जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है तथा पहले ही इन लोगों के लिए खाद्यान्न की अधिक मात्रा का प्रस्ताव दे चुकी है तथा इस दायित्व का निर्वाह पहले से ही कर रही है।

श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य, राज्य सभा: इन वर्गों तथा क्षेत्रों को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक उपबंध जोड़ा जाना चाहिए तथा केन्द्र सरकार को इसके लिए विशेष वित्तीय आबंटन करना चाहिए।

ख. समर्थकारी उपबंध

खंड 39. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

अनुसूची तीन खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए निम्नवत् उपबंध करता है: —

(1) कृषि का पुन: सुदृढ़ीकरण—

(क) छोटे और सीमांत कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए उपायों के माध्यम से कृषि सुधार;

(ख) कृषि में विनिधान में वृद्धि, जिसमें अनुसंधान और विकास, विस्तार सेवाएं, सूक्ष्म और गौण सिंचाई और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति सम्मिलित है;

(ग) पारिश्रमिक मूल्य, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा आदि का सुनिश्चय;

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अननुमोदित परिवर्तन का प्रतिषेध।

(2) उपापन, भंडारण और परिवहन से संबंधित मध्यक्षेप—

(क) मोटे अनाजों के उपापन सहित उपापन के विकेंद्रीकरण के लिए प्रोत्साहन;

(ख) उपापन प्रचालनों की भौगोलिक विविधता;

(ग) पर्याप्त विकेंद्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण का संवर्द्धन;

(घ) खाद्यान्नों के परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना जिसमें अधिशेष से उपभोक्ता क्षेत्रों को खाद्यान्नों के परिवहन को सुकर बनाने के लिए रेल की लाइन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है।

(3) अन्य निम्नलिखित तक पहुंच—

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता;

(ख) स्वास्थ्य देखभाल;

(ग) किशोर बालिकाओं का पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षिक सहायता;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, नि:शक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं को पर्याप्त पेंशन।

3.57 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

बिहार राज्य सरकार: अनिश्चितता के भरोसे छोड़ने की बजाए, जैसाकि अनुसूची तीन में दिया गया है खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपबंधों पर व्यय का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि यह विधेयक में दिए गए इच्छित उद्देश्यों की दीर्घावधि सफलता पाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा तथा इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

प्रो॰ एम॰ एस॰ स्वामीनाथन, संसद सदस्य, राज्य सभा: समर्थकारी उपबंधों में से, जो कानूनी हकदारी का गठन नहीं करते हैं, का उल्लेख खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण, खाद्य सुरक्षा, किसानों को लाभकारी मूल्य का आश्वासन, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन, राजीव गांधी पेयजल मिशन, महात्मा गांधी संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम तथा ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य मिशन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए।

श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य, राज्य सभा: विधेयक के मुख्य भाग में एक विशिष्ट समय-सीमा तथा अनुसूची के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

समिति की सिफारिश

3.58 **समिति नोट करती है कि विधेयक के खंड 38 में कमजोर समूहों, विशेष रूप से सुदूर, पहाड़ी तथा जनजातीय तथा अन्य क्षेत्रों में जहां उनकी भोजन सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु पहुंच कठिन है, की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिए जाने का प्रावधान है। इन समूहों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के मद्देनज़र समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि उनकी पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों जैसे कि बाजरा, रागी, मढ़वा आदि पर विशेष बल दिया जाए।**

यह नोट करते हुए कि विधेयक की अनुसूची 3 में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार भोजन सुरक्षा में वृद्धि करने के प्रावधान महत्वपूर्ण हैं, समिति यह पाती है कि विधेयक में भोजन सुरक्षा में वृद्धि के लिए कृषि, अधिप्राप्ति, भंडारण, संचलन और पेयजल तक पहुंच, स्वास्थ्य देख-रेख, स्वच्छता आदि का उल्लेख है लेकिन इसके लिए अपनाए जाने वाले तरीके तथा समय अनुसूची के कोई ब्यौरे नहीं दिए गए हैं। समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि इन पहलुओं को देखने के अतिरिक्त सरकार को राजीव गांधी पेयजल मिशन, महात्मा गांधी पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, और ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य मिशन जैसी संबंधित कल्याण योजनाओं तथा कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का भी प्रयास करना चाहिए। समिति आगे यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि सरकार को विधेयक की अनुसूची 3 के प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन करने पर विचार करना चाहिए:-

(1) (ग) में इस प्रकार संशोधन किया जाए— ''लाभकारी मूल्य, आदानों, ऋण, सिंचाई विद्युत, फसल बीमा पर पहुंच आदि के माध्यम से किसानों की आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित करना।''

(ठ) विविध-अन्य कल्याणकारी स्कीमें

3.59 **खंड 40**. इस अधिनियम के उपबंध, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों को अन्य खाद्य-आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से निवारित नहीं करेंगे।

3.60 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), नई दिल्ली: निश्चित अवधि में परिणामों के स्वतंत्र मूल्यांकन के संस्थानीकरण द्वारा परिणाम के उद्देश्य को सुदृढ़ किया जा सकता है। पोषण संबंधी परिणामों के माप के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परिणाम सर्वेक्षण के साथ अथवा सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन के साथ संतुलन बनाया जा सकता है, जिन्होंने समूचे देश में 3-5 वर्ष की बारंबारता के साथ सर्वेक्षण किया है।

श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य (लोक सभा): केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में प्रभाव के मूल्यांकन पर आधारित विधेयक के उपबंध में आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए।

समिति की सिफारिश

3.61 **विधेयक के खंड 40 में अन्य कल्याण योजनाओं हेतु प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों को अन्य खाद्य-आधारित कल्याण योजनाओं को जारी रखने या निरूपित करने से प्रतिबंधित नहीं करेंगे। यद्यपि सरकार द्वारा इस दिशा में कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, फिर भी समिति यह महसूस करती है कि खाद्य सुरक्षा बिल को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए जो कुपोषण के स्तर में कमी लाने की दिशा में योगदान देगा। इस संदर्भ में, योजना का नियमित स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए और उपलब्धि को मापने के लिए पोषणात्मक परिणाम भी दिए जाने चाहिएं। अत:, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि समूचे देश को कवर करते हुए 3-5 वर्षों की आवृत्ति के साथ पोषणात्मक परिणामों के मापन हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समन्वयन करके निर्धारित अवधि में परिणामों के स्वतंत्र मूल्यांकन को संस्थागत रूप देते हुए प्रभाव आकलन को सुदृढ़ किए जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अत:, समिति विधेयक के खंड 40 में निम्नानुसार शामिल किए जाने की सिफारिश करती है:—**

> **''केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में खाद्य सुरक्षा योजनाओं को दिए जाने हेतु स्वास्थ्य संकेतकों आदि में परिवर्तन के संबंध में प्रभाव आकलन-आधारित विधेयक के उपबंध के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए।''**

(ड) अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

3.62 **खंड 45**. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 का संशोधन कर सकेगी और उसके पश्चात् यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 को संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

खंड 46. केन्द्रीय सकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का पालन करेंगी।

3.63 **समिति के समक्ष रखे गये विचारों/सुझावों का सार**

बिहार राज्य सरकार: खंड 46 में भारत सरकार को नियम बनाने से पूर्व राज्य सरकार की सहमति लेनी चाहिए।

विधि एवं न्याय मंत्रालय: यह पूछे जाने पर कि क्या विधेयक की अनुसूचियों को संशोधित करने के लिए केन्द्र सरकार को प्राधिकृत किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, विभाग ने बताया कि यदि सरकार इस पर संतुष्ट है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो अनुसूचियों में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रदान करने हेतु विधेयक में ऐसा प्रावधान किया जाना एक विधायी प्रक्रिया है। किसी अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन या संशोधन एक संशोधन विधेयक के माध्यम से किया जा सकता है।

राजस्थान राज्य सरकार: खंड 45(1) में अनुसूचियों में संशोधन राज्य सरकार के साथ उचित परामर्श के पश्चात् किया जाना चाहिए।

अधिसूचना के माध्यम से विधेयक के प्रावधानों में संशोधन की तुलना में अनुसूची सहित विधेयक के प्रावधानों में संशोधन के लिए संशोधन विधेयक लाने हेतु प्रक्रिया विधि में अंतर के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में विभाग ने बताया कि 'भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका' के अध्याय 9 में विधान के संबंध में एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें विधान प्रारंभ करने, पूर्व प्रारूपण चरण; विधायी प्रस्तावों के निरूपण; विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श; मंत्रिमंडल का अनुमोदन; प्रारूपण चरण; विधेयक का प्रारूप; विधेयक पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन; और संसद में विधेयकों के संबंध में अपनाया जाने वाला व्यवहार तथा प्रक्रिया के अनुसार मंत्रिमंडल के निर्णय के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई हेतु प्रावधान किए गए हैं।

निर्धारित प्रक्रिया का विधेयकों से संबंधित सभी प्रस्तावों हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, चाहे वह मूल विधान हो अथवा संशोधनकारी विधान।

तथापि, अधिसूचना के माध्यम से किसी अधिनियम की अनुसूची में संशोधन एक सरल प्रक्रिया है। अधिसूचनाओं को मूल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के कार्यक्षेत्र के भीतर बनाया जाता है और उन्हें सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संबंधित मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जाता है। ऐसी अधिसूचनाएं, अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान की श्रेणी में आती हैं जो संसदीय संवीक्षा के अधीन होते हैं। इन अधिसूचनाओं को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना अपेक्षित होता है। एक बार सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात् संसद सरकार द्वारा इस प्रकार जारी की गई अधिसूचना में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे वापिस ले सकती है और ऐसी दशा में अधिसूचना केवल संशोधित रूप में ही प्रभावी होगी।

ऐसे प्रावधान समाविष्ट होने वाले कुछेक महत्वपूर्ण विधानों का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहने पर विभाग ने समिति को सूचित किया कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विधियां निम्नानुसार हैं जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 के खंड 45 के अनुरूप अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन के

लिए सरकार को सशक्त बनाने के प्रावधान शामिल हैं, नामतः—

(1) औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 (धारा 330);

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (धारा 40);

(3) प्रतीक चिह्न एवं नाम अनुचित उपयोग का निवारण अधिनियम, 1950 (धारा 8);

(4) कराधान विधि (वसूली कार्यवाहियों को जारी रखना तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1964 (धारा 4);

(5) पुलिस बल (अधिकारों का पंजीकरण) अधिनियम, 1966 (धारा 5);

(6) सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (धारा 11ए);

(7) कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (धारा 3);

(8) बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 (धारा 4);

(9) हज समिति अधिनियम, 2002 (धारा 41);

(10) पशु संक्रामक एवं संसर्ग रोग निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 2009 (धारा 38);

(11) बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (धारा 20);

(12) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (धारा 34)।

समिति की सिफारिश

3.64 **समिति नोट करती है कि विधेयक के खंड 45 में यह प्रावधान है कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा किया जाना आवश्यक अथवा उचित है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 अथवा अनुसूची 2 या अनुसूची 3, जैसा भी मामला हो, को संशोधित कर सकती है और उसके बाद संबंधित अनुसूची को तद्नुसार संशोधित माना जाएगा। समिति पाती है कि ऐसे प्रावधान सामान्य व्यवहार हैं और सरकार के कई अधिनियमों जैसे कि औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010, सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975, बाल निःशुल्क एवं बाध्यकारी शिक्षा अधिनियम अधिकार, 2009 (धारा 20) आदि में भी इसी प्रकार के प्रावधान समाविष्ट हैं। अतः, समिति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान से सहमत है।**

3.65 **खंड 52.** केन्द्रीय सरकार या यथास्थिति, राज्य सरकार प्राथमिक गृहस्थों या सामान्य गृहस्थों या इस अधिनियम के अधीन पात्र अन्य समूहों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को खाद्यान्नों या भोजन की आपूर्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असफलता से उद्भूत किसी नुकसानी, नुकसान या प्रतिकर, चाहे कुछ भी हो, के संबंध में किसी अपरिहार्य स्थिति जैसे कि युद्ध, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या किसी दैव कृत्य के कारण किसी दावे के लिए दायी नहीं होंगी।

3.66 **समिति के समक्ष रखे गए विचारों/सुझावों का सार**

श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा): खंड 52 को हटाना जिसमें यह कहा गया है कि बताई गई परिस्थितियों अर्थात् बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदा के दौरान सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा और ऐसे कृत्यों को 'दैवीय कृत्य' कहा जाएगा।

समिति की सिफारिश

3.67 समिति नोट करती है कि विधेयक के खंड 52 में यह उपबन्ध है कि यदि युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या दैवीय कृत्य जैसी कोई प्राकृतिक आपदा होती है जिसकी वजह से खाद्यान्नों की आपूर्ति में विफलता की स्थिति पैदा हो जाए, तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। समिति पाती है कि विभिन्न क्षेत्रों में देश के कई भाग स्थाई रूप से कभी बाढ़ या कभी सूखे अथवा कभी दोनों से प्रभावित होते हैं जिसके लिए पहले से ही आकस्मिकता योजना बनाई जानी चाहिए। समिति यह महसूस करती है कि एनएफएसबी को सभी नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए बनाया गया है और सरकार उनकी सहायता तथा समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता वाले समय में प्रभावित व्यक्तियों को अपना बचाव स्वयं करने के लिए नहीं छोड़ सकती है। यह भी नोट किया जाता है कि कालाबाजारी करने वाले तथा मुनाफाखोर कठिनाई के ऐसे समय में प्रभावित जनसंख्या की संवेदनशीलता से लाभ कमाने की ताक में रहते हैं। समिति का यह मत है कि भारत जैसे एक कल्याणकारी राज्य में सरकार किसी भी परिस्थिति, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या अन्यथा, में नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती है। इसके विपरीत, सरकार को किसी प्राकृतिक आपदा अथवा अन्यथा से उत्पन्न होने वाली आकस्मिकता से निपटने और संभव सीमा तक अपने पीड़ित नागरिकों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अतः, समिति महसूस करती है कि विधेयक के खंड 52 के प्रावधान विधेयक का हिस्सा नहीं होना चाहिए और उन्हें हटा दिया जाना चाहिए।

नई दिल्ली;
11 जनवरी, 2013
21 पौष, 1934 (शक)

विलास मुत्तेमवार,
सभापति,
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक
वितरण संबंधी स्थायी समिति।

परिशिष्ट एक

केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों/संस्थानों/व्यक्तियों जो समिति के समक्ष साक्ष्य देने हेतु उपस्थित हुए और राज्य सरकारें जिनके साथ समिति द्वारा चर्चा की गई, की सूची

I. भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग

1. ग्रामीण विकास विभाग
2. कृषि
3. पंचायती राज
4. सामाजिक कार्य और अधिकारिता
5. जनजातीय कार्य
6. वित्त [(i) व्यय और (ii) आर्थिक मामले विभाग]
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
8. महिला और बाल विकास
9. रेल

II. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां/संगठन/संस्थान

1. खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), नई दिल्ली
2. विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी), नई दिल्ली
3. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिकता निधि (यूनिसेफ), नई दिल्ली
4. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीआरसी), नई दिल्ली
5. ऑल इंडिया विमैन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, नई दिल्ली
6. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई), नई दिल्ली
7. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), नई दिल्ली
8. भोजन का अधिकार अभियान, नई दिल्ली

III. व्यक्ति

1. श्री नवीन जिंदल, संसद सदस्य (लोक सभा)
2. श्री एन. के. सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)
3. श्री जीन ड्रेज, मानद प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स

4. सुश्री रीतिका खेड़ा, असि. प्रोफेसर, आईआईटी, दिल्ली
5. प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन, संसद सदस्य (राज्य सभा)
6. श्रीमती वृंदा करात, पूर्व संसद सदस्य (राज्य सभा)

IV. राज्य सरकारें जिनके साथ समिति द्वारा जुलाई और नवम्बर, 2012 में किए गए अध्ययन दौरे के दौरान चर्चा की गई।

1. मेघालय
2. असम
3. बिहार
4. जम्मू और कश्मीर
5. ओडिशा
6. आंध्र प्रदेश
7. केरल

परिशिष्ट दो

विमत टिप्पण

डा. टी.एन. सीमा
संसद सदस्य
(राज्य सभा)

मैं समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों और कुछ न की गई सिफारिशों, जिन्हें मैं महसूस करती हूं कि की जानी चाहिए थीं, पर अपनी असहमति तथा विमत दर्ज करवाना चाहती हूं। मैंने इन मतों को समिति में चर्चा के दौरान भी व्यक्त किया था। तथापि, मेरे मतानुसार खाद्य सुरक्षा के प्रश्न के साथ आधारभूत रूप से जुड़े इन मुद्दों पर अंतिम प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं है, अत: यह विमत टिप्पण प्रस्तुत है।

1. विधेयक में हकदारी सार्वभौमिक प्रकृति की होनी चाहिए जिसमें कृत्रिम रूप से निर्धारित कोई सीमा न लगाई गई हो। तथापि, समिति ने केवल एक-समान हकदारी की सिफारिश की है, सार्वभौमिक हकदारी की नहीं। इस प्रकार समान हकदारी से शामिल किए जाने वालों की संख्या भी योजना आयोग द्वारा कृत्रिम रूप से लगाई गई 75 प्रतिशत (ग्रामीण) और 50 प्रतिशत (शहरी) की सीमा के अधीन होगी। वस्तुत:, समिति ने इन सीमाओं की सिफारिश विशिष्ट रूप से पैरा 2.5 में की है। यह एक आधारभूत तरीके से खाद्यान्न सुरक्षा को कम करती है। समिति की सिफारिश केवल यह है कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो शामिल किए जाने वाले लोगों की संख्या में अपनी स्वयं की लागत पर वृद्धि कर सकती हैं। यह निरर्थक तथा अनुचित दोनों है। वर्तमान में विधेयक विशिष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को मुहैया करवाए जाने वाले सारे खाद्यान्न दिए गए अधिदेश के अनुसार वितरित किए जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे राज्य जो वर्तमान में खाद्यान्नों का उपयोग लगभग सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं, वे इसके पश्चात् ऐसा करने में समर्थ नहीं होंगे। उन्हें अब बाजार मूल्य पर अपेक्षित अतिरिक्त खाद्यान्न खरीदने पड़ेंगे। इसका अर्थ कई राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे प्रभावी खाद्य कार्यक्रमों को समाप्त करना होगा। समिति इन कारकों पर ध्यान देने में विफल रही है।

2. पांच किलोग्राम प्रतिव्यक्ति की समिति द्वारा सिफारिश की गई समान हकदारी बिल्कुल अस्वीकार्य है क्योंकि यह 5 व्यक्तियों के किसी बीपीएल तथा एएवाई परिवार की वर्तमान की 35 किलोग्राम की हकदारी को कम करके 10 किलोग्राम कर देगा। हकदारी में यह कटौती 6.52 करोड़ परिवारों (वर्तमान में बीपीएल/अंत्योदय के रूप में चिह्नित) हेतु खाद्यान्न असुरक्षा उत्पन्न करेगी। यह सरकार को केवल राजसहायता कम करने में सहायता करेगा परंतु खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा जोकि इस विधेयक का उद्देश्य है। यह बेहतर होता यदि सभी के लिए हकदारी को 7 किलोग्राम प्रति-व्यक्ति रखते हुए विधि द्वारा न्यूनतम 35 किलोग्राम को सुनिश्चित किया जाता। बड़े परिवार तो किसी भी हाल में व्यक्तिगत हकदारी से कवर हो जाते।

3. समिति ने सभी के लिए एक-समान मूल्य की सही सिफारिश की है। तथापि, इसमें 1 किलोग्राम चावल, गेहूं तथा मोटे अनाज हेतु क्रमश: 3 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के मूल्य को अपनाया है। हालांकि यह सरकारी विधेयक में ''सामान्य श्रेणी'' के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए लोगों के लिए लाभदायक होगा,

किन्तु यह अंत्योदय श्रेणियों के साथ न्याय नहीं करता है जिन्हें अपना आबंटन 2 रुपए प्रति किलोग्राम पर प्राप्त हो रहा है जो कई राज्यों में गैर-अंत्योदय श्रेणियों हेतु अपनाया गया मूल्य मानदंड भी है। अत: समिति की सिफारिश में राज्यों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए था और 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 35 कि.ग्रा. (न्यूनतम) के एक समान मूल्य को सुझाया जाना चाहिए था।

4. कई अभ्यावेदनों में विधेयक के अत्यधिक केन्द्रीयकृत होने की आलोचना सही है। यह लागत बांटने के मुद्दे के संबंध में तो और भी सही है। किसी केन्द्रीय विधेयक में केन्द्र सरकार को लागत का एक बड़ा हिस्सा वहन करना चाहिए। कई राज्य सरकारों ने कहा कि समूची लागत को केन्द्र द्वारा वहन किया जाना चाहिए। तथापि, समिति ने राज्यों के वर्गीकरण की सिफारिश की है। यह दुविधाओं का एक पिटारा खोल देगा और केन्द्र को श्रेणियों को चुनने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान करेगा। परिवहन की विशिष्ट समस्या वाले राज्यों, जैसेकि पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्ण राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने का लाभ मिलना चाहिए। किसी भी मामले में केन्द्र सरकार द्वारा मनमर्जी से कोई लागत साझेदारी का निर्णय नहीं लिया जा सकता जैसाकि कई योजनाओं तथा विधियों में किया जा रहा है इस विषय से संबंधित विधेयक के संगत खंडों को हटाया जाना चाहिए अन्यथा यह राज्यों के लिए अत्यधिक अनुचित होगा और इसके अलावा यह संविधान के संघीय स्वरूप के विपरीत होगा।

5. सीधे नकदी अंतरण के मुद्दे पर समिति ने यह सिफारिश की है कि ''इस समय'' इसे प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आधारभूत ढांचे का अभाव है। जहां इस सचेतक टिप्पणी को सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, लेकिन समिति इस संबंध में सिफारिश करने में विफल रही है, जो उसे करनी चाहिए थी, कि विधेयक में नकद अंतरण के संदर्भ को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। मैं यह मानता हूं कि सिफारिशों में इस बात पर बल देना आवश्यक है कि ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति के समय भोजन के बजाय नकदी अंतरण से खाद्य असुरक्षा उत्पन्न होगी। खाद्यान्नों के बाजार मूल्यों में वृद्धि का अर्थ होगा कि नकद राजसहायता 35 कि.ग्रा. हकदारी की समूची लागत को कवर नहीं कर पाएगी। इसके अतिरिक्त, चूंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नकदी को कैसे व्यय किया जाएगा, इसलिए इससे और कुपोषण बढ़ेगा। विधि में नकद अंतरण खंड को बनाए रखने का अर्थ होगा कि सरकार के पास इसे लागू करवाने का विधिक अधिकार होगा।

6. मैं यह मानती हूं कि गर्भवती महिला हेतु केवल पहले दो बच्चों के लिए 1000 रुपए के भत्ते को सीमित करने की विशिष्ट सिफारिश गलत है। यह दो बच्चों के मानदंड को थोपा जाना है जो आपत्तिजनक है। तीसरे बच्चे के साथ भी उसकी समस्याएं वही रहेंगी, यदि उनमें वृद्धि न भी हो। हम महिला को क्यों परिणाम भुगतने दें, जब उसके पास पैदा किए जाने वाले बच्चों की संख्या के संबंध में निर्णय लिए जाने की शक्ति होती ही नहीं है। जहां तक आंगनवाड़ियों का संबंध है समिति ने सरकार को नि:शुल्क भोजन तथा गर्भवती माताओं हेतु अतिरिक्त पोषण देने से मुक्त करके गलत किया है। कुछ अन्य मुद्दे हैं जैसे दालों, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं हेतु नियंत्रित मूल्यों को निर्धारित किए जाने को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए था।

ह./-

डा. टी. एन. सीमा

संसद सदस्य, राज्य सभा

उपाबंध-III

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013

(5 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—15 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007 2003—15

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2013/ आषाढ़ 14, 1935 (शक)
No. 25] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2013/ASADHA 14, 1935 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, जुलाई 5, 2013/ आषाढ़ 14, 1935 (शक)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013

(2013 का संख्यांक 7)

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित।

जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अध्यादेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011, तारीख 22 दिसंबर, 2011 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था और उसे खाद्य,

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिसने 17 जनवरी, 2013 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी, किन्तु उक्त विधेयक पारित नहीं हुआ है;

और सांविधानिक बाध्यताओं के अनुसरण में, यह आवश्यक समझा गया है कि देश की जनता को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए खाद्य सुरक्षा का उपबंध करने वाली एक विधि अधिनियमित की जाए;

और संसद् सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उक्त विधेयक के उपबंधों को, कतिपय उपांतरणों के साथ, प्रभावी करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अत:, राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, तुरंत प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''आंगनवाड़ी'' से धारा 4, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन गठित बाल देखरेख और विकास केन्द्र अभिप्रेत है;

(2) ''केंद्रीय पूल'' से खाद्यान्न का ऐसा स्टॉक अभिप्रेत है, जो —

(i) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत संक्रियाओं के माध्यम से उपाप्त किया जाता है;

(ii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी स्कीमों, जिनके अन्तर्गत आपदा राहत भी है और ऐसी अन्य स्कीमों के अधीन आबंटनों के लिए रखा जाता है;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्कीमों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखा जाता है;

(3) ''पात्र गृहस्थी'' से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी और अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां अभिप्रेत हैं;

(4) ''उचित दर दुकान'' से ऐसी दुकान अभिप्रेत है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है;

1955 का 10

(5) ''खाद्यान्न'' से चावल, गेहूं या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, आदेश द्वारा, अवधारित किए जाएं;

(6) ''खाद्य सुरक्षा'' से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है;

(7) ''खाद्य सुरक्षा भत्ता'' से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;

(8) ''स्थानीय प्राधिकारी'' में पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी और असम, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में, जहां पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, ग्राम परिषद् या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है अथवा कोई अन्य ऐसा प्राधिकरण या निकाय सम्मिलित है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नगर सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है;

(9) ''भोजन'' से गरम पकाया गया भोजन या खाने के लिए तैयार भोजन या घर ले जाने वाला राशन, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अभिप्रेत है;

(10) ''न्यूनतम समर्थन कीमत'' से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित ऐसी सुनिश्चित कीमत अभिप्रेत है, जिस पर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न उपाप्त किया जाता है;

(11) ''अधिसूचना'' से इस अध्यादेश के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(12) ''अन्य कल्याणकारी स्कीमों'' से, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त, ऐसी सरकारी स्कीमें अभिप्रेत हैं, जिनके अधीन स्कीमों के भागरूप खाद्यान्न और भोजन प्रदाय किए जाते हैं;

(13) ''नि:शक्त व्यक्ति'' से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; 1996 का 1

(14) ''पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी'' से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान किए गए गृहस्थी अभिप्रेत हैं;

(15) ''विहित'' से इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(16) ''राशन कार्ड'' से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(17) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय, किसी राज्य में का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(18) ''अनुसूची'' से इस अध्यादेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(19) ''वरिष्ठ नागरिक'' से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; 2007 का 56

(20) ''सामाजिक संपरीक्षा'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मानीटर और उसका मूल्यांकन करती है;

(21) ''राज्य आयोग'' से धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;

(22) ''राज्य सरकार'' से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(23) ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है;

(24) ''सतर्कता समिति'' से इस अध्यादेश के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है;

(25) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

1955 का 10

अध्याय 2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।

3. (1) उन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों का, जिनकी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पहचान की गई है, प्रत्येक व्यक्ति, राज्य सरकार से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायता-प्राप्त कीमतों पर प्रति मास प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा:

परंतु अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां, उस सीमा तक, जो केन्द्रीय सरकार उक्त स्कीम में प्रत्येक राज्य के लिए विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रति मास प्रति गृहस्थी पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न की हकदार होगी।''

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अन्त्योदय अन्न योजना'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को उक्त नाम से आरंभ की गई और समय-समय पर यथा उपांतरित, स्कीम अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की सहायता-प्राप्त कीमतों पर हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और नगरीय जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, खाद्यान्न की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता।

4. ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित की जाएं, प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होगी,—

(क) गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् के छह मास के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके; और

(ख) कम से कम छह हजार रुपए का ऐसी किस्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, प्रसूति फायदा:

परंतु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं या वे स्त्रियां, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे ही फायदे मिल रहे हैं, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट फायदों के लिए हकदार नहीं होंगी।

बालकों को पोषणीय सहायता।

5. (1) खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक की, उसकी पोषणीय आवश्यकताओं के लिए, निम्नलिखित हकदारियां होंगी,—

(क) छह मास से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु के समुचित निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके:

परंतु छह मास से कम आयु के बालकों के लिए, केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा;

(ख) कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में, इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर, प्रत्येक दिन निःशुल्क एक बार दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी:

परंतु नगरीय क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भोजन पकाने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघरों की सुविधाओं का, जहां कहीं अपेक्षित हो, उपयोग किया जा सकेगा।

बालक कुपोषण का निवारण ओर प्रबंध।

6. राज्य सरकार स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करेगी और उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

हकदारियों के आपन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

7. राज्य सरकारें, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत में हिस्सा बंटाने सहित ऐसी स्कीमों का, जिनके अंतर्गत धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियां आती हैं, ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा भत्ता

कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

8. अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किए जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से संदाय किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

अध्याय 4

पात्र गृहस्थियों की पहचान

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।

9. धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसंख्या की प्रतिशतता का अवधारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस जनगणना के अनुसार जनसंख्या प्राक्कलनों के आधार पर संगणित की जाएगी, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।

10. (1) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन व्यक्ति-संख्या के भीतर ही,—

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियों की, उक्त स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पहचान करेगी;

(ख) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियों की ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पहचान करेगी:

परंतु राज्य सरकार, अध्यादेश के प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशीघ्र, किंतु एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, इस उपधारा के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पात्र गृहस्थियों की पहचान कर सकेगी:

परंतु यह और कि राज्य सरकार, ऐसी गृहस्थियों की पहचान पूरी होने तक, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आबंटन प्राप्त करती रहेगी।

(2) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर ही पात्र गृहस्थियों की सूची को उपधारा (1) के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अद्यतन करेगी।

11. राज्य सरकार, पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में लगाएगी और उसे प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगी।

पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन।

अध्याय 5

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

12. (1) केंद्रीय और राज्य सरकारें, इस अध्यादेश में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार के कार्य का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।

(2) सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्य आएंगे:—

(क) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम-स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वारों तक परिदान;

(ख) सभी स्तरों पर संव्यवहारों के पारदर्शक अभिलेखन को सुनिश्चित करने और उनका अपयोजन रोकने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का, जिनके अंतर्गत विस्तृत कंप्यूटरीकरण भी है, उपयोजन;

(ग) इस अध्यादेश के अधीन फायदों को समुचित लक्ष्यित करने के लिए हकदार फायदाग्राहियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ प्रामाणिक पहचान के लिए ''आधार'' का प्रयोग किया जाना;

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;

(ङ) उचित दर दुकानों की अनुज्ञप्तियां दिए जाने में और लोक संस्थाओं या लोक निकायों, जैसे पंचायतें, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं को और उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा किए जाने को अधिमाानता;

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं का समयकालिक विविधत्व;

(छ) स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन;

(ज) लक्ष्यित फायदाग्राहियों के लिए ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट उनकी खाद्यान्न हकदारियों के बदले नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना।

अध्याय 6

महिला सशक्तिकरण

राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना।

13. (1) प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वर्षिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी।

(2) जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहां गृहस्थी का वर्षिष्ठ पुरूष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डों के लिए, पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।

अध्याय 7

शिकायत निवारण तंत्र

आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।

14. प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइन्स, नोडल अधिकारियों का पदाभिहित किया जाना भी है या ऐसा अन्य तंत्र, स्थापित करेगी, जो विहित किया जाए।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी।

15. (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए, अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अध्यादेश के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए, एक अधिकारी, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा, नियुक्त या पदाभिहित करेगी।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(4) राज्य सरकार, जिला शिकायत निवारण अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का उपबंध करेगी, जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किए जाने और उससे संबंधित मामलों के संबंध में शिकायतों को सुनेगा और उनके निवारण के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(6) ऐसा कोई शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है और जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर फाइल की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

16. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकेगी। राज्य खाद्य आयोग।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष;

(ख) पांच अन्य सदस्य; और

(ग) सदस्य-सचिव, जो राज्य सरकार का, उस सरकार में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा:

परंतु उसमें कम से कम दो महिलाएं होंगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हों:

परंतु यह और कि उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जाएगी,—

(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है;

(ख) जो सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

(ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड है।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा, और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए उनकी नियुक्ति की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(6) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों को अपने हाथ में लेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य के संबंध में, इस अध्यादेश के कार्यान्वयन

को मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना;

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना;

(ग) इस अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना;

(घ) व्यष्टियों को इस अध्यादेश के विनिर्दिष्ट उसकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार, सुसंगत सेवाओं के परिदान के अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह देना;

(ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(च) वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएंगी।

(7) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(8) उपधारा (7) के अधीन कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति और उनके वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(9) राज्य सरकार, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकर है।

(10) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (9) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द का वेतन और भत्ते।

17. राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव, सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्ययों का उपबंध करेगी।

राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना।

18. राज्य सरकार, यदि वह यह आवश्यक समझती है तो, अधिसूचना द्वारा, किसी कानूनी आयोग या निकाय को, धारा 16 में निर्दिष्ट राज्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित कर सकेगी।

संयुक्त राज्य खाद्य आयोग।

19. धारा 16 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, दो या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा।

जांच से संबंधित शक्तियां।

20. (1) राज्य आयोग को, धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (ख) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन 1908 का 5 किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती हैं, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) राज्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है।

1974 का 2

रिक्तियों, आदि के कारण राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

21. राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय 8

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन किया जाना।

22. (1) केन्द्रीय सरकार, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए धारा 3 के अधीन हकदारियों के अनुसार और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) अपने स्वयं के अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न उपाप्त करेगी;

(ख) राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करेगी;

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्नों के परिवहन का उपबंध करेगी;

(घ) राज्य सरकार को ऐसे सन्नियमों और रीति के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यिक संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकान के व्यौहारियों को संदत्त अतिरिक्त धन (मार्जिन) मद्दे उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी; और

(ङ) विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना।

23. किसी राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की आपूर्ति की कमी की दशा में, केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्याय 2 के अधीन की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को किए गए कम प्रदाय की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 9

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मॉनीटर किया जाना।

24. (1) राज्य सरकार, अपने राज्य में लक्ष्यित फायदाग्राहियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों और अपनी स्वयं की स्कीमों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने और उन्हें मॉनीटर करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्तव्य होगा—

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से, खाद्यान्नों का परिदान लेना; प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक अपने प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंतरा-राज्यिक आबंटनों का आयोजन करना; और

(ख) हकदार व्यक्तियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या प्रदाय सुनिश्चित करना।

(3) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों की बाबत खाद्यान्न अपेक्षाओं के लिए, राज्य सरकार, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, खाद्यान्नों का परिदान लेने और पूर्वोक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार हकदार फायदों के वास्तविक परिदान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न करने की दशा में, राज्य सरकार धारा 8 में विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए,—

(क) राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर ऐसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करेगी और उन्हें बनाए रखेगी, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हों;

(ख) अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिहित अभिकरणों की क्षमताओं को यथोचित रूप से सुदृढ़ करेगी;

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन व्यवस्था स्थापित करेगी। 1955 का 10

अध्याय 10

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।

25. (1) स्थानीय प्राधिकारी, अपने क्षेत्रों में इस अध्यादेश के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगी।

स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं।

26. इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अधिसूचना द्वारा, उन्हें समनुदेशित किए जाएं।

अध्याय 11

पारदर्शिता और जवाबदेही

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण।

27. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को, ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में रखा जाएगा और जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना।

28. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

सतर्कता समितियों का गठन।

29. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान के स्तरों पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यथाविनिर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या नि:शक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व देते हुए, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

1955 का 10

(2) सतर्कता समितियां, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्:—

(क) इस अध्यादेश के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

(ख) इस अध्यादेश में किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में सूचित करना; और

(ग) उसके द्वारा पाए गए किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के बारे में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचित करना।

अध्याय 12

खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध

दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा।

30. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, इस अध्यादेश के उपबंधों और विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय कमजोर समूहों की, विशेष रूप से, उनकी जो दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगी।

खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने के उपाय।

31. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

32. (1) इस अध्यादेश के उपबंध, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य-आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से प्रवारित नहीं करेंगे।

(2) इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से, इस अध्यादेश के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का उपबंध करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमें जारी रख सकेगी या विरचित कर सकेगी।

शास्तियां।

33. ऐसा कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाएगा, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा:

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

न्यायनिर्णयन की शक्ति।

34. (1) राज्य आयोग, धारा 33 के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंधित किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, कोई जांच करते समय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, प्रस्तुत करने के लिए मामले

के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो वह धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

अध्यादेश का अध्यारोही प्रभाव होना।

36. इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय, प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

37. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, उसके जारी किए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

38. केन्द्रीय सरकार, इस अध्यादेश के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर, राज्य सरकारों को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का पालन करेंगी।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

39. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के खंड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करवाने वाली माताओं को प्रसूति फायदा उपलब्ध करवाने संबंधी स्कीम, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ख) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारी संबंधी स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 7 के अधीन खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ग) धारा 8 के अधीन हकदार व्यष्टियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय की रकम, उसका समय और रीति;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन लक्ष्यित फायदाग्राहियों को ऐसे क्षेत्रों में और रीति से उनकी खाद्यान्न हकदारियों के बदले नकदी अन्तरण, खाद्य कूपनों की स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन व्यय को पूरा करने में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के सन्नियम और रीति;

(च) वह रीति, जिसमें धारा 23 के अधीन खाद्यान्नों के कम प्रदाय की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अध्यादेश के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या

पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

40. (1) राज्य सरकार, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए और इस अध्यादेश और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ख) धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;

(ग) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां;

(घ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्तें;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई तथा अपीलें फाइल किए जाने की रीति और समय-सीमा;

(च) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, आयोग की बैठकों की प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियां;

(छ) धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ज) वह रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखे जाएंगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे;

(झ) वह रीति, जिसमें धारा 28 के अधीन उचित दर दुकानों, लक्ष्यित लोक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण की सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी;

(ञ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सतर्कता समितियों की संरचना;

(ट) धारा 43 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्कीमें या कार्यक्रम;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अध्यादेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और मार्गदर्शक सिद्धान्त, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध।

41. इस अध्यादेश के प्रारंभ के तारीख को विद्यमान स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां तब तक प्रवृत्त और प्रवर्तन में बनी रहेंगी जब तक इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां विनिर्दिष्ट या अधिसूचित हैं:

परंतु उक्त स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेशों और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र के अधीन या सतर्कता समितियों द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्नुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस अध्यादेश के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

42. (1) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग।

43. धारा 15 और धारा 16 के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केन्द्रीय सरकार की या राज्य सरकारों की ऐसी अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, किया जा सकेगा।

अपरिहार्य घटना।

44. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अध्यादेश के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के लिए, युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय जिससे इस अध्यादेश के अधीन ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है, दायी होगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग के परामर्श से, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय को प्रभावित करने वाली ऐसी कोई परिस्थिति उद्भूत या विद्यमान है अथवा नहीं।

अनुसूची 1

[धारा 3 (1), धारा 22 (1), (3) और धारा 24 (2), (3) देखिए]

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायताप्राप्त कीमतें

पात्र गृहस्थियां धारा 3 के अधीन सहायता-प्राप्त कीमत पर, जो चावल के लिए 3 रु॰ प्रति किग्रा॰, गेहूं के लिए 2 रु॰ प्रति किग्रा॰ और मोटे अनाज के लिए 1 रु॰ प्रति किग्रा॰ से अधिक की नहीं होगी, इस अध्यादेश के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् ऐसी कीमत पर खाद्यान्न लेने की हकदार होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत की जाए और जो, यथास्थिति,—

(i) गेहूं और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत; और

(ii) चावल के लिए व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन कीमत,

से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची 2

[धारा 4 (क), धारा 5 (1) और धारा 6 देखिए]

पोषण मानक

पोषण मानक: छह मास से तीन वर्ष के आयु समूह, तीन से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए पोषण मानक 'घर ले जाया जाने वाला राशन'[1] उपलब्ध कराके या एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन या खाने के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराके पूरे किए जाने अपेक्षित और अपराह्न भोजन स्कीम के अधीन निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषण मानक निम्नानुसार हैं:—

क्रम संख्यांक	प्रवर्ग	भोजन[2] का प्रकार	कैलोरी (कि॰ कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा॰)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाया जाने वाला राशन	500	12-15
2.	बालक (3 से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12-15
3.	बालक (6 मास से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	घर ले जाया जाने वाला राशन	800	20-25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20
6.	गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाया जाने वाला राशन	600	18-20

टिप्पण 1: सिफारिश किए गए आहारिक भत्ते के पचास प्रतिशत पर ऊर्जा युक्त खाद्य, जिसे सूक्ष्म पोषकों से समृद्ध किया गया है।

टिप्पण 2: खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध इस अनुसूची में निर्दिष्ट भोजन को लागू होंगे।

कृपया ध्यान दें: पोषण मानक विनिर्दिष्ट कैलोरी गणना, प्रोटीन मान और सूक्ष्म पोषकों के निबंधनों के अनुसार संतुलित आहार और पोषक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचित किए जाते हैं।

अनुसूची 3

[धारा (31) देखिए]

खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध

(1) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण—

(क) छोटे और सीमांत कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के उपायों के माध्यम से कृषि सुधार करना;

(ख) कृषि, जिसके अन्तर्गत अनुसंधान और विकास, विस्तार सेवाएं, सूक्ष्म और लघु सिंचाई और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति भी है, विनिधान में वृद्धि करना;

(ग) लाभकारी कीमतों, निवेशों तक पहुंच, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा, आदि के रूप में कृषकों के जीवन निर्वाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अनपेक्षित उपयोजन का प्रतिषेध करना।

(2) उपापन, भंडारण और लाने-ले-जाने से संबंधित मध्यक्षेप—

(क) विकेन्द्रीकृत उपापन को, जिसके अन्तर्गत मोटे अनाजों का उपापन भी है, प्रोत्साहित करना;

(ख) उपापन संक्रियाओं का भौगोलिक विशाखन;

(ग) पर्याप्त विकेंद्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण का संवर्द्धन;

(घ) खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से उपयोग वाले क्षेत्रों को खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सुकर बनाने के लिए रेल की लाइन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है।

(3) अन्यः निम्नलिखित तक पहुंच—

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल और स्वच्छता;

(ख) स्वास्थ्य देखभाल;

(ग) किशोर बालिकाओं का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं को पर्याप्त पेंशन।

प्रणब मुखर्जी,
राष्ट्रपति।

प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, भारत सरकार।

उपाबंध–**IV**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

(7 अगस्त, 2013 को लोक सभा में पुर:स्थापित रूप में)

लोक सभा में पुर:स्थापित रूप में

2013 का विधेयक संख्यांक 109

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

3. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।
4. गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता।
5. बालकों को पोषणीय सहायता।
6. बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध।
7. हकदारियों के आपन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा भत्ता

8. कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

अध्याय 4

पात्र गृहस्थियों की पहचान

9. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।
10. राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।
11. पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन।

SERVER3\E\3693RS\3693RS(4)(195-248)

अध्याय 5

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

खंड

12. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।

अध्याय 6

महिला सशक्तिकरण

13. राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना।

अध्याय 7

शिकायत निवारण तंत्र

14. आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।
15. जिला शिकायत निवारण अधिकारी।
16. राज्य खाद्य आयोग।
17. राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द का वेतन और भत्ते।
18. राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना।
19. संयुक्त राज्य खाद्य आयोग।
20. जांच से संबंधित शक्तियां।
21. रिक्तियों, आदि के कारण राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

अध्याय 8

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

22. केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन किया जाना।
23. केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना।

अध्याय 9

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

24. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मॉनीटर किया जाना।

अध्याय 10

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

खंड

25. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।

26. स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं।

अध्याय 11

पारदर्शिता और जवाबदेही

27. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण।

28. सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना।

29. सतर्कता समितियों का गठन।

अध्याय 12

खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध

30. दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा।

31. खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने के उपाय।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

32. अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

33. शास्तियां।

34. न्यायनिर्णयन की शक्ति।

35. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति।

36. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

37. अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

38. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

39. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

40. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

41. स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के संक्रमणकालीन उपबंध।

खंड

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

43. संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग।

44. अपरिहार्य घटना।

45. निरसन और व्यावृत्ति।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

अनुसूची 3

लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में

2013 का विधेयक संख्यांक 109

[दि नेशनल फूड सिक्यूरिटी बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, 5 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''आंगनवाड़ी'' से धारा 4, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन गठित बाल देखरेख और विकास केन्द्र अभिप्रेत है;

(2) ''केन्द्रीय पूल'' से खाद्यान्न का ऐसा स्टाक अभिप्रेत है, जो —

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत संक्रियाओं के माध्यम से उपाप्त किया जाता है;

(ii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी स्कीमों, जिनके अन्तर्गत अपदा राहत भी है और ऐसी अन्य स्कीमों के अधीन आबंटनों के लिए रखा जाता है;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्कीमों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखा जाता है;

(3) ''पात्र गृहस्थी'' से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी और अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां अभिप्रेत हैं;

(4) ''उचित दर दुकान'' से ऐसी दुकान अभिप्रेत है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के 1955 का 10 अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है;

(5) ''खाद्यान्न'' से चावल, गेहूं या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, आदेश द्वारा, अवधारित किए जाएं;

(6) ''खाद्य सुरक्षा'' से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है;

(7) ''खाद्य सुरक्षा भत्ता'' से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;

(8) ''स्थानीय प्राधिकारी'' में पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी और असम,

मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में जहां पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, ग्राम परिषद् या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है अथवा कोई अन्य ऐसा प्राधिकरण या निकाय सम्मिलित है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नगर सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है;

(9) ''भोजन'' से गरम पकाया गया भोजन या खाने के लिए तैयार भोजन या घर ले जाने वाला राशन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अभिप्रेत है;

(10) ''न्यूनतम समर्थन कीमत'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ऐसी सुनिश्चित कीमत अभिप्रेत है, जिस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न उपाप्त किया जाता है;

(11) ''अधिसूचना'' से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(12) ''अन्य कल्याणकारी स्कीमों'' से, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त, ऐसी सरकारी स्कीमें अभिप्रेत हैं, जिनके अधीन स्कीमों के भागरूप खाद्यान्न और भोजन प्रदाय किए जाते हैं;

(13) ''नि:शक्त व्यक्ति'' से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,
1996 का 1 1995 की धारा 2 के खंड (न) में उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(14) ''पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी'' से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान की गई गृहस्थी अभिप्रेत है;

(15) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(16) ''राशन कार्ड'' से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(17) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय, किसी राज्य में का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(18) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(19) ''वरिष्ठ नागरिक'' से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(20) ''सामाजिक संपरीक्षा'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मॉनीटर और उसका मूल्यांकन करती है;

(21) ''राज्य आयोग'' से धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;

(22) ''राज्य सरकार'' से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(23) ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है;

(24) ''सतर्कता समिति'' से इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है;

(25) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या किसी 1955 का 10

अन्य सुसंगत अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।

3. (1) उन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों का, जिनकी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पहचान की गई है, प्रत्येक व्यक्ति, राज्य सरकार से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायता-प्राप्त कीमतों पर प्रति मास प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा:

परंतु अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां, उस सीमा तक, जो केंद्रीय सरकार उक्त स्कीम में प्रत्येक राज्य के लिए विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रति मास गृहस्थी पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न की हकदार होंगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''अन्त्योदय अन्न योजना'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को उक्त नाम से आरंभ की गई और समय-समय पर यथा उपांतरित, स्कीम अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की सहायता-प्राप्त कीमतों पर हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और नगरीय जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित की जाएंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, खाद्यान्न की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता।

4. ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित की जाएं, प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होगी,–

(क) गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् के छह मास के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके; और

(ख) कम से कम छह हजार रुपए का ऐसी किस्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, प्रसूति फायदा:

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं या वे स्त्रियां, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे ही फायदे मिल रहे हैं, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट फायदों के लिए हकदार नहीं होंगी।

बालकों को पोषणीय सहायता।

5. (1) खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक की, उसकी पोषणीय आवश्यकताओं के लिए, निम्नलिखित हकदारियां होंगी,–

(क) छह मास से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु के समुचित नि:शुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके;

परंतु छह मास से कम आयु के बालकों के लिए, केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा:

(ख) कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में, इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन नि:शुल्क एक बार दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी:

परंतु नगरीय क्षेत्रों में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भोजन पकाने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघरों की सुविधाओं का, जहां कहीं अपेक्षित हो, उपयोग किया जा सकेगा।

बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध।

6. राज्य सरकार, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करेगी और उनको नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

7. राज्य सरकारें, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत में हिस्सा बंटाने सहित ऐसी स्कीमों का, जिनके अंतर्गत धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियां आती हैं, ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

हकदारियों के आपन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा भत्ता

8. अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किए जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से संदाय किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

अध्याय 4

पात्र गृहस्थियों की पहचान

9. धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसंख्या की प्रतिशतता का अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस जनगणना के अनुसार जनसंख्या प्राक्कलनों के आधार पर संगणित की जाएगी, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं।

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।

10. (1) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन व्यक्ति-संख्या के भीतर ही,—

राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियों की, उक्त स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पहचान करेगी;

(ख) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियों की ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पहचान करेगी:

परंतु राज्य सरकार, अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात, यथाशीघ्र, किन्तु एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, इस उपधारा के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पात्र गृहस्थियों की पहचान कर सकेगी:

परंतु यह और कि राज्य सरकार, ऐसी गृहस्थियों की पहचान पूरी होने तक, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केंद्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आबंटन प्राप्त करती रहेगी।

(2) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर ही पात्र गृहस्थियों की सूची को उपधारा (1) के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अद्यतन करेगी।

पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन

11. राज्य सरकार, पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में लगाएगी और उसे प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगी।

अध्याय 5

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

12. (1) केंद्रीय और राज्य सरकारें, इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार के कार्य का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।

(2) सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्य आएंगे:—

(क) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम-स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिदान;

(ख) सभी स्तरों पर संव्यवहारों के पारदर्शक अभिलेखन को सुनिश्चित करने और उनका अपयोजन रोकने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का, जिनके अंतर्गत विस्तृत कंप्यूटरीकरण भी है, उपयोजन;

(ग) इस अधिनियम के अधीन फायदों को समुचित लक्ष्यित करने के लिए हकदार फायदाग्राहियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ प्रामाणिक पहचान के लिए "आधार" का प्रयोग किया जाना;

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;

(ङ) उचित दर दुकानों की अनुज्ञप्तियां दिए जाने में और लोक संस्थाओं या लोक निकायों, जैसे पंचायतें, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं को और उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा किए जाने को अधिमानता;

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं का समयकालिक विविधित्व;

(छ) स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन;

(ज) लक्ष्यित फायदाग्राहियों के लिए ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी रीति से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट उनकी खाद्यान्न हकदारियों के बदले नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना।

अध्याय 6

महिला सशक्तिकरण

राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना।

13. (1) प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वर्षिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी।

(2) जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहां गृहस्थी का वर्षिष्ठ पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डों के लिए, पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।

अध्याय 7

शिकायत निवारण तंत्र

आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।

14. प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइन्स, नोडल अधिकारियों का पदाभिहित किया जाना भी है या ऐसा अन्य तंत्र, स्थापित करेगी, जो विहित किया जाए।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी।

15. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए, अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अधिनियम के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए, एक अधिकारी, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा, नियुक्त या पदाभिहित करेगी।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(4) राज्य सरकार, जिला शिकायत निवारण अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का उपबंध करेगी, जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किए जाने और उससे संबंधित मामलों के संबंध में शिकायतों को सुनेगा और उनके निवारण के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(6) ऐसा कोई शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है और जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर फाइल की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

राज्य खाद्य आयोग।

16. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकेगी।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष;

(ख) पांच अन्य सदस्य; और

(ग) सदस्य-सचिव, जो राज्य सरकार का, उस सरकार में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा:

परंतु उसमें कम से कम दो महिलाएं होंगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हों:

परंतु यह और कि उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जाएगी,—

(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है;

(ख) जो सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

(ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड है।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए उनकी नियुक्ति की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(6) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों को अपने हाथ में लेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना;

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर, जांच करना;

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना;

(घ) व्यष्टियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह देना;

(ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(च) वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएंगी।

(7) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(8) उपधारा (7) के अधीन कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति और उनके वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(9) राज्य सरकार, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकर है।

(10) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (9) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द का वेतन और भत्ते।

17. राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव, सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्ययों का उपबंध करेगी।

राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना।

18. राज्य सरकार, यदि वह यह आवश्यक समझती है तो, अधिसूचना द्वारा, किसी कानूनी आयोग या निकाय को, धारा 126 में निर्दिष्ट राज्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित कर सकेगी।

संयुक्त राज्य खाद्य आयोग।

19. धारा 16 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, दो या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा।

जांच से संबंधित शक्तियां।

20. (1) राज्य आयोग को, धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (ख) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते

समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती हैं, अर्थात:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) राज्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है। 1974 का 2

रिक्तियों, आदि के कारण राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

21. राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय 8

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

22. (1) केन्द्रीय सरकार, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए धारा 3 के अधीन हकदारियों के अनुसार और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन करेगी।

केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन किया जाना।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, —

(क) अपने स्वयं के अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न उपाप्त करेगी;

(ख) राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करेगी;

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्नों के परिवहन का उपबंध करेगी;

(घ) राज्य सरकार को ऐसे सन्नियमों और रीति के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यिक संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकान के व्यौहारियों को संदत्त अतिरिक्त धन (मार्जिन) मद्दे उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करगी; और

(ङ) विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना।

23. किसी राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की आपूर्ति की कमी की दशा में, केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्याय 2 के अधीन की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को किए गए कम प्रदाय की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 9

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मॉनीटर किया जाना।

24. (1) राज्य सरकार, अपने राज्य में लक्ष्यित फायदाग्राहियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों और अपनी स्वयं की स्कीमों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने और उन्हें मॉनीटर करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्तव्य होगा—

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना; प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक अपने प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंतरा-राज्यिक आबंटनों का आयोजन करना; और

(ख) हकदार व्यक्तियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या प्रदाय सुनिश्चित करना।

(3) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों की बाबत खाद्यान्न अपेक्षाओं के लिए, राज्य सरकार, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, खाद्यान्नों का परिदान लेने और पूर्वोक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार हकदार फायदों के वास्तविक परिदान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न करने की दशा में, राज्य सरकार धारा 8 में विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए,—

(क) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर ऐसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करेगी और उन्हें बनाए रखेगी, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हों;

(ख) अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिहित अभिकरणों की क्षमताओं को यथोचित रूप से सुदृढ़ करेगी;

1955 का 10

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन व्यवस्था स्थापित करेगी।

अध्याय 10

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।

25. (1) स्थानीय प्राधिकारी, अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगी।

स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं।

26. इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अधिसूचना द्वारा, उन्हें समनुदेशित किए जाएं।

अध्याय 11

पारदर्शिता और जवाबदेही

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण।

27. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को, ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में रखा जाएगा और जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना।

28. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

सतर्कता समितियों का गठन।

29. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान के स्तरों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए 1955 का 10
गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यथाविनिर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व देते हुए, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(2) सतर्कता समितियां, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में सूचित करना; और

(ग) उसके द्वारा पाए गए किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के बारे में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचित करना।

अध्याय 12

खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध

30. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, इस अधिनियम के उपबंधों और विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय कमजोर समूहों की, विशेष रूप से, उनकी जो दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगी।

दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा।

31. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के उपाय।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

32. (1) इस अधिनियम के उपबंध, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से प्रवारित नहीं करेंगे।

अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का उपबंध करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमें जारी रख सकेगी या विरचित कर सकेगी।

33. ऐसा कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाएगा, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा:

शास्तियां।

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

न्यायनिर्णयन की शक्ति।

34. (1) राज्य आयोग, धारा 33 के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंधित किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, कोई जांच करते समय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो वह धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति।

35. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

36. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

37. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 का संशोधन कर सकेगी

और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

38. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर, राज्य सरकारों को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का पालन करेंगी।

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

39. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के खंड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करवाने वाली माताओं को प्रसूति फायदा उपलब्ध करवाने संबंधी स्कीम, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ख) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारी संबंधी स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 7 के अधीन खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ग) धारा 8 के अधीन हकदार व्यष्टियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय की रकम, उसका समय और रीति;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन लक्ष्यित फायदाग्राहियों को ऐसे क्षेत्रों में और रीति से उनकी खाद्यान्न हकदारियों के बदले नकदी अन्तरण, खाद्य कूपनों की स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन व्यय को पूरा करने में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के सन्नियम और रीति;

(च) वह रीति, जिसमें धारा 23 के अधीन खाद्यान्नों के कम प्रदाय की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

40. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वार बनाए गए नियमों से संगत, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ख) धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;

(ग) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां;

(घ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्तें;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई तथा अपीलें फाइल किए जाने की रीति और समय-सीमा;

(च) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, आयोग की बैठकों की प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियां;

(छ) धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ज) वह रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखे जाएंगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे;

(झ) वह रीति, जिसमें धारा 28 के अधीन उचित दर दुकानों, लक्ष्यित लोक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण की सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी;

(ञ) धारा 29 की उपधारा (1) की अधीन सतर्कता समितियों की संरचना;

(ट) धारा 43 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्कीमें या कार्यक्रम;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और मार्गदर्शक सिद्धान्त, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध।

41. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां तब तक प्रवृत्त और प्रवर्तन में बनी रहेंगी जब तक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां विनिर्दिष्ट या अधिसूचित हैं:

परंतु उक्त स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेशों और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र के अधीन या सतर्कता समितियों द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग।

43. धारा 15 और 16 के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केंद्रीय सरकार की या राज्य सरकारों की ऐसी अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, किया जा सकेगा।

अपरिहार्य घटना।

44. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के लिए, युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय, जिससे इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है, दायी होगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग के परामर्श से, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय को प्रभावित करने वाली ऐसी कोई परिस्थिति उद्भूत या विद्यमान है अथवा नहीं।

2013 का अध्यादेश

निरसन और व्यावृत्ति।

45. (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन,—

(क) की गई किसी बात, की गई किसी कार्रवाई या पात्र गृहस्थियों की की गई पहचान; या

(ख) अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकारी, हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों या जारी किए गए निदेशों; या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में आरंभ की गई, संचालित या जारी किसी अन्वेषण, जांच या किसी अन्य विधिक कार्यवाही; या

(ङ) किसी अपराध के संबंध में अधिरोपित किसी शास्ति,—

के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, अर्जित की गई, प्रोद्भूत हुई, विरचित की गई, जारी की गई, आरंभ की गई, संचालित की गई, जारी रखी गई या अधिरोपित की गई है।

अनुसूची 1

[धारा 3(1), धारा 22(1), (3), और धारा 24 (2), (3) देखिए]

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायता-प्राप्त कीमतें

पात्र गृहस्थियां धारा 3 के अधीन सहायता-प्राप्त कीमत पर, जो चावल के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा., गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए प्रति कि.ग्रा. से अधिक की नहीं होगी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् ऐसी कीमत पर खाद्यान्न लेने की हकदार होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत की जाए और जो, यथास्थिति,—

(i) गेहूं और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत; और

(ii) चावल के लिए व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन कीमत,

से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची 2

[धारा 4(क), धारा 5 (1) और धारा 6 देखिए]

पोषण मानक

पोषण मानक: छह मास से तीन वर्ष के आयु समूह, तीन से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों और गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण मानक ''घर ले जाया जाने वाला राशन''[1] उपलब्ध कराके या एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन या खाने के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराके पूरे किए जाने अपेक्षित हैं और अपराह्न भोजन स्कीम के अधीन निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषण मानक निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्यांक	प्रवर्ग	भोजन[2] का प्रकार	कैलोरी (कि. कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाया जाने वाला राशन	500	12–15
2.	बालक (3 से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12–15
3.	बालक (6 मास से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	घर ले जाया जाने वाला राशन	800	20–25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20
6.	गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाया जाने वाला राशन	600	18–20

टिप्पण 1 : सिफारिश किए गए आहारिक भत्ते के पचास प्रतिशत पर ऊर्जा युक्त खाद्य, जिसे सूक्ष्म पोषकों से समृद्ध किया गया है।

टिप्पण 2 : खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध इस अनुसूची में निर्दिष्ट भोजन को लागू होंगे।

कृपया ध्यान दें : पोषण मानक विनिर्दिष्ट कैलोरी गणना, प्रोटीन मान और सूक्ष्म पोषकों के निबंधनों के अनुसार संतुलित आहार और पोषक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचित किए जाते हैं।

अनुसूची 3

(धारा 31 देखिए)

खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध

(1) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण—

(क) छोटे और सीमांत कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के उपायों के माध्यम से कृषि सुधार करना;

(ख) कृषि, जिसके अन्तर्गत अनुसंधान और विकास, विस्तार सेवाएं, सूक्ष्म और लघु सिंचाई और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति भी है, विनिधान में वृद्धि करना;

(ग) लाभकारी कीमतों, निवेशों तक पहुंच, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा, आदि के रूप में कृषकों के जीवन निर्वाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अनपेक्षित उपयोजन का प्रतिषेध करना।

(2) उपापन, भंडारण और लाने-ले-जाने से संबंधित मध्यक्षेप—

(क) विकेन्द्रीकृत उपापन को, जिसके अन्तर्गत मोटे अनाजों का उपापन भी है, प्रोत्साहित करना;

(ख) उपापन संक्रियाओं का भौगोलिक विशाखन;

(ग) पर्याप्त विकेंद्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण का संवर्द्धन;

(घ) खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से उपयोग वाले क्षेत्रों को खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सुकर बनाने के लिए रेल की लाइन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है।

(3) अन्यः निम्नलिखित तक पहुंच—

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल और स्वच्छता;

(ख) स्वास्थ्य देखभाल;

(ग) किशोर बालिकाओं का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं को पर्याप्त पेंशन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के अनुच्छेद 47 में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में भी, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, सभी राज्य पक्षकारों पर प्रत्येक व्यक्ति के पर्याप्त खाद्य के अधिकार को मान्यता देने का उत्तरदायित्व डाला गया है। अत्यन्त गरीबी और भूख का जड़ से उन्मूलन करना, संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दिक विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है।

2. सांविधानिक और अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों की बाध्यताओं के अनुसरण में खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, सरकार की योजना और नीति का केन्द्र बिन्दु रहा है। खाद्य सुरक्षा से घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता तथा सस्ती कीमत पर खाद्य की पर्याप्त मात्रा तक व्यष्टिक स्तर पर पहुंच बनाना अभिप्रेत है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, देश की मुख्य उपलब्धियों में से एक है। गृहस्थी स्तर तक खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित कर रही है जिसके अधीन सहायता-प्राप्त खाद्यान्न, अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे की गृहस्थियों और गरीबी रेखा से ऊपर की गृहस्थियों को प्रदान किया जाता है। यद्यपि, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की गृहस्थी, प्रति कुटुम्ब, प्रतिमास पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करते हैं; गरीबी रेखा से ऊपर की गृहस्थियों के लिए आबंटन, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न की उपलब्धता पर निर्भर करता है। स्त्रियों और बालकों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के लिए अन्य खाद्य आधारित कल्याण स्कीमों के लिए भी, सहायता-प्राप्त दरों पर आबंटन किए जा रहे हैं।

3. तथापि, लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है। जनसंख्या के और विशेष रूप से स्त्रियों तथा बालकों की पोषण संबंधी प्रास्थिति में भी, देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सुधार किए जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित विधान में खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान करने के लिए वर्तमान के कल्याणकारी दृष्टिकोण को अधिकार आधारित दृष्टिकोण बनाकर एक आमूल-चूल परिवर्तन को इंगित किया गया है। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र का विस्तार करने के अलावा प्रस्तावित विधान में, पात्र फायदाग्राहियों को, अत्यधिक सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्नों की हकदार मात्राओं को प्राप्त करने के लिए विधिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें स्त्रियों और बालकों को, निःशुल्क भोजन प्राप्त करने के विधिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 लोक सभा में 22 दिसम्बर, 2011 को पुरःस्थापित किया गया था। तत्पश्चात् उक्त विधेयक को खाद्य, उपभोक्ता मामले और लोक वितरण की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को समीक्षा और रिपोर्ट दिए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था। स्थायी समिति ने 17 जनवरी, 2013 को अपनी रिपोर्ट लोक सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत की थी। स्थायी समिति की सिफारिशों की पूर्विकता के आधार पर समीक्षा की गई थी; और तदनुसार सरकार ने लोक सभा में संसद् के बजट सत्र में शासकीय संशोधनों सहित उक्त विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने की सूचना दी थी। तथापि, संसद को 8 मई, 2013 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था और उसके पश्चात् दोनों सदनों का सत्रावसान हो गया था।

5. भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित अपने भाषण में की गई उद्‌घोषणा के समय से अब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 को पारित करने में बीत गए समय को और संसद् में उसे पारित कराने में होने वाले और विलंब को ध्यान में रखते हुए, सरकार का सुविचारित मत यह था कि देश के लोगों को विधेयक के प्रस्तावित फायदों को पहुंचाने में और विलंब करना उचित नहीं होगा।

6. चूंकि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं थे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित विधान के फायदे लोगों तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंच सकें, तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित था, इसलिए राष्ट्रपति ने 5 जुलाई, 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 प्रख्यापित किया था।

7. अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के स्थान पर निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 लाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है,—

(क) गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए लोगों की सस्ती कीमतों पर क्वालिटी खाद्य की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन चक्र के दृष्टिकोण से खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए उपबंध करना;

(ख) पूर्विकता गृहस्थी के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मास राज्य सरकार से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन प्रस्तावित विधान की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायता प्राप्त कीमतों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न प्रति गृहस्थी प्रति मास प्राप्त करने के लिए हकदार होंगी। सहायता-प्राप्त कीमतों पर उक्त हकदारियां, ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और शहरी जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक को विस्तारित की जाएंगी;

(ग) प्रत्येक गर्भवती स्त्री स्तनपान कराने वाली माता को गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् के छह मास के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क भोजन के लिए हकदार बनाना जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके; और ऐसी स्त्रियों के लिए छह हजार रुपए से अन्यून के प्रसूति फायदे का ऐसी किस्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, उपबंध करना;

(घ) चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को —(i) छह मास से छह वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में; स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क आयु के अनुसार समुचित भोजन का हकदार बनाना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके; और (ii) कक्षा 8 तक के या छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय निकायों या सरकार द्वारा चलाए जा रहे और सरकार से सहायता-प्राप्त सभी विद्यालयों में विद्यालय अवकाशों को छोड़कर प्रत्येक दिन एक बार नि:शुल्क दोपहर के भोजन का हकदार बनाना, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।

(ङ) राज्य सरकार से, ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करने की और स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की अपेक्षा करना जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषण संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके; तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच खर्च में हिस्सा बांटना भी है, ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, स्त्रियों और बालकों की हकदारियों से संबंधित स्कीमों का क्रियान्वयन करना;

(च) प्रस्तावित विधान के अध्याय 2 के अधीन पात्र व्यक्तियों को, खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किए जाने की दशा में, प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाने वाले समय के भीतर और रीति के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार बनाना;

(छ) अखिल भारतीय स्तर पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के विनिर्दिष्ट प्रतिशत को सहायता-प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना और केन्द्रीय सरकार को राज्यवार ऐसी जनसंख्या का प्रतिशत, जो इसके अंतर्गत लाया जाना है, अवधारित करने के लिए सशक्त बनाना;

(ज) राज्य सरकार को, प्रस्तावित विधान के अधीन पूर्विकता गृहस्थियों की हकदारी के प्रयोजनों के लिए उनकी पहचान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को विहित करने और स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे गृहस्थियों और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियों की पहचान करने के लिए समर्थ बनाना;

(झ) प्रस्तावित विधान में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के सामंजस्य में केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा उत्तरोत्तर रूप से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार करना;

(ञ) प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वर्षिष्ठ स्त्री को, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी की मुखिया समझा जाना;

(ट) राज्य सरकारों पर एक आंतरिक शिकायत समाधान तंत्र की, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्प लाइनें, नोडल अधिकारियों का अभिहित किया जाना भी है या ऐसे अन्य तंत्र की, जो संबंधित सरकारों द्वारा विहित किया जाए, स्थापना करने के लिए और प्रस्तावित विधान के अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण से संबंधित मामलों में व्यथित व्यक्ति की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए प्रत्येक जिले में इन हकदारियों और अन्वेषण तथा शिकायत निवारणों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उसके अपेक्षित कर्मचारिवृन्द सहित, जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के लिए बाध्यता अधिरोपित करना;

(ठ) प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले राज्य खाद्य आयोग के लिए उपबंध करना;

(ड) केन्द्रीय सरकार पर, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने और प्रस्तावित विधान की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हकदारियों के अनुसार और कीमतों पर केन्द्रीय पूल से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा आबंटित करने की बाध्यता अधिरोपित करना;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में लक्ष्यित हिताधिकारियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों का, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और अपनी स्वयं की स्कीमों का कार्यान्वयन करने और उनको मॉनीटर करने के लिए उपबंध करना; और स्थानीय प्राधिकारियों को, उनके अपने-अपने क्षेत्रों में प्रस्तावित विधान के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बनाना;

(ण) प्रत्येक ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसको राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित मूल्य की दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्षों को प्रचारित करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा;

(त) राज्य आयोग द्वारा किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय यदि कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण से उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अनदेखी करने का दोषी पाया जाता है तो उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस पर पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करना।

8. खंडों पर टिप्पण में, प्रतिस्थानी विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है।

9. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

नई दिल्ली; **के॰ वी॰ थॉमस**

5 अगस्त, 2013

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—विधेयक का यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करता है। प्रस्तावित विधान भूतलक्षी रूप से, अर्थात् 5 जुलाई, 2013 से, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के प्रख्यापन की तारीख है, प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

खंड 2—यह खंड प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त कतिपय पदों की परिभाषाओं का उपबंध करता है, जिनमें अन्यों के साथ-साथ, 'आंगनवाड़ी', 'केंद्रीय पूल', 'पात्र गृहस्थी', 'उचित दर दुकान', 'खाद्यान्न', 'खाद्य सुरक्षा', 'खाद्य सुरक्षा भत्ता', 'स्थानीय प्राधिकारी', 'भोजन', 'न्यूनतम समर्थन कीमत', 'अधिसूचना', 'अन्य कल्याणकारी स्कीमों', 'नि:शक्त व्यक्ति', 'पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी', 'विहित', 'राशन कार्ड', 'ग्रामीण क्षेत्र', 'अनुसूची', 'वरिष्ठ नागरिक', 'सामाजिक संपरीक्षा', 'राज्य आयोग', 'लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' और 'सतर्कता समिति' आदि पद सम्मिलित हैं।

खंड 3—यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के अधिकार का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मास राज्य सरकार से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रतिमास पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। यह और उपबंध करता है कि अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रतिमास प्रति गृहस्थी पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न की हकदार होंगी। यह और भी उपबंध करता है कि पात्र गृहस्थियों की हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और शहरी जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित की जाएगी। यह भी उपबंध करता है कि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार खाद्यान्न की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

खंड 4—यह खंड गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता देने के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता गर्भावस्था के दौरान और शिशु जन्म के पश्चात् छह मास तक नि:शुल्क भोजन और कम से कम छह हजार रुपए के प्रसूति फायदों की हकदार होगी।

खंड 5—यह खंड बालकों को पोषणीय सहायता के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों की निम्नलिखित हकदारियां होंगी, (i) छह मास से छह वर्ष की आयु समूह के बालकों की दशा में, आयु के समुचित नि:शुल्क भोजन (ii) कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में, इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन नि:शुल्क एक बार दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

खंड 6—यह खंड बालक कुपोषण के निवारण और प्रबंध का उपबंध करता है। यह अधिकथित करता है कि राज्य सरकार ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करेगी और उनको नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

खंड 7—यह खंड हकदारियों के आपन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं और बालकों की हकदारियों के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा उन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें लागत में हिस्सा बंटाना भी है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी।

खंड 8—यह खंड कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि हकदार खाद्यान्न या भोजन का प्रदाय न किए जाने की दशा में हकदार व्यक्ति राज्य सरकार से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

खंड 9—यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाने का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि खंड 3 के उपखंड (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसंख्या की प्रतिशतता का अवधारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस जनगणना के अनुसार जनसंख्या प्राक्कलनों के आधार पर संगणित की जाएगी, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं।

खंड 10—यह खंड राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करने का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए खंड 9 के अधीन अवधारित पात्र व्यक्तियों की संख्या के भीतर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित की पहचान करेगी, (i) उक्त स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियां और (ii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियां। यह और उपबंध करता है कि राज्य सरकार, यथाशीघ्र किंतु एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर इस प्रयोजन के लिए विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पात्र गृहस्थियों की पहचान करेगी। यह भी उपबंध करता है कि ऐसी गृहस्थियों की पहचान पूरी होने तक राज्य सरकार विद्यमान लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन प्राप्त करती रहेगी। यह भी उपबंध करता है कि खंड 9 के अधीन ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए अवधारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर ही पात्र गृहस्थियों की सूची राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विरचित मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुसार अद्यतन की जाएगी।

खंड 11—यह खंड पात्र गृहस्थियों की सूची के प्रकाशन और संप्रदर्शन का उपबंध करता है। यह राज्य सरकारों से पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में लाने और उसे प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करने की अपेक्षा करता है।

खंड 12—यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, प्रस्तावित विधान में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार के कार्य का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।

खंड 13—यह खंड राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होने का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी।

यह और उपबंध करता है कि जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डों के लिए, पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।

खंड 14—यह खंड आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि राज्य सरकारें एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों का पदाभिहीत किया जाना भी है या ऐसा अन्य तंत्र, स्थापित करेंगी, जो विहित किया जाए।

खंड 15—यह खंड जिला शिकायत निवारण अधिकारी का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार अध्याय 2 के अधीन हकदारियों के परिदान से संबंधित विषयों की शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी, नियुक्त या पदाभिहित करेगी। यह और उपबंध करता है कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के लिए अर्हता और शक्तियां और पद्धति और उसके निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

यह और उपबंध करता है कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किए जाने और उससे संबंधित मामलों के संबंध में शिकायतों को सुनेगा और उनके निवारण के लिए ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा और ऐसा कोई शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध ऐसे अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है और जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील फाइल करेगा।

खंड 16—यह खंड राज्य खाद्य आयोग के लिए उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगा।

यह और भी उपबंध करता है कि राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा — एक अध्यक्ष; पांच अन्य सदस्य; और एक सदस्य-सचिव, जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी और एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

यह भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जाएगी,—(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के

सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; (ख) जो सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या (ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड है।

यह भी उपबंध करता है कि अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य की पदावधि, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा और कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पदधारण नहीं करेगा।

यह भी उपबंध करता है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

यह राज्य आयोग द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को विनिर्दिष्ट करता है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं — राज्य के संबंध में, प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना; अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर, जांच करना; राज्य सरकार, उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों को जो सुसंगत सेवाओं का परिदान करने में अंतर्वलित हैं, खाद्य और पोषाहार संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित विधान में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने में समर्थ बनाने के लिए सलाह देना; जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना; वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएंगी।

यह भी उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राज्य आयोग को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे। कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति और उनके वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

यह राज्य आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाने के लिए भी उपबंध करता है और वे आधार विनिर्दिष्ट करता है जिनके कारण उन्हें हटाया जा सकेगा।

खंड 17—यह खंड राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव, सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्ययों का उपबंध करेगी।

खंड 18—यह खंड राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किए जाने का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, यदि वह यह आवश्यक समझती है तो, किसी कानूनी आयोग या निकाय को, राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित कर सकेगी।

खंड 19—यह खंड संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, दो या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा।

खंड 20—यह खंड जांच से संबंधित राज्य आयोग की शक्तियों का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि राज्य आयोग के पास किसी विषय की जांच करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी और विशिष्टतया किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना; किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना; शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

यह और भी उपबंध करता है कि राज्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है।

खंड 21—यह खंड उपबंध करता है कि राज्य आयोग में किसी रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि या राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या राज्य आयोग की प्रक्रिया में कोई अनियमितता राज्य आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं ठहराएगी।

खंड 22—यह खंड राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल में से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन करने के लिए केंद्रीय सरकार के उत्तरदायित्व को अभिकथित करता है। यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए खंड 3 के अधीन हकदारियों के अनुसार और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन करेगी।

यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, खंड 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करेगी। यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को, खंड 4, खंड 5 और खंड 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।

यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार अपने स्वयं के अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न उपाप्त करेगी; राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करेगी; प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्नों के परिवहन का उपबंध करेगी; राज्य सरकार को ऐसे सन्नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यिक संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकान के व्यौहारियों को संदत्त अतिरिक्त धन

(मार्जिन) मद्दे उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी और विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

खंड 23—यह खंड केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराए जाने का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि किसी राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की आपूर्ति की कमी की दशा में, केन्द्रीय सरकार कम प्रदाय की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

खंड 24—यह खंड खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मानीटर किए जाने का उपबंध करता है। यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, अपने राज्य में लक्ष्यित फायदाग्राहियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों और अपनी स्वयं की स्कीमों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने और उन्हें मॉनीटर करने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का—(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेने, प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक अपने प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंतरा-राज्यिक आबंटनों का आयोजन करने; और (ख) हकदार व्यक्तियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या प्रदाय सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि खंड 4, खंड 5 और खंड 6 के अधीन हकदारियों की बाबत खाद्यान्न अपेक्षाओं के लिए, राज्य सरकार, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, खाद्यान्नों का परिदान लेने और पूर्वोक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार हकदार फायदों के वास्तविक परिदान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न करने की दशा में, राज्य सरकार खंड 8 में विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह खंड यह भी उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए—(क) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर ऐसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करेगी और उन्हें बनाए रखेगी, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हों; (ख) अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिहित अभिकरणों की क्षमताओं को यथोचित रूप से सुदृढ़ करेगी; और (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन व्यवस्था स्थापित करेगी।

खंड 25— यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन का उपबंध करने के लिए है। यह खंड यह उपबंध करता है कि स्थानीय प्राधिकारी, अपने संबद्ध क्षेत्रों में प्रस्तावित विधान के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे और राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगी।

खंड 26— यह खंड स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताओं का उपबंध करने के लिए है। यह खंड यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अधिसूचना द्वारा, उन्हें समनुदेशित किए जाएं।

खंड 27—यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों के प्रकटन का उपबंध करने के लिए है। यह खंड यह उपबंध करता है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा और जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

खंड 28—यह खंड सामाजिक संपरीक्षा कराए जाने का उपबंध करने के लिए है। यह खंड यह उपबंध करता है कि उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, द्वारा की जाएगी। यह खंड यह और उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

खंड 29— यह खंड लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न स्तरों पर, राज्य सरकार द्वारा सतर्कता समितियों के गठन का उपबंध करने के लिए है। यह खंड सतर्कता समितियों के कृत्यों को भी विनिर्दिष्ट करता है।

खंड 30— यह खंड उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, इस विधेयक के उपबंधों और विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय कमजोर समूहों की, विशेष रूप से, उनकी जो दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगी।

खंड 31— यह खंड खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने के उपायों के लिए उपबंध करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में वर्णित उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगी।

खंड 32— यह खंड अन्य कल्याणकारी स्कीमों का उपबंध करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से प्रवरित नहीं करेंगे। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि राज्य सरकार, अपने स्वयं के स्रोतों से, प्रस्तावित विधान के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का

उपबंध करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमें जारी रख सकेगी या विरचित कर सकेगी।

खंड 33— यह खंड शास्तियों के संबंध में है। यह खंड यह उपबंध करता है कि कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाएगा, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

खंड 34— यह खंड न्यायनिर्णयन की शक्ति का उपबंध करने के लिए है। यह खंड यह उपबंध करता है कि राज्य आयोग, खंड 33 के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंधित किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी को, कोई जांच करते समय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो वह खंड 33 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

खंड 35— यह खंड केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति का उपबंध करने के लिए है। यह खंड केंद्रीय सरकार को, अपनी शक्ति (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए, सशक्त करता है। यह राज्य सरकारों को भी, अपनी शक्ति (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए, सशक्त करता है।

खंड 36— यह खंड प्रस्तावित विधान के उपबंधों या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंधों को, किसी अन्य विधि में असंगत किसी बात के होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव प्रदान करता है।

खंड 37— यह खंड केंद्रीय सरकार को अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 का संशोधन करने के लिए सशक्त करता है, यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।

खंड 38— यह खंड केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकारों को निदेश देने के लिए सशक्त करता है।

खंड 39— यह खंड केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी। यह खंड आगे ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिसकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

खंड 40—यह खंड राज्य सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए तथा प्रस्तावित विधान और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी। यह खंड आगे ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है, जिसकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, जारी की गई अधिसूचनाएं और मार्गदर्शक सिद्धांत, बनाए जाने और जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखे जाएंगे।

खंड 41—यह खंड स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंधों का उपबंध करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक वे प्रस्तावित विधान या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट हैं।

खंड 42—यह खंड कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का उपबंध करता है। यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो प्रस्तावित विधान के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। यह खंड यह उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

खंड 43—यह खंड संस्थागत तंत्र के अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग का उपबंध करने के लिए है। यह खंड यह उपबंध करता है कि खंड 15 और खंड 16 के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केंद्रीय सरकार की या राज्य सरकारों की ऐसी अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, किया जा सकेगा।

खंड 44—यह खंड अपरिहार्य घटना का उपबंध करने के लिए है। यह खंड यह उपबंध करता है कि यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, प्रस्तावित विधान के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के लिए, खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय पर प्रभाव डालने वाले युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय, दायी होगी। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग के परामर्श से यह घोषित कर सकेगी कि खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय को प्रभावित करने वाली ऐसी कोई परिस्थिति उद्‌भूत या विद्यमान है अथवा नहीं।

खंड 45—यह खंड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के निरसन और उसके अधीन की गई कार्रवाई की व्यावृत्ति का उपबंध करने के लिए है।

यह खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन,—(क) की गई किसी बात, की गई किसी कार्रवाई या पात्र गृहस्थियों की पहचान; या (ख) अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व; या (ग) किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों या जारी किए गए निदेशों; या (घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में आरंभ की गई, संचालित या जारी किसी अन्वेषण, जांच या किसी अन्य विधिक कार्यवाही या (ङ) किसी अपराध के संबंध में अधिरोपित किसी शास्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह प्रस्तावित विधान के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, अर्जित की गई, प्रोद्भूत हुई, विरचित की गई, जारी की गई, आरंभ की गई, संचालित की गई, जारी की गई या अधिरोपित की गई है।

अनुसूची 1—यह अनुसूची सहायता-प्राप्त कीमतें विनिर्दिष्ट करती है, जिस पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुसूची 2—यह अनुसूची प्रस्तावित विधान के अधीन बालकों और गर्भवती स्त्रियों तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन और घर ले जाए जाने वाले राशन के पोषक मानक विनिर्दिष्ट करती है।

अनुसूची 3—यह अनुसूची केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उत्तरोत्तर रूप से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य सूचीबद्ध करती है।

वित्तीय ज्ञापन

खंड 2 के उपखंड (2) की मद (iii) यह उपबंध करती है कि "केंद्रीय पूल" खाद्य सुरक्षा का उपबंध करने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखे गए खाद्यान्नों से मिलकर बनेगा। वर्ष 2013-14 के लिए बफर खाद्यान्न स्टॉक का अनुमानित वहन खर्च 612.27 रुपए प्रति क्विंटल है। कुल व्यय सरकार द्वारा रखे गए वास्तविक स्टॉक पर निर्भर करेगा और उसका वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा आवर्ती व्यय के रूप में किया जाएगा। इस अपेक्षा के कारण कोई अतिरिक्त वित्तीय बाध्यता उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि भारत सरकार द्वारा उसकी चालू लक्ष्यित लोक वितरण प्रणाली के लिए पहले ही बफर स्टॉक रखे जा रहे हैं।

2. खंड 3 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि पूर्विकता गृहस्थियों से संबंध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायत-प्राप्त कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रतिमास पांच किलोग्राम खाद्यान्न और लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। यह आगे और उपबंध करता है कि अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आने वाली गृहस्थियां अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मूल्यों पर प्रति गृहस्थी प्रति मास पैंतीस किलोग्राम का खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए हकदार होगी। उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि सहायता-प्राप्त कीमतों पर हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और शहरी जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित होगी। प्रस्तावित कवरेज और हकदारी की बाबत खाद्यान्नों की आर्थिक लागत तथा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमत के बीच अंतर खाद्य सहायिकी के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऊपर प्रस्तावित कवरेज और हकदारी के संबंध में, वर्ष 2013-14 के लिए आर्थिक लागत और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों की कीमत के आधार पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्य सहायिकी पर कुल व्यय का अनुमान 1,08,966 करोड़ रुपए है। तथापि, खाद्य सहायिकी का अनुमान अन्य बातों के साथ, आर्थिक लागत, खाद्यान्नों की केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली कीमत, स्कीम के अन्तर्गत लाए जाने वाले फायदाग्राहियों की संख्या, आबंटित और उठाए गए खाद्यान्नों की मात्रा पर निर्भर करती है और इसलिए खाद्य सहायिकी को प्रभावित करने वाले परिवर्तनशील सभी या किसी कारक में परिवर्तन के अध्यधीन है।

3. खंड 4 का उपखंड (क), खंड 5 और खंड 6 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को पोषण सहायता के लिए उपबंध करता है। इस समय ये फायदे एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील स्कीम के माध्यम से परिदत्त किए जा रहे हैं और ये फायदे विहित सन्नियम, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत का हिस्सा बटाने के लिए सन्नियम भी हैं, के अनुसार कार्यान्वित किए जाते रहेंगे।

4. खंड 4 का उपखंड (ख) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता स्कीम के अनुसार छह हजार रुपए से अनधिक के प्रसूति फायदे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाने वाली किस्तों में संदत्त किया जाएगा, के लिए हकदार होगी। वास्तविक वार्षिक व्यय पहचान किए गए हकदार फायदाग्राहियों की संख्या और इस फायदे को वास्तव में प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस व्यय का अंशभाजन केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाने वाली स्कीम के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच किया जाएगा।

5. खंड 8 यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्नों या भोजन की हकदार मात्राओं की पूर्ति न किए जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति संबद्ध राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे जो ऐसे समय के भीतर और रीति के

अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, ऐसे खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ते संबंधी उन सभी व्ययों का वहन करेगी, जो आवर्ती प्रकृति के होंगे।

6. खंड 10 यह उपबंध करता है कि पूर्विकता गृहस्थियों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा विहित किए जाने वाले पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी। यह आगे और उपबंध करता है कि अंत्योदय अन्न योजना गृहस्थियों की पहचान, राज्य सरकार द्वारा स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार की जाएगी। गृहस्थियों की पहचान की लागत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।

7. खंड 11 यह उपबंध करता है कि पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक तौर पर राज्य सरकारों द्वारा रखी जाएगी और सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी जिसके संबंध में व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

8. खंड 12 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर रूप से सुधार करने के लिए प्रयास करेंगी।

9. खंड 14 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसमें कॉल सेंटर, हैल्प लाइन, नोडल आफिसरों का पदाभिधान, भी है या ऐसा अन्य तंत्र, जो विहित किया जाए, स्थापित करेगी। आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना का खर्च, राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

10. खंड 15 यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजनों के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए इन हकदारियों का प्रवर्तन करने के लिए तथा शिकायतों का अन्वेषण और निवारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद सहित एक जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। जिला शिकायत निवारण अधिकारी अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन तथा भत्तों के मद्दे व्यय और ऐसा अन्य व्यय जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवयश्क समझा जाए, जो आवर्ती प्रकृति के होंगे, राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे।

11. खंड 16 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने तथा उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। खंड 17 यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव, सहायक कर्मचारिवृंद के वेतन तथा भत्तों और अन्य प्रशासनिक व्ययों के लिए उपबंध करेगी। राज्य खाद्य आयोग संबंधी व्यय राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न होगा और आवर्ती प्रकृति का होगा।

12. खंड 22 का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार अनुसूची 1 में पात्र गृहस्थियों के लिए विनिर्दिष्ट कीमतों पर राज्य सरकारों को खंड 4, खंड 5 और खंड 6 के अधीन हकदारियों की बाबत खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। उपरोक्त स्कीम की बाबत खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच के अंतर का वहन खाद्य सहायिकी के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और वह आवर्ती प्रकृति का होगा। तथापि, खाद्य सहायिकी का अनुमान अन्य बातों के साथ, आर्थिक लागत, खाद्यान्नों की केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली कीमत, स्कीम के अन्तर्गत लाए जाने वाले फायदाग्राहियों की

संख्या, आबंटित और उठाए गए खाद्यान्नों की मात्रा पर निर्भर करती है और इसलिए खाद्य सहायिकी को प्रभावित करने वाले परिवर्तनशील सभी या किसी कारक में परिवर्तन के अध्यधीन है।

13. खंड 22 के उपखंड (4) की मद (ङ) यह उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी जिस पर होने वाला व्यय केंद्रीय सरकार वहन करेगी जो अनावर्ती प्रकृति का होगा।

14. खंड 23 यह उपखंड करता है कि केन्द्रीय पूल से किसी राज्य को खाद्यान्नों की आपूर्ति की कमी की दशा में केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्याय 2 के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कम आपूर्ति की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

15. खंड 24 का उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कीमतों पर राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान प्राप्त करे; प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक अपने प्राधिकृत अधिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अन्तरा-राज्यिक आबंटन की व्यवस्था करे; और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या आपूर्ति सुनिश्चित करे। खाद्यान्न के अंत:राज्य परिवहन और उठाई-धराई, उचित कीमत दुकान के व्यौहारियों को, अतिरिक्त धन आदि की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा खंड 22 कीे उपखंड (4) की मद (घ) के अधीन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

16. खंड 24 का उपखंड (5) की मद (क) यह उपबंध करती है कि राज्य सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित कल्याण स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और उसे बनाए रखेगी। भंडारण सुविधा के सृजन और उनके रखरखाव पर व्यय अनावर्ती प्रकृति के होंगे और वे राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

17. खंड 25 का उपखंड (2) और खंड 26 यह उपबंध करते हैं कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए या प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की अन्य स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को अतिरिक्त उत्तरदायित्वों का समनुदेशन कर सकेगी। स्थानीय प्राधिकारियों को सुदृढ़ करने के लिए यदि कोई व्यय अपेक्षित है तो वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

18. खंड 28 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित मूल्य की दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्ष प्रवारित करवाएगा और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा। ऐसी सामाजिक संपरीक्षा पर होने वाला

व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उसका उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे तो सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षा करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से सामाजिक संपरीक्षा करवा सकेगी जिस पर होने वाला व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

19. खंड 29 यह उपखंड करता है कि राज्य सरकार द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाएगा। सतर्कता समितियों पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और वह आवर्ती प्रकृति का होगा।

20. खंड 30 यह उपखंड करता है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इन उद्देश्यों को वास्तव में प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रयास केन्द्रीय और राज्य सरकार, दोनों द्वारा क्रमश: अपने-अपने क्षेत्रों में किए जाएंगे और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे तत्स्थानी अपेक्षित व्यय का वहन करें।

21. खंड 32 का उपखंड (1) यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से निवारित नहीं करेंगे। ऐसी स्कीमों पर होने वाला व्यय स्कीमों के उपबंधों के अनुसरण में संबंधित सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। उसका उपखंड (2) यह उपबंध करता है कि राज्य सरकार, अपने स्वयं के संसाधनों से प्रस्तावित विधान के अधीन उपलब्ध कराए जाने वाले फायदों से अधिक फायदों का उपबंध करने वाली खाद्य या पोषण आधारित योजनाओं या स्कीमों को जारी रख सकेगी या उन्हें विरचित कर सकेगी। ऐसी योजनाओं या स्कीमों से संबंधित व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

22. प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन में संबंध में सभी व्यय, जहां तक संघ राज्यक्षेत्रों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।

23. ऊपर दिए गए अनुमानों के अलावा, प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित व्यय में ऐसा व्यय भी सम्मिलित होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति अन्य मंत्रालयों या विभागों के बजट से की जाएगी, जिससे कि प्रस्तावित विधान के समुचित कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त उसके उपबंधों को प्रवर्तन में लाया जा सके। इस प्रक्रम पर ऐसे आवर्ती और अनावर्ती व्यय का अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 39 केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त बनाता है। उपखंड (2) ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे। ऐसे विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विषय भी हैं: (क) स्कीमें, जिनके अंतर्गत खंड 4 के उपखंड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करवाने वाली माताओं को प्रसूति फायदे उपलब्ध करवाने के लिए खर्च में हिस्सा बंटाना भी है; (ख) खंड 4, खंड 5 और खंड 6 के अधीन हकदारी संबंधी स्कीमें, जिनके अंतर्गत खंड 7 के अधीन खर्च में हिस्सा बंटाना भी है; (ग) खंड 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय की रकम, समय और रीति; (घ) लक्ष्यित फायदाग्राहियों को उनकी खाद्यान्न हकदारियों के बदले में नकदी के हस्तांतरण, खाद्य कूपनों की स्कीमों या अन्य स्कीमों को खंड 12 के उपखंड (2) के खंड (ज) के अधीन ऐसे क्षेत्रों और रीति में प्रारंभ करना; (ङ) खंड 22 के उपखंड (4) के खंड (घ) के अधीन राज्य सरकारों को, उनके द्वारा अन्तरा-राज्यिक संचलन, खाद्यान्नों की उठाई-धराई और उचित दर दुकानों के व्यौहारियों को संदत्त किए जाने वाले अतिरिक्त धन के मद्दे उपगत व्यय की पूर्ति के लिए सहायता उपलब्ध कराने के सन्नियम और रीति; (च) खंड 23 के अधीन ऐसी रीति, जिसमें खाद्यान्नों के कम प्रदाय की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी; (छ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

2. केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा है।

3. विधेयक का खंड 40 राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रस्तावित विधान के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए और अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के संगत, नियम बनाने हेतु सशक्त करती है। उपखंड (2) ऐसे विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे। ऐसे विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विषय भी हैं: (क) खंड 10 के उपखंड (1) के अधीन पूर्विकता-प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत; (ख) खंड 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र; (ग) खंड 15 के उपखंड (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां; (घ) खंड 15 के उपखंड (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और नियुक्ति के निबंधन और शर्तें; (ङ) खंड 15 के उपखंड (5) और उपखंड (7) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा परिवाद की सुनवाई करने तथा अपील फाइल करने की रीति और समय सीमा; (च) धारा 16 के उपखंड (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, आयोग की बैठकों के लिए प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियां; (छ) खंड 16 के उपखंड (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारिवृंद की नियुक्ति की पद्धति और उनके वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें; (ज) खंड 27 के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने और उन्हें लोक निरीक्षण के लिए रखे जाने की रीति; (झ) वह रीति जिसमें

खंड 28 के अधीन उचित दर की दुकानों, लक्ष्यित लोक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण की सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी; (ञ) खंड 29 के उपखंड (1) के अधीन सतर्कता समितियों की संरचना; (ट) खंड 43 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों की स्कीमें या कार्यक्रम; (ठ) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

4. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, बनाए जाने के लिए पश्चात् यथाशीघ्र विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने की अपेक्षा है।

5. ऐसे विषय, जिनके संबंध में इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

उपाबंध-**V**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 पर हुए वाद-विवाद का सारांश

(लोक सभा में चर्चा की तिथियां — 13 एवं 26 अगस्त, 2013)

वाद–विवाद का सारांश

सांविधिक संकल्प

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7)
का निरनुमोदन करने के बारे में

और

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

13 अगस्त, 2013

श्री प्रबोध पांडा ने प्रस्ताव किया कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस) ने विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा : सरकार इस अधिनियम के जरिए भोजन को मूलभूत अधिकार बनाने के वायदे को पूरा करेगी। स्थायी समिति ने प्रारम्भिक खाद्य सुरक्षा विधेयक की समीक्षा करके इसकी सिफारिश की थी। इस समीक्षा के दौरान स्थायी समिति के केवल एक ही सदस्य ने अपनी असहमति व्यक्त की थी। उसके पश्चात् दिनांक 13 फरवरी, 2013 को आयोजित बैठक में स्थायी समिति की सिफारिशों पर राज्यों के साथ चर्चा की गई। सरकार ने स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। विधेयक पर सभी एकमत हैं और यह स्थायी समिति की सिफारिशों से भी स्पष्ट होता है। तत्पश्चात् भारत सरकार ने दिनांक 15.07.2013 को अध्यादेश प्रख्यापित करने का निर्णय लिया। अब हमें इस सभा की स्वीकृति लेनी है। (भाषण असमाप्त)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

---

26 अगस्त, 2013

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस) ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का आशय खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे का समाधान करना है। मूल विधेयक में प्राथमिकता और सामान्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल की गयी गृहस्थियों के श्रेणीकरण को समाप्त कर दिया गया है जैसी कि स्थाई समिति ने सिफारिश की थी। इससे लाभार्थियों जैसे एएवाई, सामान्य और विद्यार्थियों के श्रेणीकरण से संबंधित समस्याओं से बचा जा सकेगा। तथापि, मौजूदा गृहस्थियों को प्रति गृहस्थी प्रति माह 35 कि॰ग्रा॰ अनाज दिया जाएगा क्योंकि वे निर्धनतम आबादी का हिस्सा हैं। गेहूं, चावल और मोटे अनाज के लिये क्रमश: 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की सहायता प्राप्त कीमत इस विधेयक के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के लिये लागू रहेगी जिसकी बाद में पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। राज्य–वार कवरेज केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक राज्य के लिय लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज योजना आयोग से

प्राप्त हो गयी है और इस पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा भी हुई है। इस योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011 की आबादी की जनगणना के आधार पर होगी। राज्य सरकारों को ऐसी गृहस्थियों की पहचान करनी होगी। गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं भोजन और अन्यून 6 हजार रुपये मातृत्व लाभ की हकदार होंगी। इस सुविधा को केवल दो बच्चों तक ही सीमित करने की स्थायी समिति की सिफारिश को सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है। 6 माह से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भोजन पाने के हकदार होंगे। प्रत्येक गृहस्थी की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली सबसे बड़ी महिला राशनकार्ड प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये उस गृहस्थी की मुखिया होगी। इसका मतलब यह है कि माता परिवार की मुखिया बन गयी है। राज्य सरकारों द्वारा राज्य के अंतर्गत खाद्यान्न के परिवहन पर उनके द्वारा जो व्यय किया जाएगा, उसकी पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। यह प्रावधान राज्यों की मांगों को ध्यान में रखते हुए और उनके वित्तीय बोझ को कम करने के लिये शामिल किया गया है। इस विधेयक से पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जिम्मेदारी और पारदर्शिता को और बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक खामी यह है कि इसमें 20 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत नुकसान होता है, जिसे हमें रोकना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित रिकॉर्ड जनता को उपलब्ध होगा। इसकी सामाजिक लेखा-परीक्षा होगी और सतर्कता समितियां बनायी जाएंगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के लिये अनुमानतः कुल 62 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। मौजूदा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान 504.7 लाख टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013-14 के कार्यान्वयन के लिये अनुमानित खाद्य राजसहायता 1,24,827 करोड़ रुपये है। 35 राज्यों में से 17 राज्यों को जितना अनाज इस समय मिल रहा है उससे ज्यादा अनाज मिलेगा और 18 राज्यों को उससे कम अनाज मिल रहा है। सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इन 18 राज्यों की जो भी कुल खरीद रही है उसे पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा।

श्री प्रबोध पांडा ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा : मैंने 13 अगस्त, 2013 को खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के निरनुमोदन हेतु सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं खाद्य सुरक्षा विधेयक का भी विरोधी हूं। खाद्य सुरक्षा विधेयक इस सभा में वर्ष 2011 में पुर:स्थापित किया गया था। उसके बाद इसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था। विधेयक पर बजट सत्र के उत्तरार्द्ध में चर्चा शुरू हुई थी। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की ऐसी समझ बनी थी कि सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके इस पर एक राय बनाएगी। सरकार द्वारा इस विधेयक पर लाए जा रहे संशोधनों को स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए किन्तु इस सत्र के आरम्भ से मात्र 20 दिन पूर्व यह अध्यादेश लाया गया । यह विधेयक अपर्याप्त है और इसमें कुछ गंभीर कमियां हैं। इस विधेयक में पर्याप्त भोजन की सुरक्षा का प्रस्ताव है। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सबको उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए हम सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मांग कर रहे हैं। इस अध्यादेश में यह सबसे बड़ी कमी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक प्रौढ़ के लिए चौदह किलोग्राम खाद्यान्न और प्रत्येक अवयस्क के लिए 18 किलोग्राम प्रतिमाह न्यूनतम आवश्यकता होती है। किन्तु सरकार इस अध्यादेश में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह केवल 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। भोजन का अर्थ

पौष्टिक भोजन होता है। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं करा रही है। सरकार डॉ॰ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं कर रही है। इस विधेयक में भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को तीन वर्ष के लिए निश्चित कर रही है। इसका अर्थ है कि सरकार तीन वर्ष तक न्यूतनम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाएगी? यह किसानों के साथ न्याय करना नहीं हुआ। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान करने का मापदंड भी उचित नहीं है। युद्ध तथा राष्ट्रीय आपदा और प्राकृतिक आपदा के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है। फिर खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ रह जाता है? सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकर उनके द्वारा लिए गए संशोधनों पर चर्चा करनी चाहिए। एकतरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। विधेयक में देश के सभी लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सरकार को इस विधेयक पर विचार करना चाहिए और इसकी सभी खामियों को दूर करके इसे पूर्ण और व्यापक बनाना चाहिए ताकि देश के अधिकांश लोगों को वास्तविक खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिल सके और देश भुखमरी से मुक्त हो सके।

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी : जून, 2009 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि उनकी सरकार एक खाद्य सुरक्षा विधेयक सदन में लाने वाली है। लेकिन सरकार ने इसे लाने में साढ़े चार साल लगा दिए। मुझे लगा कि सरकार ने इस विधेयक में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस विधेयक में पर्याप्त भोजन का उल्लेख हुआ है लेकिन इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? यह पर्याप्त भोजन कितना होगा? आईसीएमआर ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 14 किलोग्राम अनाज प्रति वयस्क व्यक्ति को एक महीने में देने का सुझाव दिया है। इस विधेयक के तहत पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति को दिया जाता है। खाद्यान्न के साथ दाल, घी, नमक आदि का प्रावधान नहीं है। पोषकता की उपेक्षा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के सबसे निचले गरीब वर्ग का इंटेक 9.88 कि॰ग्रा॰ है। लेकिन अब कैलोरी इंटेक को 2100 से घटाकर 1500 कैलोरी कर दिया गया है। सरकार यह दावा करती है कि इस विधेयक के पारित होने से लोगों को भुखमरी से मुक्ति मिल जाएगी। सरकार का कहना है कि गांवों में 75 प्रतिशत लोगों को और शहरों में 50 प्रतिशत लोगों को इसके तहत लाया जाएगा। लेकिन जो बाकी 50 प्रतिशत शहरी लोग हैं वे क्या खायेंगे? इस बिल का उद्देश्य यूनिवर्सल खाद्य सुरक्षा होना चाहिए था, जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने 2009 के अभिभाषण में कहा था। छत्तीसगढ़ सरकार 90 प्रतिशत आबादी को कवर कर रही है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। सरकार ने उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। लोगों को गरम पका-पकाया भोजन देने की बात कही गई है। लेकिन इस भोजन की घर-घर तक डिलीवरी करनी होगी। इसके लिए क्या तंत्र होगा? इसका इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है। केवल लोगों को सब्जबाग दिखाया जा रहा है। यह सरकार अभी तक गरीब परिवारों की सही-सही संख्या का पता नहीं लगा पाई है। अब सरकार ने इसे तेंदुलकर समिति पर छोड़ दिया है। मुंबई में धारावी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है जहां की आबादी दस लाख से भी अधिक है, वहां भी बीपीएल कार्डधारकों की संख्या केवल 141 है। अगर यह गरीबी की हालत है तो फिर हिन्दुस्तान में सारे ही अमीर हैं। ये सरकार की गिनतियां हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 88 विकसित देशों में से भारत का स्थान 66वां है। हम जिम्बाब्वे से सिर्फ एक स्थान ऊपर हैं। भूटान और नेपाल भी हमसे ऊपर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में हमारा स्थान 132वां है। यह इस देश की हालत है। सरकार कहती है कि गरीबों की संख्या कम होती जा रही है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है।

प्रति व्यक्ति अनाज के मामले में हम 1947 में जहां थे आज भी वहीं हैं। हमें किसानों का अभिनन्दन करना चाहिए कि उन्होंने बढ़ती हुई आबादी के साथ अधिक अनाज पैदा कर खाना खिला दिया।

आप स्केयरसिटी पैदा कर रहे हैं और एक डिजाइन भी पैदा कर रहे हैं। आप नीतियां ऐसी बना रहे हैं कि इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब और भूखी रहे। उनके सामने सारा बिल पेश करके, उनको लुभाकर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि लोग भूखे हैं इसलिए यह कानून लाया जा रहा है। जबकि सच तो यह है कि यह आपका कर्त्तव्य है। आपने बिल में कहा कि किसानों के लिए आपको बड़ी हमदर्दी है। लेकिन हिन्दुस्तान में ढाई हजार किसान हर रोज खेती छोड़ रहे हैं। मार्जिनल फार्मर डूब रहा है। उनकी आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप उन्हें खेती का उचित दाम दे रहे हैं? क्या आप उन्हें ठीक से एमएसपी दे रहे हैं? हिन्दुस्तान में खेती का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी घटती जा रही है। हिन्दुस्तान में आज हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का 15 परसेंट कंट्रीब्यूशन है। इसे देखते हुए तो 90 परसेंट हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का असर होना चाहिए। इस संबंध में कहा गया कि स्टोरेज बनाए जायेंगे। लेकिन स्टोरेज क्यों नहीं बना रहे? वेस्टेज क्यों हो रहा है? यह भी बताया गया है कि खाद्यान्नों के परिवहन और इसके लिए पर्याप्त संख्या में रैक उपलब्ध कराने पर कुछ प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये रैक्स कितने साल में बनेंगे, कौन कम्पनी बना रही है? जहां तक हेल्थ केयर का संबंध है हम जानते हैं कि हेल्थ केयर कैसी है। वैश्विक भूख सूचकांक में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या हिन्दुस्तान में 20 करोड़ बताई गई है। 166 ग्राम अनाज प्रतिदिन में इस देश का कोई आदमी अपनी भूख नहीं मिटा सकता। देश जितना फूड सिक्योर है, उतने ही उसके बॉर्डर भी सिक्योर होंगे, उतनी ही उसकी इकोनॉमी भी सिक्योर होगी, उतना ही उसका रुपया भी सिक्योर होगा। अगर आप फूड सिक्योरिटी शत-प्रतिशत लोगों को नहीं दे सकते, तो यह फूड सिक्योरिटी बिल महज़ कागजी रह जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसके लिए पैसा कहां से लाएंगे, बजट में कितना प्रावधान करेंगे? आप बच्चों के लिए अक्षय पात्र योजना को क्यों नहीं स्वीकार करते? इस योजना के अंतर्गत आज दस लाख बच्चों को भोजन दे रहे हैं। इस तरफ ध्यान दीजिए कि आपके बिल में कितनी खामियां हैं। आप इस बिल को फिर से सुधारें, सुधारने के बाद फिर से लाएं। कोई हर्जा नहीं होगा, क्योंकि आर्डिनेंस के मार्फत काम शुरू कर ही दिया है। आपको प्रचार का जितना लाभ लेना था, आप ले चुके हैं।

श्रीमती सोनिया गांधी : आज हमारे सामने एक ऐतिहासिक कदम उठाने का मौका आया है। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2009 के अपने घोषणापत्र में देश से वायदा किया था कि हम खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे, सभी देशवासियों को, खासकर कमजोर वर्गों को पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराएंगे। आज अपनी पार्टी की तरफ से मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी है कि हम इस वायदे को निभा रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान हमारे समाज के अनेक वर्गों को समृद्धि का लाभ मिला है। लेकिन हमारे सामने जो सवाल है, वह उन तबकों का है, जो इस समृद्धि की पहुंच से दूर रहे हैं। आज एक बड़ा संदेश देने का अवसर आया है कि भारत अपने सभी देशवासियों की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। देश उन सब लोगों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार दे रहा है, जिनको उसकी जरूरत है। यह सवाल किया गया है कि क्या हमारे पास इसके लिए साधन हैं? लेकिन सवाल साधनों का नहीं क्योंकि इसके लिए साधन जुटाने ही होंगे। यह भी सवाल किया गया है कि क्या यह बिल किसानों के हित में है? इस संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि कृषि और किसान दोनों ही हमारी नीतियों के प्रमुख अंग हैं। उनकी जरूरतों को हमेशा सबसे ऊपर रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। जहां तक पीडीएस और सस्ते अनाज की दुकानों का संबंध है,

पीडीएस में सुधार की जरूरत है। यह भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि इसका लाभ सही मात्रा में, सही लोगों तक पहुंच सके। इस प्रणाली में लीकेज की समस्या को भी दूर करने की आवश्यकता है। इसीलिए इस बिल में पीडीएस प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रावधान शामिल किया गया है। कानूनी तौर से खाद्य सुरक्षा का अधिकार जरूरतमंदों को सशक्त बनाने का, प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने का, भ्रष्टाचार को कम करने का और व्यवस्था को प्रभावी बनाने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। यह बिल महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों को पीडीएस चलाने की भागीदारी देगा। बिल में अंत्योदय परिवारों के हित भी पूरे तरह सुरक्षित हैं और आईसीडीएस, मिड-डे मील योजना जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम भी इस बिल के अंग हैं। लेकिन इन योजनाओं में कई प्रकार की कमियां हैं। यदि इसमें प्रतिबद्धता और ईमानदारी नहीं होगी तो जनता के प्रति घोर अन्याय होगा। इसलिए इन सेवाओं की कमियों को दूर करना ही होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हमारी संप्रग सरकार सूचना का अधिकार कानून लाई जिसके कारण सार्वजनिक जीवन में अभूतपूर्व पारदर्शिता आई है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रदान किए गए काम के अधिकार के द्वारा चार ग्रामीण गृहस्थियों में से एक गृहस्थी को रोजगार प्रदान किया गया है। महत्वपूर्ण वन अधिकार अधिनियम के द्वारा लाखों जनजातीय और अन्य परिवार लाभान्वित हुए हैं। शिक्षा के अधिकार के आने से विद्यालयों में नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है। खाद्य सुरक्षा विधेयक इसी कड़ी में पांचवां ऐसा विधेयक है जो बुद्धिमता पूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित है। यही दृष्टिकोण हमारे देश में एक सशक्तिकरण क्रांति ला रहा है। भविष्य में हमारा उद्देश्य देश से भूख और कुपोषण मिटाना होना चाहिए। यह कानून अभी तो एक शुरुआत है। अत: हमें इस अवसर पर तत्परता दिखानी चाहिए तथा अपने मतभेदों को भुलाकर लोगों के कल्याण और सम्पन्नता के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : खाद्य सुरक्षा बिल लाने से पहले देश के राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए था और मुख्यमंत्रियों की राय लेनी चाहिए थी। इस बिल के आने से राज्यों पर बहुत बोझ पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपने गरीबों को किस आधार पर छांटा है? आपने 1997 के आधार पर छांटा है और अब 2013 चल रहा है। पिछले 16 सालों में गरीबों की संख्या में कितनी वृद्धि आई है या कमी आई है, इसकी कोई संख्या नहीं दी है। कई राज्यों की आर्थिक हालत आज बहुत खराब है। सारा बोझ तो राज्यों पर पड़ेगा। आप राज्यों को क्या दे रहे हैं, इसका उल्लेख भी बिल में नहीं है। इस विधेयक में न तो जमीन की गारंटी है न उपज खरीद की गारंटी है। हम चाहते हैं कि आप गारंटी करें कि किसानों की उपज खरीदी जाएगी नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएगा। यह बिल किसान विरोधी है। इस बिल में कहीं नहीं दिया गया है कि सभी राज्यों को एक सी सुविधा दी जाएगी। यह सब सीधा-सीधा चुनाव के लिए है। कभी मनरेगा आ जाएगा। कभी खाद्य सुरक्षा बिल आ जाएगा। यदि यह उपाय गरीबों के लिए ही करना होता तो 6 महीने पहले ही कुछ कर देना चाहिए था जब लोग भूख से मर रहे थे। गरीबों की संख्या स्पष्ट होनी चाहिए। यह कहीं नहीं बताया गया है कि कितनों को आप मुफ्त भोजन देंगे? सरकार बताए कि कौन सा आदमी गरीब माना गया है? किस आधार पर माना गया है। देश के बीपीएल धारकों की गणना सही नहीं है। पहले गणना हो जानी चाहिए थी। लेकिन गणना की नहीं गई है और मुफ्त तथा सस्ता भोजन देना आप शुरू कर देंगे। राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस विधेयक के परिणामस्वरूप राज्यों पर कितना आर्थिक संकट पड़ेगा? यह बिल में है ही नहीं और यह भी नहीं है कि वे राज्य कहां से पूर्ति करेंगे या केन्द्रीय सरकार उसकी भरपाई करेगी। खाद्यान्न भंडारण के संबंध में मेरा

यह सुझाव है कि खाद्यान्न के भंडारण से लेकर वितरण तक का खर्च केन्द्र सरकार दे। यदि गरीबों के लिए ही करना होता तो 6 महीने पहले ही कुछ कर देना चाहिए था जब लोग भूख से मर रहे थे और रोजाना संख्या आ रही थी। हर चुनाव में केवल एक मुद्दा बनाकर आप चुनाव में जाना चाहते हैं। इसमें गरीबों के लिए कहीं कुछ नहीं है। यह कहीं है ही नहीं कि कितनों को आप मुफ्त भोजन देंगे? कितने लोग भूखे हैं? यह संख्या कहीं है ही नहीं। सरकार बताए कि कौन-सा आदमी गरीब माना गया है? किस आधार पर माना गया है और कौन सी सरकारी रिपोर्ट है? यह तो गारंटी आपको करनी पड़ेगी कि राज्यों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राज्यों पर कितना आर्थिक संकट पड़ेगा? बिल में इस बारे में कहीं दिया ही नहीं गया है। राज्य कहां से पूर्ति करेंगे या केन्द्रीय सरकार उसकी भरपाई करेगी। खाद्यान्न के भंडारण से लेकर वितरण तक खर्च केन्द्र सरकार को देना होगा। मेरी राय है कि आपके लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। इससे आपको मदद मिलेगी, कुछ सुझाव आयेंगे।

श्री दारा सिंह चौहान : आजादी से लेकर अब तक तमाम सरकारें आईं और गईं लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान जो गरीब का मौलिक अधिकार है, मुहैया नहीं करा पाए हैं। हम क्यों गरीब की परिभाषा परिभाषित नहीं कर पाए हैं? हमने अमीरी और गरीबी के अंतर को कम करने के लिए अगर अब तक प्रयास किया होता तो मैं समझता हूं कि इस बिल की जरूरत न होती। मैं समझता हूं कि गरीबी का पहला कारण सामाजिक कारण है। हम सदन में आर्थिक भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं लेकिन सामाजिक भ्रष्टाचार पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। विधेयक के अनुसार 166 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मिलेगा, इतनी कम मात्रा से उसका क्या होगा। गरीब के लिए दो वक्त भरपेट रोटी की व्यवस्था भी हो पायेगी या नहीं, मुझे इस पर शंका है। पीडीएस सिस्टम में लीकेज को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कि यह गरीबों तक पहुंच पाए। इसके लिए जो अतिरिक्त गोदामों की जरूरत होगी, उनके लिए कहां से व्यवस्था होगी, यह बात बिल में स्पष्ट नहीं है। राज्यों में गरीबों की संख्या निर्धारित करने की जिम्मेदारी उन्हीं राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों को कम-से-कम शत प्रतिशत शामिल किया जाना चाहिए।

श्री शरद यादव : यह साहसी कदम है। हमने गरीबों के बहुत कार्यक्रम चलाए लेकिन इस देश का ढांचा ऐसा है कि उनके पास कोई चीज़ पहुंचती नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो यह गोडाउन वाला मामला है। पीडीएस की दुकानों को बढ़ाना पड़ेगा। अकेले बिहार में 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे और डोर-टू-डोर पहुंचाने के लिए भी 400 करोड़ रुपए लगेंगे। मेरा कहना है कि यह योजना सफल तब होगी जब इसके तहत सूबों पर जो बोझ आने वाला है वह केन्द्र वहन करे। मैंने जो अमेंडमेंट दिये हैं यदि उनको आप मान जाएं तो इस योजना में आपको काफी सफलता हासिल होगी। इस सदन को जान लेना चाहिए कि भूख और सम्मान दोनों बराबर हैं। गरीबी सामाजिक श्रेणीबद्धता के साथ जुड़ी हुई है। देश में सिर्फ 400 लाख टन भंडार के लिए गोदाम हैं। आप जो यह फूड सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं, उसमें आपको 650 लाख टन अनाज चाहिए। 250 लाख टन के लगभग आपके पास गोडाउन नहीं हैं। अतिरिक्त गोडाउन बनायेंगे, तो उसके लिए 1500 करोड़ रुपया चाहिए। गरीब को भोजन का अधिकार यूनिवर्सल नहीं है। यदि यूनिवर्सल नहीं होगा तो यह अधूरा होगा। जो देश की स्थिति है, उसकी कूबत मुझे नहीं समझती कि वह यूनिवर्सल उठा सके, लेकिन यूनिवर्सल के लिए भी संकल्प हो सकता है। किसानों के बारे में आपने बिल में इंतजाम किया है, वह हास्यास्पद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तीन

साल मिनिमम प्राइज नहीं बढ़ायेंगे तो क्या वह महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप उनको क्यों लॉक-अप कर रहे हैं? आज तक हिन्दुस्तान में 65 वर्ष से हम गरीबों को तय ही नहीं कर पाते हैं। उनकी कितनी संख्या है? गरीबों को छांटने का काम आप सूबों को दे दें या सदन के सांसदों को यह जिम्मा दे दें तो वे सही आंकड़े आपको दे देंगे क्योंकि वे जमीनी हकीकत जानते हैं।

मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि पहले जो प्रयास असफल हुए, यह उस तरह असफल न हों। इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

श्री पी॰ विश्वनाथन : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिससे गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लाखों लोग लाभान्वित होंगे। यह विधेयक विश्व में शायद इस तरह का एकमात्र विधेयक है। इस विधेयक में, जो कि खाद्यान्न के वितरण से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने, शुद्ध जल और स्वच्छता पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा इसके लिए सरकार को भूमि उपयोग नीति व जल संबंधी नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने लिए सरकार को चाहिए कि वह उद्योगीकरण, आधारभूत संबंधी परियोजनाएं, खनन और अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के लिए उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए गंभीरता से विचार करे। सरकार को चाहिए कि वह कृषि क्षेत्र को अधिक राज सहायता और प्रोत्साहन देकर, बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए और कृषि क्षेत्र को, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 20% आवंटन के लिए प्रतिबद्ध हो जब तक कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिन में तीन बार का भोजन न मिले। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक, मध्याह्न भोजन योजना के तहत पहले से ही सम्मिलित बच्चों समेत पूरे परिवार को शामिल करेगा। इसके परिणामस्वरूप, 70% से भी अधिक आबादी को पूर्ण खाद्य सुरक्षा मिलेगी। लेकिन केन्द्र सरकार को राज्यों को पूर्ण खाद्यान्न आवंटन सुनिश्चित करना होगा और सुझाव देना होगा कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूत करें ताकि भूख को मिटाने के इस सुनहरे उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

श्री रूद्रमाधव राय : इस विधेयक को एक ऐसी योजना के रूप में लाया गया है जिससे देश में लाखों असुरक्षित लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाया जा सकता है। इस विधेयक में गरीबों को पांच किलो अनाज देने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान प्रावधान छोटे परिवारों के लिए काफी अपर्याप्त है और इसके अलावा देश के अधिकांश भागों में चावल मुख्य भोजन है और इसलिए उन परिवारों को जिनका मुख्य भोजन चावल है इस प्रावधान से दिक्कत हो सकती है उन्हें अपर्याप्त भोजन प्राप्त होगा। प्रत्येक परिवार को रियायती दर पर प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्रति व्यक्ति को प्रति माह 500 ग्राम खाद्य तेल मिलना चाहिए जैसा कि अनुसूची में दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 के अनुसार 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है। चूंकि योजना का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर है, इसलिए राज्य सरकारों की क्षमताओं आदि के संबंध में केन्द्र सरकार को उनसे परामर्श करना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य, जबकि लोगों को भोजन का अधिकार देना है लेकिन दीर्घकाल में सरकार को सावधान रहना होगा क्योंकि इससे कृषि व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, छोटे किसान, जो स्वयं के उपयोग के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं अनाज की खेती छोड़ अन्य फसलों की खेती कर सकते हैं, भारत व्यापक रूप से आयात पर निर्भर हो जायेगा, इस विधेयक में शामिल नहीं हुई एक तिहाई आबादी को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है और कुल मिलाकर मुद्रास्फीति में इजाफा होगा।

***श्री ए॰ गणेशमूर्ति :** विभिन्न योजनाओं में करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद हम जनता को खाद्य सुरक्षा की गारण्टी नहीं दे पाये हैं। प्रस्तावित विधान में यह लिखा है कि सभी राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के आधार पर तय की जाएगी। यह राज्य सरकारों के अधिकारों पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप दर्शाता है। केंद्र सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना का कार्य भी पूरा नहीं किया है। इसने गरीबी रेखा के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी नहीं किये हैं। ऐसी हालत में छह माह के भीतर इस योजना के लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकारें कैसे कर सकती हैं।

सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु तथा केरल में लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभार्थियों को प्रति माह 20 कि॰ ग्रा॰ चावल नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। कुछ राज्यों में, पहले से ही अनाज 2 रु॰ प्रति कि॰ ग्रा॰ की दर से बांटा जा रहा है। इस विधेयक में अनाज की कीमत 3 रु॰ प्रति कि॰ ग्रा॰ निर्धारित की गयी है।

इस विधेयक के कारण तमिलनाडु में शहरी क्षेत्रों के 50% राशन कार्डधारक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 25% कार्डधारक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ से वंचित हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है, और वे अपने वर्तमान अधिकार भी खो देते हैं, तो यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम कैसे हो सकेगा!

कृषि मूल्य निर्धारण आयोग के अनुसार सभी राज्यों से खाद्यान्नों के कुल प्रापण में से 98% सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि शेष 2% भी सरकार प्राप्त करने लगेगी तो खुले बाजार के लिए क्या बचेगा? सरकार द्वारा खाद्यान्नों की अधिक खरीद की जाने से खुले बाजार में खाद्यान्नों की कीमतों में कई गुणा वृद्धि हुई है।

जिन लोगों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं प्रदान की गयी है उनकी संख्या बढ़ी है। यह विषमता सरकार की योजना में कमी की वजह से है। इसमें भारतीय खाद्य निगम की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाये।

कृषि उत्पादों की कीमतों में समुचित वृद्धि कर किसानों को अपनी उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी योजनाओं को लाने से बचना चाहिए जिनका मकसद केवल वोट बटोरना हो।

श्री जोस के॰ मणि : मैं गरीब व सीमान्त परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। इस विधेयक के लागू होने के बाद, गरीब से गरीब परिवार को भी प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता रहेगा। इसके लागू होने से राज्य सरकारों को भी फायदा होगा क्योंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद पर राज्य सरकारों पर पड़ने वाले आर्थिक भार में भारी कमी आयेगी। मैं यू॰पी॰ए॰ सरकार को, इस विधेयक को पारित करने के उसके साहसिक कदम की प्रशंसा करता हूं। इस विधेयक को तैयार करने की लंबी प्रक्रिया में पता चला था कि इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में कुछ खामियां आएगी लेकिन नि:संदेह यू॰पी॰ए॰ सरकार इन्हें शीघ्र दूर कर लेगी।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री जे॰ एम॰ आरून रशीद : मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं। देश के लाखों गरीब लोगों की आंखों से आंसू पोंछने का सपना अब पूरा हो रहा है। अब चावल 3 रु॰ प्रति किलो, गेहूं 2 रु॰ प्रति किलो और दालें 1 रु॰ प्रति किलो की दर से मिलेंगी। जैसाकि हमारे नेताजी ने परिकल्पित किया था इस विधेयक के जरिए 'भूख' शब्द को मिटाने का उद्देश्य है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं अब राज्य सरकारों को केन्द्रीय योजनाएं 'हाईजैक' नहीं करने देनी चाहिए। केन्द्रीय निधियों का या तो दुरुपयोग होता है या उनका अधोपयोग। कतिपय योजनाओं के तहत नियत राशि लाभार्थियों को नहीं दी जाती। कई राज्यों द्वारा कुप्रबंधन के बदतर उदाहरण मनरेगा के कार्यान्वयन में सामने आए हैं। न्यूनतम 150 दिन की कार्य गारंटी स्कीम के तहत प्रतिदिन 155 रु॰ मजदूरी के स्थान पर कई राज्य गरीबों को कम मजदूरी दे रहे हैं कुछ गरीबों को तो मात्र रु॰ 40/–, 50/– अथवा रु॰ 60/– दिए जा रहे हैं। लाभार्थियों के खातों में राशि का सीधे अन्तरण शुरू कर दिया गया है। मैं सोनिया जी के मार्गदर्शन में किए गए इस सार्थक प्रयास का स्वागत करता हूं। केन्द्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यान्वयन अधिकारी लाभार्थियों को विभिन्न स्कीमों की सही जानकारी दें। केवल इसी वर्ष खाद्य सुरक्षा पर रु॰ 10,000 करोड़ से ज्यादा व्यय आएगा और प्रतिवर्ष जरूरतमंद गरीब परिवारों को लगभग 610 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा।

श्री शिवराम गौडा : मैं खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन करता हूं यद्यपि मैं योजना के क्रियान्वयन पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। राज्यों द्वारा चलाये जा रहे भारतीय खाद्य निगम प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और एफसीआईएस में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं व्याप्त हैं। यदि इन वितरण चैनलों की कार्य प्रणाली में सुधार कर इनका कम्प्यूटरीकरण नहीं किया जाता है तो खाद्य सुरक्षा विधेयक का उद्देश्य पराजित हो जाएगा क्योंकि सरकार द्वारा खरीदा गया खाद्यान्न बिचौलियों द्वारा लक्षित लाभार्थियों पर पहुंचने से पहले ही चोरी कर लिया जाएगा। सब्सिडीकृत खाद्यान्न का बड़ा भाग राशन की दुकानों की बजाय बाज़ार में गैर कानूनी ढंग से बेचा जाएगा। भारत सरकार को समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और राशन की दुकानों के स्तर तक खाद्यान्नों के विषय में जानकारी रखने के लिए आपूर्ति शृंखला के कम्प्यूटरीकरण के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस विधेयक में प्रावधान है कि गर्भावस्था के दौरान और उसके छः माह बाद तक गर्भवती महिला को मुफ्त भोजन दिया जाएगा और कम से कम रु॰ 6000 का मातृत्व लाभ दिया जाए। सरकार को खाद्य सब्सिडी के स्थान पर सीधे नकद हस्तांतरण की योजना को लागू करने से पूर्व देश के सभी हिस्सों में बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।

श्री सुखदेव सिंह : खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इसके उचित कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समितियां गठित की जाएं और उसके सदस्यों को उनके सामाजिक कार्य, ईमानदारी, शिक्षा और सौंपे गए कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा के गुणों के आधार पर इलाके से ही नामनिर्दिष्ट किया जाए। हमारे विकासात्मक एजेंडा के शीर्ष पर कृषि होना चाहिए। यदि हम अपने देश में एक गतिशील कृषि सुनिश्चित करने में असफल रहते हैं तो और अन्य विकास, चाहे वह उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में क्यों न हों, हमें विश्व शक्ति बनने में मदद नहीं देंगे जो हम बनना चाहते हैं।

श्री आर॰ ध्रुवनारायण : सामाजिक क्षेत्र में देश के समक्ष दो प्रमुख चुनौतियां भूख व कुपोषण हैं। इस तथ्य से एक ऐसी विशाल योजना की जरूरत व महत्व का पता चलता है जो देश के प्रत्येक नागरिक को

सब्सिडी दर पर पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन प्रदान कराया जाए। निस्संदेह, प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 देश से भूख व कुपोषण को मिटाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस विधेयक से गरीबों, महिलाओं व बच्चों को भोजन ही नहीं मिलेगा बल्कि उससे किसान अपनी फसलों के लिए सरकार से गारंटी शुदा समर्थन-मूल्य भी प्राप्त करेंगे। उससे गोदामों में खाद्यान्नों की बर्बादी भी कम होगी। उससे मूलभूत अवसंरचना सुविधाओं में सुधार और वृद्धि के भी पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे जैसे अधिक संख्या में शीतागारों का निर्माण, यातायात सुविधाओं में वृद्धि और अधिक समर्पित ए पी एम्स की स्थापना।

श्रीमती रमा देवी : भारतीय जनता पार्टी खाद्य सुरक्षा कानून के पक्ष में है बशर्ते इस में कुछ आवश्यक संशोधन हों। सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2011 के माध्यम से देश के 81 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की गारंटी दे रही है। इससे देश की मानव शक्ति अब काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेगी उसका काम मेहनत न करके भोजन की लाइन में लगने जैसा हो जाएगा। देश के गरीब लोगों को उनके इलाज, उनके बच्चों की शिक्षा, उनको कपड़ा देने, सड़क की सुविधा देने, बिजली की सुविधा देने एवं उन्हें बुनियादी सेवा देने के लिए अनेक कानून बने हैं क्या इन कानूनों का पालन हो रहा है? विभिन्न योजनाएं कितने कारगर ढंग से चल रही हैं यह सदन अच्छी तरह से जानता है। इस कानून से खेतीबाड़ी के लिए अब मजदूर नहीं मिलेंगे और मजदूरी भी ज्यादा हो जाएगी जिसका प्रभाव यह पड़ेगा कि हमारी कृषि लागत बढ़ जाएगी जिससे महंगाई और बढ़ेगी। यह योजना गरीब लोगों तक पहुंचेगी इसमें संदेह है। इस कानून को लागू करने में लगभग 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। प्रस्तावित पात्रता के अनुसार 2013-14 के लिए कुल अनुमानित वार्षिक खाद्य आवश्यकता 612.3 लाख टन और इसकी लागत लगभग 1,24,724 करोड़ रुपये आंकी गई है। पात्र व्यक्ति इन अधिकारों की अवहेलना होने पर न्यायालय की शरण ले सकता है। सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। इस विधेयक में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि परिवार के मुखिया के रूप में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक शिकायत निवारण बनाया जाएगा और प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण अधिकारी और एक खाद्य सुरक्षा आयोग होगा। कानून के किसी भाग की जांच करने की आयोग को शक्तियां प्रदान की गई हैं। विधेयक में खाद्यान्न वितरण पारदर्शिता से और जवाबदेही होगी और सतर्कता समितियों द्वारा इसकी समय-समय पर समीक्षा भी की जाएगी। विधेयक में दूरस्थ पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अलग से खाद्य सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। केन्द्र सरकार को संशोधन करने या नियम बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार को क्रियान्वयन हेतु नियम बनाने के अधिकार दिए हैं। प्राकृतिक आपदा हेतु भी इस कानून में प्रावधान किया गया है।

श्री पी॰ आर॰ नटराजन : खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में मेरा विचार है कि तीन वर्षों की सीमा हटा कर इसे 10 वर्ष निर्धारित किया जाए।

श्री हरिभाऊ जावले : खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत खाद्यान्नों की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन और खरीद में वृद्धि करने की अवश्यकता है। और इस प्रयोजनार्थ हमें कृषि के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न विशेष योजनाओं को कार्यान्वित करके कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा इसके लिए कृषि मंत्रालय को पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्रदान करनी होगी।

खाद्यान्नों की खरीद के लिए हमें कृषि के लिए बेहतर अवसंरचना सुविधाओं के साथ बेहतर योजनाओं को कार्यान्वित करना होगा। खरीद करने वाले सभी राज्यों को उपयुक्त संस्थागत तंत्र का निर्यात कर के समुचित खरीद प्रणाली अपनाकर अपने खरीद तंत्र को सुदृढ़ करना होगा। खाद्यानों की ढुलाई के लिए हमें समुचित एजेंडे और योजना को अंतिम रूप देना होगा। रेलवे द्वारा खाद्यान्न को ढुलाई हेतु समर्पित-ढुलाई सुविधा स्थापित करने की आवश्यकता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामने एक चुनौती उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता है जिसका निवारण किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा विधेयक के समुचित कार्यान्वयन के किए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। जब तक मवेशियों के लिए खाद्य वस्तुओं की सस्ती दर पर बेहतर उपलब्धता नहीं कराई जाती, तब तक इस प्रणाली के लिए जोखिम बना रहेगा और पशु पालन करने वाले व्यक्ति मवेशियों को सस्ते दर वाले चावल और गेहूं खिलाएंगे। सरकार द्वारा इन सभी पद्धतियों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और खाद्यान्नों की निरन्तर उपलब्धता, उत्पादन, ढुलाई, भंडारण और इनके वितरण में पारदर्शिता के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए।

श्री कल्याण बनर्जी : इस अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के कार्य में हस्तक्षेप करने का असीमित विवेकाधिकार दे दिया गया है। इससे देश के संघीय ढांचे पर आघात होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि धारा 38 को इस विधेयक से हटा लिया जाए। इस विधेयक के अंतर्गत जिन लोगों को लाभ प्रदान करना अपेक्षित है उनकी संख्या 2013 के सर्वेक्षण पर आधारित होनी चाहिए न कि 2011 के सर्वेक्षण पर, क्योंकि यह विधेयक 2013 में आपके द्वारा लाया गया है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन की सारी वित्तीय जिम्मेदारी केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं उठाई जानी चाहिए। इस विधेयक के अंतर्गत परिकल्पित अतिरिक्त सहायता प्रणाली और शिकायत निपटान प्रणाली को स्थापित करने के लिए और अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी परन्तु इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी किसी सहायता का कोई संकेत नहीं दिया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत यह भी मंशा जाहिर की गई है कि पात्र लाभार्थियों के लिए नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले सर्वेक्षण और राशन कार्ड जारी करने के संबंध में आने वाली सारी लागत केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं वहन की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार की योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में संपूर्ण गणना करने के लिए प्रत्येक राज्य में नागरिक आपूर्ति निगमों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत भंडारण के संबंध में एक निश्चित प्रक्रिया को निर्धारित किया जाना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत उचित दर की दुकानों की अर्थक्षमता, उत्तरदायित्व और निगरानी और इकाइयों के अनुसार खाद्यान्नों के वितरण के संबंध में उल्लेख किया जाना चाहिए। देश के सबसे निर्धन जिलों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए और उनके लिए आवंटन की राशि को वर्तमान स्तर से बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री राजू शेट्टी : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का उद्देश्य गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज मुहैया कराना है जिसमें चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और मोटा अनाज एक रुपया प्रति किलो देने का प्रावधान है। इसके लिए सरकार 1 लाख 24 हजार 724 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। खाद्य सुरक्षा विधेयक के आने से देहात में खेती के लिए मजदूर मिलना असंभव हो जाएगा परंतु इसमें महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रीशनल सपोर्ट करने का वायदा किया गया है। इस विधेयक के लागू होने के बाद यदि राज्य सरकार लाभार्थी को सस्ता अनाज नहीं पहुंचा पाती तो लाभार्थी को कैश सब्सिडी

मिलेगी। इसका मतलब यह है कि सरकार धीरे-धीरे एन॰एस॰पी॰ और कृषि मूल्य आयोग का महत्व समाप्त कर सकती है। लाभार्थी के चयन से संबंधित प्रावधान भी विवादित दिखायी देता है। इस योजना में वित्तीय घाटा बढ़ने का खतरा है। अनुमानित अनाज में से 55 प्रतिशत अनाज गरीबों तक पहुंचा ही नहीं है। इन सभी बातों पर गौर करने की जरूरत है। वास्तव में यह विधेयक अधूरा है। यह देश के किसानों के विरोध में है और गरीबों के हित में भी नहीं है। अत: इस विधेयक को वापस लिया जाए।

श्री एस॰ सेम्मलई : अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ नहीं है बल्कि हम इस विधेयक के वर्तमान स्वरूप का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि यह विधेयक सभी को खाद्य सुरक्षा देने का दावा करता है परंतु दुर्भाग्यवश इसमें कई कमियां हैं जिसमें राज्यों के मन में गंभीर आशंकाएं उत्पन्न हो गयी हैं। खाद्य की पात्रता ग्रामीण जनसंख्या के 70 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित है। इस तरह की सीमा क्यों बांधी गयी है? शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समान गरीब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खाद्य पात्रता 75 प्रतिशत तक ही सीमित रखी गयी है। अन्य लोगों का क्या होगा जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि तमिलनाडु राज्य की खाद्य की वर्तमान पात्रता इस विधेयक के अधीन प्रति परिवार संगणित खाद्यान्न पात्रता के आधार पर कम न की जाए। केन्द्रीय पूल से राज्यों को खाद्यान्नों की आपूर्ति कम होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को कम आपूर्ति के बराबर राज्यों को नकद देना पड़ेगा। केन्द्र को प्रस्तावित विधेयक के कार्यान्वयन के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान कर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए या राज्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब आवश्यक हो, खाद्यान्न का आयात करना चाहिए। इस विधेयक को आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर लाया गया है और वास्तव में यह जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के आशय से नहीं लाया गया है। धारा 10 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार 180 दिनों के भीतर पात्र परिवारों की पहचान कर सकती है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011 से सामाजिक-जाति आधारित जनगणना शुरू की थी जो अब तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए पात्र परिवारों की पहचान का कार्य पूरा करने के लिए 6 महीने का समय बहुत कम है। हमारी नेता द्वारा सुझाए गए अनुसार समुचित संशोधनों को इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। केवल तभी राज्यों का हित सुरक्षित रहेगा और खाद्यान्नों का आवंटन बना रहेगा। यदि यह अधिनियम कार्यान्वित किया जाता है तो इससे राज्य पर 7000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए केन्द्र को इस राशि की क्षतिपूर्ति करनी होगी। मैं एक बार पुन: दोहराता हूं कि यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमारी नेता द्वारा व्यक्त चिंताओं का समाधान करे।

श्री गणेश राव नागोराव दूधगांवकर : इस विधेयक का समर्थन करने में मुझे कुछ आपत्तियां और संदेह है। 66 प्रतिशत आबादी को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने से वितरण में भ्रष्टाचार पनपेगा। खाद्यान्न की उपलब्धता से यह सुनिश्चित होगा कि बच्चों की वर्तमान पीढ़ी कुपोषण का शिकार नहीं होगी। भारतीय खाद्य निगम के भंडारण अवसंरचना को पहले आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाने की तथा फिर भारतीय खाद्य निगम के गेहूं और चावल के भंडारों के उपयोग के लिए निगम की नीतियों के सही क्रियान्वयन की आवश्यकता है। कृषि को प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत बनाना होगा। खाद्य सुरक्षा कानून का अनुमानित अतिरिक्त बोझ 27,663 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। इससे सरकार का कुल खाद्यान्न राजसहायता का बिल 95,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बढ़ जाएगा। भारत का वर्तमान लेखा घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत होने का अनुमान है। सरकार को कृषि और अवसंरचना के क्षेत्र में

अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, अपशिष्ट पदार्थों में कमी आएगी तथा गरीब किसान स्वयं के भरण-पोषण में सक्षम बन सकेंगे। जो अनाज सरकार खरीदेगी उसे कहां रखेगी? सरकार यह विधेयक 2014 के चुनाव को ध्यान में रखकर ला रही है।

श्री टी॰ आर॰ बालू : खाद्य सुरक्षा विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने के बाद मेरे दल के नेता को इसके संबंध में कुछ आपत्तियां और आशंकाएं थीं। इसलिए मैं माननीय खाद्य मंत्री से मिला, उनसे चर्चा की और उनके द्वारा कुछ स्पष्टीकरण दिए गए। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही उचित आधिकारिक संशोधन किए जाएंगे। जहां तक तमिलनाडु को खाद्यान्न की मात्रा जारी करने का प्रश्न है हमें यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि तमिलनाडु को 36.78 मिलियन टन खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा और गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए 8.36 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य के बारे में आश्वासन दिया गया है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक की धारा 23 के अंतर्गत यथापरिकल्पित, राज्यों को खाद्यान्न का आयात करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे विधेयक के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने में ही बाधा उत्पन्न होगी। पहला कारण यह है कि आयात करने की संभावना कम है क्योंकि हमारे वर्तमान उत्पादन को देखते हुए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है और केन्द्र द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना इस विधेयक का उद्देश्य अत्यंत ही परिष्कृत है और महान तमिल कवियों की रचनाओं में भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन सुनिश्चित करने की आवश्यकता के महत्व को दर्शाया गया है। मानव विकास सूचकांक और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में हमारा देश अत्यंत पिछड़ा हुआ है। हमारे देश की घरेलू सकल उत्पाद की विकास दर 1990 में वैश्वीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद बढ़कर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ी और 2004 में यूपीए के द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं। खाद्य सुरक्षा विधेयक इसी दशा में उठाया गया अगला कदम है।

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट : केन्द्र सरकार भारत के लाखों गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सोच रही है। वास्तव में गरीब लोगों की उचित पहचान नहीं हुई है। सही मायने में गरीब लोगों का उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित वितरण के बारे में सोचना चाहिए। उचित सुझाव वाले संशोधनों के साथ विधेयक का सही प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए।

श्री सतपाल महाराज : खाद्य सुरक्षा बिल निर्धन व्यक्तियों को भोजन सुनिश्चित करने के लिए सदन में लाया गया है। कुपोषण दूर करने और अपने सभी नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए भी यह बिल अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा बिल जरूरी है। इसको लागू करने में 1 लाख, 24 हजार 724 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके पारित होने से 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा तथा लगभग 67.1 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित होगी। राज्य द्वारा अनाज नहीं दे पाने पर जनता को खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा। कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड में 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। यह खाद्य सुरक्षा बिल आने से 25 किलोग्राम ही रह जाएगा। इस संबंध में विचार कर संशोधन की आवश्यकता है। उत्तराखंड में परिवार के सदस्यों की संख्या यदि 7 से अधिक है तो परिवार के सदस्यों के आनुपातिक आधार पर खाद्यान्न वितरित करवाये जाने पर अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिपूर्ति का स्रोत क्या होगा? खाद्य सुरक्षा

के अंतर्गत दूरस्थ गांवों में जो खाद्यान्न पहुंचेगा उसका भाड़ा क्या केन्द्र सरकार वहन करेगी? पर्वतीय राज्यों के सुदूरवर्ती गांवों में खाद्य सुरक्षा बिल का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए एक विशेषकार्य योजना विशेष आर्थिक पैकेज के साथ बनाया जाए सरकार को चाहिये कि वह आधार कार्ड का कार्य तेजी से करवाए। मैं खाद्य सुरक्षा बिल का समर्थन करता हूं।

शेख सैदुल हक : संपूर्ण विधेयक गैर-उदारवादी सुधारों को आगे ले जाने का जरिया है। संघीय सुधारों के घोर उल्लंघन करते हुए केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी सुधारों की तिथि को अधिसूचित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जो सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार कृषि व्यवसाय और कार्पोरेटों के संकीर्ण एजेंडे को आगे ले जाना चाहती है विधेयक में कुछ मुद्दे हैं: (एक) कम लक्ष्य निर्धारित करना, श्रेणीकरण और परिभाषा; (दो) शर्त के आधार पर पात्रता; (तीन) अति केन्द्रीयकरण और राज्य के अधिकारों का उल्लंघन। हमारे जैसे देश में सस्ते खाद्यान्नों और कुछ आवश्यक वस्तुओं तक सर्वव्यापक पहुंच आवश्यक है मौजूदा विधेयक इसका विरोध करता है। इस विधेयक में दो रुपए प्रति किलो की दर से कम से कम 35 कि॰ग्रा॰ खाद्यान्न के सर्वव्यापक अधिकार को शामिल किया जाना चाहिए।

***श्री ए॰ सम्पत :** तमिल में एक कहावत है कि खालीपेट दिमाग भी काम नहीं करता है। योजना आयोग की स्थापना लोगों को वर्गीकृत करने के लिये की गई थी। वे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर तथा गरीबी रेखा से नीचे वर्गीकृत करेंगे। इस प्रयोजनार्थ अनेक समितियों का गठन किया गया था। यह रिपोर्ट एक दूसरे की विरोधाभासी है। भूख का उपाय भोजन है। जब आप 'भोजन' की बात करते हैं तो इसका अर्थ केवल खाद्य मदें नहीं होता। माननीय मंत्री महोदय द्वारा पुर:स्थापित विधेयक में केवल खाद्यान्न की चर्चा है। जब खाद्यान्न की बात की जाये तो इसका अभिप्राय यहां केवल गेहूं से है। भारत में दलहन की उपलब्धता कम होती जा रही है। हम इस तथ्य को क्यों नजर अंदाज कर रहे हैं? दलहनें सस्ते दामों पर इस देश के लोगों की प्रोटीन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो हम खाना पकाने में उपयोग होने वाले खाद्य तेल के बारे में चुप क्यों हो जाते हैं? बिना खाद्य तेल तथा दलहनों के हम जनसाधारण के लिये किस प्रकार एक स्वास्थ्यकर जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब चुनाव सिर पर हैं। 16वीं लोक सभा के चुनाव तीन-चार माह में हो सकते हैं। इसलिये अब इस समय इस विधेयक को लाया गया है। इस विधेयक में कुछ उपबंध जोड़े जाने की आवश्यकता है। यहां सरकार हमारे कुछ नागरिकों की अनदेखी कर रही है। आप लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर अथवा नीचे की श्रेणी में क्यों रख रहे हैं। कृपया इस अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति को दें, इसे एक सार्वभौमिक अधिकार बनायें। हमें एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता है।

दूसरी बात, मैं कुछ संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चीनी, खाद्य तेल, दालों को भी विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। तीसरी बात, कम से कम सात कि॰ग्रा॰ खाद्यान्न तथा 35 कि॰ग्रा॰ प्रति परिवार खाद्यान्न की उपलब्धता अनिवार्य की जानी चाहिए।

अभी लगभग एक सौ केन्द्र प्रायोजित योजनाएं लागू हैं। कुछ योजनाएं बीच में ही खटाई में पड़ गयी हैं। अनेक राज्यों ने विभिन्न योजनाओं से दूरी बना रखी है। भारतीय खाद्य निगम में समान काम के लिए

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समान वेतन की गारण्टी नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट आयी है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज सड़ रहा है। वांछित संख्या में कार्मिकों की तैनाती नहीं हो रही है। वहां अधिकारियों का अभाव नहीं है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को निजी कंपनियों में रेहन में दिया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को मजबूत किये बिना आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मेरा इतना ही अनुरोध है कि इन संशोधनों को स्वीकार कर इस विधेयक की सभी कमियां दूर की जाएं।

श्री हर्ष वर्धन : देश की ग्रामीण क्षेत्र की 75% एवं शहरी क्षेत्रों की 50% आबादी को लाभ पहुंचाने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना से देश की गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या के साथ ही मध्यम वर्ग भी लाभान्वित होगा। खाद्य सुरक्षा बिल के संबंध में अनेक आशंकायें जतायी गयी हैं, इनमें से अधिकतर निर्मूल हैं। खाद्य सुरक्षा बिल के पारित हो जाने के पश्चात् उसमें सुधार के द्वार खुले रहेंगे। खाद्य सुरक्षा हेतु आधारभूत संरचना-गोदाम आदि का निर्माण निश्चय ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक होगा। किसानों के हितों पर यह अधिनियम कुठाराघात करेगा यह आशंका ही निर्मूल है। मेरे अपने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा बिल के पारित होने के पश्चात् लगभग 96 लाख मिट्रिक टन प्राप्त होगा तथा प्रदेश का आम आदमी लाभान्वित होगा।

डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, मगर मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आजादी के 66 साल के बाद भी हम इस देश की गरीब प्रजा को भोजन मुहैया कराने में विफल रहे हैं। हमारे देश में बच्चे और महिलाएं कुपोषित रहते हैं। इसका प्रमुख कारण सरकार की विफलता है। यह महत्वपूर्ण विषय है तथा गरीबों की भूख से जुड़ा हुआ विषय है। अत: सरकार उसे सियासी राजनीति से हटके लोगों को, खासकर गरीबों को लेकर गंभीरता बरते और उसके पालन में सच्चाई बरते। कुछ महीने पहले जब अनाज के गोदामों में कई लाख टन अन्न सड़ रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सूचित किया था कि सरकार वह अन्न गरीबों में बांटे। किंतु गरीबों में बांटा नहीं गया था। मैं कुछ प्रमुख सुझाव रख रहा हूं, मेरा निवेदन है कि सरकार उसे संज्ञान में ले। भारत फेडरल स्ट्रक्चर है और भोजन की गारंटी का कार्य राज्य सरकारों को करना है। गुजरात में 23 फीसदी लोगों को लक्षित पी॰ डी॰ एस॰ से अन्न का लाभ नहीं मिलेगा। बीपीएल कुटुंबों को अनाज की उपलब्धि में कटौती होगी। इससे कुटुंब को 25 किलो अनाज मिलेगा, मगर आज तक गुजरात में प्रति कुटुंब 35 किलो अन्न बांटा जाता है। इस अधिनियम से 'मध्याह्न भोजन योजना' पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और बी॰ पी॰ एल॰ कुटुंबों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अधिनियम के तहत अनाज पात्र कुटुंबों का क्राइटेरिया तय करने की जवाबदेही राज्य सरकारों पर डाली गई है। अगर आप खाद्य सुरक्षा का राईट देते हैं, तब अनाज पर्याप्त मात्रा में मुहैया करवाना चाहिए। इसमें 'नेरीशमेंट' सिक्योरिटी का कोई प्रावधान रखा नहीं गया है। सिर्फ अन्न और पैसा बांटने से कुपोषण दूर नहीं होने वाला है। उसके लिए अधिनियम में कुपोषण दूर करने के उपाय एवं नेरीशमेंट को ठोस कदमों द्वारा हासिल करने का प्रावधान रखना चाहिए।

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक : मैं खाद्य सुरक्षा विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि काफी समय से इस विधेयक की आवश्यकता एवं प्रतीक्षा थी। यह विधेयक निश्चित रूप से किसी भी मानव के जीवन-निर्वाह की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करेगा। केन्द्र सरकार का प्रमुख दायित्व है अनुसूची I में निर्धारित मूल्य पर राज्य सरकारों को अनाज उपलब्ध कराना। राज्य सरकारों को केन्द्र

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर उपयुक्त परियोजनाओं को लागू करना होगा। स्थानीय प्राधिकरण और पंचायती राज संस्थान अपने-अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

इस विधेयक का उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रावधानों को कार्यान्वित करना और यह सुनिश्चित करना कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे तथा सभी को समुचित पोषण प्राप्त हो। अग्रिमता प्राप्त परिवार पी॰ डी॰ एस॰ के माध्यम से सस्ते दामों पर अनाज लेने के अधिकारी होंगे: प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रतिमाह 3 रु॰ प्रति किलो के चावल, 2 रु॰ प्रति किलो का गेहूं और 1 रु॰ प्रति किलो बाजरा । जिसका अर्थ है कि उनकी खाद्यान्न संबंधी आधी आवश्यकताएं सरकार पूरी करेगी। अग्रिमता प्राप्त परिवारों में ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों का 50 प्रतिशत सम्मिलित है तथा गरीब राज्यों में यह प्रतिशत इससे भी अधिक हो सकता है।

6 महीने से 3 साल के बच्चों के लिए स्थानीय आंगनवाड़ी से पोषक भोजन हेतु राशन घर ले जाने का प्रावधान है; 3 से 6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को स्थानीय आंगनवाड़ी से प्रतिदिन पोषक आहार पके हुए भोजन अथवा घर ले जाने के लिए राशन के रूप में प्राप्त होगा; स्कूल जाने वाले बच्चों को आठवीं कक्षा तक प्रतिदिन पका हुआ पोषक मध्याह्न भोजन स्कूल के प्रत्येक कार्यदिवस में मिलेगा; गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं या तो प्रतिदिन स्थानीय आंगनवाड़ी से पका हुआ भोजन प्राप्त करने अथवा पोषक भोजन हेतु राशन घर ले जाने की अधिकारिणी होंगी। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाएं मातृत्व लाभ के रूप में कम से कम 1000 रुपए प्रतिमाह, छह माह तक पाने की अधिकारी होंगे; इस विधेयक में पी॰डी॰एस॰ प्रणाली में व्यापक सुधारों हेतु प्रावधान भी सम्मिलित हैं जो इसके कार्यकलापों की भ्रष्याचार से मुक्ति को सुनिश्चित करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब : भूख कम करने और नागरिकों को खाद्य उपलब्ध कराने के मामले में हमारे देश का रिकार्ड निरन्तर बहुत खराब है। तेज आर्थिक विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच कुपोषण और भूख से ग्रस्त लोगों की संख्या में कमी करने में भी देश का रिकार्ड निराशाजनक रहा है। गरीबी और भुखमरी पहले की तरह बहुत व्यापक है। प्रत्येक दिन 420 मिलियन लोग भूखे पेट सोते हैं। यद्यपि हमारा बजट शुरुआत से लेकर अब तक 5000 गुना बढ़ा है परन्तु खाद्य उत्पादन में मात्र 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लक्षित व्यवस्था से हमारे देश में आज भूख और खाद्य सुरक्षा स्थिति को कैसे सुलझाया जा सकता है? प्रति व्यक्ति पात्रता के संबंध में मुख्य आधार समता बताया जा रहा है ताकि बड़े परिवारों को उचित हिस्सा मिल सके। प्रतिमाह 5 किलो प्रति व्यक्ति व्यवस्था यदि लागू की जाती है तो इससे 7 सदस्यों से अधिक लोगों वाले परिवार को लाभ होगा। नेशनल सैंपल सर्वे, 2009-10 के अनुसार मात्र 10 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में 7 से अधिक सदस्य हैं। आप किसकी मदद कर रहे हैं? क्या आप उन गरीब ग्रामीणों की मदद करेंगे जिनके परिवारों में सदस्यों की संख्या 7 से कम है और जो 90 प्रतिशत से अधिक हैं। आप आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। इससे किसको फायदा होगा? तीन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, प्रति गृहस्थी व्यवस्था से सुनिश्चित होगा कि लोग अपनी पात्रता के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। ओडिशा के मयूरभंज जिले में रहने वाले एक आदिवासी परिवार की कल्पना की जाए। यदि प्रति व्यक्ति व्यवस्था पात्रता गृहस्थी के आकार के अनुसार भिन्न होगी तो लोग असमंजस में पड़ सकते हैं और यह नहीं समझ पाएंगे कि उनके पड़ोसी को उनसे अधिक क्यों मिल रहा है। इससे बुरी बात यह होगी कि इसमें स्पष्टता के

अभाव के कारण पीडीएस वितरक इसका फायदा उठाएंगे, असमंजस पैदा करेंगे और गृहस्थियों को कम देंगे। दूसरा, प्रति व्यक्ति व्यवस्था परेशानी पैदा करेगी। परिवार में नए सदस्य का नाम राशनकार्ड में शामिल करने में परेशानी होगी और इससे रिश्वत को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, प्रति व्यक्ति व्यवस्था को अपनाने से अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। प्रति गृहस्थी व्यवस्था के काफी अच्छे परिणाम रहे हैं। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा और कुछ हद तक राजस्थान में इसके बहुत बढ़िया परिणाम रहे हैं। ओडिशा में हमारी सरकार इस प्रति व्यक्ति व्यवस्था के विरुद्ध है। वैकल्पिक रूप में राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन उनकी पात्र जनसंख्या के आधार पर किया जा सकता है और यह राज्यों पर छोड़ दें कि राज्य प्रति-गृहस्थी या प्रति व्यक्ति व्यवस्था अपनाना चाहते हैं। विकेन्द्रीकरण की पहल से हाल ही के वर्षों में पीडीएस में सुधार हुआ है। लक्षित व्यवस्था के कारण 1997 से पिछले 16 वर्षों में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण रहा है। हमारे देश में भूख और गरीबी संबंधी दो रेखाओं की आवश्यकता है। पृष्ठ 16 के अनुसूची संबंधी पाद टिप्पण में ठेकेदारों की बात की गई है। इसे हटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि इन प्रावधानों से आईसीडीएस योजना में उत्पादकों और ठेकेदारों को विधिक एकाधिकार मिल जाएगा। एपीएल कार्ड धारकों को चाहे वो कालाहांडी, बोलंगिर, कोरापुट क्षेत्र के हों उन्हें खाद्यान्न नहीं मिलेगा। हमारे यहां गेहूं नहीं खाया जाता है। हम चावल खाते हैं। हमें गेहूं की आवश्यकता नहीं है। चावल का पूरा कोटा आवंटित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के होस्टलों को बीपीएल दर से प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 15 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। यह प्रावधान इसमें नहीं है। उन्हें चावल कैसे मिलेगा?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : खाद्य सुरक्षा बिल में 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अनाज देने की बात कही गई है, वो अपर्याप्त है और किसी भी वैज्ञानिक कसौटी पर यह मानक खरा नहीं उतरता है। खाद्य सुरक्षा विधेयक के माध्यम से राज्यों पर भी वित्तीय भार डालने का प्रयास किया गया है, जो उचित नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य की 90 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा के माध्यम से कवर किया गया है, जबकि तमिलनाडु में युनिवर्सल खाद्य सुरक्षा लागू की गई है। देश में 66 साल की आजादी के बाद भी भुखमरी है, गरीबी है, यह चिंता का विषय है। हमारी आर्थिक नीतियां ठीक नहीं रही, इसलिए गरीबी बढ़ी। अगर देश में बेरोजगार को रोजगार मिले तो खाद्य सुरक्षा जैसे अधिनियमों की देश में आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सरकार को छत्तीसगढ़ एवं तमिलनाडु मॉडल का अध्ययन करके एक मॉडल खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाना चाहिए। बिल में किसानों के हितों की रक्षा करने के प्रावधानों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता है।

श्री निखिल कुमार चौधरी : देश के दो-तिहाई लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मिले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन देश की असल समस्या खाद्य सुरक्षा नहीं, बल्कि कुपोषण है। देश में अभी 6 करोड़ से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, इनमें से 80 लाख गंभीर रूप से कुपोषित हैं। देश में खाद्य असुरक्षा खाद्य की अनुपलब्धता के कारण है, ऐसी बात नहीं है। देश में अनाज का विशाल भंडार है। इसके लिए मैं किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। परंतु किसान भाइयों द्वारा उत्पादित अनाज गोदामों में सड़ाने के लिए नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अनाज भंडारण की क्षमता को दुरुस्त किया जाये। पी॰डी॰एस॰ को खत्म करना एक क्रान्तिकारी कदम होगा जो आत्मघाती भी हो सकता है। जब तक देश

में अनाज सड़ता रहेगा, तब तक खाद्य सुरक्षा विधेयक की देश की जनता को आवश्यकता पड़ती रहेगी और यह उसके साथ छलावा होगा।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : आजादी के बाद भारत में सरकारों ने 50 से अधिक योजनाएं गरीबी हटाने और भूख का अंत करने के लिए चलाईं, लेकिन इसके बावजूद भूख ने भारत में पांव जमाए हुए हैं। अब जब आम चुनाव करीब आ रहा है तब केन्द्र सरकार ने भूख का अंत करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कर दी है। चुनावी मकसद के लिए इस योजना को लागू करने के लिए सरकार की जल्दबाजी फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा सकती है। मैं जानना चाहती हूं कि लोगों को खाद्यान्न देने की योजना को केवल अनाजों तक ही सीमित क्यों रखा गया है और इसमें दालों और खाद्य तेलों आदि को शामिल क्यों नहीं किया गया? बड़े दुख की बात है कि जिस देश में लाखों टन अनाज गोदामों में सड़ जाता है वहां इंसान भूखों मरते हैं। सरकारी गोदामों में 50 लाख टन से अधिक खाद्यान्न का भंडार होने के बावजूद देश में भुखमरी है। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद करोड़ों बीपीएल परिवारों को अनाज सस्ता तो मिलेगा लेकिन पहले से कम मात्रा में मिलेगा। सरकार ने कहा है कि किसानों को एम एस पी के रूप में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। क्या यह प्रोत्साहन सूखा, ओला, पाला तथा बाढ़ के तहत भी मिलेगा? अभी तो बीमा योजना का लाभ भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश में आज भी 60 फीसदी खेती बारिश पर निर्भर है। सरकारी गोदामों में उनकी क्षमता से कम भंडारण होने पर भी अनाज सड़ता है क्योंकि उसे जान-बूझकर सड़ाया जाता है ताकि उसे शराब के उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सके। खाद्य सुरक्षा से कई चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं जैसे किसान बरबाद हो जाएंगे, उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों के कारण जहां 10 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं वहीं दुनिया का एक तिहाई खाना बेवजह बर्बाद या खराब हो रहा है। इस खाने से 50 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। भंडारण और वितरण की उचित व्यवस्था न होने के कारण बर्बादी हो रही है। वैश्वीकरण और उभरती अर्थव्यवस्था का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा है। इस विधेयक से देश की आर्थिक नीति पर कुठाराघात हो सकता है और देश के अर्थतंत्र के लिए हानिकारक बन सकता है। यदि गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की कीमतों में वृद्धि नहीं की गई तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता जाएगा। सरकार के इस नए कानून से पहाड़ी और कम आबादी वाले राज्यों को अनाज आवंटन के मामले में नुकसान होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर इस विधेयक पर एतराज/असंतोष जताया है। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की है। अनाज ढुलाई और वितरण पर कई संशय हैं जिनका निराकरण जरूरी है। मनरेगा के तहत कृषक श्रम की हालत बिगड़ गई है। किसान कृषि श्रमिकों की तंगी का सामना कर रहे हैं। इससे सीमांत किसानों की हालत बहुत बुरी है। कृषि जमीन में सतत घाटा हो रहा है।

इस विधेयक को लाने से गुजरात के 147.7 लाख लोग पहले सब्सिडी युक्त अनाज लेते थे, अब वे लाभ नहीं ले सकते हैं। यदि अनाज के बजाय नकद राशि का वितरण कर दिया जाए तो अनाज वितरण के मामले में दी जा रही सब्सिडी की तुलना में प्रत्येक व्यक्ति को दोगुणी राशि दी जा सकती है। एफसीआई और पीडीएस की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। सुदूर क्षेत्र के गांवों में जहां व्यापारी द्वारा शोषण का खतरा रहता है, उन गांवों में कोआपरेटिव स्टोर खोले जाने चाहिए। अनाज की तस्करी को रोकना चाहिए और राष्ट्रीय धान भंडारण बैंक बनाना चाहिए। गुजरात राज्य की तरह गांव धान भंडारण योजना लागू करनी चाहिए। अनाज सुरक्षा के साथ-साथ कुपोषण जो एक राष्ट्रीय शर्म है, इसको खत्म

करने के लिए महिलाओं और बच्चों को प्रोटीन युक्त खुराक देनी चाहिए। खेती में उचित निवेश होना चाहिए। कृषि उपज को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए।

श्री नारनभाई काछड़िया : आज हमारे देश के हालात एक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। देश में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ते हुए डॉलर के भाव ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। देश में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एक अनुचित समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण विधेयक लाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के क्रियान्वयन होने के प्रसंग में अनाज की वितरण प्रणाली का होना बहुत आवश्यक है। गुजरात के 9 जिलों में फूड कारपोरेशन का कोई डिपो नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के क्रियान्वयन से पूर्व अतिरिक्त भंडारण क्षमता को कायम रखना मूलभूत आवश्यकता होगी। अनेक जिलों/मुख्यालयों को रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। एफ॰सी॰आई॰/सी॰ डब्ल्यू॰ सी॰ की भंडारण क्षमताओं के आधुनिकीकरण हेतु कार्य किया जाए। खाद्य सुरक्षा भत्तों के अन्तर्गत आने वाले दावे का भुगतान नकद रूप में किया जाना चाहिए और इनके भत्तों का प्रावधान श्रम के अनुरूप होना चाहिए। इनकी सही पहचान के लिए मनरेगा जैसा एक विशेष श्रम कार्ड बनाया जाना चाहिए और उस श्रम कार्ड के आधार पर ही अनाज और भत्ते का वितरण होना चाहिए ताकि होने वाली गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को रोका जा सके और जरूरतमंद लोगों को इस विधेयक का लाभ मिल सके। गुजरात राज्य की यह धारणा है कि वर्तमान प्रणाली चालू रहनी चाहिए तथा डी जी आर ओ राज्य के अधिकारियों द्वारा संचालित होनी चाहिए।

श्रीमती दर्शना जरदोश : यू॰ पी॰ ए॰ द्वारा 2004 में गरीबी हटाने का नारा दिया गया, पर महंगाई बढ़ गई। बिल को लागू करने से पहले से प्लानिंग कमिशन के माध्यम से गरीबी की सीमा तय करने में षडयंत्र रचा गया तथा बी पी एल कार्ड धारक को आत्महत्या के रास्ते जाने पर मजबूर किया गया है क्योंकि इस बिल के आने के बाद उसे करीब 10 किलो अनाज ओपन मार्किट से खरीदना पड़ेगा। केन्द्र सरकार ने पूरा होमवर्क किये बिना ही बिल लागू कर दिया। इस बिल में लाभार्थी कौन होगा, उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी यह स्पष्ट नहीं है। हर राज्य में गरीबी की सीमा अलग होने की वजह से देश के हर राज्य में अलग-अलग मापदंडों से लाभार्थी तय किए जाएंगे। यह शायद इस बिल का सबसे गुमराह करने वाला मापदंड है। इस बिल के कारण बी पी एल कार्ड धारक परिवार का करीब सौ रुपये हर महीने खर्च बढ़ेगा। इस बिल से देश पर करीब 1.30 लाख करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। इससे सबसे ज्यादा नेगेटिव असर कृषि पर होने वाला है क्योंकि पहले ही सरकार कृषक को उसका मुआवजा नहीं दे रही है।

श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील : सरकार संयुक्त राष्ट्र के 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स' का कार्यान्वयन करने में पूरी तरह असफल रही है। इस विधेयक में नितांत गरीबी और भुखमरी समाप्त करने के उद्देश्य को भारत की निरंतर बढ़ती जनसंख्या से जोड़ा जाना चाहिए था। सरकार ने इस विधेयक में करदाताओं के हितों की उपेक्षा की है, 1,08,966 करोड़ रुपये की धनराशि अस्थायी है। सरकार ने अन्य छिपे हुए खर्चों को उजागर नहीं किया है जो राज्यों को उठाने हैं। वे राज्य जो अधिक राजस्व दे रहे हैं ज्यादा प्रभावित होंगे अथवा घाटे में रहेंगे चूंकि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या अधिक है को अधिक करदाता होने की वजह से निःशुल्क भोजन का लाभ नहीं मिलेगा। वे राज्य जो केन्द्रीय बजट में कुछ भी अंशदान नहीं कर रहे हैं को अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि उनकी अधिकांश जनसंख्या कर नहीं चुकाती है। यह सरकार बहुत जल्दी में है क्योंकि इसने इस मुद्दे पर करदाताओं के साथ विचार-विमर्श करने की कतई जरूरत नहीं

समझी जो आने वाले वर्षों में लाखों रुपया उपलब्ध कराएंगे। सरकार अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को भूल गई है जो 50% से भी अधिक भारतीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। सतर्कता समितियों में अन्य पिछड़ा वर्गों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की नितांत आवश्यकता है। हमारे देश में भूख है और इसलिए हम यह विधेयक ला रहे हैं, किन्तु उसी समय सरकार जानबूझकर और किसी मंशा से खाद्यान्न को क्षति पहुंचा रही है ताकि उसे शराब बनाने के लिए उपयोग किया जा सके। सरकार को इस विधेयक पर सभी हिस्सेदारों से विचार-विमर्श करते हुए इस महत्वपूर्ण विधेयक के कार्यान्वयन हेतु कानूनी, संगठनात्मक, सामाजिक और वित्तीय ढांचा तैयार करना चाहिए। खाद्यान्नों की भिन्न योजनाओं में मौजूद कमियों जिन्हें इस बिल के साथ जोड़ा गया है, की समीक्षा की जानी चाहिए। इस विधेयक को पारित करने से पहले सार्वजनिक भागीदारी और करदाता सहित सभी हिस्सेदारों की भागीदारी को अनुमति दी जानी चाहिए।

डॉ॰ बली राम : इस बिल में जो खामियां हैं बिना उसे दूर किए देश के सभी गरीबों को खाद्य सुरक्षा की गारंटी संभव नहीं है। बिल में उन गरीबों को चिन्हित नहीं किया गया है कि किन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। यह बिल चुनावी लाभ लेने के लिए लाया गया है। इस देश में जितने भू-भाग पर खेती होती है उसके दूने से ज्यादा भू-भाग परती और बंजर है और सरकार की कस्टडी में है। यदि इन्हीं जमीनों को सरकार भूमिहीन गरीबों में वितरित कर दे तो ऐसे गरीब दूसरे के खेतों पर खेती न करके अपने खेतों पर खेती करेंगे और इनके बच्चे कभी भी भूखे और नंगे नहीं सोएंगे। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और इस तरह के फूड सिक्योरिटी बिल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि खाली पड़ी जमीनों को भूमिहीनों के बीच में बांट दिया जाए, गरीबों की पहचान कर उनकी संख्या निर्धारित की जाए, खाद्यान्न सही लोगों को मिलना सुनिश्चित हो, प्रत्येक राज्य में ज्यादा से ज्यादा भंडारण की व्यवस्था हो, किसानों के उत्पादित अनाज को सरकार खरीदने की गारंटी ले, सरकार राज्यों को ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध कराए जिससे यह योजना रुके नहीं, योजना जिनके लिए बनाई गई है इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिले, समय-समय पर इसकी निगरानी हो, जिससे इस योजना का दुरुपयोग न हो सके, और बीपीएल, एपीएल और गरीबों के लिए जो मानक बनाए गए हैं उसमें सुधार किया जाए।

श्री गणेश सिंह : इस विधेयक से देश के हर जरूरतमंद आदमी को फूड सिक्योरिटी दी जानी है। किंतु यह बिल फूड सिक्योरिटी कम वोट सिक्योरिटी अधिक दिखाई दे रहा है। समूचे देशभर में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, इसके वास्तविक आंकड़ों का पता ही नहीं है। राज्यों की गरीबी रेखा है उसे केन्द्र मानता नहीं है तो इस योजना का क्रियान्वयन किनके बीच में होगा यह पता ही नहीं है। जिस देश का योजना आयोग गरीबी की वास्तविकता से अनभिज्ञ हो, उस देश में गरीबों के पक्ष की कौन सी योजना सफल हो सकती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब जहां गरीबों को पेटभर भोजन उपलब्ध कराने की कारगर योजनाएं चल रही हैं, उनको ध्यान में रखकर इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 166 ग्राम खाद्यान्न प्रदान करने की बात कही गई है जो कि अत्यंत कम है। इस योजना में 650 लाख टन अनाज की जरूरत पड़ेगी और गोदामों में मात्र 400 लाख टन अनाज भंडारण की सुविधा है। साथ ही अंतिम आदमी तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार करना पड़ेगा। खाद्यान्न पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को विशेष सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इस योजना को धरती पर उतारने के पहले राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए तथा आने वाले खर्चों की पूरी व्यवस्था केन्द्र सरकार को करनी चाहिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : यह बिल किसान विरोधी है। किसानों की जमीन से लेकर उत्पाद में मूल्य व खरीद की पक्की गारंटी होनी चाहिए। अभी तक केवल 1997 के आधार पर बी॰पी॰एल॰ कार्ड बने हैं। ए॰ए॰वाई॰ का भी सही आंकड़ा नहीं है। देश में सही बी॰पी॰एल॰ एवं अंत्योदय कार्ड जरूरतमंद लोगों को देने की आवश्यकता है। पूरा खर्च भंडारण, परिवहन, वितरण की व्यवस्था केन्द्र को करना चाहिए। देश में वितरण की एकरूपता लाने के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। यह बिल लागू करने से पहले देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए। केवल राजनैतिक रोटी, वोट के लिए यह बिल लागू किया जा रहा है। ए॰ए॰वाई॰ परिवार संकट में होगा जिसे 35 कि॰ग्रा॰ गेहूँ 70 रुपए में मिल रहा है। इस बिल से 185 रुपए में 35 कि॰ग्रा॰ मिलेगा। योजना आयोग द्वारा 2012 में गठित सुमित्रा चौधरी समिति ने कहा 61.3 मिलियन टन भंडारण क्षमता की जरूरत है। मौजूदा समय में 29 मिलियन टन की भंडारण क्षमता है। उक्त योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ ही सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र समिति के अनुरूप अल्पसंख्यक खासकर के पसमंदा मुस्लिम समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : भूख और गरीबी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसका असर लगभग पूरे देश पर है। इस देश में करीब 80 प्रतिशत लोग भूख के साथ जूझ रहे हैं। जो लोग, जो बालक कुपोषण या भुखमरी से मर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें इससे कुछ राहत मिलेगी, जो अनाज हम देने जा रहे हैं, वह अनाज देश का किसान पैदा करता है। उन किसानों के हितों की रक्षा भी आवश्यक है। केवल योजना बनाने, कानून बनाने से देश की भूख खत्म नहीं होगी या भुखमरी से देश बच नहीं पाएगा। इसके साथ-साथ जो धन की आवश्यकता है, उस धन को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, राज्यों को पूरी तरह सहयोग करने की आवश्यकता है।

श्री पोन्नम प्रभाकर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 हमारे देश और इसके लोगों को समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इससे हमारे देश के लोगों में पोषण और जीवन का स्तर बढ़ेगा। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक शिकायत निवारण तंत्र का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, सीसीटीवी कैमरों की मदद से सभी स्तरों पर इसके कार्यान्वयन की आवधिक निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए।

इस योजना के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा किसी अनियमितता से बचने के लिए तृतीय पक्ष द्वारा सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए ताकि इसे सफल बनाया जा सके। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से संबंधित बजटीय आवंटनों का उपयोग करने में प्रत्येक राज्य को स्वतंत्रता दी जाए। मैं यह भी अनुरोध करूँगा कि सरकार प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 कि॰ग्रा॰ अनाज की मात्रा को बढ़ाकर कम से कम 10 कि॰ग्रा॰ करे। मैं सिफारिश करूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जाए ताकि उचित दर की दुकानों द्वारा अनाज की डिलीवरी और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके।

हमें अपने अनाज भंडारण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी पर्याप्त उपाय करने चाहिए। आधार कार्ड अविलंब और बिना किसी विसंगति के जारी किए जाएं ताकि केवल पात्र व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकें। हमारे जैसे गरीब देश के लिए खाद्य सुरक्षा योजना नितांत आवश्यक है और यह समय की मांग भी है।

***श्री सी॰ शिवासामी :** यदि खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाता है, तो तमिलनाडु के लिए चावल का आवंटन प्रतिमाह एक लाख टन कम हो जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने बार-बार इस पर बल दिया है कि राज्य को चावल का वर्तमान आवंटन किसी भी कीमत पर कम नहीं किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को पहले के मूल्य पर 14.90 लाख मिट्रिक टन चावल की आपूर्ति करनी चाहिए। केवल इससे ही तमिलनाडु के लोगों की मांगें पूरी होंगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो तमिलनाडु सरकार को 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च करनी होगी। तमिलनाडु में वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी राशन कार्डधारकों को नि:शुल्क चावल प्रदान किया जाता है। इस विधेयक में नगद हस्तांतरण और खाद्य कूपन के प्रावधान हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : चौतरफा संकट के भंवर में फंसी यूपीए सरकार और क्या-क्या करेगी, यह पक्के तौर पर तो कहना जोखिम का काम है। फिर भी उसने खाद्य सुरक्षा जारी कर फिलहाल अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया लगता है। खुद कांग्रेस के मंत्री भी इसके संभावित लाभों को लेकर, बहुत आश्वस्त नज़र नहीं आ रहे थे। आखिरकार, खाद्य सुरक्षा कानून के चुनावी वादे से सत्ता में आयी यूपीए-द्वितीय के कार्यकाल के चार साल पहले ही गुजर चुके हैं। बहरहाल, अब सरकार ने यह जोखिम उठाने का फैसला कर लिया है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कुल 23,000 करोड़ सालाना का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। सारी खींचतान के बाद भी यह विधेयक देश के कुल 67 फीसद परिवारों के लिए ही खाद्य सुरक्षा का प्रावधान करने जा रहा है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा के दायरे में, अगर अब तक देश में लागू टार्गेटेड सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के मुकाबले आबादी के कुछ अतिरिक्त हिस्से को शामिल किया गया है, तो इसके बदले में उपलब्ध खाद्य सुरक्षा की गहराई में दोहरी कटौती भी कर दी गयी। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा में पांच किलोग्राम प्रतिव्यक्ति के हिसाब से पांच सदस्यों के औसत परिवार को हर महीना 25 किलोग्राम अनाज ही मुहैया कराया जाएगा, जबकि अब तक 35 किलोग्राम अनाज मुहैया कराया जा रहा था। राज्यों में पहले ही गरीबों को दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और कुछ राज्यों में तो एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, चावल मुहैया कराया जाता रहा है।

श्री हंसराज गं॰ अहीर : खाद्य सुरक्षा विधेयक द्वारा देश के करीब 67 प्रतिशत लोगों को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लाने को सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। लेकिन विधेयक में इसका कोई उल्लेख नहीं दिखाई देता है। खाद्य सुरक्षा के लिए लाभानुभोगियों का चुनाव राज्य सरकारों पर डाला गया है। यह विधेयक खाद्य सुरक्षा से अधिक राजनीतिक सुरक्षा के लिए लाया गया दिखाई देता है। खाद्य सुरक्षा के बारे में देश के कुछ राज्यों ने लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है। अगर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर इसे ही कार्यक्षम करती, तो खाद्य सुरक्षा संभव हो पाती। देश में खाद्यान्नों के भंडारण की भारी समस्या है। इसी तरह फूड सिक्यूरिटी के लिए आवश्यक मानव संसाधन की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आज हम खाद्य सुरक्षा के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कैसे समझ सकते हैं इसका भी विचार हमें करना होगा। क्या 1 व्यक्ति महीने में 5 किलो अनाज के आधार पर जीवित रह सकता है? उसको अगर अधिक अनाज की आवश्यकता होगी, तो वह क्या करेगा इसका विचार भी

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सरकार को करना चाहिए। हमारे कृषि उत्पादों के निर्यात पर भारी कु-प्रभाव पड़ सकता है। कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी इसका असर हो सकता है। सरकार खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत कराए जा रहे अनाज सुनिश्चित मात्रा और मूल्य में मिलने हेतु कौन से कारगर उपाय करेगी इसका कोई ढांचा इस अधिनियम के प्रावधानों में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे देश में श्रम प्रधान व्यवस्था को भी आघात लग सकता है। आज हम लोगों को खाद्य सुरक्षा के नाम पर आलसी और लाचार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार द्वारा केवल मोटे अनाजों के बारे में ही खाद्य सुरक्षा का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या केवल मोटे अनाजों की उपलब्धता से ही पोषण मिल पायेगा।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : एक ऐतिहासिक कानून को हम आज इस सदन में पारित कराने जा रहे हैं और आमतौर पर इस पूरे सदन में इस कानून के प्रति सहमति सभी पक्षों की ओर से सभी हमारे साथियों की ओर से नजर आ रही है। हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कानून लाने का, लागू करने का काम किया है। बहुत सारे विकास के काम हुए। उसके साथ-साथ हमारे लिए शर्मनाक और दर्दनाक बात यह है कि आज भी हमारे देश के करोड़ों-करोड़ों लोग गरीबी और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इसलिए हमें कहीं न कहीं इस बात का अहसास होना चाहिए। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि एशिया में भी कई ऐसे गरीब देश हैं जो हमसे बहुत बातों में पिछड़े हुए हैं लेकिन वहां गरीबी या मालन्यूट्रीशन की स्थिति हमसे बेहतर है और हम उनसे पीछे हैं। इसलिए इन सारी बातों पर यहां गंभीरता से चिन्तन करना जरूरी है। इसलिए सरकार यह ऐतिहासिक कारगर कानून ला रही है। अगर इस कानून में कोई कमियां आपको महसूस होती हैं, तो यह तो केवल एक शुरुआत है। एक चीज आज शुरू होगी, तो कल उसमें बदलने के लिए कुछ मौका मिलेगा। यदि शुरू ही नहीं होगी, तो क्या होगा? मैं यह मानता हूं कि हम इसे 70 प्रतिशत गांवों और 50 प्रतिशत शहरों में सीमित कर रहे हैं, यह आने वाले समय में यूनिवर्सल तौर पर लागू करना निहायत जरूरी होने वाला है। हमारे सदन में भी और बाहर, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की बात कई वर्षों से चल रही है, कई लोगों ने कहा कि इससे देश बर्बाद हो जाएगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यह बड़े दुख की बात है। हमारे देश की इकोनॉमी एक्सपैंडिंग है। एक बात निश्चित है कि पिछले अनेक वर्षों में इकोनॉमिक ग्रोथ एक हेल्थी रेट से बढ़ता गया जिस वजह से आज हमारे देश में बहुत तरक्की दिख रही है। हमारे यहां फ्रेगमैंटेड लैंड होल्डिंग है, छोटी लैंड होल्डिंग है। इसके बावजूद भी आज हमारे देश के किसानों ने यह जो कर के दिखाया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों को आज हमारे किसानों के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों पर आगे आने वाले दिनों में काम करना है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : सरकार को खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से अनाज के अतिरिक्त, दालों व अन्य पोषक तत्व भी मुहैया कराये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। समुचित भंडारण व्यवस्था नहीं होने के कारण या तो किसान के पास या सरकारी गोदामों में अनाज पड़े-पड़े सड़ जाता है। अत: भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए तथा गरीबों को सड़े अनाज का वितरण नहीं किया जाना चाहिए। महंगाई की बढ़ती मार के कारण देश के सभी लोग भी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। अत: उनका भी इस विधेयक में ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री एंटो एंटनी : यह विधेयक एक ऐतिहासिक कदम है जो हमारे समाज में अत्यधिक बदलाव लाएगा। खाद्य उत्पादन के बावजूद यह दु:खद है कि हमारे देश में एक तिहाई जनता अभी भी बेहद गरीबी में जीवनयापन कर रही है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 43 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं। यहां नवजात शिशुओं के पैदा होते ही मरने की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है और मातृक कुपोषण इन मृत्युओं का एक कारण समझा जाता है।

आज देश के सामने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में पौष्टिक भोजन न खरीद पाने के कारण खाद्य असुरक्षा बनी हुई है। खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है जो प्रति व्यक्ति 2,100 कैलोरी या इससे अधिक पोषण खपत संबंधी लक्ष्य सुनिश्चित करती है। इस मानक के अनुसार देश में 24.6 करोड़ जनता खाद्य असुरक्षा महसूस करती है और यह विश्व में कुल खाद्य असुरक्षित लोगों का 30 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक इन चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। यह विधेयक गांवों में 75 प्रतिशत और शहरों में 50 प्रतिशत जनता को खाद्य आपूर्ति अधिकार सुनिश्चित करता है। यह विधेयक गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भ के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह तक नि:शुल्क खाना, तथा छह माह से 14 वर्ष तक के बच्चे और कुपोषित बच्चों के लिए खाना सुनिश्चित करता है। तथापि वर्तमान विधेयक की तुलना यदि लोक सभा में पुर:स्थापित खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 से की जाए तो इसका कार्यक्षेत्र सीमित है। यदि सरकार विधेयक, 2011 की धारा 2 की उपधारा 3, 4 और 9 तथा धारा 8 से 12 को वर्तमान विधेयक में पुन:स्थापित करती है तो इससे विस्थापितों, आपदा प्रभावितों तथा बेघर लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। तथापि, विधेयक, 2013 की धारा 3 की उपधारा 1 में सामान्य परिवार का लोप किया गया है। अत: सामान्य परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति माह राजसहायता प्राप्त दरों पर तीन किलो अनाज पाने का हकदार नहीं होगा। यदि यह धारा लागू हो जाती है तो केरल में लगभग 123 लाख लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की मात्रा कम करने से केरल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अत: मैं इस उपधारा को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इस विधेयक की अनुसूची 1 को भी संशोधित करने का सुझाव देता हूं। मैं धारा 22 की उपधारा 1 और 3 तथा धारा 24 की उपधारा 3 में पात्र परिवारों के स्थान पर प्राथमिकता परिवार और सामान्य परिवार करने का प्रस्ताव करता हूं। केरल में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता और आवश्यकताओं में असंतुलन है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल में गोदामों की भण्डारण क्षमता बढ़ाए तथा उपरोक्त अनुरोधों पर सकारात्मक कदम उठाए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : खाद्य सुरक्षा बिल की सार्थकता तभी होगी जब राज्य के ऊपर पड़ने वाले वित्तीय भार केन्द्र सरकार वहन करेगी। राज्य में भंडारण के लिए आवश्यकतानुसार गोदाम बनाने के लिए राशि भी केन्द्र सरकार वहन करेगी। बिहार पिछड़ा राज्य है और वहां की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। यदि वहां पड़ने वाले खर्च का वहन केन्द्र सरकार नहीं करेगी तो यह योजना कैसे लागू हो सकती है।

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल : खाद्य सुरक्षा बिल पारित होने से पहले ए॰पी॰एल॰ केटेगरी के राशनकार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 2.500 कि॰ग्रा॰ और प्रतिकार्ड 15 कि॰ग्रा॰ गेहूं रुपये 7.50 की दर से

मिलता था, लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल, 2013 पारित होने से इन 27 लाख परिवारों अर्थात् लगभग 23 प्रतिशत बस्तियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बी॰पी॰एल॰ राशन कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज के स्थान पर अब से प्रतिमाह 5 व्यक्तियों के परिवार को 25 कि॰ग्रा॰ अनाज मिलेगा और 10 किलो अनाज उन्हें बाजार से खरीदना पड़ेगा जिससे बी॰पी॰एल॰ परिवार वालों पर 85 रुपए प्रतिमाह का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बिल के हिसाब से अग्रिमता प्राप्त परिवार के व्यक्ति को प्रति माह 5 कि॰ग्रा॰ अनाज के हिसाब से दैनिक 165 ग्राम अनाज मिलेगा जोकि पेट भरने के लिए अपर्याप्त है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 12 से 14 साल के बच्चों के लिए 255 ग्राम अनाज और सब्जी दी जाये। खाद्य सुरक्षा बिल, 2013 के अंतर्गत अंत्योदय और अग्रिमता धारक परिवारों को दैनिक 233 और 165 ग्राम अनाज मिलेगा, जोकि 2480 कैलेरी की जरूरत के सामने काफी कम है। बिल, 2013 पारित होने से बी॰पी॰एल॰ परिवारों का आर्थिक बोझ घटने के बजाए बढ़ेगा। जोकि चिंता का विषय है। खाद्य सुरक्षा बिल 2013 की धारा 10 के अंतर्गत अग्रिमता धारक परिवार तय करने के लिए 180 दिन की समय मर्यादा की अवधि कम है इसे बढ़ाया जाए। खाद्य सुरक्षा बिल, 2013 के कॉलम 23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किसी कारणवश अगर अनाज का कम जत्था वितरित किया जाए तो उसके बदले आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जाए।

श्री अशोक अर्गल : आज देश में खाद्यान्नों के भंडारण की भारी कमी है जिसके कारण लाखों टन गेहूं बरसात में खराब हो जाता है, चूहे खा जाते हैं। अत: सड़ने-खराब होने की जगह इसे गरीबों को बांट देना चाहिए। सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से गरीबों को रोजगार देने की योजना बनाई है परंतु जो राशि उन्हें देने हेतु रखी है वह काफी कम है। इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए कम से कम 1000 रुपये प्रति दिन मिलना चाहिए। सरकार ने चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई को कंट्रोल करेंगे। आज इसके परीक्षण की जरूरत है कि इस समय आवश्यक वस्तुओं के दाम क्या थे आज उनके भाव कितने बढ़े हैं। इसको ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई : इस विधेयक के विद्यमान स्वरूप से तमिलनाडु राज्य प्रभावित होगा और इसी वजह से एआईएडीएमके पार्टी इसका विरोध कर रही है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इस प्रकार का विधेयक इतिहास में पहली बार आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। तमिलनाडु ने इसी प्रकार की योजना शुरू की थी। आप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात कर रहे हैं जबकि हम सार्वभौमिक वितरण प्रणाली को तमिलनाडु में कार्यान्वित कर रहे हैं। इसी के पश्चात् ही आप गरीब आदमी को खाने की गारन्टी दे सकते हैं। गरीबों को मुफ्त खाना खिलाना हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है। आप इसको नहीं निभा रहे हैं। सरकार द्वारा 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल दिया जा रहा है। फिर पैसा क्यों लिया जा रहा है? उच्चतम न्यायालय ने अपनी हाल की टिप्पणी में कहा था कि गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं जो सड़ रहा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री प्रत्येक परिवार को 20 किलोग्राम चावल मुफ्त में दे रही हैं जबकि आप परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज की बात कर रहे हैं। चावल की कमी होने वाली है। इस कमी को कैसे दूर किया जाएगा। आप यह किस तरह से गारंटी देते हैं कि तमिलनाडु सरकार प्रत्येक परिवार को जो 20 किलोग्राम चावल प्रतिमाह उपलब्ध करा रही है उसकी सुरक्षा हो। आप आज बच्चों को पोषणयुक्त आहार देने की बात कर रहे हैं जबकि हमारी मुख्यमंत्री इसे पहले से ही कार्यान्वित कर रही हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के कार्यान्वयन से तमिलनाडु राज्य को कठिनाइयां होगी उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए ही खाद्य सुरक्षा विधेयक लाई है। इस योजना को लागू करने से तमिलनाडु राज्य सरकार पर 3000 करोड़ रुपए का

अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। क्या केन्द्र सरकार इसकी भरपाई करेगी? यूपीए की सरकार तमिलनाडु सरकार की सहायता नहीं करना चाहती बल्कि इसका पूरा श्रेय लेना चाहती है क्योंकि वे इस योजना को लागू करके सभी लोगों को मुफ्त चावल दे रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को अनेक पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि तमिलनाडु को जितनी मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा है उसे यथावत रखा जाए। वे तमिलनाडु पर मौजूदा वित्तीय बोझ में भी सहायता नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम इस विधेयक का कैसे समर्थन कर सकते हैं? हमारे तमिलनाडु राज्य को इस योजना से कोई लाभ नहीं होगा। यदि वे इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करना चाहते हैं तो उन्हें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए और यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इस योजना को कैसे कार्यान्वित करना चाहिए? उन्हें राज्य सरकारों पर वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखना होगा।

प्रो॰ राम शंकर : इस विधेयक से देश के गरीबों को कितना लाभ मिलेगा अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। इस महंगाई में एक तरफ किसान आत्महत्या को मजबूर हैं वहीं आम आदमी भुखमरी के कगार पर है। इस विधेयक में व्यवहारिक कठिनाइयों के समाधान के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई। इस बिल में वितरण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। मैं मांग करता हूं कि सही पात्रों को चिन्हित कर पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए विधेयक में संशोधन किया जाए। सही पात्रों को पर्याप्त भ्रष्ट मुक्त ढंग से लाभ मिल सके इसके लिए छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार का अनुसरण किया जाए। माननीय मंत्री जी से यह भी मांग करता हूं कि इस बिल को लागू करने से पूर्व सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं सभी दलों के सुझावों को महत्व दिया जाए।

श्री महेन्द्रसिंह पी॰ चौहाण : यदि हम भारत की खाद्य और पोषण सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को देखें, तो इस बात की उम्मीद कम ही है कि देश निकट भविष्य में भूख और कुपोषण के चंगुल से बच पाएगा। तथापि, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 की कुछ खामियों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। संशोधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी), 2013 भारत की जनता के कल्याण के प्रति एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनैतिक आर्थिक दृष्टिकोण है। फिर भी, इस विधेयक को सभी पक्षों से पूर्ण समर्थन नहीं मिल पाया है। भारत के पास इसके बफर स्टॉक के लिए आवश्यक खाद्यान्न मात्रा से कहीं अधिक मात्रा में खाद्यान्न है लेकिन लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। खाद्य के अधिकार को कानूनी जामा पहनाना इस समस्या का समाधान नहीं है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि खाद्य सुरक्षा कानून से वित्तीय व्यवस्था के लिए परेशानी उत्पन्न हो रही है। यह विधेयक चावल और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को बढ़ाकर और कृषि में विविधीकरण को हतोत्साहित करके मूल्य संकेतों में असंतुलन उत्पन्न करेगा। इस विधेयक में ग्रामीण और शहरी आबादी की क्रमश: 75% और 50% आबादी को कवर किए जाने का उपबंध किया गया है। इस प्रस्ताव में केवल दो श्रेणियां हैं—कवर्ड और अनकवर्ड। खाद्य कार्यक्रम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती ऐसे राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चोरी को रोकना है जहां अधिक गरीबी है। खाद्य सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पहल सतत नहीं है चूंकि आने वाले वर्षों में वित्तीय घाटे पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।

श्री गोरखनाथ पांडेय : महोदया, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो निम्नलिखित हैं:—

देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवनयापन कर रहा है, को खाद्य सुरक्षा विधेयक के अन्तर्गत सुविधाओं की जरूरत है। विधेयक की मंशा और विशेषता यह है कि

लोगों को भूख से मरने से बचाया जाए और उन्हें कम कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएं। देश में गरीबों की सही संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बात की निगरानी की जाए कि उन लोगों को यह सुविधा मिले जो वास्तविक रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। इसके अन्तर्गत जो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा उसकी मात्रा बहुत कम है। किसान दुखी हैं और उन्हें नकद, पानी, बीज, बिजली की जरूरत है और खेती की लागत बढ़ती जा रही है और वह खेती की उपज को औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हो जाता है। उसको उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। उनके उत्पादों के भण्डारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण स्तर पर किसानों का अनाज उचित मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। देश में हजारों टन अनाज सड़ जाता है। उनके भण्डारण की व्यवस्था नहीं है वहीं करोड़ों लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। महंगाई बढ़ी है, डीजल और खाद के दाम बढ़ते जा रहे है जिस पर नियन्त्रण किए जाने की आवश्यकता है। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं किसानों की स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल देना चाहता हूं।

श्री नामा नागेश्वर राव : सरकार फूड सिक्यूरिटी बिल ला रही है। इसे इम्पीलैंट करने में बहुत से लूपहोल्स हैं। उन्हें दूर करने की जरूरत है। मेरा कहना है कि फार्मर्स, एमएसपी प्राइज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल में कुछ नहीं है। इस संबंध में प्रावधान होने चाहिए। जब तक सरकार किसान के गेहूं, राइस और पैडी पर ध्यान नहीं देगी तब तक किसान कैसे आगे बढ़ेगा। सरकार को गांव में फूड सिक्योरिटी के साथ-साथ ड्रिंकिंग वाटर की गारंटी देनी चाहिए। गरीबों को विलेज डैवलपमैंट की गारंटी दी जानी चाहिए। फार्मर्स को एमएसपी प्राइज के बारे में गारंटी दी जानी चाहिए। काफी अमेंडमैंट्स हैं, जिन्हें इस बिल में मैंशन करना चाहिए।

श्री प्रेमदास राय : यह विधान पिछले चार वर्षों से विचाराधीन है, इसमें वर्णित की जाने वाली अनेक परिभाषाओं के कारण यह जटिल विधान है। उदाहरण के लिए स्वयं खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? इसके अतिरिक्त लक्षित समूह कौन-सा है? हम यह कैसे परिभाषित करेंगे कि किस 'परिवार' बनाम किस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है? विगत कुछ वर्षों में हमने इस जटिल स्थिति के दो भाग देखे हैं। एक ओर ढेरों अनाज सड़ रहा है। दूसरी ओर हम देश के विभिन्न भागों में लोगों की भुखमरी को देखते हैं। माननीय न्यायालयों ने इसे संज्ञान में लिया है और कार्यपालिका को इस बढ़ते अंतर को कम करने के लिए निदेशित किया है।

क्या यह विधान उस स्तर तक पहुंच सकेगा, यह संदेहास्पद है तथापि, जैसा कि सोनिया जी द्वारा पहले ही कहा जा चुका है हम इसके कार्यान्वयन से सीखेंगे। विधान के सभी तत्वों, जिनमें राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है कि राज्य सरकारों के साथ पूर्ण चर्चा करनी होगी। हमारे मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए सिक्किम राज्य में नवाचारी योजनाएं प्रारंभ की हैं। यह काफी सफल रही है।

मैं अनुशंसा करता हूं कि सिक्किम के मॉडल को अपनाया जाना चाहिए चूंकि यह हमारे राज्य में काफी लंबे समय से चल रहा है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां वस्तुत: कोई कुपोषण या कोई भुखमरी नहीं है। हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है कि स्थानीय उत्पाद को भुखमरी से निपटने के लिए प्रयोग किया जाए। अत: खाद्य सुरक्षा विधेयक एक अभूतपूर्व विधान है जिसे संपूर्ण विश्व देखेगा कि यह हमारे देश में गरीबों हेतु कैसे कार्य करता है?

श्री संजय धोत्रे : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल में हमारी भंडारण क्षमता को बढ़ाने की बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खाद्य सुरक्षा लाने के लिए अनाज उगाने वाले किसानों की सुरक्षा के बारे में हम क्या कर रहे हैं। किसानों की सुरक्षा के बगैर खाद्य सुरक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए सभी संबंधित किसान संगठनों, राज्य सरकारों आदि से विचार-विमर्श करके इसकी जगह एक नया बिल लाना चाहिए।

श्री सोहन पोटाई : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी बिल से जनसंख्या के 66% लोगों को लाभ मिलेगा। परन्तु, गरीबी का मापदंड जो योजना आयोग ने निर्धारित किया है वह गरीब का उपहास है। 2/-रुपये कि॰ग्रा॰ मोटा चावल, 3/- रुपये कि॰ग्रा॰ गेहूं प्रति व्यक्ति, 5/- रुपये कि॰ग्रा॰ अनाज देने की गारंटी गरीब के साथ मजाक है। गरीब केवल रोटी नहीं खाएगा, उसके साथ सब्जी, दाल, नमक, तेल, मिर्च की आवश्यकता होगी। पकाने के लिए केरोसिन ऑयल की व्यवस्था बिल में गरीब लोगों के लिए उपलब्ध होगी तब कहीं जाकर खाद्य सुरक्षा गारंटी का बिल गरीब के हित में होगा। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू खाद्य सुरक्षा बिल का अनुसरण करना चाहिए।

श्री पी॰टी॰ थॉमस : यह एक ऐतिहासिक विधान है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रथम के बाद से इस सम्माननीय सभा ने अनेक ऐतिहासिक विधान देखे हैं। यह विधान हमारे ग्रामीण भारत में भुखमरी में जीवन बसर कर रहे लोगों की समस्याओं को दूर करेगा। यह विधान भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 5 जुलाई, 2013 से लागू होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा। इस विधान में गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं बच्चों के लिए पोषक आहार प्रदान करने का प्रावधान है। यह विधान महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 न केवल एक सामाजिक सुरक्षा का विधान है अपितु यह एक उल्लेखनीय विधान भी है।

श्री जयंत चौधरी : सामाजिक विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री जानते हैं कि जो सबसे गरीब तबका है, उसके लिए दो जून की रोटी हासिल करना एक संघर्ष है और इस विधेयक के लाने से आर्थिक बोझ सरकारों पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह बोझ नहीं, सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। पचास पर्सेंट से ज्यादा बच्चे, जो पांच वर्ष से कम उम्र के हैं, हमारे देश में वे कुपोषित हैं, दो-तिहाई महिलाएं हमारे देश में अनिमिक हैं। अगर हम किसी तरह से उनको मुख्यधारा में लाते हैं, सशक्त करते हैं, कैसे वे अपने दम से अपनी भूख को मिटाने के लिए आगे बढ़कर कार्य कर सकते हैं, हमें यह उपाय ढूंढ़ना होगा। उससे जो प्रभाव हमारे जीडीपी ग्रोथ और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगा, उसका आकलन आज कोई भी अर्थशास्त्री नहीं लगा रहा, यह ऐसी जिम्मेदारी है कि हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे ज्यादा शिकायतें पीडीएस व्यवस्था को लेकर मिलती हैं। सक्सेना कमेटी की जहां तक बात है उन्होंने कहा है कि 61 पर्सेंट एक्सक्लूजन एरर है यानी बीपीएल सूची में वे लोग, जिनका नाम उस सूची में आना चाहिए, उन लोगों का नाम उसमें नहीं है। जिन लोगों का नाम सूची में हैं, उनमें 25 प्रतिशत फर्जी हैं। हम बार-बार कहते हैं कि हमारे देश में संघीय ढांचा है, और हमने पूरी ताकत प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने की दे रखी है कि कौन लाभार्थी होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा कदम है। बीपीएल सूचियों में जो कमियां रही हैं, उससे अलग हटकर यह एक सकारात्मक प्रयास है कि इस योजना के माध्यम से हम गरीबों को कुछ लाभ पहुंचा सकें। बहुत-से सांसदों ने चिन्ता जाहिर की है कि कृषि-क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा? इसके लिए एमएसपी प्राइस को घोषित करने की प्रक्रिया को दुरूस्त करना होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात पर कितनी ड्यूटी लगनी चाहिए, वहां सी॰ए॰पी॰सी॰ की

भी एक भूमिका होनी चाहिए। एक मुख्य सवाल यह है सब्सिडी वर्सेस इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि अनुदान देने से मार्केट डायवर्ट हो जाता है और अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट विकसित होगा। फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो एक तरह से मार्केट डिसटॉर्टिंग है, वह लगातार बढ़ती जा रही है। हमें कृषि क्षेत्र में अनुसंधान पर ध्यान देना होगा। आज किसान की जमीन कृषि से अलग दूसरे उद्देश्यों के लिए डायवर्ट हो रही है। इसके लिए हमें किसानों को प्रोत्साहित करना होगा, जिससे कृषि उत्पादन पर नकारात्मक असर न पड़े। इसलिए सब्सिडी वर्सेस इन्वेस्टमेंट में हमें बैलेंस की आवश्यकता है। हमें देश के नागरिक की कार्यक्षमता पर ध्यान देना होगा ताकि उसको आत्मनिर्भर बना सकें। यह सोच लेना कि कानून बना देने से गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा, ऐसा नहीं है । देश का गरीब देश के लिए बोझ नहीं है, वह देश की शक्ति है।

श्री पी॰ करूणाकरन : इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी॰डी॰पी॰एस॰) की शुरुआत करना है। इसमें उल्लेख किया गया है कि 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या टी॰डी॰पी॰एस॰ के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार होगी। इसमें से 46 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 20 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को प्राथमिकता वाले वर्ग में रखा गया है। इस विधेयक में विशिष्ट समूहों जैसे गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, बच्चों, बेसहारा, बेघर और भुखमरी के शिकार व्यक्तियों के समूहों के गठन का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक के कुछ पहलुओं पर मेरी निजी आपत्तियां और विचार हैं। कैश-अंतरण और कैश-कूपन के प्रावधानों के परिणाम बेहतर नहीं होंगे क्योंकि पैसे का दुरुपयोग हो सकता है। सस्ता खाद्यान्न प्राप्त करने की तीन श्रेणियां बनायी गयी हैं। इसमें खाद्यान्नों की कीमतें भी भिन्न-भिन्न हैं। मैं पुरजोर तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने की मांग करता हूं। लक्षित वितरण प्रणाली में व्यक्तियों को शामिल करने व निकालने में गलती होने की काफी संभावनाएं रहती हैं। इस योजना से राज्यों पर काफी वित्तीय भार बढ़ेगा, कुछ मामलों में लागत में राज्य और केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी होगी। अधिकांश लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसमें गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण संबंधी सहायता, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी संरचना, बच्चों के लिए भोजन, भुखमरी के शिकार लोगों के लिए भोजन, यातायात व्यय, खाद्यान्न संवितरण, भंडारण सुविधाएं, राज्य खाद्य आयोग संबंधी लागतें शामिल हैं। यदि राज्य इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की स्थिति में न हुए तो इस विधेयक का कार्यान्वयन बहुत कठिन होगा। इस विधेयक में छह माह हेतु बेसहारा व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन एक बार भोजन तथा भुखमरी के शिकार लोगों को प्रतिदिन दो बार भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। परन्तु इन दो समूहों में हकदारी में अन्तर करने का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रत्येक राज्य में बी॰पी॰एल॰ और ए॰पी॰एल॰ की प्रतिशतता के निर्धारण का आधार क्या है। इस विधेयक के कार्यान्वयन में 3.5 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

केरल राज्य सरकार ने कहा है कि यदि इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में पारित किया जाता है तो राज्यों पर बड़ा वित्तीय भार पड़ेगा। केरल एक खाद्यान्न की कमी वाला राज्य है और लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण हेतु ई॰पी॰डी॰एस॰ पर निर्भर है। केरल की वार्षिक आवश्यकताओं की तुलना में केवल 10,528 टन खाद्यान्न आबंटित किया जाता है जो कि आवश्यकता से 1,05,726 टन कम है। इस विधेयक से राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी।

इस राज्य की भंडारण क्षमता वर्तमान में काफी कम है और यदि इस विधेयक को इसी रूप में पारित किया जाता है तो इसी भंडारण क्षमता से खाद्यान्न की मांग को पूरी करना कठिन होगा।

श्री पन्ना लाल पुनिया : यू॰पी॰ए॰ सरकार द्वारा वर्ष 2009 में लिए गए संकल्प के क्रम में खाद्य सुरक्षा एक अहम भूमिका रखता है। इसके माध्यम से देश ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले 75 प्रतिशत तथा शहरों की 50 प्रतिशत आबादी को सस्ता अन्न मिलेगा। अधिनियम के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए चावल 3 रु॰, गेहूं 2 रु॰ व मोटा अनाज 1 रु॰ प्रति किग्रा की दर से वितरित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से 82 करोड़ लोगों के लाभान्वित होने का लक्ष्य रखा गया है। यह बिल गरीबों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। विपक्ष की निरंतर अड़ंगेबाजी के बावजूद आज यह बिल पास होने जा रहा है जिसके लिए यू॰पी॰ए॰ सरकार, प्रधानमंत्री जी, श्रीमती सोनिया गांधी को बधाई देता हूं।

यह सही है कि खाद्यान्न के लिए भण्डारण क्षमता अभी भी हमारे सामने एक चुनौती है। इस महत्वपूर्ण योजना को अकेले केन्द्र द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, राज्य सरकारों को इस महत्वपूर्ण योजना में अपना योगदान देना है। पात्र लाभार्थियों की पहचान करना और उन तक योजना का लाभ पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, जिसमें राज्य सरकारों का सहयोग अपेक्षित है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की सही सूची तैयार कराने तथा वितरण सही रूप से कराने की अहम भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा।

श्री विजय बहादुर सिंह : खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 125 करोड़ जनसंख्या वाले भारत देश में 67 प्रतिशत लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। यह बिल हड़बड़ी में लाया गया है और इसकी नजर वोट की राजनीति में ज्यादा और देश की दशा सुधारने में कम है। इस योजना से राज्यों पर जो आर्थिक बोझ पड़ेगा, उसके बारे में राज्य के मुख्य मंत्रियों से व्यापक चर्चा भी नहीं की गयी है। पी॰डी॰एस॰ के पिछले पचास सालों के इतिहास के मद्देनज़र इस बिल का कार्यान्वयन काफी मुश्किल होगा हालांकि देश में छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल जैसे कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 90 प्रतिशत सफलता मिली है।

भारत 1970 से ही खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। पी॰डी॰एस॰, अन्त्योदय अन्न योजना, मिड डे मील स्कीम, मनरेगा और आई॰सी॰डी॰एस॰ योजनाएं गलत क्रियान्वयन से पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। भारत के गरीबों को अच्छे स्कूल, आधुनिक शिक्षा, निरंतर बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और सुशासन की भूख है। इस बिल में 7 किलोग्राम खाद्यान्न में 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल और बाकी मोटा अनाज का प्रावधान किया गया है जो एक गरीब की आवश्यकता से बहुत कम है। जब तक पी॰डी॰एस॰ में पारदर्शिता, ईमानदारी और आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

आई॰सी॰डी॰एस॰ योजना अन्य पोषाहार योजनाओं से पूरी तरह भिन्न है। इसका वास्तविक उद्देश्य 6 महीने से 6 वर्ष के बालकों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के वर्तमान आहार में विटामिनों, खनिजों, प्रोटीन और कैलोरी की कमी का पता लगाकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है जबकि

मिड डे मील का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को नियमित आहार प्रदान करने और उन्हें विद्यालयों में आकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

मैं चाहूंगा कि पार्ट टू सेंकड शेडूल में हटाये गए 'रेडी टू ईट मील' के प्रावधान को न हटाया जाए। यह बिल गरीब जनता के लिए एक कल्याणकारी कदम है और सरकार से अपेक्षा है कि इसका कार्यान्वयन अच्छी तरह से हो।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का लक्ष्य सस्ते दर पर गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करके भोजन और पोषणात्मक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि विधेयक किस प्रकार से इस राष्ट्र को पोषणात्मक सुरक्षा प्रदान करने का दावा कर सकता है जबकि यह न तो अपेक्षित प्रोटीन, न विटामिन, न दालें, न डेयरी उत्पाद और न ही कोई आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। डब्ल्यू॰एच॰ओ॰ और आई॰सी॰एम॰आर॰ का मानना है कि एक वयस्क व्यक्ति को न्यूनतम 10 किलोग्राम से 14 किलोग्राम खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह सरकार किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि प्रति व्यक्ति पाँच किलोग्राम खाद्यान्न आवश्यकता से ज्यादा है। अति खराब मौसम में खाद्यान्नों का सड़ना खाद्यान्नों की गुणवत्ता की वास्तविकता है, जिसे ही इस योजना के अन्तर्गत इस देश के गरीब जनता को वितरित किया जाना है। यह सरकार पिछले नौ सालों में खाद्यान्नों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण लगाने में पूर्ण रूप से असफल रही है। इस सरकार को पंजाब सरकार से सबक लेने की जरूरत है, जिसने आटा-दाल योजना शुरू की है। पिछले छह वर्षों से यह योजना 16 लाख परिवारों को उपलब्ध है। योजना आयोग ने भी यह स्वीकार किया है कि पंजाब में जहाँ 2005 में 21 प्रतिशत जनसंख्या गरीब थी, वह घटकर 2012 में 8.2 प्रतिशत हो गया है। पोषणात्मक सुरक्षा उपलब्ध कराने संबंधी इस सरकार का इरादा तभी सफल हो सकता है जब इस विधेयक में दलहन को शामिल करने संबंधी मेरे संशोधन का सरकार समर्थन करे।

हमारे देश में छोटे और सीमांत किसान देश के कुल गेहूं और चावल का 52 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। यदि यह सरकार उनके खाद्यान्नों पर 2 रुपये या 3 रुपये की राजसहायता देने जा रही है तो फिर किसान फसल उगाने के लिए परेशान क्यों होंगे? खाद्य उत्पादन में गिरावट आएगी, लेकिन खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ेगी और महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। सरकार को इस सच्चाई पर विचार करने की जरूरत है। यदि एक वर्ष बुरा होता है जब बाढ़ आई हो या सूखा पड़ा हो और खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई हो। सरकार को विश्व से खाद्यान्न आयात करने के लिए बाधक होना पड़ेगा। इससे वैश्विक खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा। 1,30,000 करोड़ रुपये के खाद्य सुरक्षा बोझ से न केवल वित्तीय घाटा बढ़ने वाला है, वरन् साथ ही सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाने का भी दबाव पड़ने वाला है। मैं मांग करती हूँ कि विधेयक के खंड 8 के अन्तर्गत दिये जाने वाले नकद अंतरण को विधेयक से हटाया जाए ताकि किसानों को बचाया जा सके, उनकी जीविका बचायी जा सके और देश से कृषि को समाप्त होने से बचाया जा सके। आज हमारे देश में भण्डारण और अवसंरचना की कमी है। पंजाब जैसे राज्य में आवश्यकता से 20 प्रतिशत रेल रेक की कमी है। हम लोग खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जल सुरक्षा के बारे में बात क्यों नहीं करते? नासा का कहना है कि जल स्तर गिर रहा और 20 वर्षों में पंजाब राज्य रेगिस्तान बन जाएगा। सरकार पंजाब को मात्र 3500 करोड़ रुपये नहीं दे सकती ताकि राज्य की जल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार को यह करने की आवश्यकता है कि वे अपनी अकुशलता को दूर करें तथा अपनी नीतियों को ठीक करें।

श्री गजानन ध॰ बाबर : खाद्य सुरक्षा बिल, 2013 में कहा गया है कि केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य में पात्र लोगों का प्रतिशत निर्धारित करेगी और राज्य सरकार परिवारों की पहचान करेगा। विधेयक में ग्रामीण में 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत के लिए खाद्यान्नों का हक रखा जायेगा और 48 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों एवं 28 प्रतिशत शहरी परिवारों को प्राथमिकता के रूप में शामिल किया जायेगा एवं बाकी परिवारों को सामान्य परिवारों के रूप में नामित किया जायेगा। प्राथमिकता वाले परिवार प्रति माह प्रति व्यक्ति 7 किलो रियायती खाद्यान्न के हकदार होंगे जबकि सामान्य घर कम से कम 3 किलो रियायती खाद्यान्न के हकदार होंगे। विधेयक में विशिष्ट समूहों के लिए भोजन के अधिकार का प्रस्ताव है और इनमें शामिल हैं गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, छह महीने से लेकर 14 साल के बीच की आयु वर्ग के बच्चे एवं कुपोषित बच्चे, आपदा प्रभावित, बेघर एवं भूख से मर रहे लोगों और जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का स्थापित किया जाना। विधेयक में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सुधारों का प्रस्ताव है।

तीन समूहों में लाभार्थियों का वर्गीकरण, लाभार्थियों की पहचान करने और इन समूहों में उन्हें रखने की प्रक्रिया और बहिष्करण में त्रुटियां हो सकती हैं।

शिकायत निवारण संरचना के लिए राज्य विधान सभाओं में पर्याप्त बजटीय आवंटन करने की आवश्यकता होगी। बजट आवंटन के लिए पर्याप्त धनराशि राज्यों के पास नहीं है जिससे विधेयक का कार्यान्वयन प्रभावित हो सकता है। इस विधेयक में अभी भी बहुत से सुधार करने की जरूरत है यह कहना कि यह विधेयक अपने आप में संपूर्ण है सरासर गलत होगा। अगर सरकार बिल की कमियों का निवारण कर लेती है तो निश्चित रूप से यह बिल देश के गरीबों के लिए वरदान साबित होगा।

श्री तूफानी सरोज : मैं आपका ध्यान खाद्य सुरक्षा बिल की खामियों की तरफ दिलाना चाहता हूं, सरकार ने 5 व्यक्तियों (लोगों) को एक परिवार मानते हुए 25 किलो खाद्यान्न महीना के लिए बिल में व्यवस्था की है, इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक टाइम के लिए 82 ग्राम खाद्यान्न होता है जो एक व्यक्ति के लिए पूर्ण नहीं है। 2 रुपये किलो खाद्यान्न के हिसाब से एक परिवार के लिए 25 किलो खाद्यान्न 50 रुपये में मिलता है जब कि पूर्व में बीपीएल धारकों को 35 किलो खाद्यान्न 145 रुपये में मिलता था, आज यदि हम 10 किलो खाद्यान्न मार्केट से लेते हैं तो कम से कम 35 रुपये हमें और देना होगा। इस तरह पूर्व के हिसाब से 35 किलो खाद्यान्न की व्यवस्था हेतु 185 रुपया खर्च करने पड़ेंगे जबकि बीपीएल कार्ड धारकों को पूर्व में 35 किलो खाद्यान्न 145 रुपये में ही मिलता था इस तरह यह इन गरीबों के साथ धोखा है। इससे भविष्य में और गरीबी बढ़ेगी, गरीबी के निदान हेतु उसे पूर्ण रूप से कारणों को तलाशना पड़ेगा।

दूसरी तरफ किसानों के हित की बात बिल में नहीं की गई है। अब उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, इस पर सरकार को गंभीर चिंतन करना होगा, क्योंकि जब देश की कृषि मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा।

श्री रमाशंकर राजभर : इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन व्यक्ति लाभ पाने के हकदार होंगे और लाभार्थियों का चयन कैसे होगा। मुझे आशंका है कि जिस तरह से प्रभावी लोग बीपीएल सूची में अपना नाम शामिल करवा लेते हैं और वास्तविक जरूरतमंद गरीब व्यक्ति छूट जाते हैं ठीक उसी तरह प्रभावशाली व्यक्ति इस विधेयक के तहत लाभ पाने के लिए हकदार बन जायेंगे और वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति छूट जाएगा। इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि खाद्यान्नों की डिलीवरी घर-घर

की जाएगी। कहीं ऐसा न हो कि इस विधेयक का हश्र भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरह न हो जाए। सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न जातियों जैसे भर, राजभर, वाघय, विन्द, धीमर, खार, कश्यप, केवट, कुम्हार, लोनिया, नोनिया, चौहान, प्रजापति, मल्लाह, मछुआ, निषाद, नाई, तुरहा आदि को इस विधेयक के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके।

श्री रामसिंह राठवा : यह बिल आने वाले दिनों में खोखला साबित होने वाला है। यह बिल लाने से पहले हर राज्य के मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव के साथ चर्चा करने के बाद जो अच्छे सुझाव मिले उसको सम्मिलित करने के बाद बिल लाया होता तो अच्छा होता। सरकार चुनाव को ध्यान में रखती हैं और वोट को आकर्षित करने के लिए ऐसे नए-नए बिल लेकर आती हैं।

जब देश आजाद हुआ था उसके कुछ समय बाद ही यह बिल लाने की जरूरत थी। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज हमारे पास जो सिस्टम है उसी को आधार बनाकर आगे चलने की जरूरत थी। कानून से कुछ भी होने वाला नहीं है। आज जरूरत सही सोच की है, ईमानदारी की है।

श्री लालू प्रसाद : संप्रग सरकार इस ऐतिहासिक और शुभ दिन में गरीबों, समाज के दबे-कुचले लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के लोगों और समाज के वंचित वर्ग के हितों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पास करने जा रही है। कानून में त्रुटियां हो सकती हैं, इम्पिलिमेंटेशन को भविष्य में ठीक किया जाएगा लेकिन एकता करके और इस बिल की पवित्रता पर उंगली उठाना उचित नहीं है। यह सभी की जिम्मेदारी है। इस योजना में पैसा बाधक या साधक नहीं है। ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम देश में लागू हो कर रहेगा, इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। इसलिए आप लोग भी इसमें गंगा स्नान करिए।

हमारा बिहार राज्य बाढ़ग्रस्त इलाका है। नार्थ बिहार में हम जब तक गोदाम नहीं बनाते, स्टोरेज की कैपेसिटी यदि हमारे पास नहीं है तो फिर इस कार्यक्रम को हमें गरीबों तक पहुंचाने में कठिनाई होगी। इसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की संख्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मिलित किया जाना चाहिए है। ताकि कोई वंचित नहीं हो। यह भी सुना गया है कि सरकार आर्थिक सहायता देने के लिए कोई मानक बदलने वाली है। ऐसा नहीं हो कि एक गरीब को मिले और दूसरा गरीब टुकुर-टुकुर ताकता रहे। उनकी सूची में सुधार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से मिलकर सर्वे कराकर और सर्वे के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार छूटा है, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए यह जो कानून हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसका बहुत ही दूरगामी असर होने वाला है।

श्री एस॰ एस॰ रामासुब्बू : पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए, गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और राज्य स्तर पर लोक स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु हर स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम गरीबों के लिए वरदान सिद्ध होगा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है वहनीय कीमतों पर खाद्यान्नों की व्यक्तिगत स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सहित घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्नों की उपलब्धता।

विधेयक में सबसे गरीब महिलाओं और बच्चों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। यूपीए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही मनरेगा को प्रारंभ कर चुकी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु पुरुष और महिलाओं हेतु समान वेतन में सफलता प्राप्त हुई है।

सुब्रमणियम भारती ने एक कविता में लिखा है कि यदि किसी एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं होगा तो हम इस संपूर्ण विश्व को नष्ट कर देंगे। अब कवि सुब्रमणियम भारती के स्वप्न को इस ऐतिहासिक विधेयक द्वारा पूरा किया जा रहा है। हमारी यूपीए सरकार की अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी ने इसे वास्तविक स्वरूप प्रदान किया है जिससे गरीब, बच्चे और महिलाएं लाभान्वित होंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस विधेयक की सराहना करेगा।

संत तिरूवल्लूर ने थिरूकुरल में लिखा है कि कोई राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है जब भुखमरी न हो, कोई स्वास्थ्य संकट न हो और जब शत्रु राष्ट्रों से कोई निरंतर आक्रमण न हो।

हमारी यूपीए सरकार यह विधेयक लाई है ताकि गरीबी और भुखमरी को समाप्त किया जा सके। संपूर्ण राष्ट्र इस विधेयक को स्वीकार कर रहा है। प्रत्येक राज्य को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही ढंग से लाकर और उसका अनुपालन कर गरीबों के लिए खाद्य सामग्री की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

श्री शरीफुद्दीन शारिक : सरकार जो खुराक की गारंटी का कानून लेकर आई है इसके लिए मैं सरकार को मुबारक देता हूं। यह गरीब परवरी का कदम है। संसद और सब मिलकर गरीब को डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए प्रयास करें। लाखों-करोड़ों भिखमंगे, बंधुआ मजदूर, औरतें और बहनें सड़कों पर अपनी अस्मत फरोख्त करते हैं, उनकी दो वक्त की रोटी के लिए हमें सोचना चाहिए। मेरा यह कहना है कि रियासती सरकारों को एतमाद में लाओ, इसका मानिटरिंग सिस्टम ठीक करो। ऐसा न हो कि सरकार गल्ला देती जाए और सड़क पर बिचौलिए और बेईमान दरमियान खाएं और गरीब भूखा रहे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देखना होगा कि इसमें कोई गलती न हो।

श्री ओम प्रकाश यादव : यह विधेयक इस सरकार के चुनाव घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा था। 2009 के चुनाव के समय सरकार ने जो वादा किया था उसे 2013 में पूरा किया जा रहा है। इस विधेयक में कुछ खामियां हैं जिसकी तरफ मैं सरकार और सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस विधेयक का कार्यान्वयन जन वितरण प्रणाली के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है। लेकिन जन वितरण प्रणाली हर राज्य में समान रूप से प्रभावकारी नहीं है। विशेषकर उत्तरी भारत के राज्यों में जन वितरण प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे प्रगतिशील विधेयक को एक भ्रष्ट प्रणाली कैसे अच्छी तरह क्रियान्वित कर पाएगी। जन वितरण प्रणाली को मजबूत करना नितांत आवश्यक है ताकि इस विधेयक का लाभ समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंच सके। विधेयक की धारा 8 में खाद्य सुरक्षा भत्ता के अधिकार का उल्लेख है। लेकिन भत्ते की राशि और इसके मिलने की अवधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और इस भत्ते को मुद्रास्फीति से जोड़ देना चाहिए था। इस विधेयक को लागू करने की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर डाल दी गयी है। इस विधेयक में केंद्र सरकार के दायित्व बहुत सीमित रखे गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राज्यों के पास इतने वित्तीय संसाधन हैं कि वह इस विधेयक के अंतर्गत अपने दायित्वों का समुचित पालन कर सकें। खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 देश के करोड़ों निर्धनों की खाद्य सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी कदम है और इसकी कुछ खामियों को दूर कर दिया जाए और इसका प्रभावकारी अनुपालन सुनिश्चित कर दिया जाए तो देश से भुखमरी और कुपोषण मिटाने में काफी सहायता मिलेगी।

श्री प्रहलाद जोशी : सरकार कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को किस प्रकार चिन्हित करेगी? विधेयक में पात्र लाभार्थियों को स्पष्ट नहीं किया गया है। राज्य द्वारा संचालित तन्त्र के माध्यम से किए जाने वाले खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार व्याप्त है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उचित दर दुकान की बजाए गैर कानूनी तौर पर बाजार में बेच दिया जाता है। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान की सिफारिश के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 2500 कैलरी की आवश्यकता होती है परन्तु आपकी प्रस्तावित योजना में एक व्यक्ति को प्रतिदिन 165 ग्रा॰ खाद्यान्न दिया जाएगा। इस गणना के अनुसार एक व्यक्ति को 21 कि॰ ग्रा॰ खाद्यान्न दिया जाना चाहिए जबकि केन्द्र द्वारा 7 कि॰ग्रा॰ खाद्यान्न दिए जाने की योजना है। वर्तमान में बी॰पी॰एल॰ परिवारों को 35 कि॰ ग्रा॰ खाद्यान्न दिया जा रहा है जबकि उन्हें प्रस्तावित विधेयक में केवल 25 कि॰ ग्रा॰ खाद्यान्न दिया जाएगा। यदि राज्य अपने बजट में आवश्यक आवंटन नहीं करते अथवा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था नहीं करें तो इस विधेयक का कार्यान्वयन प्रभावित होगा। विधेयक में प्राथमिकता और सामान्य परिवारों की हकदारी हेतु न्यूनतम सीमा का औचित्य पूर्ण निर्धारण नहीं किया गया है। वर्ष 2009 में विशेषज्ञ समूह ने अनुमान लगाया कि बीपीएल सूची से 61 प्रतिशत पात्र जनसंख्या को निकाल दिया गया जबकि 25 प्रतिशत ऐसे परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया गया जो गरीब नहीं हैं। इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि शामिल करने और निकालने की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाएगा। इन हकदारी के संबंध में दो मुद्दे हैं—पहला कि विधेयक में प्राथमिकता और सामान्य समूह सूची में शामिल जनसंख्या हेतु न्यूनतम सीमा को निर्धारित करने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरा, प्राथमिकता समूह में 46 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 28 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को शामिल करने की न्यूनतम आवश्यकता से स्पष्ट है कि सरकार इन आंकड़ों में आसानी से संशोधन नहीं कर सकेगी।

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : मैं खाद्य विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। खाद्य सुरक्षा विधेयक 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को कवर करेगा और उन्हें रियायती दरों पर चावल, गेहूं और मोटे अनाज की समान हकदारी प्रदान करेगा। यह देश की 120 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 80 मिलियन जनसंख्या को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती खाद्यान्न की हकदारी उपलब्ध होगी। खाद्य सुरक्षा विधेयक के लागू होने से सरकार के खाद्य सुरक्षा बिल में 1,24,724 करोड़ की वृद्धि होगी। केन्द्रीय राजसहायता में वृद्धि होगी और इससे छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को लाभ होगा। यह विधेयक जो गरीबों और खाद्यान्न वंचित जनसंख्या को खाद्यान्न विधिक गारंटी प्रदान करता है। पी॰डी॰एस॰ को सुदृढ़ करने, लक्षित जनसंख्या को चिन्हित करने, बेहतर भण्डारण व्यवस्था तैयार करने और सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। शासन सुधार के अतिरिक्त क्षमता निर्माण और अवसंरचना निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक की सराहना करता हूं और सभा के सभी वर्गों से इसके समर्थन की मांग करता हूं।

कुमारी सरोज पाण्डेय : हम इस विधेयक का समर्थन कुछ संशोधनों के साथ करना चाहते हैं। आजादी के इतने लम्बे समय के बाद हम इस विषय को लेकर इस सदन में खड़े हैं। 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने संयुक्त सत्र को सम्बोधित किया था और कहा था कि खाद्य सुरक्षा विधेयक लाया जाएगा। आखिर इतने लम्बे समय तक यह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक क्यों नहीं ला पाई। इसलिए हमें आपकी मंशा पर सन्देह है और यह बात स्पष्ट है कि आप केवल श्रेय की राजनीति करना चाहते हैं और आप श्रेय

की राजनीति के तहत ही इस बिल को लाये हैं। मैं छत्तीसगढ़ के विषय में कहना चाहती हूं कि यह वह राज्य हैं जहां हमने ईमानदारी के साथ शुरुआत की और सन् 2007 में हमारे यहां के मुख्यमंत्री डा॰ रमन सिंह ने सन् 2007 में छत्तीसगढ़ में पी॰डी॰एस॰ मॉडल को लागू किया। छत्तीसगढ़ का पी॰डी॰एस॰ मॉडल देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। 14.9.2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के पी॰डी॰एस॰ मॉडल को लागू किया जाना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ का पी॰डी॰एस॰ मॉडल है उसे ऐज इट इज क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य को जितने खाद्यान्न की आवश्यकता थी उतना खाद्यान्न केन्द्र की ओर से नहीं मिला। आज सदन में किसानों की भी बात हुई। खाद्यान्न कहां से आएगा? हम किन दीर्घकालिक योजनाओं के तहत खाद्यान्न की व्यवस्था करेंगे? हमारे ऊपर कितना भार पड़ेगा? इस विषय पर भी कहीं कोई बात नहीं कही गई है। अनाज के भण्डारण और वितरण प्रणाली की क्या व्यवस्था होगी? अंत्योदय में हम पैंतीस किलो खाद्यान्न के साथ में बिना पैसे का नमक दो किलो, दो किलो चना, दो किलो दाल की व्यवस्था भी दे रहे हैं। जो प्रस्तावित विधेयक लाया गया है उसमें चावल तीन रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और मोटा अनाज है। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जिस बिल को आप यहां पर लाए हैं उस बिल में चावल, गेहूं और इस मोटे अनाज से आप कुपोषण की समस्या से कैसे मुक्ति पाएंगे? हम छत्तीसगढ़ में ए॰पी॰एल॰ को भी पन्द्रह किलो खाद्यान्न दे रहे हैं और इस बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अंत्योदय प्राथमिकता परिवार में और सामान्य परिवारों के चिन्हांकन के लिए यह बी॰पी॰एल॰ है और इससे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े श्रेणी समूहों का स्पष्ट वर्गीकरण किया गया है। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि जिन विषयों को जिस मंशा के साथ यह सरकार लेकर आयी है यह मंशा स्पष्ट नहीं है और उस मंशा में खोट है। यदि छत्तीसगढ़ के पी॰डी॰एस॰ मॉडल को ऐज इट इज लागू किया जाता है तो इससे देश का भला होगा।

श्री घनश्याम अनुरागी : खाद्य सुरक्षा बिल सरकार द्वारा देर से उठाया गया उचित कदम है। सभी दलों को इस बिल को पास कराने का कार्य करना चाहिए। तीन वर्ष में छह लाख करोड़ की सब्सिडी का पैसा सरकार कहां से ला रही है। गांवों की 75 फीसदी और शहरों की 50 फीसदी आबादी के आंकड़े सरकार ने किस आधार पर इकट्ठा किए हैं। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक परिवार को अनाज उस परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार मुहैया कराया जाए। यह योजना केवल तीन वर्ष के लिए लागू करने के पीछे क्या तर्क है। राज्य सरकारों को आवश्यक धन और अन्न मुहैया कराया जाना दुष्कर लगता है। इस योजना को एक साथ पूरे देश में लागू किए जाने में क्या कठिनाई है? इस स्कीम को आधार स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा। लेकिन आधार कार्ड पूरी तरह से नहीं दिए जा सके हैं। इस योजना को हड़बड़ी में लागू नहीं किया जाना चाहिए। गरीबों के लिए वितरण किया जाने वाला अनाज कालाबाजारियों द्वारा बाजार में न बेचा जाए, ऐसे प्रावधानों की भी आवश्यकता है। इस बिल के दूरगामी परिणामों पर भी सरकार को अवश्य ही विचार करना चाहिए। हमें अन्नदाता किसान की भी चिंता करनी होगी।

श्री प्रेमदास : खाद्य सुरक्षा विधेयक में कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसमें बीपीएल परिवारों की चयन प्रक्रिया की पुनर्समीक्षा की जाए और रोजगार का प्रबंध किया जाए। किसानों के उपज का वाजिब मूल्य दिया जाए। कानून में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाए। अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए। वितरण प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। परिवारों की संख्या स्पष्ट होनी चाहिए। ब्लॉक स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए जो वितरण की हर महीने समीक्षा करे और अनियमितता पाए जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करे।

श्री नवीन जिन्दल : मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 का पुरजोर समर्थन करता हूं। हर व्यक्ति की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं—रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे देश में पर्याप्त अनाज का उत्पादन होता है। परंतु हमारे देश में आज भी भुखमरी व कुपोषण की समस्या मौजूद है। संविधान का 21वां अनुच्छेद हमारे देश के नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। मैंने इस संबंध में एक गैर-सरकारी प्रस्ताव लोक सभा में प्रस्तुत किया था और माननीय सभा के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। खाद्य सुरक्षा विधेयक स्थायी समिति को रेफर किया गया और मेरे कई महत्वपूर्ण सुझाव जैसे पीडीएस में रिफार्म्स, विशेष वर्गों की इनटाइटलमेंट योजना की इंपेक्ट असेसमेंट की आवश्यकता आदि को रिपोर्ट में शामिल किया गया। विधेयक के अन्तर्गत गर्भवती स्त्रियों, बच्चों तथा आपदा प्रभावित लोगों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में भोजन का कानूनी अधिकार होगा। इस विधेयक के लागू होने से देश की ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक लगभग 82 करोड़ लोगों को रियायती दर पर अनाज मिलेगा। प्रायरिटी हाउसहोल्ड्स को 5 किलो अनाज प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह मिलने का प्रावधान है। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् 6 महीने के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इस विधेयक के अंतर्गत 6 माह से 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा और 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को मिड-डे-मील द्वारा आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इस विधेयक के अंतर्गत यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से अनाज का आवंटन करे। विधेयक की धारा 8 के अनुसार यदि किसी लाभार्थी को अनाज की निर्धारित मात्रा नहीं दी जा सकी तो उन व्यक्तियों को अनाज के बदले में सरकार द्वारा फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा। घर की सबसे बड़ी महिला जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होगी उसे ही गृहस्थ का मुखिया माना जाएगा। गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले 6 हजार रुपये के मैटरनिटी बेनिफिट को 6 समान किस्तों में दिया जाना चाहिए और इस लाभ को गर्भावस्था के तीसरे महीने बाद ही प्रारंभ करना चाहिए और यह मैटरनिटी बेनिफिट प्रसव के छह महीने पश्चात् तक भी दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू की जानी चाहिएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कंप्यूटराइजेशन, रिकार्ड्स की ट्रांसपेरेंसी, आधार कार्ड का प्रयोग किया जाना, कैश ट्रांसफर, फूड कूपन जैसी स्कीमें आरंभ की जानी चाहिए। भारत में भुखमरी की समस्या काफी जटिल है और इसे समझने और मिटाने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, कुछ एनजीओ तथा अन्य विशेषज्ञों के सहयोग की जरूरत है।

श्री विन्सेंट एच॰ पाला : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 लाने से सभ्यता के अर्थ को नया आयाम मिला है। खाद्य जो कि एक मूलभूत आवश्यकता है, उस दिन से सांविधिक अधिकार बन गया। गरीबी विकासशील और अल्पविकसित समाज का एक स्थायी मर्ज बन गया है जहां बहुत कम लोग अच्छा जीवन जीते हैं जबकि वे लोग जो निचले पायदान पर हैं, बहुत मुश्किल से गुजर-बसर करते हैं। इस धरती पर लगभग 800 मिलियन लोगों को भूखे रहना पड़ता है जिसमें से आधे हमारे देश में रहते हैं। गरीबी और कुपोषण का मुख्य कारण आय और खाद्य वितरण में असंतुलन राज्य द्वारा सीधे हस्तक्षेप करने की असमर्थता है। इसमें हस्तक्षेप के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू करने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में अब अंतिम अस्त्र लाया गया है। इस खाद्य सुरक्षा विधेयक में खण्ड 13 सबसे

महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार देश के प्रत्येक परिवार में परिवार की मुखिया महिला होगी। मैं चाहता हूं कि सरकार गरीबी और अल्प विकास पर बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभाव के अध्ययन के लिए तत्काल एक उदारीकरण संबंधी राष्ट्रीय समीक्षा आयोग का गठन करे। इस तरह की रिपोर्ट है कि भारत में 1990 से गरीबी बढ़ी है। इसकी सच्चाई जानने के लिए इस संबंध में अविलम्ब जांच किए जाने की आवश्यकता है। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि सरकार को गरीबी और अल्पविकास के लिए अलग से नया मंत्रालय बनाना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य, वस्त्र और खेती योग्य जमीन की न्यूनतम सुरक्षा देने वाला एक अन्य विधान लाया जाए। हमें गरीबी की परिभाषा तय करने संबंधी मुद्दे के समाधान के लिए अलग से एक सांविधिक आयोग गठित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गरीबी और अल्पविकास पर एक संसदीय स्थायी समिति बनायी जानी चाहिए।

योगी आदित्यनाथ : मुझे इस सरकार की नीयत पर संदेह है। यह विधेयक चुनावी हड़बड़ी में लाया गया है। प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज सड़ता है, हजारों टन भंडारण में रख-रखाव के अभाव में चूहे आदि खा जाते हैं। जिन लोगों के लिए यह कानून बनाया जा रहा है उनकी संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है। अभी तक आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है। अभी तक देश में बी॰पी॰एल॰ सूची नहीं बनी है। आखिर परिवारों को कैसे चिन्हित किया जाएगा? बिना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त किए, उनके कम्प्यूटरीकरण किए देश में खाद्य सुरक्षा की गारन्टी कैसे सफल कर पाएंगे? यह विधेयक किसान विरोधी है। खाद्य सुरक्षा तीन वर्ष तक ही देने से क्या तीन वर्ष में देश की गरीबी मिट जाएगी?

श्री जगदम्बिका पाल : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक दुनिया की दस प्रतिशत आबादी को कवर करने वाला विधेयक है। हम जीरो हंगर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें भूख से कोई मौत नहीं होगी। वर्ष 2009 के चुनाव मेनिफेस्टो में देश की जनता को भोजन की गारंटी देने का वायदा किया था। इस विधेयक में 2009 से 2013 तक का विलम्ब इस कारण हुआ क्योंकि खाद्य सुरक्षा बिल पर नेशनल एडवायजरी काउंसिल में डिस्कशन हुआ था। हमने उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद 22 दिसम्बर, 2011 को खाद्य सुरक्षा बिल इस सदन में प्रस्तुत किया। 5 जनवरी, 2012 को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा। स्टैंडिंग कमेटी से राज्यों को भेजा गया। 17 जनवरी, 2013 को विधेयक संसद में आया और 22 मार्च को सदन में प्रस्तुत किया गया। 5 जुलाई, 2013 को सरकार को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बिल की बात उठायी गई है। इसमें अंत्योदय हाउसहोल्ड की बात की है। हम छत्तीसगढ़ के जैसा बिल नहीं लाना चाहते हैं। हम सबको दो रुपया किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल देना चाहते हैं।

श्री निलेश नारायण राणे : मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। खाद्य अधिकार सुनिश्चित करके सरकार देश के लाखों खाद्य पदार्थों के मामले में असुरक्षित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ रही है। इस ऐतिहासिक विधान के माध्यम से सरकार सर्वोच्च न्यायालय, जिसने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पी यू सी एल) मामले में खाद्य अधिकार को लोगों का मूल अधिकार माना था, के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करने में समर्थ रही है।

खाद्य सुरक्षा विधेयक में 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या कवर होगी और उन्हें तीन रुपये, दो रुपये एवं एक रुपये प्रति कि॰ग्रा॰ की बेहद राजसहायता प्राप्त कीमतों पर क्रमश: चावल, गेहूं, मोटे अनाज सहित 5 कि॰ग्रा॰ खाद्यान्न प्रति माह का एक समान हक उन्हें देगा। समग्र रूप से

इससे भारत की 1.2 बिलीयन जनसंख्या में से लगभग 80 मिलियन लोग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न के हकदार हो जाएंगे। इस विधेयक का अध्याय 5 खंड 13 के माध्यम से निर्धारित करता है कि हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न की हक प्राप्त मात्रा की अनापूर्ति के मामले में खाद्य सुरक्षा भत्ते उन्हें दिए जाएंगे। फलस्वरूप सरकार का खाद्य राजसहायता बिल एक वर्ष में 1,24,724 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।

मैं जानता हूं कि यह काम आसान नहीं होगा। पी॰डी॰एस॰ को सशक्त करने, लक्षित जनसंख्या की पहचान करने, भंडारण की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाने के क्षेत्रों एवं सर्वोपरि रूप से सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए काफी कुछ किया जाना है। इस विधेयक को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को छह माह का समय दिया गया है। यह विधेयक अपने स्वयं के कार्यक्रमों को चलाने के राज्यों के अधिकार पर न तो दबाव डालता है और न ही उनसे उनका अधिकार छीनता है।

श्री रतन सिंह : खाद्य सुरक्षा विधेयक से गांवों की 75 प्रतिशत और शहरों की 50 प्रतिशत आबादी को सस्ता अनाज प्राप्त होगा। इस विधेयक से देश की कुल जनसंख्या के 67 प्रतिशत लगभग 1.2 अरब आबादी को प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह पांच किलो अनाज रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस कानून को लागू करने में लगभग रुपये 2 लाख 40 हजार करोड़ की जरूरत होगी। पात्र व्यक्ति इन अधिकारों की अवहेलना होने पर न्यायालय की शरण ले सकता है। इस विधेयक के द्वारा देश की गर्भवती स्त्रियों तथा बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता दिए जाने का प्रावधान है। 6 मास से 6 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी से एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूलों के माध्यम से पोषाहार प्राप्त करेंगे। अगर किसी वजह से सरकार खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असमर्थ रहेगी तो उस दशा में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। इस विधेयक से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि परिवार के मुखिया के रूप में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस विधेयक में इस कानून का पालन करने एवं क्रियान्वयन करते समय जो शिकायतें आएंगी, उनका निवारण करने हेतु एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र और प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण अधिकारी होगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि इस कानून का पालन करवाने एवं निगरानी करने के लिए प्रत्येक जिले में राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग होगा एवं आयोग के सदस्यों की संख्या और उनके कार्यों का वर्णन इस विधेयक में है। साथ ही खाद्य सुरक्षा के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी।

***श्री बलीराम जाधव :** विपक्षी दल राजनीतिक लाभ के लिए प्रत्येक विधेयक का विरोध कर रहा है और इस विधेयक को किसी भी कीमत पर पारित नहीं होने देगा। खाद्य सुरक्षा विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा विधेयक विश्व की सबसे बड़ी योजना होगी जिससे 82 करोड़ लोगों को लाभ होगा। हमारे देश के विकास में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी तथा एक वैकल्पिक खाद्य कल्याण योजना होगी। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के पास भारी संख्या में गोदाम हैं और खाद्य उत्पादन की क्षमता और पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी हैं। हम खाद्यान्नों पर 90,000 करोड़ रुपए की राज सहायता दे रहे हैं। इस पर 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आसानी से किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा विधेयक 67 प्रतिशत आबादी को लाभान्वित करेगा जिसमें प्रत्येक गृहस्थी को 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा। इसमें गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन तथा 6,000 रुपए दिया जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाएगा। राज्य और संघ राज्य-क्षेत्रों को केन्द्र से विशेष निधियां प्राप्त होंगी। खाद्य सुरक्षा विधेयक के लिए राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। यदि लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है तो उन्हें भत्ता दिया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किए जाने का प्रयास किया गया है। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा।

श्री चार्ल्स डिएस : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 निश्चित तौर पर एक बहुत युगान्तकारी विधान है जो देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या को भोजन सुनिश्चित करता है। 'खाद्य सुरक्षा भत्ते' का प्रावधान भी ऐसी सुविधा है जिसे राज्यों में विद्यमान स्थिति पर विचार करके लायी गयी है। यह विधेयक गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। यह बड़े होते बच्चों को आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषक खाद्य मिलना सुनिश्चित कराने के लिए ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक में महिलाओं की स्थिति का भी ध्यान रखा गया है तथा इसमें परिवार की सबसे उम्रदराज महिला को परिवार की मुखिया बनाकर विधान के लाभों को सुनिश्चित किया गया है। मैं इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में गंभीरता से विचारणीय कुछेक बिंदुओं को बताना चाहता हूं। जब तक हम बिना बाधा और देर के इस योजना का सुचारू क्रियान्वयन नहीं सुनिश्चित करते हैं तब तक हमारा सुइच्छित सपना हकीकत में नहीं बदलेगा। इस योजना की सफलता बहुत मजबूत एवं दूरदर्शी रणनीतियों के साथ राज्य और केन्द्र सरकार के समेकित प्रयासों पर निर्भर करती है।

नकदी अंतरण और पी॰डी॰एस॰ के विकल्प के रूप में खाद्यान्न कूपन जारी करना वास्तव में स्वागत योग्य कदम है पर यह अधिकतम सावधानी से लागू किया जाने वाला मामला है। इस प्रमुख योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों में आवश्यक विधायी सुधार अपरिहार्य रूप से किए जाने चाहिए। इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि इसमें कुपोषण के मुद्दे तथा गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, वंचितों एवं गलियों में रह रहे परिवारों की दयनीय दशा का समाधान किया गया है। यह विधेयक विनिर्धारित करता है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें एवं स्थानीय प्राधिकारी अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्रगतिशील रूप से हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे। इनमें अन्य के साथ शामिल हैं—(क) सुरक्षित एवं पर्याप्त पेय जल तथा स्वच्छता (ख) स्वास्थ्य परिचर्या (ग) किशोरियों को पोषक, स्वास्थ्य और शैक्षिक सहायता (घ) वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों एवं एकल महिला के लिए पर्याप्त पेंशन तक पहुंच उपलब्ध कराना।

श्री मोहम्मद ई॰टी॰ बशीर : मैं इस विधेयक के लिए माननीय मंत्री श्री के॰वी॰ थॉमस और सरकार को खुले दिल से बधाई देता हूं। भूख सभी अपराधों की जननी है और सत्ता में बैठे लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वे गरीबी को मिटाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी भूखे पेट ना सोये। यह विधेयक भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक एवं बुद्धिमत्ता से तैयार किया गया है।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : मैं इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहती हूं कि इस बिल में केवल 50 प्रतिशत शहरी गरीब-अति गरीब को कवर करना क्या न्यायसंगत है? हम यह कैसे मान सकते हैं कि शेष

50 प्रतिशत गरीब नहीं हैं। सरकार द्वारा गरीबी के संबंध में अपनाए गए मापदंड में खामियां हैं। राज्यों के लिए अपनाए गए मापदंडों में भिन्नता भी एक बड़ी खामी है। शहर तथा गांवों के अधिक से अधिक लोगों को इस बिल के दायरे में रखना चाहिए था। सरकार को इस बिल के कार्यान्वयन से किसानों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को भी स्पष्ट करना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि सरकार किसानों के लिए इस बारे में क्या करने जा रही है क्योंकि पहले ही किसानों की स्थिति काफी खराब है। इस बिल में परित्यक्ता, विकलांगों, निर्धन किसानों, निर्धन बेरोजगारों, युवा बेरोजगारों के परिवार की मुखिया महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए था। मौजूदा वितरण प्रणाली में अनेक खामियां हैं और यदि इन्हें दूर नहीं किया जाता तो इससे भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इसके कार्यान्वयन के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाला इतना अधिक आर्थिक भार कहीं घातक साबित न हो जाए। इस विधेयक के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी। इसके लिए एफसीआई/सीडब्ल्यूसी की भंडारण क्षमताओं का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता होगी। इसमें मनरेगा की तर्ज पर एक विशेष श्रम कार्ड बनाकर उसके आधार पर ही अनाज और भत्ते का वितरण होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। पीडीएस सहायता प्रदान करने के मामले में भारत सरकार को राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश की यह धारणा है कि वर्तमान वितरण प्रणाली चालू रहनी चाहिए और डीजीआरओ राज्य के अधिकारियों द्वारा संचालित होनी चाहिए। इस बिल की अनेक त्रुटियों को सुधार कर संपूर्ण बिल का प्रारूप तैयार करके इसे पास कराया जाना चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में लाया हुआ आधा-अधूरा बिल लागू करना न्यायसंगत नहीं होगा।

***श्री प्रशांत कुमार मजूमदार :** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 देश के सभी लोगों के लिए नहीं वरन् केवल लक्ष्यित समूह के लिए है। यद्यपि इसमें खाद्य वितरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया गया है तथापि अन्य मुद्दों तथा खाद्य उत्पादन, खरीद, भण्डारण, इत्यादि का उल्लेख नहीं है। कृषि अब लाभकारी नहीं रह गया है। इस परिस्थिति में सरकार किसानों की सहायता किस प्रकार करेगी तथा यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य मिले? यदि किसानों को लाभ नहीं पहुंचेगा तो कृषि उपज और भी गिरेगी। परिणामस्वरूप, हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर खाद्य आपूर्ति के लिए निर्भर होना पड़ेगा। यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस प्रकार खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी होगी। यह कहा गया है कि राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भाण्डागार या गोदाम बनाने पड़ेंगे लेकिन इसके लिए निधि कहां से आएगी। इस विधेयक में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों, यथा बढ़ती बेरोजगारी, घटती मजदूरी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार आवश्यक है। पोषक खाद्य पदार्थों का भी विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। अतएव, दाल एवं खाद्य तेल को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। विधेयक के अनुसार, सरकार द्वारा आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराए जाने की दशा में लाभार्थियों को पैसे दिए जाने की बात कही गई है। इससे खाद्य आपूर्ति में कमी आएगी। दूसरी ओर गरीब लोग खाद्यान्नों के बदले दूसरी चीजें खरीदने में पैसा खर्च कर सकते हैं। इससे मुद्रास्फीति के चलते आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है। इसके लिए राज्य सरकारों तथा

*मूलत: बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पंचायतों को शामिल करके और ज्यादा शक्तियां देनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। अतएव, इस विधेयक में खामियों को दूर करने के लिए कई संशोधनों को शामिल करने की आवश्यकता है यदि हम वास्तव में सबों के लिए खाद्यान्न के सपने को साकार करना चाहते हैं।

डॉ॰ थोकचोम मैन्या : यह विधेयक यूपीए के कई अन्य काफी महत्वपूर्ण विधेयकों के बाद आया है, यह विधेयक गरीबों और हाशिए पर जीवन जी रहे लोगों को सशक्त बनाएगा। प्रत्येक बच्चे को अब एम॰ डी॰ एम॰ कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन मिलेगा। केडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक माता और 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषक भोजन मिलेगा। हम ग्रामीण और शहरी भारत दोनों के समावेशी विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की सही ढंग से निगरानी की जानी चाहिए।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : मुस्लिम अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत का कोटा दिया जाए क्योंकि मनरेगा में केवल 2 प्रतिशत मुस्लिमों के पास जॉब कार्ड हैं। धारा 4 के अंतर्गत महिलाओं को गर्भावस्था और उसके बाद के छः माह तक मुफ्त भोजन दिया जाए और रु॰ 6000 का मातृत्व लाभ दिया जाए। धारा 5 और 6 के अंतर्गत बच्चों को पोषण समर्थन अवश्य दिया जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त निधि दी जाए क्योंकि राज्य सरकारें पूर्णतः विफल रही हैं, विशेषकर मनरेगा के संदर्भ में। मेरे राज्य के संबंध में गरीबी अनुमान 9.20 प्रतिशत है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश में 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों का मानदण्ड लागू किया जाए। यदि यह किया जाता है तो आंध्र प्रदेश में लगभग 5.6 करोड़ लोग कवर हो जाएंगे।

डा॰ तरुण मंडल : इस विधेयक को बड़े धूमधाम और जोर-शोर से लाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक के पारित होने और कानून बन जाने के बाद इस देश में भूख, कुपोषण और भुखमरी का अंत हो जाएगा। यह खतरनाक रूप से भ्रामक है। यह खाद्य सुरक्षा के नाम पर मजाक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक सभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह एक चुनावी खेल है। यह कोई गर्व की बात या ऐतिहासिक कदम नहीं है। हमें स्वतंत्रता के 66 वर्षों बाद अपने लोगों को खैरात या दान के रूप में भरपेट भोजन देने के लिए ऐसा विधेयक लाना पड़ता है। तो यह शर्म की बात है।

श्री थोल तिरूमावलावन : मैं अपने देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की सद्भावना की सराहना करता हूं। परंतु प्रति व्यक्ति 5 कि॰ग्रा॰ खाद्यान्न प्रतिमाह खाद्य सुरक्षा नहीं देगा। मैं सरकार से इसे बढ़ाकर कम से कम 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने का अनुरोध करता हूं। लाभार्थियों की पहचान करना एक अलग मुद्दा है। मैं सरकार से इस मामले में वोट बैंक की राजनीति नहीं करने का अनुरोध करता हूं। लोकप्रिय योजनाएं लोगों की मदद नहीं करेंगी। इस विधेयक के खण्ड 4 में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में नकद भत्ता देने का प्रावधान है। मैं खाद्यान्न के बदले में नकद धन या कूपन देने का सख्त विरोध करता हूं। यह इस योजना के उद्देश्य को ही समाप्त कर देगा। तमिलनाडु में राज्य सरकार मुफ्त चावल देने की योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रही है। यह विधेयक उस योजना के लिए बाधक बन सकता है। अतः मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु के खाद्यान्न का कोटा कम नहीं करने का अनुरोध करता हूं। इस विधेयक के अध्याय 10 में धारा 31 में यह प्रावधान है कि खाद्यान्न की कम आपूर्ति के मामले में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को नकद धनराशि दे सकती है। यह स्वीकार्य नहीं है।

श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैं भारत सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि तमाम हिन्दुस्तान में जितने जनजाति लोग हैं, उन लोगों के लिए 'पर-हैड' 15 किलो होना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक भारत सरकार अन्न के उत्पादन तथा उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने तथा समस्त जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में ठोस नीतिगत निर्णय नहीं लेगी, तब तक देश की जनता के लिए सही मायने में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

श्री वीरेन्द्र कुमार : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक काफी देर से लाया गया है। इसमें अनेक विसंगतियां हैं और जब तक उनको दूर नहीं किया जाएगा तब तक गरीब को ठीक से लाभ मिलने की संभावना कम है, सिर्फ खाद्यान्न से पेट नहीं भरता। उसके साथ तेल-मसाला भी लगता है। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है। इसके बारे में विचार नहीं किया गया। इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि इससे किसान को लाभ होगा या नुकसान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल सभी बातों पर ठीक तरह से विचार कर लागू किया जाना चाहिए ताकि इसका लाभ गरीबों तक पहुंच सके।

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक यू॰पी॰ए॰ II सरकार के अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक है। इसके तहत देश की अनुमानतः 63.5 प्रतिशत आबादी को शामिल करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 81 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता होगी। इस कार्यक्रम के तहत अत्यधिक सस्ती दरों पर तीन रुपए प्रति किलो की दर पर चावल, 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गेहूँ और एक रुपया प्रति किलो की दर पर मोटा अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा तथा इसके तहत 75% ग्रामीण आबादी तथा 50% शहरी आबादी को शामिल किया जाएगा। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार निर्धनतम् परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत सस्ती दरों पर 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह प्राप्त होता रहेगा, गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिलाओं को कम से कम 6000 रुपए मातृत्व लाभ के रूप में प्राप्त होंगे तथा छह माह से चौदह वर्ष के बच्चों को घर ले जाने हेतु राशन अथवा पकापकाया, गर्म भोजन प्राप्त होगा। इस विधेयक के तहत 5 किलो अन्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह दिये जाने का आश्वासन दिया गया है जबकि निर्धनतम परिवारों को 35 किलो अन्न प्रति माह की प्राप्ति होती रहेगी। सरकार ने संसदीय स्थाई समिति द्वारा सुझाए गए 55-56 से अधिक संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। खाद्य सुरक्षा की लागत सन् 2013-14 की दरों के आधार पर 1,24,747 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सरकार को बेहतरीन और कार्यक्षम वितरण प्रणाली सुनिश्चित करनी होगी। वास्तविक रूप में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पूर्व सभी राज्यों के साथ गहन विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में सरकार ने अम्मा हस्तम योजना प्रारंभ की है। मैं सरकार से ऐसी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने का आग्रह करती हूँ।

श्रीमती जयाप्रदा : इन्सान की बुनियादी जरूरतों में कपड़े और मकान के साथ फूड की भी जरूरत है। दुनिया में हम लोग गरीबों के लिए इतनी सारी योजनाएं लेकर आये हैं लेकिन गरीब गरीब ही रहा है और अमीर अमीर ही रहा है। अगर हम लोग प्रजा प्रतिनिधि बनकर यहां बैठे हैं तो उनका री-प्रेजेण्टेशन करना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि अगर बाढ़ आ गई हो या प्राकृतिक हादसा हो गया हो और प्रिक्योरमेंट नहीं हुआ है तो किसान लोगों को किस तरह से हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। यह जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में खोट हो रही है, जो करप्शन हो रहा है, उसको आप किस तरह नियंत्रित करेंगे, यह सब भी सोचने की बात है।

श्री सी॰ राजेन्द्रन : आम तौर पर, केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही अध्यादेश लागू किया जाता है। यह विधेयक दावा करता है कि इसके माध्यम से सभी नागरिकों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी किन्तु दुर्भाग्यवश यह खाद्य असुरक्षा पैदा करेगा क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। उन्होंने गंभीर आशंकाएं उत्पन्न की हैं और यह तमिलनाडु जैसे राज्य के लिए खाद्य असुरक्षा का मुद्दा उत्पन्न करता है। तमिलनाडु अनेक दशकों से युनिवर्सल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करता आ रहा है। यह विधेयक लोगों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करेगा और शहरी जनसंख्या को प्रभावित करेगा, जबकि तमिलनाडु सरकार की युनिवर्सल पी॰डी॰एस॰ योजना में समस्त शहरी जनसंख्या शामिल है। इस दोषपूर्ण आबंटन के कारण तमिलनाडु को युनिवर्सल पी॰डी॰एस॰ योजना के अंतर्गत वितरित होने वाला वांछित कोटा प्राप्त नहीं होगा। यह विधेयक सब्सिडी बिल में भारी बढ़ोतरी करेगा और इसके फलस्वरूप करों में बढ़ोतरी होगी अथवा ऋण में भारी वृद्धि होगी अथवा पूंजी व्यय में कमी आएगी।

***श्री ओ॰ एस॰ मणियन :** जहां तक तमिलनाडु के लोगों का संबंध है इस विधेयक के अनेक उपबंध अव्यवहारिक तथा अवास्तविक हैं। तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु के लोगों की चिंताओं का उल्लेख किया है। परंतु तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर केन्द्र सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। अगर यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में पारित हो जाता है तो तमिलनाडु राज्य में बड़ा आर्थिक संकट तथा खाद्य संकट उत्पन्न हो जायेगा। देश में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावित किये बिना, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे सभी लोगों को खाद्यान्न मुहैया करवाने के लिये इस खाद्य सुरक्षा विधेयक की धारा 3(ट), 8, 10 और 23 में तद्नुसार संशोधन किया जाना चाहिए।

श्री कामेश्वर बैठा : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश सराहनीय जरूर है। इसमें देश के 70 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या के गरीब से गरीब व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों को सब्सिडी वाली दरों पर खाद्य दिये जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने खाद्य एवं पोषण की बात कही है। इनकी गोदाम की समुचित व्यवस्था नहीं है। सरकार सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा कालाबाजारी न हो। मेरा राज्य खनिज पदार्थों में धनी होते हुए भी यहां के 80 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, तब इस राज्य को मात्र सोलह लाख छियानवे हजार टन अनाज का आवंटन किया गया है, जो पर्याप्त नहीं है।

श्री अजय कुमार : एक महत्वपूर्ण विधेयक एक बुरा कानून साबित हो सकता है, यदि उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाए। अनेक रिपोर्टों ने दर्शाया है कि बीपीएल सूची में आने के पात्र 61% लोग उस सूची में शामिल ही नहीं हैं। यह बीपीएल लाभार्थियों की पहचान करने में मौजूद घोर भ्रष्टाचार के कारण है। अत: मेरा सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लाभार्थियों की सूची को केवल ग्राम सभा द्वारा ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में वार्डों के स्तर पर। लाभार्थियों की सूची की सूचना आनलाइन उपलब्ध होनी चाहिए। इस विधेयक ने वंचित और भूखे लोगों के लिए निशुल्क भोजन उलब्ध कराने की समयावधि को सीमित कर दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित न करें। मेरे झारखंड राज्य और समान वित्तीय स्थिति वाले अन्य राज्यों में इस विधेयक को कार्यान्वित करने के संसाधन नहीं हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गरीब राज्यों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान सहायता का स्पष्ट रूप से उल्लेख था। इस विधेयक में इस पहलू का कोई

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जिक्र नहीं है, अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रावधान को शामिल करे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मौजूद अतिव्यापक भ्रष्टाचार हम लोगों से छिपा नहीं है। इस विधेयक में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार का विचार इस मुद्दे को किस प्रकार सुलझाने का है। मेरे संसदीय क्षेत्र में लघु महिला स्वसहायता समूह द्वारा चलाई जा रही उचित दर की दुकानों का संचालन अत्यधिक सफल रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह आगामी तीन वर्षों में सभी उचित दर की दुकानों का महिला सहायता समूहों द्वारा संचालन सुनिश्चित करने पर विचार करे। यह महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम की प्रभावी रूप से निगरानी की जाए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करे और इन प्रत्येक निगरानी समितियों में अनिवार्य रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। सरकार किसानों पर इस कार्यक्रम के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने तथा तत्संबंधी ठोस उपचारात्मक उपाय सुझावों के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करे।

श्री सुरेश अंगड़ी : मैं निम्नलिखित संशोधनों के साथ खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन करता हूं कि यह छत्तीसगढ़ राज्य की जन वितरण प्रणाली का एक मॉडल होगा। यह विधेयक किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करेगा। चूंकि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन की गारंटी दी गई है, तो दूसरा विधेयक लाने की क्या आवश्यकता है? यह वर्ष 2014 में होने वाले आम चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। इस विधेयक से समाज का एक वर्ग पूर्णरूपेण लाभान्वित होगा परंतु समाज के सभी वर्गों के लोग लाभान्वित नहीं होंगे जबकि भारत के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।

श्री राकेश सचान : खाद्य सुरक्षा योजना के तहत देश की 125 करोड़ जनसंख्या में से 67 प्रतिशत गरीब जनता को भोजन उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है, परन्तु इस विधेयक को वर्ष 2009 से अब तक सरकार की ओर से न लाए जाने से सरकार की मानसिकता पर संदेह करता है। यह विधेयक हड़बड़ी में लाया गया है और इसकी नज़र वोट की राजनीति में ज्यादा और देश की दशा सुधारने में कम है। इसमें व्यापक विचार-विमर्श नहीं हुआ। राज्यों में जो आर्थिक बोझ पड़ेगा उनके मुख्यमंत्रियों से भी इसकी व्यापक चर्चा नहीं हुई है। मुझे डर है कि इस विधेयक का कार्यान्वयन गरीबों और गांवों तक करना काफी मुश्किल होगा, सरकारी वितरण की प्रणाली में घोर भ्रष्टाचार, बी॰पी॰एल॰ परिवारों की सूची में घनघोर गड़बड़ी है, जिससे मुझे विश्वास नहीं होता है कि यह बिल अपने उद्देश्यों पर खरा उतरेगा। इस बिल को यदि अंदर से देखा जाए तो अव्यवहारिक भी है। 7 कि॰ग्रा॰ एक परिवार के लिए रियायती मूल में खाद्यान्न एक महीने के लिए बहुत कम है। इस बिल में राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति ही ज्यादा दिखाई दे रही है और ग्रामीणों को भरपेट भोजन मुहैया कराना कठिन प्रतीत होता है। जब तक पी॰डी॰एस॰ में पारदर्शिता, ईमानदारी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं चाहूंगा कि किसानों को उपज के लाभकारी मूल्य में महंगाई के अनुसार प्रतिवर्ष वृद्धि हो। वितरण प्रणाली का सही प्रकार से सुधार हो जिससे योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए ताकि इस योजना का लाभ सभी गरीबों को मिल सके। देश में भंडार की व्यवस्था के लिए गोदामों का निर्माण तथा खाद्यान्नों को रखने के लिए बोरों की उचित व्यवस्था पहले से ही की जाए। यह विधेयक एक कल्याणकारी व्यवस्था है और इससे गरीब जनता को कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : देश के आम आदमी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में किसी की कोई असहमति हो ही नहीं सकती। इस बिल को लेकर जो भी आशंकाएं हैं वह क्रियान्वयन को लेकर हैं और ये आशंकाएं अकारण नहीं हैं। सरकार के द्वारा चुनावी वर्ष में जिस प्रकार से इस विधेयक को लाया गया है, जिस प्रकार से संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करते हुए इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया वह सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करता है। देश के किसानों ने अथक परिश्रम करके खाद्य के उत्पादन को बढ़ाया है परंतु इस विधेयक का किसान पर क्या दुष्परिणाम होगा इसका आकलन नहीं किया गया है। अन्न सुरक्षित नहीं होगा उसका वितरण ठीक नहीं होगा। एक ओर जहां किसान प्रभावित होगा वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता पर भी उसका परिणाम होगा। आज यूपीए की अध्यक्षाजी ने दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किए जाने की अपेक्षा व्यक्त की। इसके लिए सरकार को भी असहमतियों को समाविष्ट करना पड़ेगा, अच्छे प्रयोगों का सम्मान करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इस ऐतिहासिक विधेयक को इसी भावना के साथ पारित करने की सिद्धता सत्ता पक्ष दिखाएगा।

डॉ॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी : भारतीय संस्कृति और इतिहास के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भोजन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और चावल की उत्पत्ति हमारे राज्य में कोरापुट से होती है। भोजन के बिना कोई भी जिन्दा नहीं रह सकता। इस माननीय सभा का प्रत्येक संसद सदस्य यह जानकर हैरान होगा कि हमने अपनी पार्टी बीजू जनता दल के घोषणापत्र में अपनी भाषा में यह घोषणा की थी कि ''कोई भी भूख से नहीं मरेगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा।'' खाद्य वितरण प्रक्रिया में अपर्याप्त अवसंरचना और इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार तथा इसके अन्यत्र वितरण को देखते हुए लक्षित लाभार्थियों तक खाद्य वितरण प्रणाली की पहुंच की गुणवत्ता संदेहास्पद है।

श्री अब्दुल रहमान : भारत सरकार की बहु-प्रतीक्षित घोषणा ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013'' के रूप में साकार हुई है। इससे भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को अत्यधिक रिआयती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जायेगा। खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत लाभार्थियों का रिकार्ड रखने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण होना चाहिए। केन्द्र सरकार ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल करने के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों से प्राप्त सुझावों को इस विधेयक में शामिल करने में विफल रही है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में यह उजागर हुआ कि भारत की 22 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण से ग्रस्त है जबकि 3 वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत बच्चों का वजन बहुत कम है। वर्तमान भारतीय परिदृश्य में खाद्य सुरक्षा विधेयक भारतीय निम्नवर्ग के लिए एक वरदान है। खाद्य सुरक्षा विधेयक का कार्यान्वयन भारतीयों के लिए एक आशा की किरण है कि संभवत: ''भोजन का हक'' का उनका संघर्ष अब समाप्त होगा। इस विधेयक के आने से भारतीय अपने बहुसंख्यक आबादी को गुणवत्तापरक भोजन की गारंटी दे सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 निश्चित रूप से समय की मांग है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक देश में आम एवम् गरीब जनता के पोषाहार स्तर एवम् जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। अत्यधिक गरीबी एवम् भुखमरी का उन्मूलन करना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। सभी राज्यों की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रत्येक गरीब व्यक्ति को पर्याप्त भोजन कम खर्च पर उपलब्ध करवाए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा है कि वे घरेलू मांग को पूरा करने के

लिए राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन करके पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराएं। किसानों को अच्छे बीज, खाद्य सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे और ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न कर सकें।

प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा : इस महत्वपूर्ण विधान का कार्यान्वयन करते समय सदन के भिन्न वर्गों के माननीय सदस्यों के सभी सकारात्मक सुझावों पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बिल की कार्यान्वयन प्रक्रिया में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को मिलजुल कर काम करना होगा तभी यह विधान अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। इस बिल को स्थायी समिति के पास भेजा गया। उनके द्वारा की गई अनुशंसाएं सर्वसम्मत थीं और हमने वे सभी स्वीकार कर लीं। इस नए विधेयक में हम 67 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 82 करोड़ लोगों को शामिल कर रहे हैं। हमारा वित्तीय बोझ बढ़कर 1,30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और हमें 62 मिलियन टन अनाज की भी जरूरत है। कुछ सुझाव भी आए हैं। पहला कि क्या हम एक सार्वभौमिक प्रणाली अपना सकते हैं? हमने इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया है। हमने अपने उत्पादन और खरीद लक्ष्यों को देखा। हम देश में उत्पादित अनाज का 32 से 33 प्रतिशत अनाज खरीदते हैं। अत: हम उससे ऊपर की खरीद नहीं कर सकते। हमें संतोष होगा यदि हम सभी को अनाज उपलब्ध करवा पाएं पर क्या ये व्यवहारिक है? दुर्भाग्यवश, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर है। मैं यह स्वीकार करता हूं। उस समय राशन कार्ड की संख्या 22 करोड़ थी जो कि अब 16 करोड़ पहुंच गई है। यह बहुत सराहनीय उपलब्धि है जिसके लिए मैं राज्यों को बधाई देता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने एक और समस्या को उठाया है कि केन्द्रीय खरीद व्यवस्था में क्षतियां और कमियां हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि पांच वर्ष पहले खरीद के दौरान हमारी क्षति और हानि 2 प्रतिशत थी जो अब गिरकर 0.07 प्रतिशत रह गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि क्या हमारी भंडारण क्षमता पर्याप्त है। पांच वर्ष पहले हमारी भंडारण क्षमता 55 मिलियन टन थी जो अब बढ़कर 75 मिलियन टन हो गई है। वर्ष 2014-15 तक हमारी भंडारण क्षमता 85 मिलियन टन होगी। अन्य सुझाव है कि तमिलनाडु और केरल सहित 18 राज्यों को वह सब कुछ नहीं मिल रहा जो उन्हें टीपीडीएस प्रणाली के अंतर्गत मिल रहा है। सभी राज्यों की पिछले तीन वर्षों में कुल खरीद जो भी रही हो उसे पूर्ण संरक्षण मिलेगा। यदि हम पीडीएस प्रणाली प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक को देखें तो सभी राज्यों को उनकी बीपीएल और एएवाई मात्रा से अधिक मिल रहा है। जब हम एपीएल को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसका अर्थ है कि प्रत्येक राज्य को इसका लाभ मिलता है। हमारी अन्य असुरक्षा यह थी कि क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य सुरक्षित होगा और क्या हम किसानों को सुरक्षित रखेंगे। मैंने सदन में कुछ समय पहले यह उत्तर दिया था कि मंडी में जो भी अनाज आएगा वह एफसीआई द्वारा संभाल लिया जाएगा। इसी प्रकार हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी नहीं बंद करेंगे। नकद हस्तांतरण के संबंध में भी अन्य संशय प्रकट किया गया है। हम केवल अनाज खरीदने और वितरित करना चाहते हैं, नकद हस्तांतरण में हमारी कोई रुचि नहीं है। प्रत्येक राज्य का अपना एक मॉडल है किंतु हम उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते। हमने सभी राज्यों के भिन्न सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के निष्पादन का आकलन किया है। जब हम योजना का कार्यान्वयन करते हैं तो उसमें कमियां हो सकती हैं, रुकावटें हो सकती हैं और हम उनका हल ढूंढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस खाद्य सुरक्षा विधेयक की सफलता इस पर निर्भर करती है कि किस प्रकार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

उपाबंध-**VI**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

(26 अगस्त, 2013 को लोक सभा द्वारा पारित रूप में)

[लोक सभा द्वारा 26 अगस्त, 2013 को पारित रूप में]

2013 का विधेयक संख्यांक 109-सी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

3. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।
4. गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता।
5. बालकों को पोषणीय सहायता।
6. बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध।
7. हकदारियों के आपन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा भत्ता

8. कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

अध्याय 4

पात्र गृहस्थियों की पहचान

9. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।
10. राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।
11. पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन।

खंड

अध्याय 5

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

12. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।

अध्याय 6

महिला सशक्तिकरण

13. राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना।

अध्याय 7

शिकायत निवारण तंत्र

14. आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।
15. जिला शिकायत निवारण अधिकारी।
16. राज्य खाद्य आयोग।
17. राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द का वेतन और भत्ते।
18. राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना।
19. संयुक्त राज्य खाद्य आयोग।
20. जांच से संबंधित शक्तियां।
21. रिक्तियों, आदि के कारण राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

अध्याय 8

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

22. केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन किया जाना।
23. केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना।

अध्याय 9

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

24. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मॉनीटर किया जाना।

खंड

अध्याय 10

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

25. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।

26. स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं।

अध्याय 11

पारदर्शिता और जवाबदेही

27. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण।

28. सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना।

29. सतर्कता समितियों का गठन।

अध्याय 12

खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध

30. दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा।

31. खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर करने के उपाय।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

32. अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

33. शास्तियां।

34. न्यायनिर्णयन की शक्ति।

35. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति।

36. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

37. अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

38. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

39. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

40. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

खंड

41. स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के संक्रमणकालीन उपबंध।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

43. संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग।

44. अपरिहार्य घटना।

45. निरसन और व्यावृत्ति।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

अनुसूची 3

अनुसूची 4

SERVER3\E\3693RS\3693RS(6)(299-334)

[लोक सभा द्वारा 26 अगस्त, 2013 को पारित रूप में]

<u>2013 का विधेयक संख्यांक 109-सी</u>

[दि नेशनल फूड सिक्यूरिटी बिल, 2013 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, 5 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''आंगनवाड़ी'' से धारा 4, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन गठित बाल देखरेख और विकास केन्द्र अभिप्रेत है;

(2) ''केन्द्रीय पूल'' से खाद्यान्न का ऐसा स्टाक अभिप्रेत है जो —

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत संक्रियाओं के माध्यम से उपाप्त किया जाता है;

(ii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी स्कीमों, जिनके अन्तर्गत आपदा राहत भी है और ऐसी अन्य स्कीमों के अधीन आबंटनों के लिए रखा जाता है;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्कीमों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखा जाता है;

(3) ''पात्र गृहस्थी'' से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी और अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां अभिप्रेत हैं;

(4) ''उचित दर दुकान'' से ऐसी दुकान अभिप्रेत है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के 1955 का 10
अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है;

(5) ''खाद्यान्न'' से चावल, गेहूं या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, आदेश द्वारा, अवधारित किए जाएं;

(6) ''खाद्य सुरक्षा'' से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है;

(7) ''खाद्य सुरक्षा भत्ता'' से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;

(8) ''स्थानीय प्राधिकारी'' में पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में जहां पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, ग्राम परिषद् या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है अथवा कोई अन्य ऐसा

प्राधिकरण या निकाय सम्मिलित है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नगर सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है;

(9) ''भोजन'' से गरम पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ और परोसे जाने के पूर्व गरम किया गया भोजन या घर ले जाया जाने वाला ऐसा राशन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए;

(10) ''न्यूनतम समर्थन कीमत'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ऐसी सुनिश्चित कीमत अभिप्रेत है, जिस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न उपाप्त किया जाता है;

(11) ''अधिसूचना'' से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(12) ''अन्य कल्याणकारी स्कीमों'' से, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त, ऐसी सरकारी स्कीमें अभिप्रेत हैं, जिनके अधीन स्कीमों के भागरूप खाद्यान्न और भोजन प्रदाय किए जाते हैं;

(13) ''निःशक्त व्यक्ति'' से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,
1966 का 1 1995 की धारा 2 के खंड (न) में उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(14) ''पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी'' से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान की गई गृहस्थी अभिप्रेत है;

(15) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(16) ''राशन कार्ड'' से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(17) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय, किसी राज्य में का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(18) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(19) ''वरिष्ठ नागरिक'' से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; 2007 का 56

(20) ''सामाजिक संपरीक्षा'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मॉनीटर और उसका मूल्यांकन करती है;

(21) ''राज्य आयोग'' से धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;

(22) ''राज्य सरकार'' से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(23) ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है;

(24) ''सतर्कता समिति'' से इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है;

(25) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम से परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमश: उनके हैं। 1955 का 10

अध्याय 2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायता-प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।

3. (1) उन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों का, जिनकी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पहचान की गई है, प्रत्येक व्यक्ति, राज्य सरकार से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायता-प्राप्त कीमतों पर प्रति मास प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा:

परंतु अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां, उस सीमा तक, जो केंद्रीय सरकार उक्त स्कीम में प्रत्येक राज्य के लिए विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रति मास प्रति गृहस्थी पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न की हकदार होंगी:

परंतु यह और कि यदि अधिनियम के अधीन किसी राज्य को खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन सामान्य लक्ष्यित वितरण प्रणाली के अधीन पिछले तीन वर्षों के लिए अनुसूची 4 में यथानिर्दिष्ट खाद्यान्नों के औसत वार्षिक अपक्रय से कम है, तो उसको उन कीमतों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, संरक्षित किया जाएगा और राज्य को अनुसूची 4 में यथानिर्दिष्ट खाद्यान्नों का आबंटन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''अन्त्योदय अन्न योजना'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को उक्त नाम से आरंभ की गई और समय-समय पर यथा उपांतरित, स्कीम अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की सहायता-प्राप्त कीमतों पर हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और नगरीय जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित की जाएंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, खाद्यान्न की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार सहायता।

4. ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित की जाएं, प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होगी,—

(क) गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् के छह मास के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क

भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके; और

(ख) कम से कम छह हजार रुपए का ऐसी किस्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, प्रसूति फायदा:

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं या वे स्त्रियां, जिन्हें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे ही फायदे मिल रहे हैं, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट फायदों के लिए हकदार नहीं होंगी।

बालकों को पोषणीय सहायता।

5. (1) खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक की, उसकी पोषणीय आवश्यकताओं के लिए, निम्नलिखित हकदारियां होंगी,—

(क) छह मास से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु के समुचित नि:शुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके:

परंतु छह मास से कम आयु के बालकों के लिए, केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा;

(ख) कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में, इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर, प्रत्येक दिन नि:शुल्क एक बार दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी:

परंतु नगरीय क्षेत्रों में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भोजन पकाने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघरों की सुविधाओं का, जहां कहीं अपेक्षित हो, उपयोग किया जा सकेगा।

बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंध।

6. राज्य सरकार, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करेगी और उनको नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषाहार के मानकों को पूरा किया जा सके।

7. राज्य सरकारें, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत में हिस्सा बंटाने सहित ऐसी स्कीमों का, जिसके अंतर्गत धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियां आती हैं, ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

हकदारियों के आपन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा भत्ता

8. अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किए जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से संदाय किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

कतिपय मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

अध्याय 4

पात्र गृहस्थियों की पहचान

9. धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता का अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस जनगणना के अनुसार जनसंख्या प्राक्कलनों के आधार पर संगणित की जाएगी, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं।

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।

10. (1) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन व्यक्ति-संख्या के भीतर ही,—

राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियों की, उक्त स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पहचान करेगी;

(ख) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियों की ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पहचान करेगी:

परंतु राज्य सरकार, अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, किन्तु तीन सौ पैंसठ दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, इस उपधारा के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पात्र गृहस्थियों की पहचान कर सकेगी:

परंतु यह और कि राज्य सरकार, ऐसी गृहस्थियों की पहचान पूरी होने तक, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केंद्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आबंटन प्राप्त करती रहेगी।

(2) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर ही पात्र गृहस्थियों की सूची को उपधारा (1) के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अद्यतन करेगी।

पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन।

11. राज्य सरकार, पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में लगाएगी और उसे प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगी।

अध्याय 5

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार।

12. (1) केंद्रीय और राज्य सरकारें, इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार के कार्य का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।

(2) सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्य आएंगे:—

(क) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम-स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिदान;

(ख) सभी स्तरों पर संव्यवहारों के पारदर्शक अभिलेखन को सुनिश्चित करने और उनका अपयोजन रोकने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का, जिनके अंतर्गत विस्तृत कंप्यूटरीकरण भी है, उपयोजन;

(ग) इस अधिनियम के अधीन फायदों को समुचित लक्ष्यित करने के लिए हकदार फायदाग्राहियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ प्रामाणिक पहचान के लिए "आधार" का प्रयोग किया जाना;

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;

(ङ) उचित दर दुकानों की अनुज्ञप्तियां दिए जाने में और लोक संस्थाओं या लोक निकायों, जैसे पंचायतें, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं को और उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा किए जाने को अधिमानता;

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं का समयकालिक विविधित्व;

(छ) स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन;

(ज) लक्ष्यित फायदाग्राहियों के लिए ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी रीति से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना।

अध्याय 6

महिला सशक्तिकरण

राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों की गृहस्थी का मुखिया होना।

13. (1) प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वर्षिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी।

(2) जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है तो वहां गृहस्थी का वर्षिष्ठ पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डों के लिए, पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।

अध्याय 7

शिकायत निवारण तंत्र

आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।

14. प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइन्स, नोडल अधिकारियों का पदाभिहित किया जाना भी है या ऐसा अन्य तंत्र, स्थापित करेगी, जो विहित किया जाए।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी।

15. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए, अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अधिनियम के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए, एक अधिकारी, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा, नियुक्त या पदाभिहित करेगी।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(4) राज्य सरकार, जिला शिकायत निवारण अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का उपबंध करेगी, जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किए जाने और उससे संबंधित मामलों के संबंध में शिकायतों को सुनेगा और उनके निवारण के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(6) ऐसा कोई शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है और जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर फाइल की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

राज्य खाद्य आयोग।

16. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकेगी।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष;

(ख) पांच अन्य सदस्य; और

(ग) सदस्य-सचिव, जो राज्य सरकार का, उस सरकार में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा:

परंतु उसमें कम से कम दो महिलाएं होंगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हों:

परंतु यह और कि उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जाएगी,—

(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है;

(ख) जो सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

(ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड है।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए उनकी नियुक्ति की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(6) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों को अपने हाथ में लेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना;

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के उल्लंघनों की, स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर, जांच करना;

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना;

(घ) व्यष्टियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह देना;

(ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(च) वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएंगी।

(7) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(8) उपधारा (7) के अधीन कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति और उनके वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(9) राज्य सरकार, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकर है।

(10) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (9) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते।

17. राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव, सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्ययों का उपबंध करेगी।

राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना।

18. राज्य सरकार, यदि वह यह आवश्यक समझती है तो, अधिसूचना द्वारा, किसी कानूनी आयोग या निकाय को, धारा 16 में निर्दिष्ट राज्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित कर सकेगी।

संयुक्त राज्य खाद्य आयोग।

19. धारा 16 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, दो या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा।

जांच से संबंधित शक्तियां।

20. (1) राज्य आयोग को, धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (ख) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिवल न्यायालय की होती हैं, अर्थात:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) राज्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसे मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 4 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है। 1974 का 2

रिक्तियों, आदि के कारण राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अधिमान्य न होना।

21. राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय 8

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन किया जाना।

22. (1) केन्द्रीय सरकार, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए धारा 3 के अधीन हकदारियों के अनुसार और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) अपने स्वयं के अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न उपाप्त करेगी;

(ख) राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करेगी;

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्नों के परिवहन का उपबंध करेगी;

(घ) राज्य सरकार को ऐसे सन्नियमों और रीति के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यिक संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकान के व्यौहारियों को संदत्त अतिरिक्त धन (मार्जिन) मद्दे उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी; और

(ङ) विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना।

23. किसी राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की आपूर्ति की कमी की दशा में, केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्याय 2 के अधीन की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को किए गए कम प्रदाय की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 9

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मॉनीटर किया जाना।

24. (1) राज्य सरकार, अपने राज्य में लक्ष्यित फायदाग्राहियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों और अपनी स्वयं की स्कीमों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने और उन्हें मॉनीटर करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्तव्य होगा,—

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना; प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक अपने प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंतरा-राज्यिक आबंटनों का आयोजन करना; और

(ख) हकदार व्यक्तियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट परिदान या प्रदाय सुनिश्चित करना।

(3) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों की बाबत खाद्यान्न अपेक्षाओं के लिए, राज्य सरकार, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, खाद्यान्नों का परिदान लेने और पूर्वोक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार हकदार फायदों के वास्तविक परिदान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न करने की दशा में, राज्य सरकार धारा 8 में विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए,—

(क) राज्य, जिला और ब्लाक स्तरों पर ऐसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करेगी और उन्हें बनाए रखेगी, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हों:

(ख) अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिहित अभिकरणों की क्षमताओं को यथोचित रूप से सुदृढ़ करेगी;

1955 का 10

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन व्यवस्था स्थापित करेगी।

अध्याय 10

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।

25. (1) स्थानीय प्राधिकारी, अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व समनुदेशित कर सकेगी।

स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं।

26. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अधिसूचना द्वारा, उन्हें समनुदेशित किए जाएं।

अध्याय 11

पारदर्शिता और जवाबदेही

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण।

27. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को, ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सार्वजनिक प्रभुत्व क्षेत्र में रखा जाएगा और जनता के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना।

28. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

सतर्कता समितियों का गठन।

29. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान के स्तरों पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यथाविनिर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी जो स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या नि:शक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व देते हुए, राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

1955 का 10

(2) सतर्कता समितियां, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के बारे में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में सूचित करना; और

(ग) उसके द्वारा पाए गए किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के बारे में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचित करना।

अध्याय 12

खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध

दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा।

30. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, इस अधिनियम के उपबंधों और विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय कमजोर समूहों की, विशेष रूप से, उनकी जो दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगी।

खाद्य तथा पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन के उपाय।

31. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

32. (1) इस अधिनियम के उपबंध, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से प्रवारित नहीं करेंगे।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अपने स्वयं के स्रोतों से, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का उपबंध करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमें जारी रख सकेगी या विरचित कर सकेगी।

शास्तियां।

33. ऐसा कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाएगा, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा:

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

न्यायनिर्णयन की शक्ति।

34. (1) राज्य आयोग, धारा 33 के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबंधित किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, कोई जांच करते समय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो वह धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसी अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

36. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

37. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 का

संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

38. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर, राज्य सरकारों को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का पालन करेंगी।

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

39. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राज्य सरकार से परामर्श करके और अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के खंड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करवाने वाली माताओं को प्रसूति फायदा उपलब्ध करवाने संबंधी स्कीम, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ख) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारी संबंधी स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 7 के अधीन खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ग) धारा 8 के अधीन हकदार व्यष्टियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय की रकम, उसका समय और रीति;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन लक्ष्यित फायदाग्राहियों को ऐसे क्षेत्रों में और रीति से उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अन्तरण, खाद्य कूपनों की स्कीमों या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन व्यय को पूरा करने में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के सन्नियम और रीति;

(च) वह रीति, जिसमें धारा 23 के अधीन खाद्यान्नों के कम प्रदाय की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

40. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ख) धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;

(ग) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां;

(घ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्तें;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई तथा अपीलें फाइल किए जाने की रीति और समय-सीमा;

(च) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, आयोग की बैठकों की प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियां;

(छ) धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ज) वह रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखे जाएंगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे;

(झ) वह रीति, जिसमें धारा 28 के अधीन उचित दर दुकानों, लक्ष्यित लोक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण की सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी;

(ञ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सतर्कता समितियों की संरचना;

(ट) धारा 43 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्कीमें या कार्यक्रम;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और मार्गदर्शक सिद्धान्त, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल, के जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमण कालीन उपबंध।

41. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां तब तक प्रवृत्त और प्रवर्तन में बनी रहेंगी जब तक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां विनिर्दिष्ट या अधिसूचित हैं:

परंतु उक्त स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेशों और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र के अधीन या सतर्कता समितियों द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्नुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग।

43. धारा 15 और 16 के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केंद्रीय सरकार की या राज्य सरकारों की ऐसी अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, जैसे राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, किया जा सकेगा।

अपरिहार्य घटना।

44. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के लिए, युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय, जिससे इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है, दायी होगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग के परामर्श से, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय को प्रभावित करने वाली ऐसी कोई परिस्थिति उद्भूत या विद्यमान है अथवा नहीं।

2013 का अध्यादेश सं॰ 7

निरसन और व्यावृत्ति।

45. (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन,—

(क) की गई किसी बात, की गई किसी कार्रवाई या पात्र गृहस्थियों की की गई पहचान; या

(ख) अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों या जारी किए गए निदेशों; या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में आरंभ की गई, संचालित या जारी किसी अन्वेषण, जांच या किसी अन्य विधिक कार्यवाही; या

(ङ) किसी अपराध के संबंध में अधिरोपित किसी शास्ति,

के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, अर्जित की गई, प्रोद्भूत हुई, विरचित की गई, जारी की गई, आरंभ की गई, संचालित की गई, जारी रखी गई या अधिरोपित की गई है।

अनुसूची 1

[धारा 3(1), धारा 22(1), (3), और धारा 24(2), (3) देखिए]

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायता-प्राप्त कीमतें

पात्र गृहस्थियां धारा 3 के अधीन सहायता-प्राप्त कीमत पर, जो चावल के लिए 3 रुपए प्रति किग्रा॰, गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किग्रा॰ और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए प्रति किग्रा॰ से अधिक की नहीं होगी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् ऐसी कीमत पर खाद्यान्न लेने की हकदार होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर नियत की जाए और जो, यथास्थिति,—

(i) गेहूं और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत; और

(ii) चावल के लिए व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन कीमत,

से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची 2

[धारा 4(क), धारा 5(1) और धारा 6 देखिए]

पोषण मानक

पोषण मानक: छह मास से तीन वर्ष के आयु समूह, तीन से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों और गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण मानक ''घर ले जाया जाने वाला राशन'' उपलब्ध कराके या एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराके पूरे किए जाने अपेक्षित हैं और अपराह्न भोजन स्कीम के अधीन निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषण मानक निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्यांक	प्रवर्ग	भोजन का प्रकार	कैलोरी (कि॰ कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा॰)
1.	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाया जाने वाला राशन	500	12–15
2.	बालक (3 से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12–15
3.	बालक (6 मास से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	घर ले जाया जाने वाला राशन	800	20–25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20
6.	गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाया जाने वाला राशन	600	18–20

अनुसूची 3

(धारा 31 देखिए)

खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध

(1) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण—

(क) छोटे और सीमांत कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के उपायों के माध्यम से कृषि सुधार करना;

(ख) कृषि, जिसके अन्तर्गत अनुसंधान और विकास, विस्तार सेवाएं, सूक्ष्म और लघु सिंचाई और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति भी है, विनिधान में वृद्धि करना;

(ग) लाभकारी कीमतों, निवेशों तक पहुंच, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा, आदि के रूप में कृषकों के जीवन निर्वाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अनपेक्षित उपयोजन का प्रतिषेध करना।

(2) उपापन, भंडारण और लाने-ले-जाने से संबंधित मध्यक्षेप—

(क) विकेन्द्रीकृत उपापन को, जिसके अन्तर्गत मोटे अनाजों का उपापन भी है, प्रोत्साहित करना;

(ख) उपापन संक्रियाओं का भौगोलिक विशाखन;

(ग) पर्याप्त विकेंद्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण का संवर्द्धन; और

(घ) खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से उपयोग वाले क्षेत्रों को खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सुकर बनाने के लिए रेल की लाइन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है।

(3) अन्य: निम्नलिखित तक पहुंच—

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल और स्वच्छता;

(ख) स्वास्थ्य देखभाल;

(ग) किशोर बालिकाओं का पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता; और

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं को पर्याप्त पेंशन।

अनुसूची 4

[धारा 3(1) देखिए]

खाद्यान्नों का राज्यवार आबंटन

क्रम सं॰	राज्य का नाम	मात्रा (लाख टनों में)
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	32.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.89
3.	असम	16.95
4.	बिहार	55.27
5.	छत्तीसगढ़	12.91
6.	दिल्ली	5.73
7.	गोवा	0.59
8.	गुजरात	23.95
9.	हरियाणा	7.95
10.	हिमाचल प्रदेश	5.08
11.	जम्मू कश्मीर	7.51
12.	झारखंड	16.96
13.	कर्नाटक	25.56
14.	केरल	14.25
15.	मध्य प्रदेश	34.68
16.	महाराष्ट्र	45.02
17.	मणिपुर	1.51
18.	मेघालय	1.76
19.	मिजोरम	0.66
20.	नागालैंड	1.38
21.	ओडिशा	21.09
22.	पंजाब	8.70
23.	राजस्थान	27.92
24.	सिक्किम	0.44
25.	तमिलनाडु	36.78
26.	त्रिपुरा	2.71

(1)	(2)	(3)
27.	उत्तर प्रदेश	96.15
28.	उत्तराखंड	5.03
29.	पश्चिमी बंगाल	38.49
30.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.16
31.	चंडीगढ़	0.31
32.	दादरा और नागर हवेली	0.15
33.	दमन और दीव	0.07
34.	लक्षद्वीप	0.05
35.	पुडुचेरी	0.50
	कुल	**549.26**

उपाबंध–**VII**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 पर हुए वाद–विवाद का सारांश

(राज्य सभा में चर्चा की तिथि–2 सितम्बर, 2013)

वाद–विवाद का सारांश

I. परिनियत संकल्प

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश (2013 का 7) का निरनुमोदन

II. सरकारी विधेयक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

2 सितम्बर, 2013

विपक्ष के नेता (श्री अरुण जेटली) ने संकल्प उपस्थित करते हुए कहा : राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून के संबंध में जो अध्यादेश आया, वह अध्यादेश के अधिकार का दुरुपयोग था। खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार मिले, मेरी पार्टी इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है, लेकिन जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया और इस कानून के अंदर जो लिखा है, उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्र बुलाने में समय हो और कोई ऐसा विषय आ गया हो जो सत्र के आने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। 30 दिनों में ऐसा क्या होने वाला था कि हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। अभी दिशा–निर्देश बनना है, फिर उन दिशा–निर्देश के एक वर्ष के अंदर जिन घरों को यह अनाज मिलेगा उसकी प्राथमिकता की सूची बनेगी। उसके बाद यह वितरण होगा। अध्यादेश जारी करने का सही उपयोग होता है कि 30 दिनों के अंदर कुछ–न–कुछ इसकी कार्यवाही आरम्भ हो। क्या दिशा–निर्देश जारी हो चुकी हैं? क्या राज्यों को यह लिख दिया गया है कि आप प्राथमिकता के आधार पर इन घरों की सूची बनाइए? संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। कम से कम 30 ऐसी जिम्मेदारियां और अधिकार हैं, जो प्राय: राज्य सरकारों के हैं। अगर केन्द्र सरकार किसी राज्य में घुसकर इस का सीधा वितरण करना चाहे, तो भी वह संभव नहीं है। अब राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के अलग–अलग सुझाव दे रहे हैं। राज्य विशेष की जो प्राथमिकता और आवश्यकता होनी है, वह इस कानून से अलग है। एक तर्क दिया जा रहा है कि जो मौजूदा योजनाएं हैं, उन योजनाओं में हकदारी है, अधिकार नहीं है, और इस के बाद एक अधिकार मिलेगा। मैंने इस विधेयक का अध्ययन किया और पाया कि बेहतर होता कि आप इस का नाम परिवर्तित कर देते। आपने मौजूदा योजनाओं को परिवर्तित करके एक नया रूप दे दिया।

चालू बजट में मौजूदा खाद्य योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है? यह अधिनियम मौजूदा योजनाओं का नवीन प्रस्तुतीकरण जैसा है। इस अधिनियम की भाषा बहुत लचीली है। इन मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत कितने लोग शामिल किए जाते हैं? मौजूदा योजनाओं में कितने लोगों को सस्ता अनाज मिल रहा है? आपने इसे गरीबों तक विस्तारित नहीं किया है, बल्कि आपने गरीबों की संख्या में ही कटौती कर दी है। कई ऐसे राज्य हैं जो मौजूदा योजनाओं के साथ बेहतर काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अनाज दे रहे हैं जबकि वे चना, आयोडाइज्ड नमक और चीनी भी दे रहे हैं। जो राज्य मौजूदा योजनाओं के साथ बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें चालू योजनाओं को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अध्यादेश जारी करने की बजाय संसद के सत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मैं इसे अध्यादेश जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग मानता हूं।

SERVER3\E\3693RS\3693RS(7)(335-356)

श्री एम॰ वेंकैया नायडु : भाजपा देश के सभी लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा के पक्ष में है। 67 वर्षों से, आपने आम आदमी और गरीब आदमी की पूर्णतया उपेक्षा की है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की कोई आवश्यकता है। अचानक, चुनावों से ठीक पहले, आपको लगा कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। सरकार खाद्य सुरक्षा के नाम पर वोट की सुरक्षा हासिल करने की कोशिश कर रही है। यह चुनावी हथकंडे के अलावा कुछ नहीं है। सरकार ने हर मोर्चे पर लोगों के साथ छल किया है। खाद्य सुरक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जब देश के किसानों में संतुष्टि हो। आप किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे? जब तक आप अधिक उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक आप आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। जनसंख्या बढ़ रही है, खपत का स्तर बढ़ रहा है परन्तु उत्पादन का स्तर खपत के स्तर के अनुरूप नहीं है। कृषि क्षेत्र गंभीर संकट में है। लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने संबंधी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करे। खाद्य सुरक्षा विधेयक तभी लागू किया जा सकता है, जब आप 350 मिलियन टन अधिक उत्पादन करें। सरकार ने इस विधेयक में किसान समुदाय को सुरक्षा और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा नहीं दी है। पिछले दशक में किसानों की संख्या 127.3 मिलियन से कम होकर 118.7 मिलियन रह गई है। बीजों के दाम बढ़ रहे हैं। खेती की लागत बढ़ रही है। सभी कृषि आदानों की लागत बढ़ रही है। धान के उत्पादन की प्रति क्विंटल लागत 1,355 रुपये है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,080 रुपये निर्धारित किया गया है। आप किसान से अधिक उत्पादन की आशा कैसे कर सकते हैं? सरकार बुनियादी स्तर पर स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रही है। हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन देते समय खाद्य उत्पादन के लिए भी कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। किसानों के लिए भी कुछ कल्याणकारी उपाय किए जाने चाहिए थे। सबसे पहले, इस सभा को, देश को कृषि के लिए संवहनीयता प्रदान करने के बारे में आश्वस्त कीजिए। किसान समुदाय में यह भय व्याप्त है कि कल, केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर, राज्य सरकारें चावल पर कर लगा सकती हैं और किसान इसे पहले सरकारी एजेंसी को बेचने पर मजबूर होंगे। उन्हें बाजार से लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। अधिप्राप्ति एक बड़ी चुनौती है। अवसंरचना कहां है? गोदाम कहां हैं? हम भंडारण सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं। चिंता का वास्तविक कारण यह है कि आप इस योजना का वित्त पोषण कैसे करेंगे? वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। आपका राजसहायता का बिल बढ़ रहा है। निवेश नहीं किया जा रहा है। घरेलू और वैश्विक निवेशक, दोनों सरकार में विश्वास खो चुके हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ यह चेतावनी दे रहे हैं कि यह विधेयक सरकारी वित्त के लिए तबाही ला सकता है। अगले कुछ वर्षों में, राजसहायता में बढ़ोतरी से कृषि क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित हो सकते हैं। आरबीआई के निवर्तमान गवर्नर ने कहा है कि रुपये की हमारी समस्या का एकमात्र हल चालू खाता घाटे को कम करना है। हमने देखा है कि तीन वर्षों से लगातार चालू खाता घाटा वहनीय स्तर से बहुत अधिक है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है और सरकार कीमतों को रोकने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में विफल रहती है, तो आम लोगों का क्या होगा?

तथ्य यह है कि देश में कुपोषण की समस्या है और पोषण के पहलु पर ध्यान दिए बिना, आप उन बच्चों पर किस प्रकार ध्यान देंगे? मेरा आपसे अनुरोध है कि देश की संघीय प्रणाली पर आघात मत कीजिए। राज्यों को उनकी अपनी योजनाएं बनाने दीजिए। यदि आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो उन राज्यों की उनकी कार्यक्रम में सहायता कीजिए। खाद्य विधेयक कोई अच्छा विधेयक नहीं होगा। यह

बहुत ही खर्चीला होगा। आप चुनावों की पूर्व संख्या पर बहुत-सी बातें कर रहे हैं। अंतिम समय में बिना किसी उचित आवंटन के लोगों को झुनझुना पकड़ाने और खोखले वायदे करने से कुछ हासिल नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य इसे बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र बुढानिया : मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 का समर्थन करता हूं। जीवन का अधिकार और समान अवसरों के अधिकार को हमारे संविधान में लोगों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। जब लोगों को भर पेट भोजन मिलेगा तब उन्हें जीवन का अधिकार मिलेगा। इस विधेयक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस विधेयक से देश के लगभग 78 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 2009 के घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने आश्वस्त किया था कि यदि हम आम चुनाव जीतेंगे तो हम खाद्य सुरक्षा विधेयक लाएंगे। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पहली बार दिसम्बर, 2011 में पुर:स्थापित किया गया था और उसके बाद, संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। उस समय इस विधेयक को पारित कराने के प्रयास किए गए थे परंतु यह पास नहीं हो सका था और संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गयी थी। बाद में, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

आज, हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं और कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं। यह विधेयक लोगों को भर पेट खाना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कानूनी अधिकार के रूप में लाया गया। यह विधेयक 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा। जहां किन्हीं कारणों के चलते खाद्यान्न उपलब्ध कराना संभव नहीं है वहां नकद भुगतान कराने का उपबंध भी है। इस विधेयक में महिला सशक्तिकरण को भी शामिल किया गया है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत, व्यस्क महिला को परिवार का मुखिया समझा जाएगा। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को भी इस विधेयक के अंतर्गत लाया गया है और उन्हें पोषण से भरपूर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कुपोषण देश की सबसे बड़ी समस्या है। तीन वर्ष तक की आयु के 55 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। वे किस प्रकार आगे बढ़ेंगे? इसलिए, कुपोषण का सामना करने के उद्देश्य से, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोषण से भरपूर भोजन उपलब्ध कराने का उपबंध है। मेरे कुछेक सहयोगियों ने विधेयक के कार्यान्वयन के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार है और इस वर्ष अच्छे मानसून के चलते, हमारे यहां कृषि उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इसलिए, अनाज की मांग आसानी से पूरी की जा सकती है और हम इसे उचित तरीके से लागू कर पाएंगे।

इस विधेयक से किसानों को नुकसान नहीं होगा क्योंकि इस में सिंचाई, अनुसंधान, विस्तार सेवाओं और कृषि विकास हेतु कुछ विशेष उपबंध हैं। किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाएगा। हमारे लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने जरूरी हैं और राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चोरी रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा। राज्यों

में आयोग के गठन का उपबंध भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों को सार्वजनिक करने और सामाजिक अंकेक्षण के उपबंध भी किए गए हैं। केन्द्रीय की 'संप्रग' सरकार ने खाद्य सुरक्षा को एक कानूनी अधिकार बनाने का ऐतिहासिक अधिकार निर्णय लिया है और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी इस खाद्य सुरक्षा को लागू करने की है। हमें इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए।

सुश्री मायावती : इस विधेयक में जिन अधिकांश सुविधाओं की बात की गयी है वे विभिन्न विभागों द्वारा गरीब लोगों को पहले से ही प्रदान की जा रही हैं और इसके लिए बजट में भी पहले से ही प्रावधान है। विधेयक में कुछ नई योजनाओं को जोड़कर सरकार यह आभास कराने का प्रयत्न कर रही है कि यह देश के गरीब लोगों पर भारी धनराशि खर्च करने जा रही है। इस विधेयक को इस समय क्यों लाया गया है? केन्द्र और राज्य सरकारों की अधिकांश नीतियां, पूंजीपतियों के हित में ज्यादा और गरीब के हित में कम रही हैं। समाज के सभी वर्ग गरीबी से बुरी तरह प्रभावित हैं लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग इससे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्हें अपने संवैधानिक कानूनी अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है।

प्रत्येक वर्ष इन लोगों की बड़ी संख्या भुखमरी और कुपोषण से असमय मर रही है। देश के कुछ राज्यों में कुछ गरीब लोग नक्सलवादी बनने या गलत राह पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के अंतर्गत सस्ती कीमतों पर गेहूं, चावल और मोटा अनाज प्रदान करने के लिए जो कीमतें निर्धारित की गयी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इन खाद्य सामग्रियों की कीमतें इससे आधी की जानी चाहिए अन्यथा वे अन्य लोगों की तुलना में पीछे रह जाएंगे। केन्द्र सरकार को इस दिशा में जल्दी ही ठोस कदम उठाने होंगे। स्वतंत्रता से लेकर अब तक गरीब और कमजोर वर्गों के लिए अनेक योजनाएं तैयार की गयी हैं लेकिन उन्हें इन योजनाओं का 50 प्रतिशत लाभ भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ देश में भारी मात्रा में अनाज सड़ जाता है और दूसरी ओर लोग भुखमरी से मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, केन्द्र सरकार को इन भूखे लोगों को यह अनाज बहुत ही कम कीमत पर या मुफ्त प्रदान करना चाहए।

केन्द्र सरकार यह विधेयक तब लायी है जब लोक सभा चुनाव होने जा रहे है। विधेयक में नमक, खाद्य तेल और दालों को भी शमिल किया जाना चाहिए। ग्रामीण गरीब लोगों के लिए खाद्य सामग्री का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए तथा अनाज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।

खाद्यान्न के भंडारण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए और इस योजना को लागू करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस योजना में पायी जाने वाली कमियों की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेष निगरानी और समीक्षा प्रकोष्ठ बनाये जाने की आवश्यकता है अन्यथा लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केन्द्र सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना का समूचा व्यय उठाना चाहिए चूंकि अधिकांश राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अन्यथा यह योजना राज्यों में सफल नहीं हो पाएगी। केन्द्र और राज्य सरकारों को उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

इस योजना को चलाने के लिए इस विधेयक में वित्तीय संसाधनों को स्पष्ट नहीं किया गया है। रुपये की कीमत दिन प्रतिदिन गिर रही है और यह हमारी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। यदि केन्द्र सरकार वास्तव में, इस योजना के माध्यम से देश के गरीब, कमजोर और पिछड़े वर्गों को पूरा लाभ देना चाहती है तो उसे इन सब बातों पर समय से विचार करना होगा। मैं अपने दल की ओर से इस आधे अधूरे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करती हूं।

श्री सीताराम येचुरी : पौष्टिक आहार, जन साधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य उपलब्ध कराना इस विधेयक के उद्देश्य हैं। विधेयक में यह कहा गया है कि 67 प्रतिशत जनसंख्या को यह अधिकार मिलेगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि विधेयक में संशोधन किया जाना चाहिए और यह अधिकार सबको दिया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज पर्याप्त नहीं है। इसे प्रति व्यक्ति कम से कम 7 किलो होना चाहिए। आप प्रत्येक परिवार को 35 किलो अनाज दीजिए। देश में धनराशि की कोई कमी नहीं है लेकिन इसका समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। अनेक राज्यों में गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज वितरित किया जाता है और अनेक राज्यों में इसे एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है। यदि आप इस विधेयक के माध्यम से 3 रुपये प्रति किलो का प्रतिबंध लगाते हैं तो इससे राज्यों के कार्यों में रुकावट आ जाएगी। अनाज की कीमत 2 रुपये प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

राजकोषीय घाटे के नाम पर आपने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। एक तरफ आप खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं और दूसरी तरफ कीमतों को बढ़ाकर गरीबों के अधिकार छीन रहे हैं। अमीरों को कर राहतें मत दीजिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे इन चार संशोधनों को स्वीकार करते हुए एक बेहतर विधेयक लाये।

श्री देरेक ओब्राईन : सिद्धांत रूप से हम ''सभी के लिए भोजन'' की संकल्पना से सहमत हैं। इस विधेयक का खंड 38 मुख्य रूप से यह उपबंध करता है कि वित्त से संबंधी सभी मामलों में केन्द्र राज्यों को निर्देश देगा और राज्यों को यह निर्देश मानने पड़ेंगे। यह संघीय ढांचे का मखौल है। धारा 23 के अनुसार, जब केन्द्र सरकार राज्यों को केन्द्रीय पूल से अनाज की आपूर्ति नहीं कर पाएगी तो राज्यों को अपने-आप अनाज खरीदना पड़ेगा । यहां प्रतिपूर्ति के संबंध में समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि यह प्रतिपूर्ति कम मूल्य पर की जाएगी। अत: राज्य को धन की हानि होगी। निवारण प्रणाली, राज्य खाद्य आयोग, भंडारण, परिवहन और वितरण से संबंधित बिन्दु के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि इनका कितना भार राज्यों को उठाना पड़ेगा।

कार्यान्यवन के मुद्दे पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बीपीएल के अंतर्गत 60 प्रतिशत घरों को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या इससे हमारी कुपोषण की समस्या का समाधान होगा? मैं सरकार से धारा 38 को हटाने का अनुरोध करता हूँ और यदि वह ऐसा करती है तो मैं इस विधेयक का समर्थन करूंगा।

श्री नरेश अग्रवाल : हम चाहते हैं कि सरकार इस विधेयक को पारित करने से पहले इसके पड़ने वाले प्रभावों और दूरगामी परिणामों के बारे में विचार करे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित

होगी। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि सभी योजनाओं का 85 प्रतिशत बिचौलिये खा जाते हैं। अत: हमारी चिंता है कि इस विधेयक के जरिए सस्ती दर पर उपलब्ध कराए गए खाद्यान्न की कालाबाजारी होगी और इसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार नहीं मिल पाएगा। किसानों की समस्त उपज को खरीदना सरकार का संवैधानिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमारी मुख्य चिंता यह है कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप हमारे देश के किसान मजदूर बन कर न रह जाएं।

यह योजना राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जानी है और आपने किसी भी मुख्य मंत्री से परामर्श नहीं किया है। इस योजना से राज्यों पर अतिरिक्त वित्त भार पड़ेगा। अत: आपको यह घोषणा करनी चाहिए कि यह भार केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के लिए आवश्यक एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये की शेष राशि हेतु कोई अनुपूरक बजट नहीं लाया गया है। आपका वित्तीय घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये योजनाएं इसमें और वृद्धि करेंगी। एफसीआई भ्रष्टाचार का पर्याय बन गयी है। इसने मिलों से चावल की खरीद करना कम कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप ये मिल बंद होने की कगार पर है। ऐसी स्थिति में, इस योजना के लिए आवश्यक चावल आप कहां से लाएंगे? जब एफसीआई न तो खाद्यान्न खरीद सकती है और न उसका भंडारण कर सकती तो यह आपको खाद्यान्न कैसे उपलब्ध कराएगी?

एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारत विश्वशक्ति बनने जा रहा है और दूसरी तरफ, आप यह दिखा रहे हैं कि इसकी अधिकांश जनसंख्या को दो समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। आप उन्हें मोटा अनाज, गेहूं और चावल उपलब्ध कराने जा रहे हैं लेकिन उन्हें दाल कौन उपलब्ध कराएगा? उन्हें संतुलित भोजन कौन उपलब्ध कराएगा? अभी तक प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज मिल रहा था पर इस योजना के लागू होने तक उसे केवल 25 किलोग्राम ही मिल पाएगा। बाकी 10 किलोग्राम अनाज के लिए उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह हमारे द्वारा दिए गए सभी संशोधनों पर विचार करे।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह : मैं अवधारणा, सिद्धांत और दर्शन के आधार पर इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु साथ ही इस विधेयक से संबंधी चिंताएं भी हैं। हमारा समाज दो वर्गों में विभक्त है। पहला वर्ग वह है जो सभी योजनाओं का लाभ उठा रहा है और दूसरा वर्ग है वंचित वर्ग। देश के आर्थिक चिंतन को बदलने की आवश्यकता है। यदि हमारी आर्थिक नीति समग्रतावादी विकास पर आधारित होती तो ऐसी योजना लाने की आवश्यकता ही महसूस न होती। क्या आप कृषि और वितरण के लिए रोड मैप तैयार करेंगे? इस तरह के रोड मैप के बिना यह योजना सफल नहीं हो पाएगी।

हमारी अन्य चिन्ताओं पर भी ध्यान दिया गया है। विधेयक में राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे मानकों के आधार पर विशिष्ट सीमा के अंदर लाभार्थियों की पहचान कर सकें। केन्द्र सरकार राज्यों को सहायता देने पर सहमत हो गई है। हमारी सर्वप्रथम चिन्ता खाद्य आयोगों की संरचना के बारे में है। मैं मांग करता हूं कि यदि केन्द्र सरकार को इस परियोजना को पूरा करना है तो उसे इसकी लागत को भी वहन करना चाहिए। प्रत्येक घर तक आपूर्ति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी सुधार विधेयक का एक महत्वपूर्ण घटक है। संपूर्ण और संतुलित आहार के लिए विविध खाद्यान्न की व्यवस्था होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने में होने

वाले व्यय का गहन अध्ययन करना चाहिए और राज्यों के हिस्से में आने वाले व्यय का वहन केन्द्र सरकार को करना चाहिए। विधेयक में अच्छी बातों के अलावा कई चिंताजनक बातें भी हैं। जो बड़े पैमाने पर गरीब हैं उनकी क्रयशक्ति बढ़ती रहे, यही सरकार के लिए और इस देश के लिए चुनौती है।

श्रीमती वंदना चव्हाण : हमें इस तथ्य पर गर्व है कि हमें प्रगतिशील देश कहा जाता है और वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण देश के रूप में विचार किया जाता है। पर दूसरी ओर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को आधारभूत जीवन आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अत: इस विधेयक को पारित करने में एक विशेष भावना है, संतोष और पूर्णता की गहरी अनुभूति है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य है कि लाभ समाज के गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचे और मैं महसूस करती हूं कि यह विधेयक पारित करके हम वास्तव में यह कर रहे हैं।

एक बार यह विधेयक कानून बन जाता है तो खाद्य सुरक्षा एक कल्याणकारी उपाय नहीं, अपितु भारत के लगभग दो-तिहाई नागरिकों का अधिकार होगा। भारत ने वर्ष 2012-13 में लगभग 2.32 लाख रुपए के कृषि उत्पाद का निर्यात किया है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए किसान वास्तव में अन्नदाता है। उसकी चिन्ताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस विधेयक को लाने में हमारे किसानों और दूरदर्शी नेताओं ने काफी योगदान दिया है। इस विधेयक की तीसरी अनुसूची अत्यधिक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य है। यह महसूस करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक के माध्यम से हम केवल कुल खाद्य के एक भाग की चिन्ता कर रहे हैं जो अपने आप में नि:संदेह एक बड़ा कदम है। यह केवल भविष्य में किए जाने वाले हमारे विलक्षण कार्य की शुरुआत है। हमें कौशल विकास और ऐसे अन्य कायक्रमों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। व्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने होंगे क्योंकि लोगों को यह जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में पोषण का मतलब क्या होता है।

मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यदि हम सभी यह संकल्प करते हैं कि हम अपनी भावी पीढ़ी को एक बेहतर विश्व, भूखमुक्त विश्व और सुरक्षित तथा स्वस्थ विश्व देना चाहते हैं तो यह हमारे लिए सर्वोत्तम अवसर है।

श्री एच॰ के॰ दुआ : हम विश्व की सबसे बड़ी कुशल जनशक्ति हैं। किन्तु यदि विश्व में कुपोषण के शिकार सर्वाधिक बच्चे भारत में हैं तो हमारी प्राथमिकताओं में कुछ गलत है। लोगों में क्रय शक्ति नहीं है। अत्यधिक कुपोषण व्याप्त है। हम शक्ति हो सकते हैं किंतु भूखे पेट हम इक्कीसवीं सदी की महाशक्ति नहीं हो सकते हैं। इस विधेयक में वायदे और निष्पादन के बीच के अंतर को भरने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक में व्यापक स्तर पर गरीबों को सस्ता अनाज देने का उपबंध किया गया है। इसीलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। मैं समझता हूं कि हम सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। देश के गरीबों की लोकतंत्र में हिस्सेदारी है। और यदि राज्य सर्वाधिक गरीब की चिंता नहीं करता है तो मुझे डर है कि यह एक अलोकतांत्रिक राज्य होगा। इस विधेयक में परिवार की मुखिया परिवार की सबसे बड़ी महिला होगी। यदि लोकतांत्रिक वायदे को पूरा करना है तो परिवारों को भोजन देना होगा। भूखे पेट अथवा कुपोषित पेट के आधार पर आप इक्कीसवीं सदी का लोकतांत्रिक और सशक्त भारत कैसे बना पाएंगे? हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि सम्पूर्ण भारत का उदय हो। यह केवल एक शुरुआत है।

डा॰ भारतकुमार राऊत : मैं इस सभा में आज आम आदमी की बात उठाना चाहता हूं। सरकार को यह बात पहले से ही स्पष्ट कर देनी चाहिए कि क्या हम गरीब हैं या महाशक्ति बनने जा रहे हैं? अगर आज आप इन 70 करोड़ लोगों के लिए अन्न सुरक्षा विधेयक लाए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप इस तरह का विधेयक लाकर कहना चाहते हैं कि गरीबी लाओ। अगर आप खुद को गरीब नहीं कहोगे तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें से इस विधेयक में कुछ नहीं रखा गया है। यह इस देश के लोकतंत्र की अवहेलना है। यह नहीं होना चाहिए। अगर यह विधेयक लाना है तो यह वोटों के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के लिए लाना है। इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या आपने राज्यों को विश्वास में लिया है? महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की जो सूची है, वह 1997 की है। मुझे लगता है कि यह विधेयक आने वाले चुनाव को नज़र में रखकर लाया गया है। मैं इस विधेयक की निन्दा करता हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपको वोट की जो भी राजनीति करनी है, उसको बाहर कीजिए, लेकिन गरीबों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य: एक के बाद एक सरकारें रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने में पूर्णत: विफल रही हैं। हमारे देश में यह एक नारे की अलावा कुछ नहीं है। केवल पांच किलो चावल अथवा गेहूं से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। मेरा अनुरोध है कि इसे बढ़ाकर प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 15 किलो किया जाना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस योजना में चावल के साथ-साथ दाल, तेल तथा नमक को भी शामिल करे। पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का प्रयास कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए बिना तथा पर्याप्त भण्डारण क्षमता के बिना आप इस योजना को लागू नहीं कर सकते।

भारतीय खाद्य निगम की भूमिका बहुत अहम है, किंतु भारतीय खाद्य निगम और कुछ गैर-कानूनी व्यवसायियों के बीच गठबंधन है, जिसके कारण अपने देश में भारतीय खाद्य निगम पूर्णत: ध्वस्त हो गया है। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस विधेयक को लागू करने से पहले इन मुद्दों को देखें। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग कतिपय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ज्यादातर उचित दर की दुकानें बंगलादेश में तस्करी कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह सबसे पहले जन वितरण प्रणाली में सुधार करे, भारतीय खाद्य निगम में सुधार करे, तस्करी रोकने के लिए कदम उठाये, प्रति व्यक्ति अनाज के मात्रा में वृद्धि करे और लोगों को पर्याप्त मात्रा में नमक, तेल और दाल मुहैया कराए। इन सुधारों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रकाश जावडेकर : कांग्रेस ही इस सतत गरीबी के लिए जिम्मेवार है। कांग्रेस की विनाशकारी अर्थ नीति ने देश की हालत क्या बना दी, यह विधेयक उसी का प्रमाण है। आपको गरीबों की कोई परवाह नहीं है। अगर 66 सालों में गरीबी नहीं हटी तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। आप एक तरफ यह दिखा रहे हैं कि एम॰एस॰पी॰ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फसलों का उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है। किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। कल भी विदर्भ में चार किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि, उनकी फसल पर जितनी लागत लगती है, उतनी एम॰एस॰पी॰ उनको नहीं मिलती है। इससे किसान कर्ज में डूब गया है। मेरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले 'कास्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस फिफ्टी परसेंट' को लागू किया जाए।

डा॰ भालचन्द्र मुणगेकर : देश में जो भी आर्थिक वृद्धि हुई है, उससे समाज के सभी वर्गों को फायदा हुआ है। लेकिन असमान सामाजिक संरचना के कारण समाज के सभी वर्गों को आर्थिक वृद्धि के लाभ में समान भागीदारी प्राप्त नहीं हो सकी। खाद्य सुरक्षा का अधिकार विकास के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की कार्यसूची का अत्यंत महत्वपूर्ण नया अंग है। यह आरोप लगाया गया कि यह विधेयक राजनीति-प्रेरित है। जब सभी राजनीतिक दलों ने, कुछ मतभेदों के साथ, इस विधेयक को लोक सभा में पारित किया है तो इसकी निंदा क्यों होनी चाहिए? इस निंदा का मुख्य कारण यह है कि विपक्षी दलों में यह भय बैठ गया है कि इस विधेयक से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिलेगा। कुछ समीक्षक यह तर्क देकर डरा रहे हैं कि इस विधेयक की अतिरिक्त लागत 1.25 लाख करोड़ रुपये होगी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.2 प्रतिशत होगा और यदि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समुचित रूप से पुनर्संरचना और इसमें सुधार किए जाएं तो मेरे विचार से इसे कम करके सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत तक लाया जा सकता है।

वे लोग जिन्होंने 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों का लाभ उठाया है, खाद्य सुरक्षा विधेयक का विरोध कर रहे हैं। यही तथ्य है कि लगभग 5 से 6 करोड़ अकुशल ग्रामीण घर वार्षिक रूप से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अधीन 250 से 300 व्यक्ति दिवस का रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अत: मैं पुरजोर रूप से ऐसे लोगों के गरीबी विरोधी रवैये और अनैतिक समझौतों की निंदा करता हूँ। यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र को हटा दिया जाता है, तो बाजार की अपूर्णताओं और बिचौलियों की भूमिका के कारण किसान को नुकसान होगा। खाद्य सुरक्षा विधेयक बाजार मूल्यों को अस्त-व्यस्त नहीं करेगा। आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड को कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने का ठेका दिया गया था। सरकार राज्यों के हितों की रक्षा करेगी। खाद्य सुरक्षा अब न्याय योग्य अधिकार होगा। इस विधेयक में जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तंत्र का प्रावधान है और राज्यों के पास लचीलापन होगा। खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को पूर्णतया नया रूप देना पड़ेगा। इस सभा को यह विधेयक सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

डा॰ वी॰ मैत्रेयन : मैं अपने दल की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारी मुख्य मंत्री ने विगत में अनेक बार इस विधेयक का विरोध किया है और अनेक संशोधनों का सुझाव दिया है। तमिलनाडु के हितों की रक्षा करने के लिए हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 का विरोध करते हैं। हम संशोधनों पर दृढ़ रहेंगे तथा मतदान के समय प्रत्येक पर मत विभाजन की मांग करेंगे। श्री थॉमस ने आश्वासन दिया था कि यह वास्तव में 8.30 रुपये प्रति किलोग्राम के गरीबी रेखा से ऊपर का मूल्य होगा। लेकिन आप इस संबंध में कोई संशोधन नहीं लाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के समान कम से कम 75 प्रतिशत की शहरी कवरेज को स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

मेरी मुख्यमंत्री ने अनुसूची-I में संशोधन और कम-से-कम दस वर्षों के लिए राजसहायता की गारंटी देने की मांग की थी। आपने उनके अनुरोध की उपेक्षा कर दी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने खंड 23 में संशोधन करने का सुझाव दिया है। किन्तु आपने ऐसा नहीं किया। पात्र घरों को अभिज्ञात करने का कार्य 365 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। क्या एक वर्ष पर्याप्त है, यह निश्चित नहीं। आपने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। अन्नाद्रमुक प्रत्यक्ष नकद अंतरण कार्यक्रम का घोर विरोधी है। खंड

37 और 38 दोनों संघवाद के मूल पर ही चोट पहुंचाते हैं। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अत: हम इस विधेयक का विरोध करते हैं।

श्रीमती कानीमोझी : तमिलनाडु में, 1964 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई थी और अब व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की गई है, अर्थात् एपीएल और बीपीएल परिवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली डीएमके सरकार द्वारा लाई गई थी। 1996 में केन्द्रीय सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाने का प्रयास किया। 1997 में, डीएमके सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया और हमने व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखा। 2003 में, तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वापस लाना चाहती थी, परन्तु उसे अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ा क्योंकि राज्य में सभी दलों और लोगों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया था। आज ये लोग लोगों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। 9 अगस्त को, हमारे अध्यक्ष ने केन्द्रीय सरकार को पत्र लिख कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि हमारे द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखा जाए और खाद्यान्नों की खरीद के संरक्षण के लिए विधेयक में समुचित उपबंध किए जाएं। तभी हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के संबंध में कुछ चिंताएं हैं। सरकार केवल चावल, गेहूं और मोटा अनाज ही उपलब्ध करा रही है। क्या सरकार अब अथवा भविष्य में दालों को भी इसमें शामिल करने पर विचार करेगी? सरकार उचित दर की दुकानों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकती है। क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करने पर विचार करेंगे कि बेघर लोगों को भी इस विधेयक के दायरे में लाया जाए? मंत्री जी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि बड़ी संख्या में गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया जाएगा?

जब केन्द्र खाद्यान्नों की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है तो राज्य किस तरह व्यवस्था कर पाएंगे? खंड 38 में बताया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। क्या केन्द्र सरकार इसे बेहतर तरीके से शामिल नहीं कर सकती? इससे जुड़ी चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री शशी भुषण बेहेरा : 'सप्रंग'-II द्वारा तैयार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 राष्ट्र को आश्वासन देता है कि 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और प्रति व्यक्ति आवंटन 5 किलोग्राम होगा। सत्ताधारी दल के रवैये में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वह गरीबी की चिंता नहीं करता, वह भूखे की चिंता नहीं करता है। आप राष्ट्र के आर्थिक संकट के प्रति संवेदनशील नहीं है। बजट में प्रावधान करके आप कितनी ज्यादा राशि खर्च करेंगे? यह पूरी तरह चुनावी हथकंडा है। बिना किसी उचित बुनियादी ढांचे और बुनियादी ढांचे में बिना किसी सुधार के आप चुनावी वर्ष में यह विधेयक ला रहे हैं। यह आंखों का धोखा मात्र है। खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता है। आपने इसके लिए तैयारी नहीं की है। आपने विकेन्द्रीकृत प्रापण या विकेन्द्रीकृत भंडारण के लिए तैयारी नहीं की है जिसकी बहुत आवश्यकता है। यह भंडारण सुविधाओं के अभाव के चलते हो रहा है। आप ऐसी वितरण प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं जो वैज्ञानिक नहीं है और कम्प्यूटरीकृत नहीं की गयी है। यहां तक कि नकली राशन कार्ड भी है। मैं जानना चाहूंगा कि आप किस प्रकार एक सार्वभौमिक वितरण प्रणाली की योजना बना रहे हैं। केन्द्र सरकार के मानकों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार प्रति माह 35 किलो राशन के लिए पात्र हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य प्रत्येक परिवार को

20–25 किलोग्राम ही आवंटित कर रहे हैं। इसमें ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए, हमें राशन ज्यादा परिवारों को देना पड़ेगा। इस प्रकार का लचीलापन राज्यों को अवश्य ही दिया जाना चाहिए। इसलिए, मेरा सुझाव है कि राज्य की आबादी के अनुसार ही आवंटन किया जाना चाहिए। इसके कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। अत: एक साफ-सुथरी और एक समान व्यवस्था अपनायी जानी चाहिए। अन्यथा इससे संशय पैदा होगा। यदि आप दो या तीन सदस्य वाले परिवार को 15 किलोग्राम खाद्यान्न देते हैं और अन्य परिवारों को लगभग 20 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है तो इससे भेदभाव होगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विक्रेता को फायदा होगा।

श्री डी॰ राजा : मेरी पार्टी खाद्य सुरक्षा और भोजन का अधिकार के संबंध में एक सशक्त विधान लाने के लिए संघर्ष करती रही है। सरकारी विधेयक हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है और इसमें दूरदर्शिता का भी अभाव है। यह सभी मौजूदा कार्यक्रमों का केवल विस्तार है जबकि हम चाहते हैं कि सरकार समूची खाद्य अर्थव्यवस्था पर पुनर्विचार करे। इस विधेयक में कृषि और किसानों की उपेक्षा की गयी है। विधेयक के माध्यम से देश के सभी राज्यों में छोटे तथा सीमांत किसानों से सीधे खरीद करने और उन्हें लाभप्रद कीमतें मिलना सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त, सुकर और सर्वव्यापी बनाया जाना चाहिए। ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें अपेक्षाकृत बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली मौजूद है। इन मौजूदा प्रणालियों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के पोषण संघटक को सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दालों और तेल को भी शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए। विधेयक में पोषण के संबंध में बच्चों को मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए। आप मध्याह्न भोजन योजना या एकीकृत बाल विकास योजना में गैर-सरकारी ठेकेदारों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए अवश्य कदम उठाएं।

विधेयक के कई भागों में केन्द्र सरकार ने निर्णय लेने की सभी शक्तियां अपने पास रखी हैं। यह हमारी राजनीतिक व्यवस्था की संघीय प्रकृति के विरुद्ध है। राज्य सरकारों से प्रत्येक स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकारों के बजट पर अतिरिक्त भार नहीं डाला जाना चाहिए।

श्री रंगासायी रामाकृष्णा : मेरे विचार से बेहतर यह होता कि विनिर्धारित राशि को लाभभोगियों के खातों में डाल दिया जाता और उन्हें अपने लिए स्वयं प्रबंध करने के लिए कहा जाता। परन्तु इसकी बजाए हमने विद्यमान व्यवस्था को उसकी तमाम कमियों के बावजूद बनाए रखा है। इस मामले में, जिसमें कि हर बात के लिए आपको राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ेगा, आपने राज्य सरकारों से परामर्श करना तक जरूरी नहीं समझा।

मेरा सुझाव यह है कि हमें खाद्य सुरक्षा को केवल निस्सहाय, वरिष्ठ नागरिकों, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं तक ही सीमित रखना चाहिए। आप एफसीआई की पूरी भारी-भरकम व्यवस्था को, गोदामों की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को बोगियों में जगह की अपर्याप्तता आदि को समाप्त कर सकते हैं। परन्तु, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो पंचायतों को सशक्त बनाना इसके लिए बेहतर उपाय होगा।

खाद्य सुरक्षा को स्थानीय पंचायत का उत्तरदायित्व बना दीजिए। पंचायत धार्मिक संस्थानों के साथ समन्वय कर सकती है। हम खाद्यान्नों का भंडारण पंचायत पर छोड़ सकते हैं। इस विधेयक से हम राजकोषीय घाटे को बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह अत्यंत ही गलत समय पर लाया गया विधेयक है जिससे बचना चाहिए था।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : हमारी पार्टी ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाने का वायदा किया था। आज मुझे हर्ष है कि हम वह वायदा पूरा करने जा रहे हैं। मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। देश में आज कुछ लोग गरीबी और भुखमरी के शिकार हैं और उनके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। इसके लिए हमें साधन जुटाने होंगे। हमें यह करना ही है। कृषि और किसान, दोनों ही हमारी नीतियों के प्रमुख अंग हैं। यह एक शुरुआत है। देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो कदम यह सरकार उठा रही है, उसमें आप सब अपना समर्थन दीजिए। मैं सदन की तरफ से किसानों को बधाई देना चाहती हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर गुजरात विकास कर रहा है, तो फिर गरीबों की संख्या इतनी क्यों बढ़ रही है? हम सबको अपने आप पर गर्व होना चाहिए।

यह विधेयक संकुचित नहीं है। इसमें बीपीएल और एपीएल दोनों का समावेश है। हमें पीडीएस की दुकानों की स्थिति चिंतन करना चाहिए। लोग यह कह रहे थे कि इस विधेयक से देश का माहौल बिगड़ेगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब सरकार उद्योगों के लिए सब्सिडी देती है तब तो आप चर्चा नहीं करते हैं। जब गरीबों को दो जून का भोजन देने की बात करती है तब आप कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

डा॰ टी॰ एन॰ सीमा : मेरी पार्टी सीपीआई (एम) भोजन के अधिकार का समर्थन करती है। देश के सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा मिले, इस अवधारणा का विरोध इस सदन में कोई नहीं करेगा। फिर भी, इस विधेयक की बहुत सारी सीमाएं हैं। पूरी दुनियां में भूख से पीड़ित जनसंख्या का एक तिहाई अकेले भारत में निवास करती है। किन्तु दुर्भाग्यवश, हमारी सरकार और नीति निर्माताओं पर इन तथ्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यदि हम इस विधेयक को देखें, यह विधेयक सबके लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु नहीं बना है। हमारी पार्टी की मुख्य आपत्ति यही है। इस विधेयक में अपने देश के कुपोषण और भूख के बड़े मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा गया है। जनसंख्या को अविवेकी ढंग से बांटने के कारण खाद्य सुरक्षा की नहीं बल्कि खाद्य-असुरक्षा की स्थिति आ जाएगी। देश में कुपोषण की स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। हम एक वैश्विक जन वितरण प्रणाली की मांग करते हैं। हमारे केरल राज्य में लोगों को चावल और अन्य आवश्यक सामग्री मुहैया कराने के लिए एक सांविधिक राशन की व्यवस्था 1964 में कार्यान्वित की गई थी। यह एक सफल प्रयोग रहा था। तमिलनाडु में एक अद्‌भुत जन वितरण प्रणाली व्यवस्था है जो वैश्विक है। सरकार को चाहिए कि वह जन वितरण प्रणाली को मात्र राजसहायता प्राप्त खाद्य सामग्री को गरीबों में वितरित करने के एक केन्द्र के रूप में न देखें। सरकार जन वितरण प्रणाली के जरिए बाजार में हस्तक्षेप कर सकती है।

हर कोई जानता है कि पोषण की सुरक्षा के लिए मात्र चावल और गेहूं का वितरण ही पर्याप्त नहीं है। मैं माननीय मंत्री से अनुसूची 1 को हटाए जाने का अनुरोध करती हूं। यह खाद्यान्न की कीमतों को तीन वर्षों के पश्चात् निर्धारित किए जाने से संबंधित है। मुझे आश्चर्य है कि राजसहायता में भारी वृद्धि किए बिना संप्रग सरकार भूख और कुपोषण की समस्या को सुलझाने के लिए क्या चमत्कार करेगी। सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण अमीर और अधिक अमीर और गरीब और अधिक गरीब हो गए हैं। हमें नीतियां बदलनी होंगी।

श्री राम जेठमलानी : इस देश में स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद गरीबी पर 'गरीबी हटाओ' के रूप में चर्चा की जाती रही है। मैं उन लोगों की प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहूंगा जिनका दिल

गरीबों के लिए पहली बार 13 जुलाई, 2013 को रोया। यह साफ है कि यह अध्यादेश धोखाधड़ी है। यह चुनावी तमाशा है। क्या आप खाद्य सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? यह वास्तव में सुरक्षा नहीं है। आप उन्हें मरने और रोगों से बचाने का साधन प्रदान कर रहे हैं। इस विधेयक को खाद्य सुरक्षा विधेयक नहीं कहा जाना चाहिए। यह विधेयक पोषण के अभाव के कारण होने वाली मौत और रोग से बचाने के लिए है। यह विधेयक का उचित और सच्चा विवरण है। मैं इस विधेयक के समर्थन में मत नहीं देना चाहता हूं। मैं देश के उन गरीब व्यक्तियों के प्रति उस महान छल का हिस्सा नहीं होना चाहता जोकि हमसे प्रत्येक चीज की अपेक्षा करते हैं।

श्री डी॰ बंदोपाध्याय : यदि पर्याप्त राजनीतिक इच्छा हो तो सभी दिक्कतों के बावजूद युक्तियुक्त ''भूख रहित लक्ष्य'' को प्राप्त करना संभव है। 120 करोड़ जनसंख्या में से 11 करोड़ भारतीय प्रति रात भूखे सोते हैं। यह सतत् भूख स्वीकार्य नहीं है। हम जैसे सभ्य समाज पर यह एक बदनुमा दाग है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सामान्य आलोचना है कि यह उचित रूप से कार्य नहीं कर रही है। राज्यों को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा। पात्र घरों की पहचान करना इस कार्यक्रम का आधार है। मैं चाहूंगा कि सरकार दूसरी जनगणना का अनुसरण करे। प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज प्रति मास सुनिश्चित करने से यह विधेयक आधा पेट भोजन सुनिश्चित करता है। मैं इस विधेयक के खंड 38 पर घोर आपत्ति करता हूं। मेरा यह कहना है कि केन्द्र इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ले।

श्री अमर सिंह : मैं तो आपसे अपील करूंगा कि आप बड़ा मन दिखा कर सराहना कीजिए कि आपने जो काम छत्तीसगढ़ राज्य में किया है, वह काम यह सरकार और 'संप्रग' का नेतृत्व पूरे देश में करने जा रहा है। बहुत कम लोग हैं, जो इस विधेयक का खुला विरोध कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि यह विधेयक पारित हो जाए। सबको इस बात की फिक्र है कि इसका श्रेय उधर बैठे हुए लोग न ले लें और इसलिए बार-बार अनावश्यक रूप से टिप्पणियां हो रही हैं। एक बड़ी आवाज आई कि साधन हों या न हों, हमें यह करना है। आप कहते हैं कि यह खाद्य विधेयक नहीं है, वोट विधेयक है। अगर यह वोट विधेयक भी है, तो क्या हर्ज है?

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार : इस विधेयक में एक बीपीएल परिवार को 25 किलो अनाज मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। यानी एक व्यक्ति को एक दिन में 165 ग्राम अनाज मिलेगा। हमें इस पर विचार करना होगा। इस विधेयक के संबंध में देश के सभी राज्यों की राय नहीं ली गई है। इसे लागू कैसे किया जाएगा इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि की स्थिति में भी उनको अनाज मुहैया कराने के लिए भी प्रावधान होना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पंचायतों की भूमिका के बारे में संविधान में जो कुछ कहा गया है, हमने उसे बिलकुल ध्यान में नहीं रखा है। इस विधेयक से यह कतई स्पष्ट नहीं है कि जब इसमें स्थानीय प्राधिकरण की बात की गई है, तो इसका मतलब किसी तरह की नौकरशाही व्यवस्था से है अथवा इसका मतलब है भारत के लोगों से। देश भर में जहां कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुआ है, वहां ऐसा पंचायतों को भूमिका दिए जाने के कारण हुआ है। पूरे देश में नागरिक आपूर्ति विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं।

जैसे ही यह विधेयक कानून बन जाता है तो आपको दिशा निर्देश तैयार करने होंगे। आपको अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि फिर भी यह कार्य भारी भरकम है। जब तक पंचायतों और नगर निगमों को ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाता, आपके द्वारा किया गया सब कार्य व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि इस योजना के लाभार्थी ग्राम सभा या वार्ड सभा में ही होते हैं। राजीव गांधी द्वारा इस देश के लोगों को यह संवैधानिक अधिकार दिया गया है और आज, आप उन संवैधानिक अधिकारों को स्वीकार किए बिना इस ऐतिहासिक विधेयक को नहीं पारित कर सकते हैं।

श्री प्यारीमोहन महापात्र : आप यह विधेयक 4 वर्ष के उपरांत ला रहे हैं। क्या यह सिर्फ चुनावी हथकंडा है और कुछ और? आपको शक्तिशाली राज्यों पर अवश्य ही विश्वास करना चाहिए और सारी शक्तियां केन्द्र को मत दीजिए। किसी चीज का मुफ्त वितरण या राजसहायता युक्त वितरण बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका रोजगार देना है ताकि यदि, मैं एक गरीब आदमी हूं तो मैं कमा सकूं और मेरे पास मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त अर्जन क्षमता हो।

आपने कहा है कि 67 प्रतिशत का मौजूदा आंकड़ा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या से दोगुने से भी ज्यादा है। आप यह कैसे कह सकते हैं जबकि दूसरी तरफ सक्सेना समिति कहती है कि 84 प्रतिशत लोग गरीब हैं? आप आंकड़ों से क्यों खेलते हैं? गरीबी बहुत ज्यादा है। हमें अपने गरीब भाइयों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति होनी चाहिए। केवल इसी कारण से, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री म॰ रामा जोयिस : मैं इस विधेयक का सीमित समर्थन करता हूं। विधेयक का उद्देश्य भुखमरी से राहत देना और दुखी लोगों के आंसू पोंछना प्रतीत होता है। लेकिन, दुर्भाग्यवश जब आप विधेयक के उपबंधों को देखते हैं तो उद्देश्य संदेहास्पद प्रतीत होता है। मैंने खंड 8 जो नकदी अंतरण और खंड 12 जो आधार के संबध में है, के संबंध में संशोधन दिए हैं। कृषि भूमि का व्यापक रूप से उद्योगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हमारे यहां कृषि वस्तुओं का अभाव है। आधार संख्या केवल नागरिकों को ही नहीं बल्कि गैर-नागरिकों को भी जारी की जा रही है। वे भी समान मात्रा में खाद्यान्न के हकदार हैं। जब स्थायी समिति ने विधेयक को अस्वीकृत कर दिया तो यदि सत्ता पक्ष में संसदीय लोकतंत्र के प्रति जरा भी सम्मान है, उन्हें इस विधेयक को राज्य सभा में लाकर उसका समर्थन हासिल करना चाहिए था।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अभी तक भारत की छवि को दुनिया के सामने भूख और गरीबी के नाम से पेश किया जाता रहा है। अब देश के गरीबों को कानून के तहत खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिलेगा, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। उसके स्वास्थ्य के लिए देश में कुछ किया जाना चाहिए। इस विधेयक में हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि किसान अनाज पैदा नहीं करेगा, तब हम कहां से लोगों को अनाज दे पाएंगे? किसान को उसकी उपज का भी अच्छा रेट मिलना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा योगदान है।

श्रीमती गुन्डु सुधारानी : हमारे दल ने गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने का कभी विरोध नहीं किया। बल्कि तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक ने ही आंध्र प्रदेश में गरीबों को 2 रु॰ किलो चावल देने की योजना को लागू किया था। जब तेलुगु देशम पार्टी ने 1983 में इसे लागू किया तो इसी कांग्रेस पार्टी ने इस

निर्णय का विरोध किया था। किंतु, ठीक तीन दशक बाद ही कांग्रेस की आंख खुली और वह वही कर रही है जो हमने 1983 में किया था। सरकार इस विधेयक को राज्यों को कोई दिशा निर्देश दिए बिना या कोई विनियम बनाए बिना तथा मुख्य मंत्रियों की राय को ध्यान में रखे बिना ही आगे बढ़ा रही है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, आधुनिक बनाने एवं सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। इस विधेयक में गरीबों को 5 किलो ग्राम चावल देने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाकर कम से कम 10 किलो ग्राम करें।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह : खाद्य सुरक्षा कानून केन्द्र की संप्रग सरकार के लिए भले ही 'गेम चेंजर' बनने जा रहा है, लेकिन देश के करोड़ों किसान भाइयों का भविष्य इससे असुरक्षित हो सकता है। किसानों की चिंता पर एक-दो राजनीतिक दल ही गंभीर हैं, बाकी सभी दल इस खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कोई गंभीर स्टैंड नहीं ले रहे हैं। किसानों की सौ प्रतिशत फसल खरीद का बिल भी सरकार को सदन में लाकर यह साबित करना चाहिए कि वह देश के किसानों के लिए चिंतित है। इस देश में किसानों की स्थिति पर चिंतन के लिए 15 दिन की एक स्पेशल डिबेट होनी चाहिए, सेशन होना चाहिए। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस बिल में किसानों की पूरी फसल को उचित निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गांरटी का प्रावधान भी जोड़ा जाना चाहिए।

श्री आनंद भास्कर रापोलू : खाद्य सुरक्षा की जरूरत विद्यमान खाद्य असुरक्षा से पैदा होती है। सस्ते मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन की कमी के कारण, कीमतों में उतार-चढ़ाव और आर्थिक संकट की स्थिति आती है। जिससे खाद्य असुरक्षा का जन्म होता है और इसका परिणाम भुखमरी और कुपोषण में वृद्धि होना है।

इस विधेयक से हम न केवल जन-स्वास्थ्य हासिल करेंगे बल्कि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भारतीय खाद्य निगम पर पड़ने वाले बोझ में उसको खाद्य भंडारण संबंधी जरूरतों में कमी आएगी। इस विधेयक से केन्द्र सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह देश भर में राज्य सरकारों के गोदामों में खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करे।

इन राज्य खाद्य आयोगों को न्यायसंगत व्यावहारिकता के लिए सावधानी की अत्यंत आवश्यकता है। राज्य खाद्य आयोग जरूरतमंदों के लिए भोजन के अधिकार के प्रावधान सुनिश्चित करेंगे। खाद्य सुरक्षा विधेयक की सफलता के लिए हम देश में बाजार के उचित कार्यकरण तथा व्यापार प्रणाली सुनिश्चित करेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस अवसर पर अनुरोध करता हूं कि वह आधार के माध्यम से राशन कार्ड तथा अन्य प्रौद्योगिकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित ढंग की व्यवस्था करें जो मतदाता सूची में नामांकन किए जाने की तरह सुगम हो।

श्री राम कृपाल यादव : मैं खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। यह विडंबना है कि 65-66 वर्षों की हमारी स्वतंत्रता के बावजूद लोग भूख से मर रहे हैं । गरीब और अमीर के बीच भारी असमानता है। यह असमानता जो कि दर्दनाक और भयानक है, को यदि दूर नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से देश में अस्थिरता को जन्म देगी। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या लाभान्वित होगी। लेकिन चिंता का विषय यह है कि यह खाद्यान्न कहां से आयेगा जिसके आधार पर हम अपनी 67 प्रतिशत जनसंख्या को चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः तीन रुपये, दो रुपये और 1 रुपये प्रति किलो प्रदान

करने का निर्णय ले रहे हैं। यह चिंता का विषय है कि खेती के प्रति रुझान में कमी आई है। इसके कारणों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। खेती एक घाटे का सौदा रह गया है। बेचारे किसान अपनी लागत को भी नहीं वसूल कर पा रहे हैं। यूपीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान बैंकों के ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को कुछ राहत प्रदान की थी। यह भी एक चिंता का विषय है कि हम वापस उसी स्थिति में पहुंच गए हैं। समाज के वंचित वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ाया गया यह एक ऐतिहासिक कदम है और हम सब इसका समर्थन करना चाहते हैं लेकिन सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि यदि उत्पादन नहीं होगा तो हम खाद्यान्न कैसे प्रदान करेंगे।

देश के बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों विशेष कर बिहार के लिए विशेष उपाय किए जाने की आवश्यकता है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। यहां पर राज्य सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों की संख्या अधिक है। जबकि केन्द्रीय सरकार के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों की संख्या कम है। इस असमानता को दूर करने की आवश्यकता है।

श्री रामविलास पासवान : मैं खाद्य सुरक्षा बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए। किन्तु विभिन्न कारणों से इसमें विलम्ब हुआ और सरकार को अध्यादेश जारी करना पड़ा। अब यह राज्य सभा में विधेयक के रूप में है। किसी को दबाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो सबसे नीचे होता है उसे गिरने का भय नहीं होता। नक्सलवाद का भी यही कारण है क्योंकि उन्हें भोजन के अधिकार से वंचित रखा गया। भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यूपीए ने कार्य का अधिकार, मनरेगा आदि जैसे प्रशंसनीय कार्य किए हैं जिसके परिणामस्वरूप गरीबों का शोषण बंद हो गया है। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भूमि का अधिकार, भोजन का अधिकार आदि यूपीए के प्रशंसनीय कार्य हैं।

यह 'भोजन का अधिकार' कोई मामूली चीज नहीं है, यह बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा? यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों से आएगा जिन पर 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्स के रूप में बकाया है। उनसे यह पैसा निकालिए। इसे लागू करने के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है और कुछ योजनाएं पहले ही चलाई जा रही हैं। इसलिए पैसे की कमी नहीं है। जो राज-सहायता दी जाएगी, वह भारत सरकार देगी या नहीं देगी? राज्य सरकार विशेष रूप से बिहार को निश्चित रूप से इससे फायदा होने वाला है। 5 कि॰ ग्रा॰ खाद्यान्न के प्रावधान को बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें से 75 प्रतिशत अमीर लोगों को छांटिए। सभी गरीब लोगों, चाहे वे किसी भी जाति के हों, को एक बार जोड़िए, अन्यथा भ्रष्टाचार फैलेगा। इसके लिए पारदर्शिता लानी पड़ेगी। राशन की दुकानों में और डीलरों द्वारा की जा रही धांधली को कैसे रोका जाएगा। इस विधेयक के पारित होने पर पूरे देश में लोगों के मन में एक विश्वास का वातावरण बनेगा।

श्री रणवीर सिंह प्रजापति : गांव और शहर में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा? इसका मानदण्ड क्या है? अगर सरकार यह मानती है कि आज भी गांव के 75 प्रतिशत लोगों को इस विधेयक के माध्यम को अनाज देने की जरूरत है, तो देश में ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? जनता को रोजगार और सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। जब लोगों के पास रोजगार होगा, तो खाद्य सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। हमारे किसानों ने अपनी मेहनत से अन्न का रिकार्ड उत्पादन करने का काम किया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद भी किसान को

भूखे पेट सोना पड़ता है और आज का किसान निरन्तर कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। आज, किसानों को भी बचाने की जरूरत है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

श्री नरेश गुजराल : इस विधेयक का विस्तृत विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह राजनीतिक हथकंडा, इस देश के गरीब लोगों जिनको अविरत रूप से धोखा दिया जा रहा है, की आंखों में धूल झोंकने के प्रयास के सिवाय कुछ नहीं है। इस देश का अत्यंत गरीब इससे अत्यधिक प्रभावित होगा क्योंकि आज तक वे प्रति परिवार 35 कि॰ ग्रा॰ अनाज प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु अब 5 सदस्यों के एक औसत परिवार को केवल 25 कि॰ ग्रा॰ खाद्यान्न मिलेगा। आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में पहले ही योजनाएं मौजूद हैं जिनमें वे केवल अनाज ही नहीं अपितु दाल, चना, चीनी इत्यादि भी देते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। देश जो अपने विद्यमान अनाज भण्डारों को सुरक्षित नहीं रख सकता है, खाद्य सुरक्षा का वायदा नहीं कर सकता है। आज 20 मिलियन टन खाद्यान्न - पंजाब में 12.5 मिलियन टन, हरियाणा में 6 मिलियन टन और उत्तर प्रदेश में एक लाख टन से अधिक खाद्यान्न - खुले में सड़ रहा है। सरकार की इस वर्ष 6 मिलियन टन खाद्यान्न भण्डारण क्षमता जोड़ने की योजना है। प्रथम तीन महीनों में कितनी भण्डार क्षमता का निर्माण किया? यदि मानसून दो या तीन वर्षों तक लगातार विफल रहता है, तो ये खाद्यान्न कहां से आएंगे। हमें आपूर्ति पक्ष की ओर देखना पड़ेगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे गरीब लोगों को खाद्यान्न निरन्तर मिलेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान को उसकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो। जब तक हम कृषि को व्यवहार्य व्यवसाय नहीं बनाते यह देश गरीबों को भोजन की गारंटी नहीं दे सकता।

डा॰ कर्ण सिंह : पिछले नौ वर्षों से सं॰प्र॰ग॰ का प्रयास, पहली बार एक बिलियन लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का रहा है। इसकी शुरुआत हमने सूचना का अधिकार अधिनियम से की और अब हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर आ गए हैं। आज हम अपने देश के लिए अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यह खाद्यान्न देश के हर पात्र व्यक्ति को उचित मूल्य पर मिले। अब यह एक कानूनी अधिकार है। इससे लाखों बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि होगी। खाद्यान्न के बिना आप मूलभूत स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि आबादी सतत रूप से बढ़ती रही तो खाद्यान्न पर दबाव अपने आप बढ़ेगा। यह कहा गया है कि हम देश को दिवालिया करने की ओर अग्रसर हैं। यह सच नहीं है क्योंकि यह विधेयक बहुत से मौजूदा संगठनों को शामिल करता है और उन्हें सुदृढ़ करता है।

मैं तीन बातें कहना चाहूंगा। पहला है भण्डारण। देश में भण्डारण सुविधाओं का निर्माण करना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा है परिवहन। हमें ट्रक और रेल के द्वारा परिवहन की एक वैज्ञानिक व्यवस्था तैयार करनी होगी और तीसरा बिंदु है वितरण। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि अत्यंत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उन लोगों तक पहुंचे जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। इस महान और ऐतिहासिक कार्यक्रम को भ्रष्टाचार नष्ट नहीं कर सकता है।

विपक्ष के नेता (श्री अरुण जेटली) ने संकल्प पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा : अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश के प्रयोग के प्रति विरोध हेतु मैंने संकल्प प्रस्तुत किया है। हम संसद के सत्र की

प्रतीक्षा कर सकते थे, और संसद के सत्र के दौरान हम विधेयक पर चर्चा, संशोधन और उसमें परिवर्तन कर सकते थे। इस मामले पर आगे कार्रवाई करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए और न ही राज्यों को भेजे गए। विधेयक का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। मैंने कहा था कि मेरा दल भोजन के अधिकार के पक्ष में है। मेरा दल भोजन का अधिकार की अवधारणा का समर्थन करता है। हम परिव्यय में कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। हम इसके लाभार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पहले से चल रही योजनाओं से लाभ मिल रहा है। इस मात्रा में कमी कर रहे हैं। हम भोजन को और अधिक पोषक नहीं बना रहे हैं। यह केवल खाद्यान्न भर है। यह कहते हुए मुझे दुख होता है कि यह सभी मौजूदा योजनाओं की 'री-पैकेजिंग' है कोई प्रभावी अधिकार नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इन सभी घटकों पर विचार करें और विधेयक में सुधार करने का प्रयत्न करें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस) ने बहस का उत्तर देते हुए कहा : मैं सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि सभी रचनात्मक और सकारात्मक सुझावों का सावधानी पूर्वक पालन किया जाएगा। विशेषकर खाद्य सुरक्षा के मामले में देश की संघीय प्रणाली का पूरी तरह संरक्षण किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को न केवल खाद्य सुरक्षा विधेयक बल्कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में भी परस्पर सहयोग करना होगा।

हम सभी जिन आदर्श परियोजनाओं का कार्यान्वयन करवाना चाहते हैं वे ऐसी परियोजनाएं नहीं हैं जिन्हें देशभर में कार्यान्वित किया जा सकता है क्योंकि इनका स्वरूप विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार छत्तीसगढ़ को भारत सरकार से इस समय 2,027 करोड़ रुपये की राजसहायता प्राप्त हो रही है और हमें छत्तीसगढ़ में एक बार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आदेश के कार्यान्वयन हो जाने के पश्चात् - 2,910 करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान करनी पड़ेगी। हम छत्तीसगढ़ को 11.33 लाख टन खाद्यान्न प्रदान कर रहे हैं परन्तु खाद्य सुरक्षा विधेयक में यह मात्रा 12.91 लाख टन है। तमिलनाडु के मामले में विगत तीन वर्षों के दौरान औसतन 36.78 लाख टन खाद्यान्न उठाए गए हैं।

गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ जोड़ दिया जाता है। जब मैं अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 2 रुपये और बीपीएल के 5 रुपये में चावल देता हूं तो मेरा एपीएल मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा होता है। अन्त्योदय अन्न योजना तथा बीपीएल दोनों की राशि लगभग 20 लाख रुपये थी। अभी इसे 'प्राथमिकता' के अंतर्गत बढ़ाकर 24 लाख रुपये कर दिया गया है। एपीएल के अंतर्गत इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। 18 राज्यों, जिन्हें अभी की तुलना में कम खाद्यान्न मिल रहा था, द्वारा अभ्यावेदन दिए जाने के कारण माननीय प्रधानमंत्री ने आगामी 3 वर्षों के लिए इसकी मात्रा और इसके मूल्य को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत कड़ा निर्णय लिया है। इससे 5 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कई मुख्य मंत्रियों से प्राप्त सिफारिशों के कारण हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया कि चावल के लिए प्रति किलो ग्राम 8.30 रुपये तथा गेहूं के लिए प्रति किलो ग्राम 6.10 रुपये के मूल्य को सुरक्षित रखा जाएगा। हम इसे बंद नहीं करेंगे। हमने अधिक खाद्यान्न तथा अतिरिक्त वित्तीय भार के साथ सभी 18 राज्यों को सुरक्षित किया है।

जहां तक 'सब के लिए खाद्यान्न' व्यवस्था का संबंध है, मैंने, कुछ मुख्य मंत्रियों को छोड़कर, प्रत्येक से मुलाकात की और इसके बारे में बताया। यह प्रारूप विधेयक लोक सभा में दिसम्बर, 2011 के अंत में प्रस्तुत किया गया। इसे स्थायी समिति को भेजा गया। और अंत में, स्थायी समिति ने केवल एक संशोधन अर्थात् 'यूनिवर्सल पीडीएस' करके सर्व सम्मति से सिफारिश की।

लंबे विचार-विमर्श के उपरांत, स्थायी समिति ने अपने विवेक से यह सुझाव दिया कि केवल दो श्रेणियां, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत प्राथमिकता और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत प्राथमिकता हो सकती हैं। ए॰ ए॰ वाई॰ सेक्टर पी॰ डी॰ एस॰ के अधीन है जिसमें लगभग दो करोड़ परिवार शामिल हैं और वे 35 किलो खाद्यान्न के पात्र हैं। बी॰ पी॰ एल॰, ए॰ पी॰ एल॰ और ए॰ ए॰ वाई॰ के बारे में योजना आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवार केवल 6.52 करोड़ हैं, अर्थात् 32 करोड़ लोग हैं। 32 करोड़ से 82 करोड़ हो गए हैं। हमने पोषाहारीय घटक तैयार करने के लिए आई सी डी एस अथवा मध्याह्न भोजन योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विलय करने का भी निर्णय लिया है और यह कानून बन जायेगा। 120 करोड़ की आबादी वाले इस देश में यदि इससे हरेक व्यक्ति को पोषणयुक्त भोजन मिल जाए, तो यह एक अच्छा सपना है, परन्तु वास्तव में यह संभव नहीं है। गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं, नवजात बच्चों, आठवीं कक्षा तक के बच्चों को किलो कैलोरी के अनुसार खाद्य प्रदान किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार का यह दायित्व है कि वह खाद्यान्न खरीदे, इसका परिवहन करे और राज्य सरकारों को इसे निर्धारित स्थानों पर उपलब्ध कराए। वर्ष 2010 में, हमारी कुल भंडारण क्षमता 583.86 मिलियन टन थी जिसे विगत पांच वर्षों में बढ़ाकर 751 मिलियन टन कर दिया गया। अगले वर्ष की समाप्ति से पहले हम अपनी भंडारण क्षमता में पांच मिलियन टन की और बढ़ोतरी कर लेंगे। मौसम के दौरान जब खाद्यान्नों की पैदावार होती है, तो हमें खरीद करनी पड़ती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को बरकरार रखना पड़ता है। विगत वर्ष, हमने 82 मिलियन टन खाद्यान्नों की खरीद की थी, जब कि हमें केवल 60 से 62 मिलियन टन की आवश्यकता थी। इस वर्ष यह बढ़कर 73 मिलियन टन हो गया है। हम किसानों की रक्षा करेंगे। इस विधेयक में, आप पायेंगे कि अनुसूची-3 में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि कृषि के पुनरुद्धार को सर्वाधिक महत्व दिया जायेगा। एम॰ एस॰ पी॰ को समाप्त नहीं किया जायेगा। यह निर्णय सी॰ ए॰ सी॰ पी॰ द्वारा लिया गया है । हमारे देश में जितना उत्पादन होता है उसका 30 प्रतिशत ही हम खरीदते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को सर्व सम्मति से पारित करें।

परिनियत संकल्प अस्वीकृत हुआ।
विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड आदि स्वीकृत हुए।
विधेयक पारित हुआ।

उपाबंध-VIII

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

SERVER3\E\3693RS\3693RS(8)(359-392)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—13 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—13

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 29] नई दिल्ली, मंगलवार,सितम्बर 10, 2013/ भाद्र 19, 1936 (शक)

No. 29] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2015/BHADRA 19, 1935 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2013/भाद्र 19, 1935 (शक)

संसद् के निम्न अधिनियम को राष्ट्रपति ने 10 सितम्बर, 2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है और यहाँ यह सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित किया गया है:—

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 20)

[10 सितम्बर, 2013]

जनसाधारण को गरिमामय जीवन निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

SERVER3\E\3693RS\3693RS(8)(357-390)

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, 5 जुलाई, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''आंगनवाड़ी'' से धारा 4, धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन गठित बाल देखरेख और विकास केन्द्र अभिप्रेत है;

(2) ''केन्द्रीय पूल'' से खाद्यान्नों का ऐसा स्टाक अभिप्रेत है जो —

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत संक्रियाओं के माध्यम से उपाप्त किया जाता है;

(ii) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी स्कीमों, जिनके अन्तर्गत आपदा राहत भी है और ऐसी अन्य स्कीमों के अधीन भी है, आबंटनों के लिए रखा जाता है;

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्कीमों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखा जाता है;

(3) ''पात्र गृहस्थी'' से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी और अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थियां अभिप्रेत हैं;

(4) ''उचित दर दुकान'' से ऐसी दुकान अभिप्रेत है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है; 1955 का 10

(5) ''खाद्यान्न'' से चावल, गेहूं या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, आदेश द्वारा, अवधारित किए जाएं;

(6) ''खाद्य सुरक्षा'' से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है;

(7) ''खाद्य सुरक्षा भत्ता'' से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है;

(8) ''स्थानीय प्राधिकारी'' में पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना प्राधिकारी और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में, जहां पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, ग्राम परिषद् या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वशासन के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है अथवा ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय सम्मिलित है, जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नगर सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है;

(9) ''भोजन'' से गरम पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ और परोसे जाने के पूर्व गरम किया गया भोजन या घर ले जाया जाने वाला राशन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए;

(10) ''न्यूनतम समर्थन मूल्य'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ऐसा सुनिश्चित मूल्य अभिप्रेत है, जिस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न उपाप्त किए जाते हैं;

(11) ''अधिसूचना'' से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(12) ''अन्य कल्याणकारी स्कीमों'' से, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त, ऐसी सरकारी स्कीमें अभिप्रेत हैं, जिनके अधीन स्कीमों के भागरूप खाद्यान्नों और भोजन का प्रदाय किया जाता है;

(13) ''नि:शक्त व्यक्ति'' से नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,
1966 का 1 1995 की धारा 2 के खंड (न) में उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(14) ''पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी'' से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान की गई गृहस्थी अभिप्रेत है;

(15) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(16) ''राशन कार्ड'' से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(17) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय, किसी राज्य में का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(18) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(19) ''वरिष्ठ नागरिक'' से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 2007 का 56 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(20) ''सामाजिक संपरीक्षा'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मॉनीटर और उसका मूल्यांकन करती है;

(21) ''राज्य आयोग'' से धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है;

(22) ''राज्य सरकार'' से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(23) ''लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली'' से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है;

(24) ''सतर्कता समिति'' से इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है;

(25) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या किसी 1955 का 10 अन्य सुसंगत अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

3. (1) उन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी का, जिसकी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पहचान की गई है, प्रत्येक व्यक्ति, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायताप्राप्त कीमतों पर प्रति मास प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा:

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों द्वारा सहायताप्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।

परंतु अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थी, उस सीमा तक, जो केंद्रीय सरकार उक्त स्कीम में प्रत्येक राज्य के लिए विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रति मास गृहस्थी पैंतीस किलोग्राम खाद्यान्न की हकदार होगी:

परंतु यह और कि यदि अधिनियम के अधीन किसी राज्य को खाद्यान्नों का वार्षिक आबंटन, सामान्य लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले तीन वर्ष के लिए खाद्यान्नों के औसत वार्षिक कुल क्रय से कम है, तो उसको उन कीमतों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, संरक्षित किया जाएगा और राज्य को अनुसूची 4 में यथा निर्दिष्ट खाद्यान्नों का आबंटन किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, ''अन्त्योदय अन्न योजना'' से केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को उक्त नाम से आरंभ की गई और समय-समय पर यथा उपांतरित, स्कीम अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों की सहायताप्राप्त कीमतों पर हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के पचहत्तर प्रतिशत तक और नगरीय जनसंख्या के पचास प्रतिशत तक विस्तारित होंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, खाद्यान्नों की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

4. ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विरचित की जाएं, प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होगी,—

गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषणाहार सहायता।

(क) गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात् के छह मास के दौरान स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क

भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार के मानकों को पूरा किया जा सके; और

(ख) कम से कम छह हजार रुपए का, ऐसी किस्तों में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, प्रसूति फायदा:

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं अथवा वे जिनको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वैसे ही फायदे मिल रहे हैं, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट फायदों की हकदार नहीं होंगी।

बालकों को पोषणाहार सहायता।

5. (1) खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक की, उसकी पोषणाहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए, निम्नलिखित हकदारियां होंगी, अर्थात्—

(क) छह मास से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से आयु के अनुरूप नि:शुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार के मानकों को पूरा किया जा सके:

परंतु छह मास से कम आयु के बालकों के लिए, केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा;

(ख) कक्षा 8 तक के अथवा छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में, इनमें से जो भी लागू हो, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों में और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों में, विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर, प्रत्येक दिन एक बार नि:शुल्क दोपहर का भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनवाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं होंगी:

परंतु नगरीय क्षेत्रों में, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भोजन पकाने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघरों की सुविधाओं का, जहां कहीं अपेक्षित हो, उपयोग किया जा सकेगा।

बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन।

6. राज्य सरकारें, स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की, जो कुपोषण से ग्रस्त हैं, पहचान करेगी और उनको नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।

7. राज्य सरकारें, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत में हिस्सा बंटाने सहित ऐसी स्कीमों का, जिनके अंतर्गत धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियां आती हैं, ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए। हकदारियों के आपन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन।

अध्याय 3

खाद्य सुरक्षा भत्ता

8. अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय न किए जाने की दशा में, ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से संदाय किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं। कतिपय दशाओं में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।

अध्याय 4

पात्र गृहस्थी की पहचान

9. धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसंख्या की प्रतिशतता का अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस जनगणना के अनुसार, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं। जनसंख्या प्राक्कलनों के आधार पर संगणित की जाएगी। लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनसमुदाय को लाना।

10. (1) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्ति-संख्या के भीतर ही,— राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना।

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियों की, उक्त स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पहचान करेगी;

(ख) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियों की ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पहचान करेगी:

परंतु राज्य सरकार, अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, यथासंभव शीघ्र, किन्तु ऐसी अवधि के भीतर, जो तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक की न हो, इस उपधारा के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पात्र गृहस्थियों की पहचान कर सकेगी:

परंतु यह और कि राज्य सरकार, ऐसी गृहस्थियों की पहचान पूरी होने तक, विद्यमान लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केंद्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आबंटन प्राप्त करती रहेगी।

(2) राज्य सरकार, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्ति-संख्या के अंतर्गत ही, पात्र गृहस्थियों की सूची को उपधारा (1) के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अद्यतन करेगी।

पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शनं

11. राज्य सरकार, पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक क्षेत्र में लगाएगी और उसे प्रमुख रूप से संप्रदर्शित करेगी।

अध्याय 5

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

12. (1) केंद्रीय और राज्य सरकारें, इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका के अनुरूप लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोत्तर आवश्यक सुधार के कार्य का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।

(2) सुधारों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित आएंगे:—

(क) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम-स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिदान;

(ख) संव्यवहारों का सभी स्तरों पर पारदर्शक अभिलेखन सुनिश्चित करने और उनका अपयोजन रोकने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का, जिनके अंतर्गत विस्तृत कंप्यूटरीकरण भी है, उपयोजन;

(ग) इस अधिनियम के अधीन फायदों को समुचित रूप से लक्ष्यित करने के लिए हकदार फायदाग्राहियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ विशिष्ट पहचान के लिए ''आधार'' का प्रयोग किया जाना;

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता;

(ङ) उचित दर दुकानों की अनुज्ञप्तियां दिए जाने में और लोक संस्थाओं या लोक निकायों, जैसे पंचायतों, स्वयंसेवी समूहों, सहकारी संस्थाओं को और उचित दर दुकानों का प्रबंधन महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा किए जाने को अधिमानता;

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं का समयकालिक विविधत्व;

(छ) स्थानीय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैंकों को समर्थन;

(ज) लक्ष्यित हिताधिकारियों के लिए, ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी रीति से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अंतरण, खाद्य कूपन जैसी स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना।

अध्याय 6

महिला सशक्तिकरण

राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों की गृहस्थी का मुखिया होना।

13. (1) प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वर्षिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम की न हो, राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी।

(2) जहां किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री अथवा अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है वहां गृहस्थी का वर्षिष्ठ पुरुष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशन कार्डों के लिए, पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।

अध्याय 7

शिकायत निवारण तंत्र

आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।

14. प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जिसके अंतर्गत कॉल सेंटर, हेल्पलाइनें, नोडल अधिकारियों का पदाभिहित किया जाना आता है या ऐसा अन्य तंत्र, जो विहित किया जाए, स्थापित करेगी।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी।

15. (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए, अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अधिनियम के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए, एक अधिकारी, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा, नियुक्त या पदाभिहित करेगी।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार, जिला शिकायत निवारण अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद के वेतन और भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का उपबंध करेगी, जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं, उपबंध करेगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण न किए जाने और उससे संबंधित मामलों के संबंध में शिकायतों को सुनेगा और उनके निवारण के लिए, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं, आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(6) ऐसा कोई शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है और जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, फाइल की जाएगी।

राज्य खाद्य आयोग

16. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष;

(ख) पांच अन्य सदस्य; और

(ग) सदस्य-सचिव, जो राज्य सरकार का, उस सरकार में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा:

परंतु उसमें कम से कम दो स्त्रियां होंगी, चाहे वे अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हों:

परंतु यह और कि उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य-सचिव हो।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से की जाएगी,—

(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त हैं; या

(ख) जो सार्वजनिक जीवन में के ऐसे विख्यात व्यक्ति हैं, जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है; या

(ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड है।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों और सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए उनकी नियुक्ति की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियां ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(6) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का जिम्मा लेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य के संबंध में, इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना;

(ख) अध्याय 2 के अधीन उपबंधित हकदारियों के अतिक्रमणों की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर, जांच करना;

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना;

(घ) व्यष्टियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुंच बनाने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों, स्वायत्त निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को सलाह देना;

(ङ) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना;

(च) वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएंगी।

(7) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे।

(8) उपधारा (7) के अधीन कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति और उनके वेतन, भत्ते और सेवा-शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(9) राज्य सरकार, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकर है।

(10) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य को उपधारा (9) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द का वेतन और भत्ते।

17. राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्य-सचिव, सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों तथा राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्ययों का उपबंध करेगी।

राज्य आयोग के रूप में कार्य करने के लिए किसी आयोग या निकाय को अभिहित किया जाना।

18. राज्य सरकार, यदि वह यह आवश्यक समझती है तो, अधिसूचना द्वारा, किसी कानूनी आयोग या निकाय को, धारा 16 में निर्दिष्ट राज्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित कर सकेगी।

संयुक्त राज्य खाद्य आयोग।

19. धारा 16 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, दो या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा।

जांच से संबंधित शक्तियां।

20 (1) राज्य आयोग को, धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (ख) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती हैं, अर्थात:—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) राज्य आयोग को किसी मामले को, उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट, जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है।

1974 का 2

रिक्तियों, आदि से राज्य आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

21. राज्य आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) राज्य आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय 8

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन किया जाना।

22. (1) केन्द्रीय सरकार, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए धारा 3 के अधीन हकदारियों के अनुसार और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों को, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुसार खाद्यान्न आबंटित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में, गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न राज्य सरकारों को, उपलब्ध कराएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,—

(क) अपने स्वयं के अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न उपाप्त करेगी;

(ख) राज्यों को खाद्यान्न आबंटित करेगी;

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को, आबंटन के अनुसार, खाद्यान्नों के परिवहन का उपबंध करेगी;

(घ) राज्य सरकार को ऐसे सन्नियमों और रीति के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यिक संचलन, उठाई-धराई और उचित दर दुकान के व्यौहारियों को संदत्त अतिरिक्त धन (मार्जिन) मद्दे उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी; और

(ङ) विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय मामलों में राज्य सरकार को निधियां उपलब्ध कराया जाना।

23. किसी राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न की कम आपूर्ति की कमी की दशा में, केन्द्रीय सरकार, ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्याय 2 के अधीन की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को किए गए कम प्रदाय की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

अध्याय 9

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और उन्हें मॉनीटर किया जाना।

24. (1) राज्य सरकार, अपने राज्य में लक्ष्यित हिताधिकारियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों और अपनी स्वयं की स्कीमों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने और उन्हें मॉनीटर करने के लिए उत्तरदायी होगी

(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्तव्य होगा,—

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना; प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक अपने प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से आबंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंतरा-राज्यिक आबंटनों को संचालित करना; और

(ख) हकदार व्यक्तियों को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या प्रदाय सुनिश्चित करना।

(3) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में खाद्यान्न अपेक्षाओं के लिए, राज्य सरकार, राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से, पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर, खाद्यान्नों का परिदान लेने और पूर्वोक्त धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट हकदार फायदों के वास्तविक परिदान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों के खाद्यान्नों या भोजनों की हकदार मात्रा का प्रदाय न करने की दशा में, राज्य सरकार धारा 8 में विनिर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए,—

(क) राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर ऐसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करेगी और उन्हें बनाए रखेगी, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त हों;

(ख) अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिहित अभिकरणों की क्षमताओं को यथोचित रूप से सुदृढ़ करेगी;

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, समय-समय पर यथासंशोधित, के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन इंतजामों को स्थापित करेगी। 1955 का 10

अध्याय 10

स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन।

25. (1) स्थानीय प्राधिकारी, अपने-अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, स्थानीय प्राधिकारी को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंप सकेगी।

स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं।

26. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न-भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में, स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा, अधिसूचना द्वारा, उन्हें सौंपे जाएं।

अध्याय 11

पारदर्शिता और जवाबदेही

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अभिलेखों का प्रकटीकरण।

27. लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा और जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

सामाजिक संपरीक्षा का कराया जाना।

28. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

सतर्कता समितियों का गठन।

29. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकान के स्तरों पर, समय-समय पर यथासंशोधित, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यथाविनिर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और इनमें स्थानीय प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या नि:शक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। (1955 का 10)

(2) सतर्कता समितियां, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगी, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अतिक्रमण की जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में सूचना देना; और

(ग) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग की, जिनका उसे पता चले, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में, सूचना देना।

अध्याय 12

खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध

दूरस्थ, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा।

30. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, इस अधिनियम के उपबंधों और विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय कमजोर समूहों की, विशेष रूप से, उनकी जो दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जहां पहुंचना कठिन है, पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगी।

खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के उपाय।

31. केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, खाद्य और पोषणाहार संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

अध्याय 13

प्रकीर्ण

अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

32. (1) इस अधिनियम के उपबंध, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों को जारी रखने या विरचित करने से प्रवारित नहीं करेंगे।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का उपबंध करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमें जारी रख सकेगी या विरचित कर सकेगी।

शास्तियां।

33. ऐसा कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपलब्ध करवाने में असफल रहने का या ऐसी सिफारिश की जानबूझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाएगा, पांच हजार रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा:

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व, यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

न्यायनिर्णयन की शक्ति।

34. (1) राज्य आयोग, धारा 33 के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् विहित रीति से जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी को, कोई जांच करते समय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में, जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो वह धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति।

35. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रयोक्तव्य होंगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

36. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई स्कीमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

37. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 का

संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

38. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर, राज्य सरकारों को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का पालन करेंगी।

नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

39. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राज्य सरकार के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के खंड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करने वाली माताओं को प्रसूति फायदा उपलब्ध करवाने संबंधी स्कीम, जिसके अंतर्गत खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ख) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारी संबंधी स्कीमें, जिनके अंतर्गत धारा 7 के अधीन खर्च में हिस्सा बंटाना भी है;

(ग) धारा 8 के अधीन हकदार व्यष्टियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय की रकम, उसका समय और रीति;

(घ) धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन लक्ष्यित हिताधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में और रीति से उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अन्तरण, खाद्य कूपनों की स्कीमें या अन्य स्कीमें प्रारंभ करना;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन व्यय को पूरा करने में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के सन्नियम और रीति;

(च) वह रीति, जिसमें धारा 23 के अधीन खाद्यान्नों के कम प्रदाय की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

40. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वार बनाए गए नियमों से संगत, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत;

(ख) धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र;

(ग) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उसकी शक्तियां;

(घ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्तें;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई तथा अपीलें फाइल किए जाने की रीति और समय-सीमा;

(च) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों तथा सदस्य-सचिव की नियुक्ति की पद्धति और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, आयोग की बैठकों की प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियां;

(छ) धारा 16 की उपधारा (8) के अधीन राज्य आयोग के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति की पद्धति, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें;

(ज) वह रीति, जिसमें धारा 27 के अधीन लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखे जाएंगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे;

(झ) वह रीति, जिसमें धारा 28 के अधीन उचित दर दुकानों, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकरण की सामाजिक संपरीक्षा की जाएगी;

(ञ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सतर्कता समितियों की संरचना;

(ट) धारा 43 के अधीन संस्थागत तंत्र के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की स्कीमें या कार्यक्रम;

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वार उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और मार्गदर्शक सिद्धान्त, उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के, जहां उसके दो सदन हैं, प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखे जाएंगे।

स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि के लिए संक्रमण कालीन उपबंध।

41. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां तब तक प्रवृत्त और प्रभाव में बनी रहेंगी जब तक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत, आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र, सतर्कता समितियां विनिर्दिष्ट या अधिसूचित हैं:

परंतु उक्त स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेशों और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र के अधीन या सतर्कता समितियों द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्नुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग।

43. धारा 15 और धारा 16 के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केन्द्रीय सरकार की या राज्य सरकारों की ऐसी अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, किया जा सकेगा।

44. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के लिए, ऐसे युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय जिससे इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को

खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है, दायी होगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग के परामर्श से, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय को प्रभावित करने वाली ऐसी कोई परिस्थिति उद्‌भूत या विद्यमान है अथवा नहीं।

2013 का अध्यादेश सं॰ 7

निरसन और व्यावृत्ति।

45. (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन,—

(क) की गई किसी बात, की गई किसी कार्रवाई या पात्र गृहस्थियों की, की गई पहचान; या

(ख) अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत किसी अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) विरचित किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धान्तों या जारी किए गए निदेशों; या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, हकदारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में आरंभ की गई, संचालित या जारी किसी अन्वेषण, जांच या किसी अन्य विधिक कार्यवाही; या

(ङ) किसी अपराध के संबंध में अधिरोपित किसी शास्ति,

के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई, अर्जित की गई, प्रोद्‌भूत हुई, उपगत की गई, विरचित की गई, जारी की गई, आरंभ की गई, संचालित की गई, जारी रखी गई या अधिरोपित की गई है।

अनुसूची 1

[धारा 3(1), धारा 22(1), (3) और धारा 24(2), (3) देखिए]

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायता-प्राप्त कीमतें

पात्र गृहस्थियां धारा 3 के अधीन सहायता-प्राप्त कीमत पर, जो चावल के लिए 3 रुपए प्रति किग्रा॰, गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किग्रा॰ और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए प्रति किग्रा॰ से अधिक की नहीं होगी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् ऐसी कीमत पर खाद्यान्न लेने की हकदार होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर नियत की जाए और जो, यथास्थिति,—

(i) गेहूं और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत; और

(ii) चावल के लिए व्युत्पन्न न्यूनतम समर्थन कीमत,

से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची 2

[**धारा 4(क), धारा 5(1) और धारा 6** देखिए]

पोषणाहार मानक

पोषणाहार मानक: छह मास से तीन वर्ष के आयु समूह, तीन से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों और गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषणाहार मानक ''घर ले जाया जाने वाला राशन'' उपलब्ध कराकर या एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराकर पूरे किए जाने अपेक्षित हैं और अपराह्न भोजन स्कीम के अधीन निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषणाहार मानक निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्यांक	प्रवर्ग	भोजन का प्रकार	कैलोरी (कि॰ कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा॰)
1.	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाया जाने वाला राशन	500	12–15
2.	बालक (3 से 6 वर्ष)	सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12–15
3.	बालक (6 मास से 6 वर्ष) जो कुपोषित हैं	घर ले जाया जाने वाला राशन	800	20–25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20
6.	गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाया जाने वाला राशन	600	18–20

अनुसूची 3

(धारा 31 देखिए)

खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध

(1) कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण—

(क) छोटे और सीमांत कृषकों के हितों को सुरक्षित करने के उपायों के माध्यम से भूमि संबंधी सुधार करना;

(ख) कृषि, जिसके अन्तर्गत अनुसंधान और विकास, विस्तार सेवाएं, सूक्ष्म और लघु सिंचाई और उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति भी है, विनिधान में वृद्धि करना;

(ग) लाभकारी कीमतों, निवेशों तक पहुंच, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा, आदि के रूप में कृषकों के जीवन निर्वाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अनपेक्षित उपयोजन का प्रतिषेध करना।

(2) उपापन, भंडारण और लाने-ले-जाने से संबंधित मध्यक्षेप—

(क) विकेन्द्रीकृत उपापन को, जिसके अन्तर्गत मोटे अनाजों का उपापन भी है, प्रोत्साहित करना;

(ख) उपापन संक्रियाओं का भौगोलिक विशाखन;

(ग) पर्याप्त विकेंद्रीकृत आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण का संवर्द्धन; और

(घ) खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से उपयोग वाले क्षेत्रों को खाद्यान्नों के लाने-ले-जाने को सुकर बनाने के लिए रेल की लाइन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है।

(3) अन्य: निम्नलिखित तक पहुंच—

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल और स्वच्छता;

(ख) स्वास्थ्य देखभाल;

(ग) किशोर बालिकाओं का पोषणाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं को पर्याप्त पेंशनें।

अनुसूची 4

[धारा 3(1) देखिए]

खाद्यान्नों का राज्यवार आबंटन

क्रम सं॰	राज्य का नाम	मात्रा (लाख टनों में)
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	32.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.89
3.	असम	16.95
4.	बिहार	55.27
5.	छत्तीसगढ़	12.91
6.	दिल्ली	5.73
7.	गोवा	0.59
8.	गुजरात	23.95
9.	हरियाणा	7.95
10.	हिमाचल प्रदेश	5.08
11.	जम्मू कश्मीर	7.51
12.	झारखंड	16.96
13.	कर्नाटक	25.56
14.	केरल	14.25
15.	मध्य प्रदेश	34.68
16.	महाराष्ट्र	45.02
17.	मणिपुर	1.51
18.	मेघालय	1.76
19.	मिजोरम	0.66
20.	नागालैंड	1.38
21.	ओडिशा	21.09
22.	पंजाब	8.70
23.	राजस्थान	27.92
24.	सिक्किम	0.44
25.	तमिलनाडु	36.78
26.	त्रिपुरा	2.71

(1)	(2)	(3)
27.	उत्तर प्रदेश	96.15
28.	उत्तराखंड	5.03
29.	पश्चिमी बंगाल	38.49
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.16
31.	चंडीगढ़	0.31
32.	दादरा और नागर हवेली	0.15
33.	दमन और दीव	0.07
34.	लक्षद्वीप	0.05
35.	पुडुचेरी	0.50
	कुलः	**549.26**

डा॰ संजय सिंह
(भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव)

पठन सूची

1. द्रेश़, जीन एवं सेन, अमर्त्य, *एन अनसर्टेन ग्लोरी: इण्डिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शन्स,* 2013, पेंग्विन इण्डिया पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

2. सिन्हा, दीपा, 'कॉस्ट ऑफ़ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट', *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* सितम्बर 28, 2013, खंड XLVIII, संख्या 39 ।

3. मिश्रा, प्राची, 'फाइनेंशियल एंड डिस्ट्रिब्यूशनल इम्प्लिकेशन्स ऑफ द फूड सिक्योरिटी लॉ', *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* सितम्बर 28, 2013, खंड XLVIII, संख्या 39 ।

4. सिन्हा, दीपा, 'नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस: ऐनिथिंग बट ऐक्सपैंसिव', *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* जुलाई 27, 2013, खंड XLVIII, संख्या 30 ।

    4क. नारायणन, सुधा, 'द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट विज़-अ-विज़ द डब्ल्यू टी ओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर', *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* फरवरी 1, 2014, खंड XLIX, संख्या 5 ।

    4ख. चन्दर, प्रकाश, 'प्राइस सब्सिडीज वर्सिस इनकम ट्रांस्फर्स', *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* अप्रैल 5, 2014, खंड XLIX, संख्या 14 ।

    4ग. श्रीनिकेत नागवरपु एवं शीतल सेखरी, 'प्लगिंग पीडीएस पिलफरेज: ए स्टडी ऑफ एन एसएमएस-बेस्ड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट', *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,* 13, मार्च, 29, 2014, खंड XLIX, संख्या 1 ।

5. कुमार, अरुण, 'ए मैक्रोइकोनॉमिक व्यू ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल', *मेनस्ट्रीम,* अगस्त 31, 2013, खंड LI, संख्या 37 ।

6. रे, सुरंजता, 'लेजिस्लेशन ऐन्श्योरिंग बेसिक राइट टू फूड', *मेनस्ट्रीम,* अगस्त 31, 2013, खंड LI, संख्या 37 ।

7. बिजनस लाइन, 'द फूड इन्सीक्योरिटी एक्ट', *द हिन्दू,* अगस्त 29, 2013 ।

8. राजलक्ष्मी, टी॰ के॰, 'फूड फॉर सिक्योरिटी', *फ्रंटलाइन,* सितम्बर 30, 2013 ।

9. राजलक्ष्मी, टी॰ के॰, 'हाफ बेक्ड स्कीम', *फ्रंटलाइन,* अगस्त 9, 2013 ।

10. 'फूड सिक्योरिटी बिल, सेलिएन्ट फीचर्स', *द इकोनॉमिक टाइम्स,* सितम्बर 3, 2013 ।

11. पुंज, श्वेता, 'इम्प्लीमेंटिग फूड सिक्योरिटी बिल ए फोर्मिडेबल चैलेंज', *बिजनस टुडे,* सितम्बर 12, 2013 ।

12. श्रीराम, जयन्त, 'फूड सिक्योरिटी बिल बिकम्स ए रिऐलिटी, बट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स ए चैलेंज', *बिजनस टुडे,* अगस्त 27, 2013 ।

13. दुबे, ज्योतिन्द्र, 'फूड सिक्योरिटी बिल मे वाइडर फिस्कल डेफिसिट', *बिजनस टुडे,* जून 20, 2013 ।

14. 'नो स्टेट विल बी वर्स ऑफ आफ्टर फूड सिक्योरिटी एक्ट', *द हिन्दू,* अक्टूबर 17, 2013 ।

15. गणेशमूर्ति, 'पॉवर्टी केननॉट बी एड्रैस्ड थ्रू फूड सिक्योरिटी बिल', *द हिन्दू,* अगस्त, 29, 2013 ।

16. खेड़ा, रीतिका (सेमिनार), 'वन स्टैप फॉरवर्ड, वन स्टैप बैक', http://www.india-seminar.com/2012/634/634_reetika_khera.htm. ।

17. 'फूड सिक्योरिटी एक्ट हिट्स सिलैक्शन हर्डल', *द टाइम्स ऑफ इंडिया,* मई 22, 2011 ।

18. जिष्णु, लता, सूद ज्योतिका एवं सुचित्रा एम॰, 'मोर बाइट, लैस टू च्यू', *डाउन टू अर्थ,* सितम्बर 15, 2013 ।

GMGIPMRND—3693RS—19-06-2015.